(5)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] नवम् विधान सभा के षष्टम् सत्र का तृतीय दिवस [संख्या : 3

बुधवार

26 फरवरी, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त।

नगर परिषद् द्वारा उद्योगों को जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

25. श्री रमाकान्त शर्मा थानागाजी): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर नगर में किसी उद्योग को नगर परिषद् द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की क्या प्रणाली है ?

(2) जयपुर नगर में पत्थर काटने की मशीन के कितने उद्योग लगे हुए हैं ? और इनमें से कितनों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जयपुर नगर में किसी उद्योग को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आवेदनकर्ता से दस्तावेज, स्थल का मानचित्र लेकर 7 दिन का पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है। इसके पश्चात् पर्यावरण के सम्बन्ध में स्वास्थ्य अधिकारी से तथा स्थल के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता से राय ली जाकर आयुक्त द्वारा केवल ऐसे उद्योगों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की विद्युत हार्सपावर अथवा इंजन की शक्ति का प्रयोग नहीं होता है। यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र लघु उद्योगों को ऋण देने से पूर्व वित्त निगम व उद्योग विभाग द्वारा उद्यमी के चाहे जाने पर परिषद् द्वारा दिये जाते हैं। इसके जारी करने के सम्बन्ध में कोई नियम परिषद् द्वारा प्रभावशील नहीं है।

(2) जयपुर नगर परिषद् द्वारा हाल ही में कराये गये सर्वे से प्राप्त सूचना के अनुसार पत्थर काटने की मशीन के 65 उद्योग चल रहे हैं।—इनमें से 8 उद्योगों को अनुज्ञा पत्र दिये गये हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिये गए।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उनको पता है कि मकराना की करीब-करीब सभी दुकानें धीरे-धीरे करके और सारे जयपुर शहर के चारों तरफ जितनी बाहर की कालोनियां हैं, चाहे वह राजा-पार्क हो, आदर्श नगर हो, सभी कालोनीज के अन्दर आ गई हैं। क्या मन्त्री महोदय विचार करेंगे कि इस प्रकार के व्यावसायिक केन्द्र किसी शहर के अन्दर बीच में आ जाता है तो जो हालत कलकत्ता व कानपुर के यातायात की हो गई है वैसी ही यातायात की स्थिति जयपुर की बन जायेगी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बन गई।

श्री रमाकान्त शर्मा : बन गई है और आगे और भी खराब होने वाली है। तीसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आज जो इस प्रकार के नियम हैं वे क्यों नहीं बने और नियम नहीं बने हैं तो किस आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिए गए हैं और जिनको अनुमति दी गई है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं दिए गए हैं, उन्होंने भी करीब 65 उद्योग चला लिये हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम केवल लाइसेंस देते हैं। लाइसेंस और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में अन्तर है। लाइसेंस के जो नियम बने हुए हैं वे 1946 के बने हुए हैं। ये 27 मार्च, 1946 के हैं और 1.5.1946 से प्रभाव में हैं। तो लाइसेंस के नियम हमारे पास हैं और एन. ओ. सी. हम देते नहीं हैं। एन. ओ. सी. की जरुरत भी नहीं है हमारे हिसाब से लेकिन जो उद्यमी व्यवसाय करना चाहता है और वह संस्थाओं से ऋण लेना चाहता है इण्डस्ट्रीज या आर.एफ.सी. से उस समय वो कहते हैं कि एन. ओ. सी. लाओ नगर पालिका की। तब वे हमारे पास आते हैं और हम जो लाइसेंस के नियम हैं उनके आधार पर कई वर्षों से यह एन. ओ. सी. देते रहे हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं। एन.ओ.सी. हम उन्हीं में देते हैं जो केवल घरों में या बिना हार्सपावर के इंजन से चलाते हैं केवल उनको ही देते हैं। एन.ओ सी. उन्हीं को देते हैं। जो बिजली के पावर से चलते हैं या इंजिन चलते हैं उनको एन.ओ.सी. नहीं देते हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है। तो यह लाइसेंस भी दिया है, आपका कहना ठीक है केवल 8 लोगों को लाइसेंस दिया गया है बाकी बिना हमारा लाइसेंस लिये विद्युत कनेक्शन उनके पास नहीं है और वे चला रहे हैं। जैसे ही यह बात मेरी जानकारी में आई है इसकी मैंने विस्तृत जांच करायी है और जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया तो जो हमारे पास नियम उपलब्ध हैं उसके अनुसार उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही की जा सकती है वो कार्यवाही करने के मैंने आदेश दिए हैं। आपका कहना ठीक है, ये वर्षों से चल रहे हैं। 25-25, 30-30 साल से इस काम में लगे हुए हैं तो मैं समझता हूं कि आगे मैं कार्यवाही करूंगा और इसमें मैं यह भी अनुभव कर रहा हूं कि बाई लॉज हैं उनमें भी कुछ ऐसे परिवर्तन किए जायं जिससे इस प्रकार की प्रवृत्तियां रोकी जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जैसा कहा कि लाइसेंस दिये हुए हैं। नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत आगरा रोड पर खानिया ग्राम है वहां कई स्टोन क्रेशेज लगे हुए हैं और उनके कारण जितनी धूल उड़ती है उसके कारण से वहां सब नागरिकों को परेशानी है, दमे की बीमारी है। 5-6 बार मैं विधान सभा में यह प्रश्न उठा चुका हूं। हर बार यह जवाब मिलता है कि जांच जारी है, कार्यवाही करेंगे, परन्तु अभी तक उन स्टोन क्रेशेज को हटाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो मैं स्पेसिफिक आपको बता रहा हूं कि खानिया ग्राम में कम से कम 5-6 स्टोन क्रेशेज लगे हुए हैं

Page No. 3

(श्री कालीचरण सराफ)

जिनके कारण वहां बड़ी तकलीफ है। इसके बारे में मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे, कृपया यह बताने की कृपा करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जो आपने कहा उसके लिए भी जिस प्रकार की मैंने इनके लिये कहा वैसी ही कार्यवाही उनके खिलाफ भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री राजेन्द्र गहलोत।

चिकित्सा विभाग में लाइसेंसिंग और कन्ट्रोलिंग अथोरिटी की नियुक्ति

26. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या भारत सरकार ने दिनांक 12-4-1989 को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत लाइसेंसिंग और कंट्रोलिंग अथोरिटी के लिये योग्यता और अनुभव निर्धारित किये हैं ?

(2) राज्य में औषधि निर्माण और विक्रय के लिये लाइसेंसिंग व कंट्रोलिंग अथोरिटी कौन है और उनकी योग्यता व अनुभव क्या है ? क्या वे सभी उक्त अधिसूचना के अनुसार योग्यता व अनुभव रखते हैं ? यदि नहीं, तो 12-4-1989 से अब तक वांछित योग्यता व अनुभव रखने वाले लाइसेंसिंग व कन्ट्रोलिंग अथोरिटी की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है ?

(3) क्या इस अवधि में अपात्र कन्ट्रोलिंग अथोरिटी द्वारा नियम 51 के तहत न्यायिक कार्यवाही हेतु जारी किये गए आदेशों का सम्बन्धित प्रकरणों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

(4) क्या राज्य सरकार ने नियम 49 (ए) और 50 (ए) के अनुरूप वांछित योग्यता व अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्य में लाइसेंसिंग व कन्ट्रोलिंग अथोरिटी नियुक्त करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो कब और उसकी अनुपालना अब तक क्यों नहीं की गई है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां।

(2) राज्य सरकार द्वारा ड्रग्स एवं कॉसमेटिक्स नियम, 1945 के अन्तर्गत निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (परिवार कल्याण) राजस्थान की अधिसूचना संख्या प. 8 (3) एम.पी.एच./ग्रुप 1/65-III दिनांक 1 मार्च, 1986 तथा प. 8 (3) एम. पी. एच./ग्रुप-1/65/5 दिनांक 1 मार्च, 1986 के द्वारा पदेन लाइसेंसिंग अथोरिटी एवं कंट्रोलिंग अथोरिटी नियुक्त किया हुआ है। पदेन लाइसेंसिंग अथोरिटी द्वारा जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को औषधि विक्रय के लिये पदेन लाइसेंसिंग अथोरिटी की शक्तियां सम्बन्धित जिलों के लिये प्रदान की हैं। उक्त अधिकारी क्रमश: निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा जिलों में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के पद की निर्धारित योग्यता रखते हैं लेकिन दिनांक 12-4-89 की उक्त अधिसूचना के अनुसार लाइसेंसिंग व कन्ट्रोलिंग अथोरिटी

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

की योग्यता व अनुभव नहीं रखते हैं। वांछित योग्यता अनुभव रखने वाले लाइसेंसिंग व कन्ट्रोलिंग अथोरिटी की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(3) ड्रग्स एवं कॉसमेटिक्स नियम, 1945 में निरीक्षक व राजकीय विश्लेषक की योग्यताएं निर्धारित हैं। निरीक्षक द्वारा विश्लेषण हेतु नमूने लिये जाते हैं तथा नियमों की अवहेलना पर मुकदमा बनाया जाता है। विश्लेषण का कार्य ड्रग एनेलिस्ट द्वारा किया जाता है। इन पदों पर राज्य में निर्धारित योग्यता वाले व्यक्ति कार्यरत हैं। अतः ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के नियम 50 में नियुक्त पदेन कन्ट्रोलिंग अथोरिटी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत औषधि निरीक्षक को न्यायिक कार्यवाही के आदेश जो कि वर्तमान में निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें (प.क.) द्वारा दिये जा रहे हैं उससे सम्बन्धित प्रकरणों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(4) लाइसेंसिंग एवं कन्ट्रोलिंग अथोरिटी की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, नियम 49 (ए) व 50 (ए) ड्रग्स व कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत लाइसेंसिंग व कन्ट्रोलिंग अथोरिटी की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव क्या हैं ? दूसरा, इस पद पर कौन है और इसका नाम क्या है ? उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या नियम 49 (ए) व 50 (ए) के अन्तर्गत है ? नहीं है तो अब तक 3 साल में नियुक्ति क्यों नहीं की गई ? इसके लिये दोषी कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? इंस्पेक्टर आफ टेस्टिंग इन्चार्ज तो योग्य है परन्तु न्यायालय में कार्यवाही की स्वीकृति देने वाले अधिकारी अयोग्य हैं जिसके कारण कोर्ट के केस में विपरीत असर पड़ेगा और नकली व घटिया दवाईं बनाने व बेचने वालों का बचाव होगा। इस प्रकार का फैसला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी दिया है। नियम 49 (ए) व 50 (ए) के अनुसार योग्यता रखने वाले अधिकारी विभाग में वर्षों से कार्यरत हैं। क्यों नहीं इनको सरकार लाइसेंसिंग व कन्ट्रोलिंग अथोरिटी की नियुक्ति करती है। इस सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम बना कर लाइसेंसिंग और कन्ट्रोलिंग अथोरिटी का कार्य उसी अनुसार किया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण देने से तो अच्छा है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : इस सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष जी, यही कहना है कि आज तक....

श्री अध्यक्ष : आपने सवाल पूछ लिया है, एक्सप्लेन मत करिये, वह समझ गये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पहला सवाल किया है कि उनका शैक्षिक अनुभव और योग्यता क्या है। नियम 49 (ए) के अनुसार Qualifications of a licencing authority : No person shall be qualified to be a licencing authority under

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

the Act unless he is a graduate in pharmacy or pharmaceutical chemistry, or in medicine with specilisation in clinical pharmacology or micropology from a University established in India by law, and–(2) He has experience in the manufacture or testing of drugs or enforcement of the provisions of the Act for a minimum period of five years; provided that the reuirement as to the academic qualifications.

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू): यह तो अध्यक्ष महोदय, बता दिया। जो नियम के तहत योग्यता चाहिए वह है। अब यह पूरा लॉ पढ़कर आप सुनाओगे तो फिर तो आगे कुछ होगा ही नहीं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, आप तो यह बता दीजिए कि 12.4.89 के बाद....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वह तो प्रेसक्राइब्ड फार्मूला है कि उसके अन्दर यह योग्यता होनी चाहिए। फिर तो पूरा पढ़ कर सुनाने का क्या सेंस निकलेगा ? एक तरफ आप जानते हैं कि ज्यादा प्रश्न है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : इसके पीछे माननीय अध्यक्षजी, मेरा यह कहना है कि जो योग्यता निर्धारित है उसके अन्दर अभी जो मेडीकल....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नियम 49(ए) और 50(ए) के अन्दर निर्धारित जो योग्यता चाहिए वह है। अब आप सारे को पढ़कर सुनाओ, इतने नासमझ तो आप भी नहीं हैं और वह भी नहीं हैं। यह तो सब जानते हैं....

श्री राजेन्द्र गहलोत : एक मिनट आप..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य माहिर आजाद, यह आप क्या कर रहे हैं ? आप कैसे खड़े हो गये बीच में ? अभी कुछ व्यवस्था है, उन्होंने सवाल पूछा है, यह सवाल का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने योग्यता पूछी है, यह पढ़कर सुना रहे हैं। अब आपको नहीं सुनना है तो चुप बैठे रहिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : आपको यह जानकारी नहीं है तो किस वास्ते खड़े हो गये आप ? यह जन साधारण से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है।

श्री अध्यक्ष : जो उन्होंने सवाल पूछा है, वह जवाब दे रहे हैं कि यह योग्यता है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : नहीं, वह तो आपने लिखित में दे दिया। आप तो यह बता दीजिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय, आप विराजिए प्लीज। जो सवाल पूछने वाले हैं पहले उनका जवाब हो जाने दीजिए। आप बाद में पूछ लीजिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा 50(ए) क्वालिफिकेशन आफ कन्ट्रोलिंग अथोरिटी, इसको भी पढ़ूं, आप कहें तो ?

No person shall be qualified

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

to be a controling authority under the Act unless he is a graduate in pharmacy or pharmaceutical chemistry or in medicine with specilisation in clinical pharmacology or micropology from a University established in India by law. He has experience in the manufacture of drugs or enforcement....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वह तो दे दिया आपने।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ... of the provisions of the Act for a minimum period of five years.

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह क्वालिफिकेशन्स है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिए।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल उन्होंने पद के बारे में किया है। मैंने जैसा निवेदन किया कि प्रारम्भ से ही डाइरेक्टर मेडिकल एण्ड हेल्थ, उनको लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोलिंग अथारिटी का काम दिया हुआ था। अप्रैल, 1989 में अधिसूचना जारी हो गई। उस अधिसूचना के अनुसार यहां नियम में संशोधन करना आवश्यक था, देर हुई है, यह बात सच है। एक साल तत्कालीन सरकार में और अभी इसके नियम बनने में देरी हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य महोदय को और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। आगामी तीन महीने में उसी प्रकार की क्वालिफिकेशन का व्यक्ति निश्चित रूप से लगा दिया जायेगा। जहां तक दूसरा सवाल है....

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री मदन दिलावर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी एक और है।

श्री अध्यक्ष : और तो वह संतुष्ट हो गये। (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : उनका तो हो गया सवाल। अब दूसरों को भी पूछने दीजिए।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सवाल तो करने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय रघुवीरसिंहजी, उनका नाम है, श्री मदन दिलावर का और श्री बालचन्द आर्यवीर का। हां बोलिये, नहीं पूछ रहे हैं ? श्री बालचन्द आर्यवीर। श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, दवाइयों की खरीद की एक कमेटी होती है उस कमेटी के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : वही तो कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : तो आप बता क्यों रहे हैं कि कमेटी है, इनको पता है कमेटी का।

श्री टीकमचन्द कान्त : उस कमेटी के अन्दर इस औषधि नियन्त्रक का भी एक सदस्य होता है और इस बार जो कमेटी है क्या उसमें औषधि नियन्त्रक और खरीददारी दोनों का कार्य एक ही व्यक्ति करता है ? अगर औषधि नियन्त्रक का पद उसके अन्दर होता है तो इसका मतलब उसकी गुणवत्ता....

श्री अध्यक्ष : फिर वही मतलब बता रहे हैं आप । आप सवाल पूछिये ।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं सवाल यह पूछ रहा हूँ....

श्री अध्यक्ष : क्या सवाल है ?

श्री टीकमचन्द कान्त : कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं क्या ? अगर एक ही हैं....

श्री अध्यक्ष : बस पूछ लिया, बिराजिए । माननीय कोगटाजी ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : पहले मैं खड़ा हुआ था अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास पहले उनका नाम लिखा हुआ है । आप उसके बिना खड़े होते हैं इसलिए आपका नाम आखिर में है ।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, इस तरफ भी देखिये ।

श्री अध्यक्ष : मैं सब तरफ देख रहा हूं । अब आपको रह-रह कर याद आती है तो मैं क्या करूं । मैं सबसे पहले इधर ही देखता हूं ।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कितनी फैक्ट्रियों की संख्या पर एक औषधि निरीक्षक होना चाहिए और कितनी दवा व्यवसाय की दुकानों पर एक औषधि निरीक्षक होना चाहिए । वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा कितने औषधि निरीक्षकों की नियुक्ति कर रखी है ? क्या वह सब प्रत्येक जिलों में, जैसा अभी आपने बताया था कि प्रत्येक जिले में एक औषधि निरीक्षक है, वह तीस जिलों में है ? अगर नहीं है तो कब तक आप नियुक्त कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, श्री मुस्तुफा ।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : यह जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया था वह 89 में किया था । सवाल लीगल यह है कि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने सारी प्रोसीडिंग्स को कैश कर दिया जितने भी केसेज बने थे तो राजस्थान के अन्दर भी वह पोजीशन आयेगी । लॉ इज दी सेम । 89 के बाद में आपने, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की और केसेज पेण्डिग हैं उनके ऊपर इसका जो असर पड़ेगा उसके लिए जिम्मेदार कौन है ? उसकी कार्यवाही क्यों नहीं करते आप ?

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह जी ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : 89 के बाद जितने केस कोर्ट में गये हैं इनका भविष्य क्या होगा ? क्या कन्ट्रोलिंग अथोरिटी और लाइसेंसिंग अथोरिटी जब कोई क्वालिफाइड लोग ही नहीं हैं तो इनसे जो परमीशन ली गई है तो क्या वह कोर्ट के हिसाब से लीगल है ? 89 से डिपार्टमेंट क्या कर रहा था जबकि हाई कोर्ट्स के फैसले हो चुके हैं ? कहीं यह ऐसा तो नहीं

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

है कि डिपार्टमेंट और दुकानदारों की मिली-भगत से यह संशोधन नहीं हो रहा हो ? 89 से आप क्या कर रहे थे ? आपकी फाइल पर आर्डर हुए और आप धन्यवाद देना चाहें मन्त्री महोदय, मुझे भी दीजिए। मैंने एक वर्ष पूर्व आपको पत्र लिखा जिसका जवाब मुझे नहीं मिला अभी तक।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री विश्नोई।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : एक वर्ष पूर्व पत्र लिखा था।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपको भी धन्यवाद दे चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : अब क्या रह गया है इसमें ?

श्री दिग्विजय सिंह : जवाब नहीं मिला उसका धन्यवाद।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों अस्पताल खुले हुए हैं। वहां पर न तो दवाइयों की दुकान है, न किसी को लाइसेंस दिया है। क्या आप ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जहां अस्पताल खुले हुए हैं वहां पर ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनकी ट्रेनिंग कराके लाइसेंस देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री महावीरजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि निश्चित क्वालिफिकेशन के अभाव में किसी प्रकार का दवाइयों पर कन्ट्रोल नहीं है और खुले आम सब-स्टैण्डर्ड की दवाइयां बिक रही हैं ? इसमें जितने केसेज हैं वह तो है ही लेकिन न तो चालान हो रहे हैं, न किसी प्रकार का कन्ट्रोल है।

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है, सवाल दवाइयों का थोड़े ही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दवाइयों के लिए ही है। (व्यवधान) तो क्या इसकी प्रभावी कार्यवाही जिन्होंने की, उनके ऊपर भी एक्शन लेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि बी फार्मेसी के कितने शिक्षित आपके डाक्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के कितने शिक्षित डाक्टर्स हैं और क्या यह भी सही है कि एम. फार्मेसी, बी. फार्मेसी और कानून के ज्ञाता ग्यारह आपके प्रशिक्षित स्तर के डाक्टर्स हैं जिनको यह अधिकार दिया जा सकता है लाइसेंसिंग अथोरिटी का और....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। माननीय मन्त्रीजी।

श्री प्रेमसिंह वहिया : अध्यक्ष जी....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। सवाल इतने आ गये हैं कि अब इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है।

श्री प्रेमसिंह वहिया (भीनमाल) : बचा हुआ है तभी तो पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बताइये, क्या बचा हुआ है ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : मन्त्रीजी ने सवाल के भाग तीन के अन्दर जो जवाब दिया उसमें मैं पूछना चाहता हूं मन्त्रीजी से कि क्या प्राइवेट क्लिनिक जो स्टोर रखते हैं दवाइयों का, उनके भी सेम्पल लिये जाते हैं ? उनको सरकार ने लाइसेंस दिये हैं क्या ? कितने दिये ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये । यह तो है ही।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले से आने वाले माननीय विधायक ने सवाल किया था, 182 निर्माण इकाइयां राजस्थान में अवस्थित हैं। जिसमें सर्जीकल ड्रेसिंग की भी इकाइयां हैं। उसी प्रकार 10564 औषधि विक्रय हेतु दुकानें हैं। इन सबके हिसाब से 113 औषधि निरीक्षक होने चाहिए। बहुत लम्बे समय से लगातार 29 पद चल रहे हैं, फाइनेन्स की स्थिति नहीं है, इसमें अब बढ़ोतरी का बी.एफ.सी. में ले जा रहे हैं। हमको लगता है कि हमको उसकी आज्ञा मिल जायेगी। इनके ऊपर, औषधि निरीक्षकों के ऊपर उप औषधि नियन्त्रक होता है जिसका एक पद सृजित है क्योंकि वह पांच साल वाला एक्सपीरियन्स इसमें शामिल है इस कारण से यह पद अभी भरा नहीं जा रहा है। उसके भरने की व्यवस्था भी की जा रही है। सहायक औषधि नियन्त्रक के दो पद हैं और दोनों पद इस नाते से भरे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री किशनगोपाल कोगटा : 25 के बजाय 29 पद हैं और उसमें से भी 4 हैड आफिस में लगे हुए हैं। फील्ड में तो 21 ही काम कर रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ...जो आपने सूचना दी वह वेरीफाई कर लेंगे। मेरे पास सूचना 29 की है। आपके पास सही होगी और जहां जिसने सूचना गलत दी उनके विरुद्ध एक्शन लूंगा।

जो एक प्रश्न किया है गांवों की दुकानों का तो दुकानों को कौन चलायेगा ? इसके लिए क्वालिफिकेशन तय है। उसी क्वालिफिकेशन का व्यक्ति दुकान चला सकता है। अगर उस क्वालिफिकेशन के अलावा किसी और को लाइसेंस दे दिया तो इसमें बहुत गड़बड़ी होने के चान्सेज हैं और जैसा आपने ट्रेनिंग की व्यवस्था के लिए कहा तो सरकार विचार करेगी कि कोई शार्ट ट्रेनिंग कोर्स भी ऐसा हो सकता है क्या कि लोगों को ट्रेनिंग देकर इस प्रकार की दुकानों को चलाने की व्यवस्था की जाये। अभी तक वर्तमान में जो प्रापर क्वालिफिकेशन हैं उन्हीं के द्वारा दुकानें चलाने की इजाजत दी जा सकती है। अभी हम इससे इधर-उधर नहीं हो सकते। यह बात सच है कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि नयी-नयी जहां पी. एच. सी. खुल रही हैं उन स्थानों पर दुकानों की आवश्यकता है। यह बात राज्य सरकार के ध्यान में भी है और उसकी व्यवस्था की जाये इस नाते से हम प्रयत्नशील हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एक विशिष्ट बात कही गयी, यहां कहा गया कि पंजाब में और हरियाणा में क्वैश हो गये। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार का एक केस राजस्थान में भी किया गया था। इस सम्बन्ध में राजस्थान फार्मेशुटिकल मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड जयपुर के यहां एक सिविल याचिका संख्या 5970/901 दिनांक

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

11.10.90 को प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने यह प्रार्थना की कि निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम के अन्तर्गत कन्ट्रोलिंग एवं लाइसेंसिंग अथोरिटी के पद से हटा दिया जाये तथा उक्त अधिकारी द्वारा जो लाइसेंस रद्द किये गये हैं एवं जो न्यायिक कार्यवाही एसोसिएशन के सदस्यों के विरुद्ध की गयी है उनको भी अमान्य करार दे दिया जाये। उक्त याचिका को दिनांक 14 फरवरी, 1992 को माननीय न्यायाधीश श्री बी. के. सिंघल द्वारा वर्तमान व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डिस्पोज किया गया है। याचिका में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रभारी अधिकारी की सूचना के अनुसार यह आदेश प्रसारित किये गये हैं कि भारत सरकार द्वारा ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक नियमों में जो लाइसेंसिंग कन्ट्रोलिंग अथोरिटी की योग्यतायें हैं सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हैं के अनुसार रीजनेबल टाइम में योग्यता वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति दी जाये। इसकी मैंने तीन महीने की अवधि दे दी। उन्होंने हमारे केसेज क्वेश नहीं किये हैं इसलिए यह जो सम्भावना लगती है उस सम्भावना से तो हम निश्चित रूप से मुक्त हैं। जैसा मैंने आपसे कहा और फिर भी कहना चाहता हूं कि अब देरी इसलिए हुई कि प्रापर हमारे पास एक्सपर्ट लोग नहीं थे। मैंने आज ही विभाग को आदेश दिये हैं कि वह डाइरेक्टली जो कन्ट्रोलिंग लाइसेंसिंग अथोरिटी के लिए पत्र विज्ञापित करें और विज्ञापित करके प्रापर क्वालिफिकेशन वालों को लगाकर 3 महीने में इस पद को भरने की कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब यह बहुत हो गया। 20-25 मिनट हो गये।

श्री रामसिंह विश्नोई : समस्या का समाधान तो होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समस्या का समाधान तो उन्होंने कर दिया। 3 महीने में अपाइन्ट कर देंगे। समस्या रही ही नहीं। खाली लाइसेंसिंग अथोरिटी नियुक्त करनी है सो तीन महीने में कर देंगे। अब क्या समस्या बाकी है ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक बात पूछनी थी। बाड़मेर, जैसलमेर जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां ट्रेनिंग करने वाले जयपुर, जोधपुर और सवाई माधोपुर वाले लोग ही ट्रेनिंग कर लेते हैं। ट्रेनिंग तो यहां होती है जयपुर में। मेरे कहने का तात्पर्य यह है....

श्री अध्यक्ष : ट्रेनिंग किसी भी डाक्टर के पास हो सकती है। किसी भी डाक्टर के पास ट्रेनिंग ले लें दो साल उसको लाइसेंस मिल जायेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : ऐसा नहीं है साहब।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : उसकी निर्धारित क्वालिफिकेशन होनी चाहिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जहां पर जिलावाइज हास्पिटल खुले हुए हैं वहां पर डाक्टर को हिदायत दें कि गांव के लोग जो ट्रेनिंग करना चाहें, जो

(श्री रामसिंह विश्नोई)

पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था करें तो गांवों की समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है यह डाइरेक्शन दे देंगे। नैक्स्ट, श्री परसादीलाल मीणा।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय आप जो कह रहे हैं वह सही है राज्य सरकार से कहलवायें।

श्री अध्यक्ष : कह दिया।

दौसा जिले में देशी शराब की वैध व अवैध दुकानें

27. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) व **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दौसा जिले में देशी शराब की कितनी वैध दुकानें हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार देशी शराब की अवैध रूप से चल रही दुकानों को बन्द कराने का विचार रखती है ?

आबकारी मंत्री (**श्रीमती विद्या पाठक**): (1) दौसा जिले में देशी शराब की 33 मुख्य व 12 उप कुल 45 वैध दुकानें हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

देशी मदिरा की मुख्य दुकानें :

1. दौसा 2. लालसोट 3. लवान 4. जटवाड़ा 5. सैंथल 6. काला खो 7. बड़ा गांव 8. महेसरा 9. पापड़दा 10. जसोदा 11. आलूदा 12. नांगल प्यारीवास 13. भांडारेज 14. खुर्री कलां 15. चंदाना 16. मंडावरी 17. चांवडिया 18. खवारानीजी 19. डांगरवाड़ा 20. थली 21. आंधी 22. बांदीकुई 23. सिकंदरा 24. बसवा 25. निर्याई 26. दुब्बी 27. डिगारिया 28. सिकराय 29. मानपुर 30. गीजगढ़ 31. गुडलिया 32. गुढ़ा कटला 33. बालाजी मोड़।

देशी मदिरा उप दुकानें :

1. बावड़ी 2. फाटक बाहर दौसा 3. थड़ी केबिन दौसा 4. कस्बा दौसा 5. बोरवा थड़ी 6. चावंडिया मोड़ 7. नकटी घाटी 8. मंडावरी 9 श्यालावास खुर्द 10. सिकंदरा मोड़ 11. मानपुर चौराहा 12. गुढ़ा रोड।

बाकी तो माननीय अध्यक्ष महोदय इसकी लिस्ट है जो माननीय सदस्य को दी हुई है।

(2) जी हां। अवैध दुकानों के बारे में जानकारी प्राप्त होते ही उन्हें बन्द कराने की व्यवस्था की जाती है।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदया ने यह सूची दी मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में इनको जानकारी देना चाहूंगा कि वहां पर हर गांव के अन्दर अवैध दुकानें लगा रखी हैं जिनको हटाने के लिए आपने पिछले सेशन में भी यह कहा था कि वैध दुकानें ही रखी जायेंगी और अवैध दुकानें जितनी हैं उनको सबको हटा दिया जायेगा। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में रामगढ़ पचवारा, डीडवाना,

(श्री परसादीलाल मीणा)

सीसमपुरा, मोरेल नदी बल्कि मैन रोड नदी पर भी दुकान लगा रखी है। सोनड़, रेवास, कलावास पचासों दुकानें लगा रखी हैं और विभाग 3 दुकानों का लाइसेंस देता है और पचासों दुकानें वहां लगा रखी हैं। या तो सबको ही आप वैध कर दें नहीं तो जहां पर उनका लाइसेंस है, जहां पर उनकी वैधानिकता है वहीं पर दुकान रखी जाये। आपने कहा कि जानकारी आने पर तो जानकारी तो सब है आपके विभाग के पास आपके विभाग की छत्रछाया में यह दुकानें चलाई जा रही हैं तो जानकारी कौन देगा ? गांव वाले आन्दोलन करते हैं, गांव वालों पर कई बार मुकदमे बना दिये ठेकेदार ने मिलकर फिर ऐसी हालत है और आप कहते हैं जानकारी आने पर तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया। माननीय मन्त्रीजी आप इतना बता दें कि जानकारी यदि माननीय सदस्य देते हैं उसकी जानकारी मानेंगे आप ?

श्रीमती विद्या पाठक : जानकारी मानेंगे अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : उस पर एक्शन होगा ?

श्रीमती विद्या पाठक : होता ही है।

श्री अध्यक्ष : फिर आप लिस्ट दे दीजिए। आपकी लिस्ट को भी जानकारी मान लिया जायेगा।... (व्यवधान).... उस पर एक्शन हो जायेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : आज दो-दो साल से अवैध दुकानें चलाई जा रही हैं। आपकी जानकारी में भी है। उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगी ?

श्री अध्यक्ष : आप अपनी लिस्ट दे दीजिए वह उस पर एक्शन लेंगी। हो गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय; आपकी इजाजत से एक प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल मीणा। आप प्रश्नकर्ता हैं।

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : शराब की दुकानों के बारे में जानकारी चाहूंगा कि यह प्राइवेट दुकानें लगी हुई हैं और ऐसे स्थानों पर हैं जो सार्वजनिक स्थान हैं, मन्दिर हैं, स्कूल हैं और डिपार्टमेंट उसको देखता नहीं है कि क्या हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। सारा इसमें पूछेंगे, आप अपनी-अपनी सूची कृपया माननीय मन्त्री महोदया को दे दें वह एक्शन ले लेंगी।....(व्यवधान)

श्री निर्भयलाल (रूपवास) : डा. अम्बेडकर की मूर्ति के पास दुकान खुलवा रखी है....

श्री अध्यक्ष : आपको इजाजत नहीं दूंगा। श्री प्रद्युम्नसिंह पूछेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो सत्रों में यह प्रश्न बड़े जोर शोर से उठा....

श्री अध्यक्ष : इसलिए उसका कोई अन्तिम निराकरण कर दीजिए आप।

श्री प्रद्युम्नसिंह :....इसका निराकरण

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

नहीं हुआ। मुझे तो मन्त्री महोदया यह बता दें कि पिछले दो साल में आपका शासन आया उसके बाद से आपने कितनी अवैध दुकानें राजस्थान में चल रही हैं ठेकेदारों की उनको कैंसिल किया या कितनी दुकानें बन्द करवाई या कितनों का प्रोसीक्यूशन करवाया। इससे सरकार की नीयत साफ हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल सही है। माननीय मन्त्रीजी।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने उनके दौसा में जो दुकानें अवैध रूप से चलने की शिकायत की और दूसरी जगह से आयी ऐसी पिछले 8 महीने में 5 शिकायतें आयी हैं और जो अवैध पायी गयी उनको हटाया गया है और जो वैध थीं उनके विषय में कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं था।

श्री चन्दनमल बैद : अवैध कितनी पायी गयी ?

श्रीमती विद्या पाठक : 5 शिकायतें हुई। लालसोट हरिजन बस्ती में शराब का ठेका उसकी शिकायत 20.8.91 को अध्यक्ष, नगरपालिका ने की ...

श्री परसादीलाल मीणा : अब तक भी नहीं हटाई उस दुकान को।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सदस्य कृपया बीच में नहीं बोलें। उसमें किसी तरह का ठेका होना नहीं पाया गया। मंडावरी की 3.12.91 को शिकायत प्राप्त हुई गंगापुर सिटी अनुज्ञाधारियों द्वारा। उस शिकायत के सही पाये जाने पर पूर्व से स्वीकृत स्थल का स्थान निरस्त करके दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। 2.1.92 को प्रधान अध्यापक द्वारा नीमला की शिकायत प्राप्त हुई उसमें किसी प्रकार की दुकान होना नहीं पाया गया। 16.7.91 को रामगढ़ पचवारा में शिकायत की गयी उसके आस-पास कोई दुकान होना नहीं पाया गया। नकटी घाटी....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : रामगढ़ पचवारा में....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पूरा सुन तो लें, उसके बाद जो पूछेंगे मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी।

श्री अध्यक्ष : आप पहले जवाब तो सुन लीजिए। वही सवाल पूछें जिन्होंने कभी शराब नहीं पी हो।

एक माननीय सदस्य : कई बार रिपोर्ट मैंने भी की है रूपवास की। मन्त्री इस बात के ऊपर कोई अमल नहीं करती हैं।

श्री दिग्विजयसिंह (गृह मन्त्री) : इससे आप यह तो अन्दाज लगा लीजिए अभी बगैर पीये ही क्या हाल हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : 15 दिन पहले महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने दुकान खुली है और वहां झगड़ा हुआ है। रिपोर्ट दर्ज हुई है। हमने कई बार मन्त्री जी से कहा है।

श्री चन्दनमल बैद : आपको और आपकी पार्टी को कितनी बोतलें काफी होंगी?

Page No. 14

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये आप। सवाल यह है कि जब भी कोई शिकायत होती है तो जांच मन्त्री महोदया तो करती नहीं है। डिपार्टमेंट के लोग जांच करते हैं और जांच करने के बाद वह लिख दें कि वह दुकान अवैध नहीं है तो अवैध नहीं है और या वहां कोई दुकान है ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब जांच करने जाते हैं तो दुकानदार दुकान हटा लेता है तो वहां मौके पर नहीं पाई जाती दुकान। वह रिपोर्ट कर देते हैं... (व्यवधान) अब इस समस्या का कोई समाधान बताइये (व्यवधान) जवाब तो पूरा आ जाने दीजिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : उनका जवाब आ गया है साहब।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं आया है। वे अभी पूरा कर रही हैं। उनके सामने समस्या है इसलिए पहले जवाब तो पूरा होने दीजिए उनका। प्लीज जवाब तो होने दीजिए। माननीय मन्त्रीजी....(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : इस प्रकार जो 5 शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें से 2 शिकायतें सही पाई गयी उन दुकानों को हटा दिया गया। एक मूलभूत बात मैं यह भी बताना चाहती हूं कि यह सही है कि दुकानें इस विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती हैं मगर कई बार अवैध रूप से कहीं-कहीं किसी जगह लोग टेम्प्रेरी दुकान खोल लेते हैं (व्यवधान) मगर रेगुलर दुकान ऐसी स्वीकृति के बिना नहीं खोली जा सकती। अगर कहीं अवैध रूप की शिकायत आती है तो जांच कार्यवाही होती है पर यह बात ....(व्यवधान)

श्री निर्भयलाल जाटव : अध्यक्ष महोदय, एक गांव ऐसा नहीं है जहां कोई दुकान नहीं हो पूरे जिले में (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको बंद क्यों नहीं करवाते अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : जिनकी हमने इनको सूचना दी उनको वापस लाइसेन्स दे दिये....

श्री अध्यक्ष : आपकी बात कौन सुन रहा है माननीय सदस्य। मन्त्रीजी की बात पूरी होने दीजिए।

डा. चन्द्रभान : माननीय यदुनाथसिंह जी जानकारी इस सम्बन्ध में गलत नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : हां हो सकती है। आपकी भी जानकारी गलत नहीं हो सकती।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इस तरह से अवैध दुकानें हैं मेरी समझ में यह इसलिए भी उठते हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकारी, कि किन-किन स्थल पर दुकानें अवैध हो सकती हैं, वह जानकारी मैं सकुंलेट करवा रही हूं ताकि उनके लोकेशन के अतिरिक्त जो दुकानें....

श्री अध्यक्ष : आप तो इस समस्या का समाधान करिये कि जो टेम्प्रेरी या मिलीभगत से करते हैं उनको कैसे रोका जाए ?

श्रीमती विद्या पाठक : अधिकारी इंस्पैक्शन भी करते हैं और जानकारी आने पर शिकायत की जांज भी होती है।

श्री अध्यक्ष : इनका विभाग इस बारे में जानकारी.... आप जो बातें कह रहे हैं वही है.... (व्यवधान) अब हो जायेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : दो साल हो गये जानकारी होते।

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सीरियसनेस है उसको आप नहीं समझ रहे। हम यह नहीं कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि सारे राजस्थान में जो इनके अधिकारी राज करने वाले हैं वह उस ठेकेदार के साथ होते हैं जो उस शराब का ठेका लेकर प्राइवेट दुकानों पर भी अपनी दुकान चलाते हैं। मैं समझता हूं कि जो यह सिस्टम पनप रहा है वह यह है कि जो शराब का धन्धा नहीं करते इसके सिवाय तीन-चार धन्धे करने वाला भी शराब की बोतलें रखता है। गंगानगर में तो चाय की दुकान वाला भी शराब बेचता है। यहां तक कि अध्यक्ष महोदय, सब्जी बेचने वाले लोग हैं जो रेड़ियों पर या साइकिलों पर सब्जी बेचते हैं वे भी अपने साथ दो-दो बोतलें रखते हैं। आप इसके सिलसिले में....

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य आपसे सहमत हैं। जो आप कह रहे हैं वह बात ही....

श्री हेतराम बेनीवाल : राज्य सरकार क्या कर रही है उन ठेकेदारों के साथ ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सुनिये आप। हां, आप कहिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : राजस्थान में चार सौ करोड़ रुपये की आमदनी शराब से होती है। शराब के ठेकेदार जहां मौके की जगह होती हैं वहीं लगायेंगे इसमें कहां आपत्ति है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि या तो आप शराब को पूरे राजस्थान में बन्द कर दीजिए और अगर नहीं करते हैं तो चार सौ करोड़ रुपये वसूल करने के लिए हजार तरह के प्रयास करेगा इसलिए इस तरह की बात करना बेहूदी बात है। इसमें कोई सार की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। प्रश्न संख्या 28।

वर्षा जैन हत्या प्रकरण

28. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पाली जिले की देसूरी तहसील के ग्राम बगोल निवासी श्री मांगीलाल कोठारी ने अपनी पुत्री की दहेज के कारण हत्या की जांच सम्बन्धी ज्ञापन मुख्य मंत्री व गृह मंत्री को दिया है ?

(2) यदि हां, तो वर्षा जैन के ससुराल वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री शान्तिलाल चपलोत) : (1) जी हां।

(2) श्रीमती वर्षा जैन की हत्या के सम्बन्ध में श्री मांगीलाल कोठारी की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 6/91 धारा 302/304-बी/201 भा. दं. सं. पुलिस थाना सिरियारी जिला पाली पर पंजीबद्ध किया जाकर बाद अनुसंधान के वर्षा जैन के ससुर श्री जुगराज, सास श्रीमती डगरी बाई, जेठ नाहरमल व जेठानी श्रीमती ललिता के

(श्री शान्तिलाल चपलोत)

विरुद्ध धारा-304 बी/498 ए भा.दं.सं. में चालान प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष : कहिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती वर्षा देवी की हत्या की प्रथम रिपोर्ट कब दर्ज हुई ? हत्या के समय वर्षा जैन का वैवाहिक जीवन कितना था ? हत्या की प्रथम जांच किस श्रेणी के अधिकारी ने की ?

श्री अध्यक्ष : मुकदमा दर्ज हो गया है। चालान पेश करने के आदेश हो गये ।

श्रीमती तारा भण्डारी : चालान पेश करने के आदेश कब हुए ?

श्री अध्यक्ष : तारीख बता दीजिये ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : अध्यक्ष महोदय, इनका जो शादी का काल है वह 10 महीने का....

श्री अध्यक्ष : आप शादी का काल नहीं एफ. आई. आर. कब दर्ज हुई, चालान कब हुआ....?

श्री शान्तिलाल चपलोत : चालान का आदेश अभी 17.2.92 को दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : 17 2.92 ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : जी हां ।

श्रीमती तारा भण्डारी : एफ. आई. आर. कब दर्ज हुई ?

श्री अध्यक्ष : अब हो गया । 17.2.92 को ।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह तो चालान की तारीख बताई है ।

श्री अध्यक्ष : चालान पेश करने का आदेश 17.2.92 को हुआ है ।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा सवाल है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कब दर्ज हुई ?

श्री शान्तिलाल चपलोत : 18.1.91 को ।

श्रीमती तारा भण्डारी : 18.1.91 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है उसके बाद उसके पिताजी की एप्लीकेशन पर जून, 91 को मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद 17.2.92 को चालान का आदेश हुआ । इतना विलम्ब किन कारणों से हुआ ? हत्या होने के बाद लम्बे समय तक चालान पेश क्यों नहीं हुआ और इस प्रकार (व्यवधान) आप सब चुप रहिये । आप कौन से कम हो तालियां बजाते हो । यह परम्परायें डाल रहे हो । (व्यवधान) हम को भुगतना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये । अब जवाब दे रहे हैं वह। आप बिराजिये । देरी का कारण बता दीजिये ।

श्री शान्तिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो डिसीज है, जिसकी हत्या की गयी है उसके पिता और रिश्तेदार बम्बई और पूना में रहते हैं उनसे तफतीश करनी थी ।

श्री अध्यक्ष : टाइम लगेगा ।

Page No. 17

(17)

श्री शांतिलाल चपलोत : फोरेन्सिक लेबोरेटरी की भी जांच आती है। इस कारण उसमें डिले की गई है और उसमें जान-बूझकर कोई डिले नहीं की गई है। 17.2.92 को उसके आदेश दे दिये गये हैं और चार-पांच दिन में गिरफ्तारियां भी हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, प्रश्न संख्या 29 श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री हेतराम बेनीवाल : डिले की गयी है या डिले हुई है।

पंचायत समिति टौंक की विद्युतीकरण योजना

29. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टौंक पंचायत समिति को सम्पूर्ण विद्युतीकरण करने हेतु कितनी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? उसमें कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु रखी गयी है ? प्रत्येक का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति टौंक में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत राजस्थान की अन्य पंचायत समितियों की तुलना में काफी कम है।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने राज्य के सम्पूर्ण ग्रामों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ? यदि हां, तो इनको एवं टौंक पचायत समिति के ग्रामों को कब तक विद्युतीकृत कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री रामनारायण विश्नोई) : (1) पंचायत समिति टौंक जिला टौंक के सम्पूर्ण विद्युतीकरण करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की तीन योजनाएं सचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में स्वीकृत राशि तथा कार्य का ब्यौरा परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां, प्रतिशत कम तो है परन्तु राज्य में अभी भी ऐसी पंचायत समितियां हैं जिनमें विद्युतीकरण का प्रतिशत पंचायत समिति टौंक से भी कम है।

(3) जी हां, राज्य सरकार का लक्ष्य सम्पूर्ण गांवों को विद्युतीकृत करने का है। सरकार द्वारा योजना मद में वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार ही हर वर्ष लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। अतः पंचायत समिति, टौंक तथा राजस्थान के सभी गांवों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा करने के लिये समयावधि बताना कठिन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि हमारे राज्य के मुख्य मन्त्रीजी ने यह घोषणा की है कि अगले दो साल में राजस्थान में संपूर्ण गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? एक।

दूसरी बात यह है कि कितनी ग्राम पंचायत समितियां ऐसी हैं जो टौंक से कम हैं और कितनी पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां टौंक से बहुत ज्यादा हण्ड्रेड पर्सेन्ट, 80 पर्सेन्ट, 90 पर्सेन्ट इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है ?

नम्बर तीन, मैंने सवाल एक में पूछा है, किन-किन योजनाओं के लिए कितना-कितना

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

प्रावधान है ? आपने इन योजनाओं की स्कीम और उसमें कितने कुएं होंगे, यह तो बता दिया कि उसमें इतनी राशि का प्रावधान है, मैंने यह पूछा था कि किस योजना के तहत कितना पैसा उसमें लगना है, 33 के. वी., 11 के. वी. की लाइन लगाने के लिये कितने पैसे का प्रावधान किया गया है ?

क्या यह सही है, 61 गांवों की स्कीम है, एक आपने इसमें दी है पंचायत समिति टौंक ओ बी (आर) के तहत 90–91 में जो यह 61 गांवों की स्कीम आपने बतायी है, जिसमें 125 लाख रुपये का प्रावधान आप बताते हैं, 82-83 में दो स्कीम आर. एम. पी. की स्वीकृत हुई थीं उसमें 33 के. वी. सब स्टेशन सोयला और झिराणा में बनाने का प्रावधान था ? जून 83 में 33 के. वी. सब स्टेशन बनाना आवश्यक था ? क्या यह भी सही है कि 28 गांव स्पेशल स्कीम के तहत आपने विद्युतीकृत किये थे उसमें आपने यह प्रावधान किया है ? यह जब आपने पैसा लिया है बोर्ड से तो उसमें यह कहा है कि झिराणा का जो सब स्टेशन है 33 के. वी. का, उसमें एक और 1.6 का ट्रांसफार्मर और लगाया जायेगा इस कारण से 28 गांव विद्युतीकृत किये जायेंगे ? लेकिन झिराणा का सब स्टेशन न तो उन दोनों स्कीमों के तहत बना, न यह जो 28 गांव 89 में स्वीकृत हुए थे, आपने 89 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड को यह बता दिया कि वहां पर झिराणा सब स्टेशन बन चुका है उसमें एक बड़ा ट्रांसफार्मर और लगाकर 28 गांव विद्युतीकृत किये जायेंगे ? तो क्या आपने जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं की और यह बोर्ड निकम्मों की फौज बनकर नहीं रह गया है ? जो पूरी स्कीम और किसी प्रकार के गांव.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया। अब। सवाल हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले इसका जवाब दे दो, आगे और बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने एक तो यह बात कही है कि राज्य सरकार की तरफ से मुख्य मन्त्रीजी ने यह घोषणा अभी की है कि हम राजस्थान के अन्दर सभी गांवों का विद्युतीकरण जल्दी से जल्दी करेंगे। मैंने अपने जवाब में यह कह दिया है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार हम योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान के तमाम ग्रामों का विद्युतीकरण करेंगे। अभी तक राजस्थान के कुल 37124 गांवों में से 27734 ग्रामों का ही विद्युतीकरण कर पा सके हैं जो 74.70 प्रतिशत है। पीछे के बचे हुए गांवों को हम योजनाबद्ध तरीके से जिन पंचायत समितियों में विद्युतीकरण कम हुआ है उनमें कुछ ज्यादा गांव विद्युतीकृत करके धीरे-धीरे करने जा रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके कार्यकाल में कर देंगे।

श्री रामनारायण विश्नोई : हमारे कार्यकाल में करना कोई जरूरी नहीं है। बीस साल का शासन आप हमें सौंप देंगे तो हम कर देंगे।

Page No. 19

(19)

एक माननीय सदस्य : आपका कार्यकाल कब पूरा हो रहा है।

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्षजी, जहां तक माननीय सदस्य ने 33 के.वी. सब स्टेशन, 11 के.वी. सब स्टेशन की जो बातें उठायी हैं वह वित्तीय संसाधनों, जब कभी भी उपलब्ध हुए, के अनुसार 33 के.वी. सब स्टेशन बनाकर पंचायत समिति के गांवों को विद्युतीकृत करने की कोशिश की गयी है। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि आपकी पंचायत समिति भाग्यशाली है। आपके करीब 16 पंचायत समितियां हैं जिनकी मैंने क्रम संख्या बतायी है उनका प्रतिशत पंचायत समिति टोंक से भी कम है, कम प्रतिशत में विद्युतीकरण हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 15 है। 15 ही है ना सारे सारे राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। हो गया, अब क्या है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हो गया। मैं यह पूछ रहा हूं, सारे राजस्थान में 236 पंचायत समितियां हैं उसमें 15 पंचायत समिति (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आप फिर वह भाषण दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आप स्पेसिफिक पूछो, क्या पूछना है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं स्पेसिफिक ही पूछ रहा हूं। आप कहते हैं, वित्तीय साधन। मैंने पूछा उसका कोई जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : तो वित्तीय साधन तो रहेगा हमेशा। उसके बिना कैसे होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं, वित्त तो हमने ले लिया। हमने दिल्ली से लोन के रूप में कितना पैसा 82-83 की स्कीम, 79 की स्कीम के तहत लिया और कितने का उसमें से कितना-कितना सामान खरीदा ? वह सामान फिर गया कहां ? जो 82-83 से लेकर 86-87 तक गांव होने थे वह नहीं हुए और उसका पैसा हमने ले लिया है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड से।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। आप यह बता दीजिए कि जितना पैसा आपने लिया वह खर्च हुआ कि उससे कोई सामान बच गया।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के अन्दर यह बात इस तरह से आई हुई नहीं है। यह अगर विवरण चाहेंगे तो पूरा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप डिटेल्स में दे देंगे, कितना रुपया आया, कितना खर्च हुआ ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है, हम कोई स्कीम बनाते हैं, केन्द्र का बोर्ड सारे गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो इसके लिये हमको लोन के रूप में पैसा देता है। वह हम वहां पर गलत तरीके से इन्टरप्रिटेशन करते हैं कि यह सामान हमने खरीद लिया। या तो हमने वहां असत्य कहा है। क्या यह भी सही है कि यह 33 के.वी. सब स्टेशन नहीं बनने के कारण वहां वोल्टेज रेगुलेशन नहीं बैठता है। हम किस प्रकार बोर्ड का वायोलेशन कर रहे हैं, हम एक्ट का वायोलेशन कर रहे हैं। मतलब जो है, न तो मंत्रीजी....

Page No. 20

श्री अध्यक्ष : अब आप अपने मानस में तय करिये, पूछना क्या है ? आप एक बात करते-करते दूसरी पर आते हैं, तीसरी पर आ जाते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे यही पूछना है कि जो सारा पैसा आपने लिया है और कमिटमेंट है हमारा....

श्री अध्यक्ष : वह तो बता रहे हैं, हिसाब दे देंगे आपको उसका।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हिसाब अभी क्यों नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं देंगे क्योंकि सवाल में नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमने यह पूछा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि नियमों में यह प्रावधान है कि.... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आगे और सवाल है। क्या माननीय सदस्य को यह सारी सुविधा उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 30 डाक्टर जितेन्द्र। हो गया अब आपका सवाल आपको बता देंगे। बता देंगे, इतना रुपया आया, इतना खर्च हुआ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसी प्रकार का नियन्त्रण....

श्री अध्यक्ष : अब सवाल चलने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सवाल तो चले हैं पर प्रश्न यह है कि यदि यह गलत तथ्य पेश करते हैं तो यह हाउस का प्रिविलेज है।

श्री अध्यक्ष : आगे वाले में पूछिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तथ्यों को छिपाते हैं, गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं, यह सारा हाउस का प्रिविलेज है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अच्छा अब विराजिये। अब प्रश्न संख्या 30।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या मन्त्री जी को जानकारी बोर्ड के अधिकारियों ने नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : अब ले लेंगे वह।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या इसके लिये मन्त्रीजी सक्षम नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये ना।.... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : नहीं यह हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप भी नहीं हैं। आप जो खड़े होकर बोल रहे हैं, वह मेरे कहने से बोल रहे हैं ? जो मर्जी आये सो बोल रहे हैं। अब बैठिये ना आप। आप बैठिये। श्री जितेन्द्रसिंह।

जिला जैसलमेर की प्रस्तावित खादी उद्योग योजना

30. श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या खादी ग्रामोद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जितेन्द्र सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के लिए खादी आयोग द्वारा खादी उद्योग के लिये इस वर्ष के लिये कोई विशेष योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा आयेगा ?

(2) इस उद्योग के द्वारा कौन-कौन से कार्य करवाये जावेंगे ?

(3) इस उद्योग से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री मोहन मेघवाल) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिले में कार्यरत विभिन्न खादी संस्थाओं को समय-समय पर आश्वासन देने के पश्चात् भी विभाग ने इस ओर कोई क्रियान्विति नहीं की है। मंत्री महोदय से यह भी जानकारी चाहूंगा कि क्या यह सही है कि जिले में अल्पसंख्यकों के लिये करीब 52 विशेष इकाइयां मंजूर की गई हैं। अगर मंजूर की गई हैं तो उनको कितना अनुदान दिया गया है। अगर अनुदान दिया गया है तो उसकी क्या स्टेज है? और इसकी क्रियान्विति की क्या स्थिति है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस जिले में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और जिले में समस्त 575 गांव अकालग्रस्त घोषित हो चुके हैं। राजस्थान के तीस जिलों में से ऐसा कोई भी जिला नहीं है, तो खादी विभाग को इसमें आगे आना चाहिये और मैं माननीय नवनियुक्त अकाल राहत मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा कि वह खादी मंत्री का सहयोग लें।

श्री अध्यक्ष : वह तो ले लेंगे। उनको पहले से ही चिन्ता है। आप चिन्ता मत करो, वह सहयोग ले लेंगे।

श्री जितेन्द्र सिंह : इससे अकाल में राहत मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मोहन मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों के लिये, इनका प्रश्न तो सिर्फ इतना ही था कि जो अपने....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। आप भी इसमें कुछ करना चाहते हैं तो बताइये।

श्री मोहन मेघवाल : खादी आयोग के द्वारा ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं हुआ है लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए राज्य का जो चालू बजट है, उसमें 52 इकाइयां विशेष रूप से उनके लिए स्वीकृत की हैं। उन 52 इकाइयों को विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ही रखा गया है....

श्री अध्यक्ष : जैसलमेर में।

श्री मोहन मेघवाल : दूसरा प्रश्न इन्होंने किया था कि खादी आयोग द्वारा चालू वित्त वर्ष के अन्दर कोई विशेष योजना स्वीकृत नहीं की है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में जैसलमेर जिले को अकालग्रस्त घोषित करने पर यह विशेष योजना लागू की गई है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

प्रश्न संख्या 31

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री जुबेर खान।

वक्फ सम्पत्तियों का सर्वे

32. श्री जुबेर खां (रामगढ़), डा. चन्द्रभान (मन्डावा) एवं श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार वक्फ जायदादों का नये सिरे से सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वक्फ मंत्री (श्री रमजान खां) : जी नहीं। राजस्थान में सर्वे का काम फरवरी, 1965 में सम्पन्न हो चुका है। पुन: सर्वे का वर्तमान वक्फ अधिनियम में प्रावधान नहीं है।

श्री जुबेर खां : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आप इस बात से सन्तुष्ट है कि कोई सर्वे 1965 में हुआ है और अब अगर उसे दुबारा करने की जरूरत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन जिस तरह से लोगों द्वारा किराये पर दे दी गई, नोमिनल रेट पर भी आज लोग कब्जा जमाये बैठे हैं, पगड़ियां देकर ही डायरेक्ट दूसरे लोगों को देते हैं, इन चीजों की रोकथाम के लिए क्या सरकार यह विचार रखती है कि उसका फिर सर्वे कराया जाये और इसके लिए अधिनियम में संशोधन लाने की बात है, जैसा कि अखबारों में भी काफी आ रहा है, केन्द्रीय सरकार भी सोच रही है, क्या राज्य सरकार यह सोचती है कि क्या यह वक्फ बोर्ड की जायदाद को बचाने के लिए सही मौका है? जो मुख्य मंत्री, मंत्री महोदय अल्पसंख्यकों के हिमायती और संवेदनशील बनते हैं वह उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड को सार्थक बनाने का कोई विचार रखते हैं, यह मैं जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद। वही सवाल वह पूछेंगे। एक साथ दे देंगे जवाब।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, वक्फ मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि वक्फ सम्पत्तियों का पुन: सर्वे करने का इनका कोई प्रावधान नहीं है और इसका कोई कारण नहीं बताते हुए इन्होंने केवल एक कारण बताया है, जो बड़े मजे का है कि फरवरी 1965 में सर्वे सम्पन्न हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि क्या सितम्बर और दिसम्बर 23, 1965 को राजस्थान गजट नोटिफिकेशन में जिन वक्फ सम्पत्तियों का गजट नोटिफिकेशन हुआ था, उन सभी सम्पत्तियों के खसरा नम्बर आदि उसमें दिये गये हैं। नम्बर दो, 1965 के बाद जिन लोगों ने अपनी जायदाद वक्फ कर दी, उनको वक्फ सम्पत्ति में जोड़ने का आप के पास क्या प्रोविजन है। तीसरा, राजस्थान में करोड़ों रुपये की ऐसी वक्फ सम्पत्ति है, जो वक्फ के रिकार्ड में नहीं है लेकिन निजी लोगों के कब्जे में है। उदाहरण के तौर पर झुन्झुनू जिले के मलसीसर कस्बे के पास 268 बीघा जमीन जो वक्फ

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

के रिकार्ड में चढ़ी हुई है लेकिन निजी लोग उसमें प्लाट काट रहे हैं। उस जमीन पर उनका कब्जा है। 1965 के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में अपनी सम्पत्ति को वक्फ कर दिया। केवल मात्र यह जवाब दे देना कि इसमें प्रावधान नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी यहां बैठे हैं और यह राजस्थान विधान सभा का सदन इसीलिए है कि नियमानुसार और समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसमें प्रावधान तो नहीं है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी की यह नीयत है कि जो करोड़ों रुपयों की वक्फ सम्पत्ति है, उसका पुन: सर्वे करवा कर उसको वक्फ से अटैच किया जाये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रमजान खां : सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि यह केन्द्रीय वक्फ अधिनियम है। राज्य सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिए राज्य सरकार इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह सम्भव नहीं है। गजट नोटिफिकेशन आप करते हैं तो जो अशुद्धियां उसमें रह गई हैं, उसका सुधार तो राज्य सरकार करे।

श्री अध्यक्ष : पहले पूरा सुन लीजिए। प्लीज पहले पूरा सुन लीजिए।

श्री रमजान खां : जहां तक इस नियम का प्रश्न है, इस नियम के अधीन ही 1965 में सभी जायदादों का सर्वे कराया गया और जितनी जायदादों का सर्वे हुआ, उसका गजट नोटिफिकेशन हो गया, वक्फ के रिकार्ड में इन्द्राज हो गया। अब 1965 के बाद अगर इस तरह की जायदादें आती हैं, वह आइडेन्टीफाइड जायदादें होती हैं. वह वक्फ के रिकार्ड में सीधी इन्द्राज हो जाती हैं इसलिए दुबारा सर्वे कराने का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अब अगर माननीय सदस्यगण इस तरह की कोई जायदादें बतायेंगे जिनका इन्द्राज नहीं हुआ है, या जैसा आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के गजट नोटिफिकेशन में तो इन्द्राज हो गया, मगर खसरा नम्बर नहीं हुआ। इस तरह की कोई शिकायत बतायेंगे तो सरकार उस के ऊपर ध्यान देगी और उसकी दुरुस्ती के लिए निश्चित रूप से सक्षम अधिकारी से जांच करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : चन्द्रभान जी।

श्री जुबेर खां : हो रहा है उसके लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं। नियम बताते हैं, कितनी जगह अतिक्रमण हो रहा है।

श्री रमजान खां : अतिक्रमण हो रहे हैं। इस तरह के अतिक्रमण की अगर आप जानकारी देंगे तो उसको न्यायालय या सरकार के माध्यम से हटवाने की पूरी कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि फरवरी 1965 में सर्वे हो चुका है और

(डा. चन्द्रभान)

27 साल का समय कम नहीं है। क्या सरकार की जानकारी में एक भी मामला ऐसा नहीं आया कि वक्फ की कोई सम्पत्ति है और उस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है, कृपया यह बताने का कष्ट करें। नम्बर दो, अधिनियम में प्रावधान नहीं है और आपने कहा कि यह सेण्ट्रल एक्ट है, क्या राज्य सरकार की मंशा है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए और राज्य सरकार इस मामले में सिफारिश करेगी। क्या यह सम्भव नहीं है कि आपके कानून की खामियां हों, या आपकी नीयत और इच्छा शक्ति का अभाव हो कि राजस्थान में करोड़ों रुपयों की ही नहीं, अरबों रुपयों की वक्फ की सम्पत्ति है जिस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है और आप इस तरह की वक्फ की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर यह प्राब्लम है कि जो सर्वे हुआ था, उसके अनुसार रेवेन्यू रिकार्ड दुरुस्त नहीं हुआ। ला दोनों का बराबर है। वक्फ और रेवेन्यू रिकार्ड, दोनों में गजट नोटिफिकेशन होता है, तो आटोमेटिक उसको हो जाना चाहिए था और उसकी वजह से यह सब हुआ है। तो न तो सर्वे की जरूरत है। अगर इसको दुरुस्त कर लें, गजट नोटिफिकेशन में तो हो चुका है। आटोमेटिक रेवेन्यू रिकार्ड ठीक कर लें तो सारे राजस्थान में वक्फ के झगड़े मिट जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। आप पहले सुन लीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह कहा है कि माननीय सदस्य कोई जानकारी देंगे, मैं आपको स्पेसीफिक डेट और गजट नोटिफिकेशन बता रहा हूं और मैं आपसे ही यह जानना चाहता हूं कि क्या इस गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर है, क्या यह सारी वक्फ सम्पत्तियां आपके कब्जे में होते हुए भी उस पर आपका स्वामित्व है। यह मैं आपको तारीख बता रहा हूं। यह आप की जिम्मेदारी बनती है माननीय वक्फ मंत्रीजी कि गजट नोटिफिकेशन में जो त्रुटि रह गई है, या जो वक्फ की सम्पत्ति है और वह दूसरे विभाग या निजी लोगों के स्वामित्व में आई हुई है. क्या आप उसमें सुधार नहीं करना चाहते।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। अब आपका हो गया ना।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तो क्या आप उसमें संशोधन करके....

श्री अध्यक्ष : अब आपका सवाल हो गया। जवाब तो ले लीजिए।

श्री रमजान खां : मैंने माननीय सदस्यों को बताया है कि अगर इस तरह की जानकारी आप लायेंगे कि यह कुछ . (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह जानकारी बता रहे हैं ना आपको।

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिये आप। एक मिनट।

डा. चन्द्रभान : क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है। माननीय सदस्य

(डा. चन्द्रभान)

जानकारी देंगे, तब आप कोई कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय गुलाम मुस्तुफा जी ने कहा है कि आपने जिन सम्पत्तियों का नोटिफिकेशन किया है, उसका रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज हुआ कि नहीं, इसकी जांच करवा लीजिए। उसमें भी कोई बच गया हो तो उसका रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज हो जाये।

डा. चन्द्रभान : राज्य सरकार के मुख्य मंत्री बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान जी ने एक बात पूछी है कि इस तरह के 1965 के बाद कोई मुकदमे आये नहीं, मैं इनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि 309 मुकदमे इस वक्त वक्फ बोर्ड न्यायालय में लड़ रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए वापस कब्जा लेने बाबत मुकदमे चल रहे हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जांच करवाने का इरादा रखते हैं या नहीं ? केन्द्र सरकार करायेगी लेकिन आपकी नीयत है नहीं। आप इस पर प्रस्ताव करेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माहिर आजाद जी, एक बात सुनिये, आपने जवाब नहीं सुना। सर्वे के बाद जो प्रोपर्टी वक्फ में जाती है वह सीधी वक्फ बोर्ड के एण्टर हो जाती है ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उसका खसरा नम्बर नहीं है, वह नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : नहीं हुयी तो हो जायेगी लेकिन सर्वे की जरूरत नहीं होती।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं मंत्रीजी से कि क्या मैं यह जो कह रहा हूं वह सही है या नहीं ? आपके नोटिस में यह बात है, आप वक्फ मंत्री हैं। इस तरह की सम्पत्ति है जिसका गजट नोटिफिकेशन हो गया लेकिन रेवेन्यू रेकार्ड का खसरा नम्बर नहीं है इसलिये आप उसके मालिक नहीं बन पायेंगे। यह है या नहीं ? इसका जवाब दें। दूसरा, मुझे यह बता दें, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप सर्वे का इरादा रखते हैं या नहीं ?

श्री रमजान खां : इस तरह की अगर जानकारियां आयेंगी तो निश्चित रूप से रेवेन्यू रेकार्ड को दुरुस्त करवा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात....

श्री अध्यक्ष : पहले व्यवस्था दे दूं उसके बाद फिर एक-एक को बुलवा लूंगा।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट–2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले में भू जल सर्वे

31. **श्रीमती मदन कौर (गुढामालानी):** क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

Page No. 26

(26)

(श्रीमती मदन कौर)

(1) क्या बाड़मेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 200 से 500 फीट गहराई में मीठा पानी उपलब्ध है ?

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिले का भू तल जल हेतु विस्तृत सर्वे करवा कर परीक्षणात्मक नल-कूप खुदवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, बाड़मेर जिले के कुछ क्षेत्रों में 200 से 500 फीट गहराई पर मीठा पानी उपलब्ध है।

(2) बाड़मेर जिले का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण वर्ष 1976-77 से 1982-83 की अवधि में किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत 94 परीक्षणात्मक नलकूप खुदवाये गये थे। अत: अब फिलहाल विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कैलादेवी से करणपुर सड़क निर्माण

50. श्री गोविन्द सहाय (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कैलादेवी से करणपुर सड़क का कार्य वर्ष 1980 से चालू है ? यदि हां, तो वह कार्य अब तक पूरा नहीं होने का क्या कारण है ?

(2) उक्त सड़क के तहत करणपुर घाटी का कार्य कितने वर्षों से चल रहा है ? अब तक कार्य पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(3) करणपुर डाकू प्रभावित क्षेत्र होते हुए भी सड़क निर्माण नहीं होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। कैलादेवी से करणपुर सड़क का कार्य वर्ष 1980 से पहले से स्वीकृत था तथा उसके तहत इस सड़क की 0/0 से 10/0 कि मी. तक की लम्बाई में डामर की सड़क बनाई गई थी तथा करणपुर की घाटी की कटाई की गई थी। वर्तमान में वर्ष 1986 में कैलादेवी से करणपुर सड़क 10/0 से 33/0 (ग्राम करणपुर तक) करणपुर घाटी के निर्माण सहित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विशिष्ट समस्या ग्रस्त क्षेत्र योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुई थी। जिसमें से 16 कि.मी. डामर की सड़क तथा 1.500 कि.मी. मेटल की सड़क बनी हुई है। शेष कार्य वन विभाग द्वारा माह अगस्त 89 से बन्द करवा रखा है। बन क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से राजस्थान सरकार ने अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग रखा है, जो अभी तक प्राप्त होना अपेक्षित है। अत: शेष कार्य बन्द पड़ा है।

(2) उक्त सड़क पर पूर्व की स्वीकृति में करणपुर घाटी की केवल कटाई ही लगभग सन् 80 से पहले की गई थी। जिसमें केवल कच्चे रास्ते के लिए ही कटाई की गई थी। वर्तमान में स्पेशल समस्या ग्रस्त क्षेत्र योजना के तहत उपरोक्त प्रश्न में वर्णित भारत सरकार की स्वीकृति में

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

कैलादेवी करणपुर रोड की सड़क के साथ ही करणपुर की घाटी का कार्य भी स्वीकृत हुआ था। तथा इसको भी वन विभाग द्वारा अगस्त 1989 में बन्द करवा दिया था। इस कार्य के पूरा नहीं होने के कारण भी वे ही हैं जिनका वर्णन उपरोक्त प्रश्न संख्या 1 में किया गया है।

(3) यह सही है कि करणपुर ग्राम डाकू समस्या से प्रभावित है इसीलिए यहां की सड़क की स्वीकृति है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की अपेक्षा में सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है।

सागवाड़ा तथा सीमलवाड़ा स्वीकृत सड़कें

51. **श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा):** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सागवाड़ा तथा सीमलवाड़ा क्षेत्रों में वर्ष 1990 से 1991 तक कितनी सड़कें कहां-कहां स्वीकृत हुई हैं ? इन सभी सड़कों पर कितनी-कितनी धनराशि अनुमानित स्वीकृत हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सागवाड़ा तथा सीमलवाड़ा क्षेत्रों में 1990 से 1991 तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (टी. ए. डी.) के तहत स्वीकृत सड़कों मय लागत का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	सड़क का नाम	स्वीकृत संख्या व दिनांक	स्वीकृत लागत (लाखों में)
1	2	3	4
	सागवाड़ा क्षेत्र		
1.	बनेश्वर से चाडोली	प. 13 (34) सा.नि. 88 दिनांक 14.8.89	4.00
2.	गोरेश्वर से देवराछीपा	,, ,, 29.11.89	4.00
3.	गामठवाड़ा से हडमाला	,, ,, 29.11.89	8.00
4.	पाडवा से करड़ा तक सड़क निर्माण	,, ,, 22.1.90	6.00
5.	भासोर से पाडवा सड़क निर्माण	,, ,, 22.1.90	3.00
6.	सरोदा से पाडवा सड़क का निर्माण	,, ,, 22.1.90	3.00
7.	सामलिया से पाडवा सड़क का निर्माण	,, ,, 22.1.90	7.00

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

1	2	3	4
8.	कटेश्वर से सरोदा वाया कराडा	प. 13 (34) सा.नि./ 88 दिनांक 22.1.90	7.00
9.	माही डेम से बूचिया बारां	,, ,, 29.11.89	5.00
सीमलवाड़ा क्षेत्र			
1.	बेडसा पहुंच सड़क	प. (13)(34) सा.नि./ 88 दिनांक 9.6.89	5.00
2.	पीठ डूका सड़क	,, ,, 14.8.89	8.00
3.	गेजी गंधवा बलवनिया	,, ,, 14.8.89	7.50
4.	सम सागडा से गंडी का घाटा वाया गलन्दर	प. 13 (34) सा.नि./ 88 दिनांक 22.1.90	6.50

पंचायत समिति मुख्यालयों पर रेफरल अस्पताल

52. श्रीमती सूर्य कान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य की कितनी पंचायत समितियों में वर्ष 1990–91 में रेफरल हॉस्पिटल खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस वर्ष विधान सभाक्षेत्र जोधपुर शहर में रेफरल हॉस्पिटल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कहां-कहां ?

(3) सरकार रेफरल हॉस्पिटल जोधपुर शहर के अन्तर्गत कितने व कौन-कौन से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990–91 में राज्य की 15 पंचायत समितियों में 15 रैफरल अस्पताल खोले गये, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जोधपुर शहर में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, जिसे क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सके।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

रेफरल अस्पताल छोटी सादड़ी की एक्स-रे मशीन

53. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(1) क्या यह सही है कि छोटी सादड़ी, जिला-चित्तौड़गढ़ रेफरल अस्पताल में एक्स-रे मशीन पिछले कई वर्षों से खराब पड़ी है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक ठीक करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, छोटी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ रेफरल अस्पताल में एक्स-रे मशीन दिनांक 1.5.91 से खराब है। इस मशीन को निर्माता कम्पनी से ठीक करवाने की कार्यवाही चल रही है। यदि इसे ठीक करवाना सम्भव नहीं हुआ तो इसको बदलने की कार्यवाही पर भी विचार किया जावेगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मानदण्ड

54. श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के राज्य सरकार के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल की वन बिहार योजना, जयपुर में अभी तक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोला गया है ?

(3) वर्तमान में वन बिहार योजना के समीपस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कौनसा है तथा वह कितनी दूरी पर स्थित है ?

(4) क्या यह भी सही है कि वन बिहार योजना के आस-पास आबादी का घनत्व भी अधिक है तथा निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी काफी दूर पड़ता है ? यदि हां, तो यहां सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कब तक खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां, शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) वन बिहार योजना के पास राजकीय चिकित्सालय गंगापोल है तथा वह एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(4) जी हां, वन बिहार कालोनी के आस-पास कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है, लेकिन गंगापोल चिकित्सालय द्वारा पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

उदयपुर चिकित्सालय में न्यूरो सर्जन का पद

55. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में उदयपुर के चिकित्सालय में सड़क दुर्घटनाओं में हैड इंजरी के कितने प्रकरण आये हैं और इनमें से कितने घायलों की मृत्यु हुई ?

(2) क्या उदयपुर चिकित्सालय/कालेज में न्यूरो सर्जन का पद स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त पद कब से रिक्त है और इसको नहीं भरने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) इस महाविद्यालय के संलग्न सामान्य चिकित्सालय, उदयपुर में सड़क दुर्घटनाओं में हैड इन्जरी के निम्न वर्षों के अनुसार कैसेज आये एवं मृत्यु हुई :

वर्ष	कैसेज चिकित्सालय में आये	मृत्यु हुई
1990	569	30
1991	766	44

(2) इस महाविद्यालय में न्यूरो सर्जन का पद एसोसिएट प्रोफेसर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 18(18)एम.ई./ग्रुप-1/91 दिनांक 8.4.91 को स्वीकृत होकर सृजित हुआ। यह पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भरा जा सकता है। परन्तु मेडिकल कालेजों में कोई भी ऐसा व्याख्याता नहीं है जो निर्धारित अनुभव रखता है व जिसकी इस पद पर पदोन्नति हो सकती हो। ऐसी स्थिति में इस पद के विरुद्ध सह-आचार्य, अस्थिरोग को पद स्थापित किया हुआ है।

सीमावर्ती जिलों में चिकित्सकों के रिक्त पद

56. अमीन खां (शिव) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ?

(2) पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में 675 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं जिनके भरने की व्यवस्था की जा रही है।

(2) पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में 62 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं जिन्हें भरने की व्यवस्था की जा रही है।

उदयपुर बाईपास रोड के निर्माण की योजना

57. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिल्ली-अहमदाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 के उदयपुर बाईपास निर्माण की योजना कब और उसकी प्रारम्भिक लागत राशि कितनी थी ?

(2) क्या बाईपास योजना का प्रारूप केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्रालय से स्वीकृत होकर राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो कब और इस योजना के निर्माण की क्या प्रगति है ?

(3) क्या यह सही है कि हाल ही में केन्द्रीय सरकार को बाईपास निर्माण के लिये नवीन संशोधित प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये, जिसमें 17 किलोमीटर बाई-पास की सड़क तथा सर्विस रोड और आयड़ नदी तथा रेल्वे लाइन पर 3 ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव है ?

(4) क्या यह सही है कि बाईपास के इर्द-गिर्द पौधारोपण कार्य शुरू किया गया ? यदि हां, तो कुल कितने पौधे गत एक

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

वर्ष में लगाये और उसमें से अभी कितने जीवित हैं ?

(5) क्या यह सही है कि बाईपास के लिये भूमि अवाप्ति की मद में 1.50 करोड़ रुपया सम्बन्धित लोगों को वितरित कर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को यह राशि दी गई और कितनी जमीन अवाप्ति की गई है ?

(6) सरकार उक्त बाईपास को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दिल्ली-अहमदाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 के उदयपुर बाईपास निर्माण योजना वर्ष 1981 में बनी थी इसकी प्रारम्भिक लागत 5.12 करोड़ थी।

(2) बाईपास सड़क परियोजना का प्रारूप केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्रालय भारत सरकार की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता, सा. नि. वि. राजस्थान द्वारा रुपये 20.45 करोड़ का पत्र संख्या एफ5/8/339/सेक्शन-II/91 दिनांक 1.11.91 को भेजा गया है। इस तखमीने के अन्तर्गत 16.92 कि.मी.लम्बाई की बाईपास 2 नं आर. ओ. बी. व नं. 1 आयड़ नदी पर पुल निर्माण का कार्य शामिल है। उपरोक्त परियोजना की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति भूतल परिवहन मन्त्रालय से अपेक्षित है।

(3) जी हां। विस्तृत विवरण उपरोक्त भाग 2 में दिया गया है। इस परियोजना में सर्विस रोड शामिल नहीं है तथा यह राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाने का प्रावधान है। सर्विस रोड का कार्य जो कि उदयपुर नगरपालिका क्षेत्र में बन रही है जिसकी कुल लम्बाई 6.8 कि.मी. बाईपास की कुल लम्बाई 16.6 कि.मी. (दो तरफ है) इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति राज. सरकार द्वारा नं. एफ 2/5/पी. डब्ल्यू. ए. एस./90/डी596 दिनांक 3.9.90 के द्वारा 90.00 लाख की जारी की गई तथा उक्त कार्य राजस्थान सरकार के आदेशानुसार राजस्थान राज्य ब्रिज कारपोरेशन को एक्चुअल कोस्ट 15 प्रतिशत पर आवंटित किया गया है। जो उनके माध्यम से किया जा रहा है। अभी तक 1.5 कि.मी. की लम्बाई में मिट्टी का कार्य हुआ है।

(4) जी हां। गत वर्ष 3000 पौधों का रोपण किया गया तथा अधिकांश पौधे जीवित हैं वित्तीय वर्ष 91-92 में 2000 पौधों का अतिरिक्त रोपण करने का लक्ष्य है तथा कार्य प्रगति पर है।

(5) जी हां, भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा उदयपुर बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 69.46 लाख की स्वीकृति दिनांक 26.9.86 को प्राप्त हुई तथा संशोधित स्वीकृति 154.65 लाख दिनांक 25.6.90 को जारी की गई इसमें केन्द्र सरकार द्वारा 122.74 लाख एवं राज्य सरकार द्वारा 31.91 लाख व्यय किया जाना है भुगतान की राशि एवं भूमि का रकबा व्यक्तिशः की सूची संलग्न है।

(6) भूतल परिवहन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा परियोजना की तकनीकी एवं

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

वित्तीय स्वीकृति जारी करने के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हिण्डोली से चित्तौड़िया सड़क डामरीकरण कार्य

58. **श्री मोहनलाल चित्तौड़िया** (कपासन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या हिण्डोली से चित्तोडिया एवं अडाणा सड़क एवं भीमगढ़ से निम्बाहेड़ा गोरीजी तक सड़कों का डामरीकरण कराने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इन सड़कों का डामरीकरण योजना अन्तर्गत वर्तमान प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए अभी सम्भव नहीं है।

मेंहदीपुर बालाजी बाईपास रोड निर्माण कार्य

59. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई माधोपुर जिले में स्थित हिन्दुस्तान के महान तीर्थ स्थान मेंहदीपुर के बालाजी का बाई पास रोड कब तक बना दिया जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि इस महत्वपूर्ण स्थान के ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर सांकरवाड़ा को जाने वाला लिंकरोड़ अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ? और अब कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(3) क्या श्री महावीरजी से नांगल पहाड़ी होता हुआ टोडाभीम वाला रोड का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) मेंहदीपुर के बालाजी के बाईपास रोड का निर्माण योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं, निर्धारित मापदण्डों एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(2) जी नहीं। ग्राम पंचायत मुख्यालय सांकरवाड़ा ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है।

(3) जी हां। इस सड़क मार्ग के महावीरजी से लियावली भाग में भूमि अवाप्ति न होने के कारण लगभग 2.25 कि.मी. लम्बाई में सड़क निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। भूमि अवाप्ति होने पर इस सड़क का निर्माण (गम्भीरी नदी पर पुल को छोड़कर) पूरा कर दिया जायेगा।

गैता से ढींपरी (चम्बल) सड़क निर्माण कार्य

60. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गैंता से ढींपरी (चम्बल) सड़क पीपल्दा तहसील की आवश्यक एवं महत्वपूर्ण सड़क है।

(श्री हीरालाल आर्य)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के निर्माण से बमूलिया, नीमसरा, ककरावदा तथा ढींपरी आदि पंचायत केन्द्र तथा इनके आस-पास के करीब 20-25 गांवों को लाभ होगा ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क के निर्माण को प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) उक्त सड़क का निर्माण योजनान्तर्गत वर्तमान प्राथमिकताओं, निर्धारित मापदण्डों एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए सम्भव नहीं है।

पाली जिले के अस्पतालों में उपलब्ध एम्बूलेंसेज

61. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले के विभिन्न अस्पतालों में कुल कितनी एम्बूलेंस हैं ? अस्पतालवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एम्बूलेंसेज में से कितने एम्बूलेंस चालू हालत में हैं एवं कितनी खराब पड़ी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय रघुनाथ स्मृति चिकित्सालय, सोजत सिटी में एम्बूलेंस काफी समय से खराब पड़ी है जिसके कारण जनता को भारी असुविधा हो रही है ?

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में नई एम्बूलेंस उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पाली जिले के विभिन्न अस्पतालों में 10 रोगी वाहन हैं, जो इस प्रकार आवंटित हैं :-

(1) खारची
(2) बगड़ी नगर
(3) बाली
(4) रानी
(5) तख्तगढ़
(6) सादड़ी
(7) जैतारण
(8) नीमाज
(9) सोजत
(10) बांगड़ अस्पताल पाली।

(2) उक्त एम्बूलेंसों में 9 एम्बूलेंस चालू हालत में हैं एवं एक एम्बूलेन्स सोजत की खराब पड़ी है।

(3) जी हां, जिसके कारण जनता को असुविधा तो हुई ही होगी।

(4) जी नहीं। सोजत चिकित्सालय की रोगी वाहन को दुरुस्त कराने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तार दिनांक 22.2.92 द्वारा जारी की जा चुकी है।

जोधपुर शहर के अस्पतालों में रोगियों को उपलब्ध सुविधाएं

62. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत पांच वर्षों में जोधपुर शहर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल, उम्मेद अस्पताल व ह्यूूशन हास्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कितनी रही ? मरीजों की दवाइयां, बेन्डेज व एक्स-रे प्लेट्स के लिए गत पांच वर्षों में कितनी राशि का प्रावधान था ? मरीजों की संख्या व खर्च का ब्यौरा वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पतालों में आपातकालीन कक्ष में गत पांच वर्षों में कितने-कितने मरीज भर्ती हुए।

(3) क्या आपातकालीन कक्ष में भर्ती होने वाले मरीजों की दवाई का इन्तजाम सरकार की तरफ से किया जाता है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी दवाइयां हास्पिटल में उपलब्ध हैं जो निःशुल्क दी जाती हैं ?

(4) उक्त अस्पतालों में कितने मरीजों के लिए पलंग हैं व उनके बराबर मरीजों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों के बैठने के लिए स्टूल/बैंच की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में जोधपुर शहर स्थित संलग्न चिकित्सालय समूह, महिला एवं शिशु चिकित्सालय व ह्यूूशन हास्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों को दवाइयों बैंडेज एवं एक्स-रे प्लेट व मरीजों पर होने वाले व्यय वर्षवार परिशिष्ट 1 व 2 के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इस महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह एवं उम्मेद महिला एवं शिशु चिकित्सालय में आपातकालीन कक्षों में गत 5 वर्षों में मरीजों की भर्ती का ब्यौरा परिशिष्ट 3 के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इस महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह व उम्मेद महिला एवं शिशु चिकित्सालय में आपातकालीन कक्षों में भर्ती होने वाले मरीजों के लिये दवाइयों का इन्तजाम सरकार द्वारा किया जाता है। भर्ती होने वाले मरीजों को चिकित्सालय प्रशासन द्वारा निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करायी जाती है, जिसकी सूची परिशिष्ट 4 के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) उक्त अस्पतालों में मरीजों के लिये पलंग व देखभाल करने वाले व्यक्तियों के लिये स्टूल/बैंच की व्यवस्था की सूची परिशिष्ट 5 के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बांसवाड़ा से पंचायत मुख्यालयों के मध्य सड़क निर्माण

63. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला बांसवाड़ा के कितने पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं, जो मुख्य सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं ?

Page No. 35

(श्री फतेह सिंह)

(2) क्या सरकार इन्हें मुख्य सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल 196 पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें से 31 पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं, जो सड़को से जुड़े हुए नहीं हैं ।

(2) इन पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ना योजना अन्तर्गत प्राथमिकताओं, निर्धारित मापदण्डों एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार फिलहाल सम्भव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 64

(स्थगित)

जयपुर-सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर अतिक्रमण

65. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं श्री फूलचन्द (नीमका थाना): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर-सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर हुए अतिक्रमणों के कारण इस मार्ग को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने में बाधायें आ रही हैं ?

(2) क्या रेल्वे प्रशासन ने इन अतिक्रमणों को हटाने हेतु राज्य सरकार से सहायता मांगी है ? यदि हां, तो अतिक्रमणों व मांगी गई सहायता का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य सरकार इस विषय में क्या अग्रेत्तर कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर–सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के प्राधिकरण में आने वाले भाग 22 गोदाम रेलवे स्टेशन व सिविल लाइन के बीच अतिक्रमण बाबत रेलवे प्रशासन से पत्र मिलने पर अतिक्रमण मई, 1990 में ध्वस्त करा दिया गया है ।

रेलवे स्टेशन सांगानेर के पास 20 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करके अवैध निर्माण किया है । अवैध निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही तहसीलदार, सांगानेर द्वारा की जा रही है । इस सम्बन्ध में डिविजनल रेलवे मैनेजर पश्चिम रेलवे (वर्क्स) जयपुर के पत्र क्रमांक डब्लू/338/4/43/1, दिनांक 12.2.90 एवं दिनांक 10.4.90 को पत्र प्राधिकरण को प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण ने कार्यवाही करते हुए बिन्दु संख्या 1 के अनुसार मई, 1990 में अतिक्रमण ध्वस्त करा दिया ।

(2) सांगानेर रेलवे स्टेशन के पास अवैध निर्माण कार्य को बन्द कराने हेतु तहसीलदार सांगानेर को लिखा गया । तहसीलदार सांगानेर ने भू-अभिलेख निरीक्षक को भेज कर अवैध निर्माण कार्य को बन्द करवा दिया है ।

(3) अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हटाने के लिए सम्बन्धित विभागों द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जाती है ।

सोजत उपखण्ड के अस्थायी कर्मचारी

66. श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग सोजत उपखण्ड (पाली) में कितने अस्थाई कर्मचारी कब-कब से, कहां-कहां पर कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन कर्मचारियों की नियुक्ति नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग सोजत उपखण्ड (पाली) में वर्तमान में कुल 16 (सोलह) अस्थाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। पूर्ण विवरण संलग्न सूची "अ" में दर्शाया गया है।

(2) जी हां। अतः जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 67

(स्थगित)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भू-खण्ड

68. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने भू-खण्ड संख्या सी-39 मालवीय नगर, जयपुर स्वर्गीय श्री देवेन्द्र कुमार मीणा के नाम आवंटित किया था ? यदि हां, तो क्या उनकी वसीयत उनके पुत्र श्री रघुवीर सिंह के नाम है ? यदि हां, तो उक्त भू-खण्ड उनके पुत्र के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। जी नहीं। क्योंकि स्व. मीणा द्वारा अलग-अलग दो वसीयत की गई हैं। जिनमें एक श्रीमती मीना उपाध्याय के नाम से दिनांक 30.7.85 को एवं दूसरी श्री रघुवीर सिंह जो कि स्वयं देवेन्द्र कुमार मीणा के पुत्र हैं, के नाम से दि. 12.7.90 को की गई है। इनमें से श्रीमती मीना उपाध्याय ने प्राधिकरण में दि. 26 11.90 को श्री मीणा के मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं स्वयं के नाम से वसीयतनामे की प्रतिलिपि के साथ आवेदन करने पर भू. सं. सी-39, मालवीय नगर श्रीमती मीना उपाध्याय के नाम हस्तान्तरित कर दिया गया। इन्हें दिनांक 29.11.90 को भू-खण्ड की निर्माण स्वीकृति भी दे दी गई।

इसके बाद स्व. श्री मीणा के पुत्र श्री रघुवीर सिंह ने दिनांक 28.12.90 को स्वयं के नाम लिखी वसीयत के आधार पर भू-खण्ड का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तान्तरण के लिए आवेदन किया लेकिन स्व. श्री मीणा की पूर्व वसीयत जो कि स्वयं मीणा ने दिनांक 30.7.1985 को श्रीमती मीना उपाध्याय के नाम से थी, के आधार पर प्राधिकरण में हस्तान्तरण किया जा चुका है। अतः अब यह विवाद श्रीमती मीना उपाध्याय एवं श्री रघुवीर सिंह मीणा के बीच में है जिन्हें अपने वैध स्वामित्व के

(नगरीय विकास मन्त्री)

लिए सक्षम न्यायालय से स्वामित्व तय करवाने के लिए सूचित किया गया है।

आभानेरी (बांदीकुई) में हैण्ड पम्पों का रख रखाव

69. **श्री प्रभुलाल (सपोटरा)** : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति, बांदीकुई के ग्राम आभानेरी में विभाग द्वारा कितने हैण्ड पम्प कब-कब एवं कहां-कहां लगाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन हैण्ड पम्पों में से अधिकतर खराब पड़े हैं और उनके रखरखाव एवं मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(3) क्या सरकार इन खराब पड़े हैण्ड पम्प्स को ठीक करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित ग्राम में स्थापित 7 हैण्ड पम्पों का वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त में से एक हैण्ड पम्प अवरुद्ध हो जाने के कारण परित्यक्त है। संधारण की व्यवस्था पंचायत समिति के अधीन है। जन स्वा. अभि. विभाग द्वारा भी विशेष अभियान चलाये जाकर मरम्मत की व्यवस्था है।

(3) उपरोक्त परित्यक्त हैण्ड पम्प के अतिरिक्त शेष हैण्ड पम्प कार्यरत हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

नगर विकास न्यास, जोधपुर द्वारा विकास शुल्क की वसूली

70. **श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)** : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर नगर विकास न्यास ने अब तक पेरीफेरियल विकास शुल्क का कितना उपयोग किया व कौन से क्षेत्र में विकास कार्य किया ? विकास कार्यों की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। वर्तमान में कितनी राशि विकास शुल्क के रूप में जमा है व उसका उपयोग कब तक किया जायेगा ?

(2) जोधपुर मास्टर प्लान में आज तक किस-किस खसरा नम्बर की भूमि को कृषि से आवासीय अथवा वाणिज्यिक उपयोग हेतु बदला गया तथा किस-किस खसरा नम्बर की भूमि का भू-उपयोग बदलने के मामले विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर विकास न्यास ने अब तक पैरीफेरियल विकास शुल्क के रूप में रु. 1,80,000/- का उपयोग किया गया इस राशि से अमृतियों बेरा क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया गया वर्तमान में 2 करोड़ की राशि पैरीफेरियल विकास शुल्क के रूप में जमा है। जिसके उपयोग में तकमीने बनाकर कलक्टर (भूमि रूपान्तरण) विभाग, जोधपुर को भेजे गये हैं। तकमीने

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

की स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

(2) जोधपुर के मास्टर प्लान में कृषि उपयोग से आवासीय अथवा वाणिज्यिक उपयोग के लिये भू-उपयोग परिवर्तन केवल नौ प्रकरणों में हुआ है (सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है) वर्तमान में सिर्फ एक मामला खसरा नम्बर 330 से 338 ग्राम संगरिया जोधपुर से सम्बन्धित हरित पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ परिवर्तन के लिये विचाराधीन है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

नगरपालिका मण्डल नावां द्वारा आयोजित बैठकें

71. **श्री हरीशचन्द्र (नावां)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका बिजनस एवं कन्डक्ट रूल के अनुसार प्रत्येक माह में नगरपालिका मण्डल की बैठक बुलाई जानी आवश्यक है ? यदि हां, तो नावां नगरपालिका मण्डल की दिनांक 10.5.91 के बाद 31 जनवरी, 92 तक कब-कब साधारण व असाधारण बैठकें बुलाई गईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका अधिनियम एवं बिजनस कन्डक्ट रूल के अनुसार नगरपालिका मण्डल की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का है ? क्या नगर पालिका नावां के अधिकारियों ने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 10.5.91 के बाद 31 जनवरी, 92 तक दि. 30.7.91, 19.11.91 एवं 12.12.91 को असाधारण बैठकें बुलाई गई।

(2) राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 एवं कन्डक्ट आफ बिजनिस रूल्स 1974 के अनुसार (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्देश पर) पालिका मण्डल की बैठक बुलाने का उत्तरदायित्व अधिशासी अधिकारी का है। केवल कार्य निष्पादन हेतु ही आवश्यकतानुसार मण्डल की बैठकें बुलाई गई है। पूर्ण अनुपालना नहीं होने के संबंध में सम्बन्धित से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 72

(स्थगित)

बून्दी शहर में पेयजल व्यवस्था

73. **श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बून्दी शहर की दयालपुरा रोड स्थित आवासीय बस्ती तथा वार्ड संख्या 3 व 8 में पेयजल की समस्या है ? यदि हां, तो उक्त मोहल्लों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(श्री रामनारायण वर्मा)

(2) अब कब तक सरकार पेयजल की समस्या का निराकरण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित आवासीय बस्तियां गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा विकसित है, एवं उनके द्वारा समुचित रूप से वितरण लाइनें न डाले जाने के कारण कम दबाव की समस्या है जहां सम्बन्धित समितियों द्वारा आवश्यक धन राशि उपलब्ध करायी जाने पर व्यवस्था में सुधार किया जा सकेगा। वार्ड संख्या 3 व 8 में ऊंचाई पर स्थित कुछ क्षेत्रों में समस्या है जहां वितरण लाइनें डाले जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(2) वार्ड संख्या 3 व 8 की समस्या का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण किया जाना प्रस्तावित है।

नगर परिषदों के चुनाव

74. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) एवं श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में नगर परिषदों के चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे ?

(2) क्या राज्य में नगर परिषदों के चुनाव के पूर्व जयपुर व जोधपुर में नगर निगम बनाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य की 10 नगरपरिषदों के मामले माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। निर्णय के उपरान्त ही चुनाव कराया जाना सम्भव होगा।

(2) नगर निगम बनाया जाना विचाराधीन है।

सिरोही में पेयजल आपूर्ति

75. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिरोही विधान सभा क्षेत्र के कितने गांवों में पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के जिन गांवों में नल योजना से जलापूर्ति की जा रही है, उन गांवों के अधिकांश क्षेत्र में पाइप लाइन के अभाव में जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के पाइप लाइन से अधूरे जुड़े हुये गांवों को पाइप लाइन से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित विधान सभा क्षेत्र के 15 ग्राम पाइप्ड जलप्रदाय योजनाओं से लाभान्वित हैं।

(2) उपरोक्त सभी योजनाओं में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदाय मात्रा 24 से 40 लीटर के मध्य है तथा पर्याप्त संख्या में हैण्ड पम्प भी कार्यरत है। तीन योजनाओं में पाइप लाइन का अभाव होने के कारण स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

(3) उपरोक्त में से तीन ग्रामों हेतु वितरण व्यवस्था में सुधार प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है एवं कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। शेष ग्रामों में आवश्यकता के अनुरूप एवं धन उपलब्धतानुसार कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

पीपल्दा क्षेत्र के हैण्ड पम्प्स

76. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में कितने स्वीकृत हैण्ड पम्प हैं जो अभी तक नहीं लगे हैं ? जिला कोटा, बून्दी एवं बारां में खण्ड अनुसार स्वीकृत हैण्ड पम्पों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्प्स के अभी तक नहीं लगने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन व्यक्ति दोषी हैं ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्प्स की शीघ्र लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र में कुल 60 स्वीकृत हैण्ड पम्प लगाये जाने शेष हैं। उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खण्ड कोटा, बून्दी एवं बारां में स्वीकृत हैण्डपम्पों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त हैण्डपम्पों की स्थापना का कार्य पूर्व में निर्धारित स्थानों हेतु उपयुक्त रिगों की उपलब्धता में कमी तथा वर्तमान में वांछित मात्रा में जी.आई. पाइपों की आपूर्ति के अभाव में लम्बित है। कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(3) उपरोक्त हैण्डपम्पों को शीघ्रातिशीघ्र लगाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

अरबन लैण्ड (सीलिंग एण्ड एमूलेशन) एक्ट, 1976 के तहत जोधपुर के मामले

77. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर संकुलन क्षेत्र, जोधपुर में इस समय कई हजार व्यक्ति शेष बचे हुए हैं, जिसमें अधिकतर कृषि रिक्त भूमि के खातेदार हैं, जो अरबन लैंड (सीलिंग एण्ड रेग्यूलेशन) एक्ट, 1976 के अनुसार अधिकतम सीमा 1,500 वर्गमीटर से अधिक भूमि धारण कर रहे हैं परन्तु उन्होंने इस एक्ट की धारा 6 (1) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी, जोधपुर के कार्यालय में स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सक्षम अधिकारी ने उक्त एक्ट की धाराएं 6 (2) एवं 38 के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के कुछ व्यक्तियों को नोटिस दिये ? यदि हां, तो उपरोक्त शेष बचे व्यक्तियों को धारा 6 (2) एवं 38 के अन्तर्गत कब तक नोटिस दे दिया जायेगा एवं सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों व अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, अधिकांश ऐसे लोगों ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं।

(2) जी हां, शेष मामलों में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जैसे-जैसे सर्वेक्षण में मामले सामने आते जावेंगे, धारा 6 (2) व धारा 38 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। धारा 6 (2) के नोटिस तामील के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होने पर सम्बन्धित व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी ।

डिप्लोमा व डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं की वेतन शृंखला

78. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में एक ही पद व एक ही कार्य पर कार्यरत डिप्लोमा व डिग्रीधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को एक ही वेतन शृंखला में अलग अलग प्रारम्भिक वेतन दिया जा रहा है जबकि एक पद पर तथा एक ही कार्य करने वाले राज्य सेवकों को समान वेतन दिया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या यह डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं का आर्थिक शोषण एवं सहज न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस भेद-भाव पूर्ण नीति को समाप्त करने का मानस रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। स्नातक कनिष्ठ अभियन्ताओं को उनकी उच्चतर योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए, डिप्लोमा प्राप्त कनिष्ठ अभियन्ताओं से अधिक प्रारम्भिक वेतन दिया जा रहा है जो सहज न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है।

(2) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नीति भेदभाव पूर्ण नहीं है।

नगरीय सीमा में निरीक्षण पर वाहन क्षतिपूर्ति भत्ता

79. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज-कार्य हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता स्थानीय कार्यों (नगर सीमा में) का निरीक्षण अपने स्वयं के वाहन से करते हैं, जिसका उन्हें कोई क्षति पूर्ति भत्ता देय नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह अल्प वेतन भोगी कर्मचारी का आर्थिक शोषण नहीं है ?

(2) क्या सरकार इन अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भत्ता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता नगर सीमा में स्थानीय कार्यों का निरीक्षण अपने साधनों से ही करते हैं। चूंकि इनका कार्य ही निरीक्षण करना है अत: इसमें आर्थिक

(जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री)

शोषण की कोई बात नहीं है । यथा सम्भव राजकीय वाहन भी उपलब्ध कराया जाता है।

(2) फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

टोडाभीम की पेयजल योजनाएं

80. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कुल कितनी पेयजल योजनाएं विचाराधीन हैं और कब से हैं ? विचाराधीन योजनाओं की स्वीकृति कब जारी कर दी जायेगी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि नल योजना सोकरवाड़ा, बेरोजा गोरड़ा, भजेड़ा, भनकपुरा ग्रामों की वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ? मेंहदीपुर के बालाजी की नल योजना जिसमें टंकी भी है, को कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) संदर्भित विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भजेड़ा एवं भनकपुरा की योजनाएं फरवरी, 1992 माह में प्राप्त हुई है एवं विचाराधीन हैं । इनकी स्वीकृति तकनीकी रूप से उचित होने पर व धन उपलब्धतानुसार की जानी प्रस्तावित है ।

(2) उत्तर संख्या 1 में वर्णित 2 ग्रामों के अतिरिक्त ग्राम सोकरवाड़ा, पदमपुरा-बेरोजा, गोरेड़ा हेतु प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक प्रक्रिया में हैं, जिनकी स्वीकृति तकनीकी उपयुक्तता एवं धन उपलब्धतानुसार की जा सकेगी । मेंहदीपुर के बालाजी ग्राम की योजना के प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

नगर सुधार न्यास, उदयपुर द्वारा भू-खण्ड आवंटन

81. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या उदयपुर नगर सुधार न्यास द्वारा हिरण मगरी सैक्टर नम्बर 9 बी में आवासीय भू-खण्ड आवंटित किये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कब-कब? आवंटित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, प्लाट संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवंटियों ने आवंटित प्लाटों की निर्धारित राशि जमा करा दी है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति ने कितनी-कितनी राशि, कब-कब, किस-किस चालान नम्बर से जमा कराई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त आवंटित प्लाटों की भूमि न्यायालय के आदेश से पुनः काश्तकार खातेदार के नाम दर्ज की जाकर विभाग द्वारा उक्त आवंटन निरस्त कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति का कब-कब ? आदेश की प्रति, नाम एवं प्लाट संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री दयाराम परमार)

(4) क्या उक्त निरस्त किये गये प्लाटों के बदले आवंटियों को विभाग ने दूसरे भू-खण्ड आवंटित कर दिये हैं ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कब-कब, कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों एवं अब कब तक आवंटित कर दिये जायेंगे ? पुनः आवंटित भू-खण्डों का विवरण व्यक्ति के नाम एवं प्लाट संख्या, स्थान सहित सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विभाग द्वारा वर्ष दो की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी पुनः भू-खण्ड आवंटित नहीं किये जाने को सरकार गलत मानती है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है एवं दोषी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, न्यास द्वारा हिरण मगरी सैक्टर नं. 9 बी. में 117 भू-खण्ड आवंटित किये गये जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" में अंकित कर सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) आवंटित किये गये भू-खण्डों की अधिकांश आवंटियों द्वारा राशि जमा करा दी गई है कुछ आवंटियों द्वारा राशि जमा नहीं करवाने पर आवंटन निरस्त किये गये हैं। पूर्ण विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं है। आवंटन केवल उन्हीं आवंटियों के निरस्त किये गये हैं जिन्होंने निर्धारित समय में भू-खण्ड की राशि जमा नहीं करवाई। यह कार्यवाही नियमानुसार की गई है, अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र अटरू में हत्याओं के प्रकरण

82. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 1989 से अब तक कितनी हत्याएं हुई ? इनमें कौन-कौन मुल्जिम हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अभी भी इन हत्याओं के कुछ मुल्जिम पकड़े जाने हैं ?

(3) क्या इस क्षेत्र के ऐसे भी हत्या के मामले प्रकाश में आये हैं जिनमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है ? यदि हां, तो गांव व मृतकों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त हत्याओं के कारण क्या थे ? अब तक मुल्जिमान नहीं पकड़े जाने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 1989 से 31.1.92 तक कुल 22

(गृह मन्त्री)

हत्याएं हुई जिनमें 19 अभियोग पंजीबद्ध हुए। अपराध अनुसार मुल्जिमान की सूची परिशिष्ट "क" सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इस क्षेत्र के दो ऐसे प्रकरण हैं जिनमें अपराधियों का पता नहीं लग पाया है, ये क्रम संख्या 8 व 19 पर अंकित हैं। मृतकों के नामों की सूची मय गांव के परिशिष्ट 'क" में अंकित कर सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) उपरोक्त हत्याओं के मुख्य-मुख्य कारण आपसी रंजिश व भूमि सम्बन्धी विवाद रहे हैं। जो अभियुक्त नहीं पकड़े जा सकते हैं वे अपने निवासों से रूपोश हैं। जिनकी गिरफ्तारी के पूर्ण प्रयास जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम अयाना (कोटा) में पुलिस थाने की स्थापना

83. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के कस्बे अयाना में वहां की भौगोलिक स्थिति तथा अपराधों की संख्या को देखते हुए पुलिस थाना खोलने की मांग समय-समय पर की जाती रही है?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में अयाना में पुलिस थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह सही है कि पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के कस्बा अयाना में पुलिस थाना खोले जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्य से ही माह जुलाई, 91 में पुलिस मुख्यालय पर प्राप्त हुआ था। जिसका पुलिस मुख्यालय स्तर परीक्षण किया जा रहा है।

(2) प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

सीमावर्ती जिलों के निवासियों को परिचय-पत्र

84. श्री अमीन खां (शिव) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिलों में रहने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा परिचय-पत्र जारी किए जा रहे हैं? यदि हां, तो अब तक जिला बाड़मेर व जैसलमेर में कितने व्यक्तियों को परिचय-पत्र दिए गए एवं कितनों को परिचय-पत्र दिए जाने शेष हैं?

उत्तर

जिला बाड़मेर में 1,31,600 व्यक्तियों को परिचय-पत्र दिए जा चुके हैं तथा 66,324 व्यक्तियों को परिचय-पत्र दिये जाने शेष हैं। जिला जैसलमेर में 32,536 व्यक्तियों को परिचय-पत्र दिये जा चुके हैं तथा 12,578 व्यक्तियों को परिचय-पत्र दिये जाने शेष हैं।

ग्राम सातसेरा (बांसवाड़ा) में पुलिस थाना की स्थापना

85. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री फतेहसिंह)

(1) बांसवाड़ा जिले में सन् 1985 से जनवरी, 1992 तक कितनी चोरियां हुई ?

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में बढ़ती चोरी, डकैतियों की रोकथाम हेतु सरकार ग्राम सातसेरा में पुलिस थाना खोलने की मन्शा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार कुशलगढ़ क्षेत्र की अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अपराधों की रोकथाम के लिए जिला बांसवाड़ा के थानों में जीपें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1985 से जनवरी, 1992 तक 2591 चोरियों के अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। वर्षवार विवरण भी संलग्न है।

(2) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में चोरी, डकैती के अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है। अभी ग्राम सातसेरा में पुलिस थाना खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। कुशलगढ़ क्षेत्र में चोरियों एवं अन्य सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु 8 अस्थाई एम. ओ. सी. की चौकियां कार्यरत हैं। अस्थाई चौकियों को स्थाई करने का अभी तक कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) बांसवाड़ा जिले के 13 थानों में से 7 थानों में जीपें उपलब्ध हैं। शेष थानों पर जीपें उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता आधार पर वर्ष 1993 94 तक वाहन उपलब्ध कराने प्रस्तावित हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला झालावाड़ के अपराधिक प्रकरण

86. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) एवं श्री अनंग कुमार (झालरापाटन) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में वर्ष 1980 से अब तक कितनी चोरी-डकैती, बलात्कार, नकबजनी के कितने मामले दर्ज हुए ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता से अपराधों में अधिक वृद्धि हुई है ? अपराधों को रोकने के लिए राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में वर्ष 1980 से अब तक चोरी के 3298, डकैती के 38, बलात्कार के 357 तथा नकबजनी के 3085 अपराध दर्ज हुए हैं।

(2) यह सही नहीं है कि पुलिस विभाग के अधिकारियों की निष्क्रियता से अपराधों में वृद्धि का मुख्य कारण महंगाई, बेरोजगारी एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अपराधों के पंजीकरण में वृद्धि हुई है। पुलिस विभाग अपराधों के रोकथाम के

(गृह मन्त्री)

लिए पूर्ण रूप से सतर्क है और छोटी से छोटी घटना घटित होने पर अपराध पंजीबद्ध किये जाने से भी अपराधों की वृद्धि हुई है।

जिला पाली के पुलिस थाने एवं चौकियां

87. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में पुलिस थाने एवं चौकियां कितनी व कहां-कहां पर हैं? इसमें कुल कितने अधिकारी व सिपाही कार्यरत हैं?

(2) क्या थानों व चौकियों में सिपाहियों की संख्या आबादी के अनुपात में पर्याप्त है?

(3) क्या यह भी सही है कि सोजत सिटी में दुर्घटनाओं व अपराधों में वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार सोजत सिटी में इन्सपेक्टर रैंक का थाना प्रभारी लगाने तथा सोजत रोड को नया थाना व ग्राम चौपड़ा में पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पाली जिले में कुल 22 पुलिस थाने व 34 पुलिस चौकियां हैं। वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) कस्बा सोजत सिटी में आबादी, इण्डस्ट्री एवं प्रत्येक केस के रजिस्टर्ड होने से अपराधों में वृद्धि एवं साम्प्रदायिक स्थिति को देखते हुये पुलिस थाना सोजत हेतु निरीक्षक पद का थाना प्रभारी का पद सृजित कराये जाने का व सोजत रोड पुलिस चौकी को क्रमोन्नति करने के प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। ग्राम चौपड़ा के क्षेत्र में घटित अपराधों को ध्यान में रखते हुये ग्राम चौपड़ा में पुलिस चौकी बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 88

(स्थगित)

जिला डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में कच्चे डेम का निर्माण

89. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिला सूखा सम्भावित क्षेत्र घोषित है?

(2) क्या सरकार सूखा सम्भावित क्षेत्रों को हरा-भरा करने के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या राज्य सरकार इन दोनों जिलों के विकास के लिए योजना बद्ध तरीके से पक्के व कच्चे चेक डेम बनाकर बरसात का पानी रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में सूखे के प्रभाव को कम करना है। इसके अन्तर्गत जल एवं भू संरक्षण, जल संसाधन विकास कार्यों के साथ-साथ वन विकास एवं चारागाह विकास कार्य भी किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र को हरा-भरा करने के लिये कोई अलग से योजना नहीं है।

(3) इन दोनों जिलों में भू एवं जल संरक्षण तथा जल संसाधन विकास के अन्तर्गत चेक डेम्स, एनीकट्स एवं खडीन कार्यों का निर्माण कर बरसात के पानी को रोक कर कृषि उपज में वृद्धि हेतु यह कार्यक्रम वर्ष 1074-75 से वर्ष दर वर्ष चल रहा है।

पुलिस थाना कैथूनी में दर्ज मुकदमा

90. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पुलिस थाना कैथूनी पोल, कोटा में मुकदमा नम्बर 68 सन् 1989 दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की तथा नतीजा तफ्तीश की नकलें सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस मुकदमे की दुबारा जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा एफ. आर. की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, अभियोग में अनुसंधान के पश्चात् ही अन्तिम प्रतिवेदन नतीजा अदम् वकूआ (सिविल नेचर) दिया जा चुका है, अब मामला न्यायालय में अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की जीवन धारा योजना

91. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समितियों में जीवन धारा योजनान्तर्गत कुल कितने कुए स्वीकृत किये गए, कितने कुए पूर्ण हुए, कितनों की शिकायतें प्राप्त हुई ? शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दो पंचायत समिति नादौती व टोडाभीम आती है। उक्त दोनों पंचायत समितियों में स्वीकृत व पूर्ण हुए कूपों का विवरण निम्न प्रकार है :-

(विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री)

क्र.सं.	पंचायत समिति	वर्ष 1988-89 89-90		1990-91		1991-92	
		स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
1.	टोडाभीम	114	101	115	11	13	–
2.	नादौती	54	54	12	5	48	–
	योग :-	168	155	127	16	61	–

ग्राम महस्वा के वर्ष 1990-91 में स्वीकृत 20 जीवन धारा कुओं की 12 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

"तीस जिला तीस काम योजना" में स्वीकृत राशि

92. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) :** क्या विशिष्ठ योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 के बजट में "30 जिला 30 काम" योजना शुरू की गई थी ? यदि हां, तो जिलेवार कितनी राशि उक्त योजना के मद में स्वीकृत की गई ? सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु जारी मार्गदर्शिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले में इस योजना के अन्तर्गत अब तक क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये ? क्या उक्त स्वीकृत कार्यों को करने का अधिकार जिला कलक्टर को था ?

(3) क्या जिला कलक्टर ने राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश की अवहेलना कर मनमाने तरीके से कार्यों की स्वीकृति दी ? यदि हां, तो राज्य सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, जिलेवार आवंटित राशि का विवरण एवं योजना की मार्गदर्शिका की प्रति संलग्न है।

(2) पाली जिले में सड़क निर्माण प्रवृति के अन्तर्गत 16 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत कार्यों की सूची संलग्न है। जिला कार्य स्वीकृत करने का अधिकार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की शासकीय परिषद् को है। जैसा कि मार्गदर्शिका के पैरा–4 में दर्शाया गया है।

(3) स्वीकृत कार्यों की सूची में से क्रम संख्या 1 से 15 तक के कार्य जिला ग्रामीण

(विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री)

विकास अभिकरण की शासकीय परिषद् की बैठक दिनांक 17.12.91 की सहमति से स्वीकृत किये गये हैं। क्रम संख्या 16 पर अंकित कार्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की कार्यकारी परिषद् की बैठक दिनांक 16.1.92 की सहमति से स्वीकृत किये गये हैं। अतः कोई भी कार्य मनमाने तरीके से स्वीकृत किया जाना मान्य नहीं है।

(विवरण व प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जिला पाली की जीवन धारा योजना में स्वीकृत राशि

93. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) "जीवन धारा योजना" के तहत कूप निर्माण व एनीकटों के निर्माण हेतु 1991 से आज तक पाली जिले में कितने आवेदन प्राप्त हुये ? उनमें से कितनों को स्वीकृत किया, कितने स्वीकृत करना शेष हैं ? विवरण पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) पाली जिले में राज्य सरकार द्वारा जीवन धारा योजना के अन्तर्गत 1991-92 में कितनी राशि आवंटित हुई ? इस आवंटित राशि में से कितनी राशि बकाया है, इस बकाया के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समितियों में स्वीकृति कब प्राप्त हुई ? क्या कूप निर्माण एनीकट निर्माण चालू कर दिया है ? यदि हां, तो कब से, नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) स्वीकृत कूप एवं एनीकट कितने पूर्ण एवं अपूर्ण हैं पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या गत वर्ष का कोई भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत में किस-किस कृषक का कितना बकाया है? बकाया रहने का क्या कारण है तथा यह कब तक कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समितिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है।

(2) वर्ष 91-92 में जीवन धारा योजना में 140.41 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई। आवंटित राशि में से कोई राशि बकाया नहीं है।

(3) पंचायत समितिवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर है।

(4) स्वीकृत कूप व एनिकट के पूर्ण व अपूर्ण की सूचना पंचायत समितिवार परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) गत वर्ष का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय ऊन विपणन बोर्ड का गठन

94. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या मई 1977 में भेड़ पालकों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए राजकीय ऊन विपणन बोर्ड का गठन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें मुक्ति मिल गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या फैडरेशन का यही उद्देश्य था कि ऊन फैडरेशन खरीदेगी ? यदि हां; तो क्या भेड़ पालकों से समस्त ऊन क्रय किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि भेड़ पालन सहकारी समितिया जो बोर्ड के सदस्य हैं, उनके नियमों में यह प्रावधान है कि वर्ष में भेड़ पालन सहकारी समिति के अध्यक्षों की आम मीटिंग बुलाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या सहकारी समिति अध्यक्षों ने इन दो वर्षों में भेड़ पालकों की मीटिंग बुलाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या ऊन विपणन फैडरेशन/भेड़ पालन सहकारी समितियों के माध्यम से चुनाव कराने का प्रावधान है ? यदि हां, तो चुनाव कब तक करा दिये जायेंगे :–

(5) क्या यह सही है कि उच्चाधिकारियों द्वारा फैडरेशन लोकल बोडी का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। फैडरेशन द्वारा बिचौलियों के शोषण से भेड़ पालकों को पूर्ण मुक्ति दिलाने के प्रयास जारी है।

(2) फैडरेशन का भेड़ पालकों से ऊन क्रय करना भी एक उद्देश्य है। आर्थिक व प्रशासनिक कारणों से समस्त ऊन क्रय नहीं की जा सकी है।

(3) फैडरेशन के उप नियमों में यह प्रावधान है। लेकिन पिछले दो वर्षों में संचालक मण्डल की अवधि पूर्ण होने एवं संचालक मण्डल भंग होने के कारण यह आम सभा नहीं बुलायी जा सकी है। वर्तमान में फैडरेशन में दिनांक 4.4.1991 से प्रशासक नियुक्त है।

(4) जी हां, चुनाव कराने हेतु माह फरवरी, मार्च 91 में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई थी, परन्तु एक सहकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा सहकारिता विभाग से स्टे प्राप्त होने के कारण चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो सकी। स्टे खारिज होते ही चुनाव प्रक्रिया शुरू करदी जावेगी।

(5) जी नहीं।

जिला बांसवाड़ा में संचालित बाल विकास केन्द्र

95. श्री सोमा भाई (बागीडोरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा जिले में बाल विकास योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितने केन्द्र चल रहे हैं ?

(श्री सोमा भाई)

(2) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में कुछ विकास केन्द्रों को बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से विवरण सदन की मेज रखें।

(3) वर्तमान वित्त वर्ष में जिला बांसवाड़ा से किन-किन बाल केन्द्रों पर कितना धन खर्च हुआ ? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में बाल विकास योजनाओं के अन्तर्गत कुल आठ बाल विकास परियोजनायें चल रही हैं, जिनमें वर्तमान में निम्नानुसार आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं :-

क्र.सं.	नाम परियोजना	केन्द्र संख्या
1.	गढ़ी	217
2.	आनन्दपुरी	100
3.	बागीडोरा	166
4.	सज्जनगढ़	125
5.	कुशलगढ़	121
6.	तलवाड़ा	125
7.	घाटोल	125
8.	पीपलखूंट	143
	कुल केन्द्र	1122

(2) हां यह सही है कि बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा एवं कुशलगढ़ परियोजना के 15-15 केन्द्र बन्द किये गये हैं, जिनकी सूची संलग्न है।

(3) चूंकि केन्द्रवार अलग से व्यय नहीं रखा गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में बांसवाड़ा जिले की निम्न आठ परियोजनाओं में स्वीकृत बजट के अनुसार माह जनवरी, 92 तक के व्यय का विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

नैनवां उपखण्ड में विद्युत मीटर जलने की शिकायतें

96. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) 1 जनवरी, 1990 से अब तक की अवधि में नैनवां उपखण्ड में व्यावसायिक विद्युत सम्बन्धों वाले किन-किन उपभोक्ताओं ने मीटर जलने की शिकायत की ? इनमें से कितनों की जांच, किस-किस कर्मचारी द्वारा किस-किस तारीख को, किन-किन गवाहान के समक्ष की गई ? प्रत्येक मामले में मीटर जलने के कारणों, तारीख एवं उसके स्थान पर नया मीटर लगाये जाने की तारीख सहित, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बिजली की अधिक खपत योग्य व्यावसायिक विद्युत सम्बन्धों में मीटर जलने के अधिक मामले होने के क्या कारण हैं ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने जांच की ? यदि हां, तो प्रत्येक मामले के बारे में पृथक्-पृथक् ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विद्युत मण्डल को घाटा

Page No. 52

(श्री रामनारायण वर्मा)

पहुंचाने एवं निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से मौके पर सही जांच किए बिना ही मीटर जले हुए मानकर बदले जाने के आदेश दिये गए हैं ? यदि हां, तो ऐसे मामलों में क्या अग्रेतर कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, 1990 से अब तक नैनवां उपखण्ड के अधीन नान डोमेस्टिक तथा लघु उद्योग के क्रमशः 18 तथा 41 मीटर जलने की शिकायत मिली। मीटर जलने के बाद मीटर की जांच मण्डल में स्थित प्रयोगशाला द्वारा की जाती है। जिन-जिन उपभोक्ताओं के मीटर जले उनके नाम, जलने की तिथि, नया मीटर बदलने की तिथि सहित विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) बिजली के मीटर मुख्यतः उपभोक्ता द्वारा अपने स्वीकृत भार से अधिक उपभोग करने एवं स्वयं के परिसर में करवाये वायरिंग में दोष होने के कारण जल जाते हैं जिसके लिये उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार है तथा वांछित राशि जमा करवाने के बाद मीटर बदल दिये जाते हैं। कभी-कभी मण्डल की लाइनों में हुई प्राकृतिक विपदाओं के कारण भी उपभोक्ताओं के परिसर में तकनीकी गड़बड़ी आ जाने के कारण भी मीटर जल जाते हैं। ऐसे मामलों में जांच के बाद मण्डल द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर मीटर बदलने की कार्यवाही की जाती है। उक्त अवधि में सभी जले मीटरों की विस्तृत जांच हेतु मण्डल में स्थित प्रयोगशाला में भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। मुख्यतः मीटर जलने की शिकायत प्राप्त होने पर मण्डल कर्मचारियों द्वारा प्रारम्भिक जांच करवा कर अगर वास्तव में मीटर जला हुआ पाया जाता है तो उपभोक्ता के मीटर जलने की वांछित राशि जमा करवा कर मीटर बदल दिया जाता है। कभी-कभी जब उपभोक्ता स्वयं अपनी गलती से मीटर जलना स्वीकार करता है तो उससे बिना मीटर पूर्व में चैक कराये भी राशि प्राप्त कर मीटर बदलने की कार्यवाही की जाती है। लेकिन सभी जले मीटरों को विस्तृत जांच मण्डल प्रयोगशाला द्वारा ही की जाती है तथा जांच के अनुसार नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

को-आपरेटिव सोसायटी द्वारा टोडाभीम में आवंटित विद्युत कनेक्शन

97. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में विद्युत को-आपरेटिव सोसाइटी द्वारा वर्ष 1991-92 में कितने कनेक्शन दिये गये ?

(2) क्या को-आपरेटिव द्वारा ट्रांसफार्मर बांटे गये ? यदि हां, तो कितने एवं किन-किन स्थानों पर ? सूची सदन की मेज पर रखें एवं इन ट्रांसफार्मरों के रख-रखाव की क्या व्यवस्था है ?

(3) को-आपरेटिव में कुल कितने कर्मचारी हैं ? इनमें से कितने स्थाई एवं अस्थाई हैं ? क्या सरकार कर्मचारियों के पदों में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) टोडाभीम विद्युत सहकारी समिति द्वारा वर्ष 1991-92 में माह जनवरी, 1992 तक 185 विद्युत कनेक्शन दिये गये। श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है–

श्रेणी	संख्या
कृषि	87
उद्योग	25
घरेलू	62
व्यावसायिक	11
कुल	185

(2) जी हां। टोडाभीम विद्युत सहकारी समिति द्वारा कुल 238 ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं। सूची संलग्न है। इनके रखरखाव हेतु तकनिकी सहायक कर्मचारियों को समय-समय पर निरीक्षण हेतु भिजवाया जाता है।

(3) टोडाभीम विद्युत सहकारी समिति में कुल 58 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 28 स्थाई एवं 30 अस्थाई हैं। राज्य सरकार अभी उक्त समिति में पदों की वृद्धि का कोई विचार नहीं रखती।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के ग्रामों का विद्युतीकरण

98. श्री प्रभुलाल (सपोटरा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र, सपोटरा में सन् 1990 से पूर्व के विद्युतीकृत ग्रामों में से कितने ग्रामों को अब तक विद्युत सप्लाई नहीं की जा रही है ? अब कब तक विद्युत सप्लाई करवा दी जावेगी ?

(2) सपोटरा क्षेत्र की कितनी हरिजन बस्तियों में रोड लाइट पहुंचा दी गई है एवं कितने ग्राम शेष हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उप तहसील करणपुर को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्ष 1990 से पूर्व के विद्युतीकृत घोषित किये गये ग्रामों में से अब केवल दो ग्रामों में विद्युत सप्लाई करना शेष है, जिसके लिये कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र विद्युत सप्लाई के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) सपोटरा क्षेत्र की 51 हरिजन बस्तियों में रोड लाइट पहुंचा दी गई है एवं 5 स्वीकृत की गई हरिजन बस्तियों में रोड लाइट पहुंचाना शेष है।

(3) उप तहसील करणपुर, पंचायत समिति सपोटरा के विद्युतीकरण की वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है। पंचायत समिति सपोटरा क्षेत्र की वर्तमान में चल रही ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना में प्रस्तावित ग्रामों में से शेष रहे 26 ग्रामों के विद्युतीकरण होने पर क्षेत्र के शेष रहने वाले अस्वीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण की नई ग्रामीण विद्युती-

(ऊर्जा मन्त्री)

करण योजना बनाते समय ही करणपुर को शामिल करने का प्रयास किया जा सकेगा।

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़/गोविन्दगढ़ (अलवर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

99. श्री जुबेर खां (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़/गोविन्दगढ़ जिला अलवर में पिछले तीन वर्षों में कौन-कौन से ग्रामों के लिए विद्युतीकरण की योजना स्वीकृत की गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त विद्युतीकृत गांवों में से किस-किस गांव में कृषि कनेक्शन दिये गये हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़/गोविन्दगढ़ जिला अलवर में पिछले 3 वर्षों (वर्ष 1988-89 से 1990-91) में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कार्यक्रम में स्वीकृत एवं विद्युतीकृत ग्रामों की सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) विद्युतीकृत ग्रामों में से 17 ग्रामों में कनेक्शन दिये गये हैं। ग्रामवार सूची प्रपत्र "अ" में दर्शा दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा के ग्रामों का विद्युतीकरण

100. श्री सोमा भाई (बागीडोरा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1991-92 में किन-किन गांवों के विद्युतीकरण की स्वीकृति सरकार ने प्रदान की थी ?

(2) किन-किन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ?

(3) शेष गांवों का विद्युतीकरण नहीं किये जाने के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बागीडोरा जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1991–92 में 17 ग्रामों को विद्युतीकृत करने हेतु वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित किया गया है। सूची "अ" संलग्न है।

(2) इनमें से अब तक 7 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जिनके नाम उक्त सूची में दर्शा दिये गये हैं।

(3) शेष ग्रामों का विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक करने का प्रयास किया जा रहा है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कृषि विद्युत कनेक्शन

101. श्री हुकमा राम मेघवाल (सिवाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में गत वर्ष कृषि कुओं के लिए कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये ? उनमें से अनुसूचित जाति / जन जाति के कितने व्यक्ति हैं ?

(श्री हुकमाराम मेघवाल)

व्यक्ति एवं ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्वीकृत विद्युत कनेक्शन कोटे में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में गत वर्ष (1990-91) में 54 कृषि कुओं को कनेक्शन दिये गये उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के नीचे लिखे 10 आवेदकों को उपखण्ड सिवाना द्वारा कनेक्शन दिये गये हैं :-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	गांव का नाम
1.	मंगलाराम बंशीलाल	लालाना
2.	जेठाराम छगनलाल	कुम्पावास
3.	अचलाराम भगवानाराम	पाऊ
4.	मोहनराम गणेशाराम	कुम्पावास
5.	उकमिया कालीयाजीवा	सिनेर
6.	खंगाराम मोडाराम	कुम्पावास
7.	दानाराम देवाराम	पादरु
8.	हनुवास्ता चिमनाराम	पादरु
9.	फूलाराम नवाराम	पादरडीकलां
10.	तगा लम्बा	धीरा

(2) योजना मद में वित्तीय साधन तथा सीमित आवंटित लक्ष्यों से अधिक कनेक्शन प्रस्तावित करना सम्भव नहीं है।

जिला बाड़मेर के गांवों का विद्युतीकरण

102. श्रीमती मदन कौर (गुड़ा-मालानी) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में बाड़मेर जिले के कितने गांवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था ? गांवों के नामों की सूची विद्युत उप खण्डवार सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रस्तावित गांवों में से किस-किस गांव का विद्युतिकरण कर दिया गया ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में क्रमशः 60 ग्राम एवं 36 ग्राम विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित थे। उप खण्डवार ग्रामों की सूची "अ" संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में प्रस्तावित ग्रामों में से 1990-91 में 43 एवं 1991-92 में (माह फरवरी, 1992 तक) 6 ग्राम विद्युतीकृत किये गये हैं, जिनका विवरण संलग्न सूची "अ" में दर्शाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

अनुसूचित जाति की बस्तियों में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन

103. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विद्युत विभाग की ग्रामों में

(श्री बिरधाराम चौधरी)

अनुसूचित जाति की बस्तियों की निःशुल्क विद्युतीकृत करने की नीति है ? यदि हां, तो मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में कितने ग्रामों की अनुसूचित जाति की बस्तियों (मोहल्लों) को विद्युतीकृत किया गया है ? ग्राम मोहल्ले वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मकराना उपखण्ड विद्युत कार्यालय में अनुसूचित जाति की कितनी बस्तियों को विद्युतीकृत करने की योजना विचाराधीन है एवं कितनी बस्तियों के आवेदन लम्बित हैं ? ग्राम व मोहल्लेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति मकराना क्षेत्र के ग्रामों की 55 अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है। ग्रामवार व मोहल्लों के अनुसार विद्युतिकृत बस्तियों की सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) एस.यू. स्कीम कोड नं. 170587 के तहत मकराना उपखण्ड कार्यालय में अनुसूचित जाति की 19 बस्तियों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है जिसमें से 12 बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष सात बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु कोई आवेदन मकराना उपखण्ड कार्यालय में अधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त बस्तियों को विद्युतीकृत नहीं किया जा सका है। लम्बित अनुसूचित जाति की बस्तियों की सूची प्रपत्र "ब" में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

जिला बीकानेर में कृषि विद्युत कनेक्शन

104. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बीकानेर जिले में अकाल के स्थाई हल के लिए कृषि कुओं के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन देने का इरादा रखती है ?

(2) कृषि कुओं पर विद्युत कनेक्शन देने का सरकार का क्या मापदण्ड है ? वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने कृषि कुओं को विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? जिलेवार कनेक्शन की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कृषि कुओं की अधिकता को देखते हुए सरकार इस वर्ष बीकानेर जिले की किस-किस तहसील के किन-किन गांवों में 32 हजार के.वी. लाइन डालने का विचार रखती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल के पास बीकानेर जिले में अकाल के स्थाई हल के लिए कृषि कुओं में निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत कनेक्शन देने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) कृषि कुओं पर विद्युत कनेक्शन देने हेतु मापदण्ड आदेश दि. 26.4.1991 द्वारा जारी विद्युत मण्डल की नीति में वर्णित है, जिसकी प्रतिलिपि "अ" संलग्न है। एक अप्रेल, 1991 से माह जनवरी, 1992 तक राजस्थान में 12786 कुओं का

(ऊर्जा मन्त्री)

ऊर्जीकरण किया जा चुका है। जिलेवार ऊर्जीकृत कुओं की सूची "ब" संलग्न है।

(3) बीकानेर वृत के क्षेत्रान्तर्गत बीकानेर जिले में वर्ष 1991-92 के दौरान निम्नांकित 33 के.वी. की लाइनों को डालने का कार्य प्रगति पर है :-

क्र.सं.	33 के.वी. लाइन का नाम	लम्बाई कि.मी.	तहसील/पं.स.
1.	33 के.वी. घड़साना-छतरगढ़	35 कि.मी.	बीकानेर
2.	33 के.वी. काकड़ा-जसरासर	16 ,,	,,
3.	33 के.वी. नोखा-काकड़ा	20 ,,	,,
4.	33 के.वी. आर.डी.-710 पूगल	25 ,,	,,

(प्रति व सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

इटावा ब्रांच कैनाल पर लघु पनविद्युत गृह की स्थापना

105. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के इटावा कस्बे में इटावा ब्रांच कैनाल पर लघु पनविद्युत गृह स्वीकृत है ? यदि हां, तो कितनी क्षमता का तथा इस पर कुल कितनी राशि खर्च की जानी है ?

(2) उक्त विद्युत गृह की स्वीकृति हो जाने के उपरान्त भी इस योजना पर अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार इस योजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस विद्युत गृह की क्षमता 0.5 मेगावाट होगी। माह सितम्बर, 1986 में स्वीकृति के अनुसार इस योजना की अनुमानित लागत 109.37 लाख रुपये है।

(2) इस विद्युत गृह के मुख्य उत्पादन संयंत्र की खरीद का आदेश जनवरी, 1987 में दिया गया था, जिसके तहत मुख्य-मुख्य भाग प्राप्त हो चुके हैं। ट्रान्सफार्मर की भी खरीद की जा चुकी है। योजना के लिये सिविल कार्यों के डिजाइन की कन्सलटेन्सी का निर्धारण, वर्ष 1991 में हो चुका है। योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि अवाप्ति एवं प्रारम्भिक सिविल कार्यों को शुरू करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, इस लघु पनविद्युत उत्पादन योजना का कार्य वर्ष 1995-96 में पूरा होना प्रस्तावित है।

अनुपस्थित-अनुमति

श्री विजयसिंह झाला, मंत्री एवं श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य विधान सभा को वर्तमान सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने बाबत अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री विजय सिंह झाला, मंत्री एवं श्री रतना राम चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थता के कारण वर्तमान सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

1. श्री जुबेर खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को उच्च न्यायालय द्वारा अवैध ठहराने पर भी समुचित कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

2. श्री यदुनाथ सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री नत्थी सिंह, श्री निर्मयलाल और श्री राम प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की गम्भीर पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

3. श्री पूनम चन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले की फलोदी तहसील में पेयजल की विकट समस्या के सम्बन्ध में।

4. श्री केदार नाथ, डा. चन्द्रभान, श्री हेतराम बेनीवाल, श्री आर. डी. यादव, श्री नत्थीसिंह और श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के शिक्षकों द्वारा गत एक वर्ष से कथित आन्दोलन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायतों की सम्पूर्ण व्यवस्था सचिवों को देने से वहां की की जनता को होने वाली परेशानियों के सम्बन्ध में।

6. श्री रामनारायण वर्मा, श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री बिरधाराम चौधरी, श्री राजेन्द्र पारीक, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचित क्षेत्र विकास की बायीं मुख्य नहर से सम्बन्धित क्षेत्र में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

7. श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयसमन्द झील की कीमती जमीन को एक निजी फर्म को बेचने से सरकार को हुई राजस्व हानि के सम्बन्ध में।

8. डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज व रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज में अन्यत्र

(श्री अध्यक्ष)

कैपीटेशन फीस देकर दाखिला लेकर स्थानान्तरण कराने से युवा प्रतिभाओं में व्याप्त भारी आक्रोश के सम्बन्ध में।

9. श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बाड़मेर, जैसलमेर के सीमावर्ती विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण छात्र शिक्षण में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

1. श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्री गंगानगर जिले में डोडा पोस्त सेवन करने वालों की स्थिति उनकी बढ़ती संख्या एवं राज्य सरकार की निषेध आज्ञा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2. श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर में राजकीय गर्ल्स महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

3. श्री रामकिशोर सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला दौसा के शहर बांदीकुई को उप जिला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री अमृतलाल परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली में शाही नदी पर बरजोड़ पुलिया बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

5. श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनू जिले के खेतड़ी नगर के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय से नवीं कक्षा के अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के आउट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री हीरालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

7. श्री अनंगकुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में।

8. श्री चुन्नीलाल गरासिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य की भाषाई अकादमियों की भयावह स्थिति व उसमें व्याप्त अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

9. श्री बिरधाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से मकराना में निकलने वाले संगमरमर की खानों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाले मलवे के डालने की उचित व्यवस्था करवाये जाने के सम्बन्ध में।

10. श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा आन्दोलनात्मक कदम उठाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्री शान्तिलाल खोईवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से रेलमगरा तहसील जिला राजसमन्द में पेयजल के भारी संकट के कारण आबादी के पलायन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

Page No. 60

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

मेरे पास दो पत्र और आये हैं। श्री शिवकिशोर सनाढ्य कुछ बोलना चाहते हैं और एक श्री यदुनाथ सिंह जी का है।.... (व्यवधान) मैं एक एक को बुलवा लूंगा। आप बिराजिये। मैं एक-एक को बुलवा रहा हूं। आप बैठिये, आप बिराजिये। मैं सब को बुलवा लूंगा।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बुलवा लूंगा, आप बैठिये। प्लीज सिट डाउन। श्री शिव किशोर सनाढ्य को पहले सुन लें फिर मैं आपको भी बुलवा लूंगा। मेरे पास पहले जिनके नोटिस आये हैं उनको पहले बुलवा लेता हूं फिर आप बोल लेना।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान शिक्षक संघ और महाविद्यालय के....

डा. चन्द्रभान : आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मण्डल....(व्यवधान)....बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : वह क्या बोल रहे हैं पहले उनको सुन तो लें। आप पहले उनको सुन लीजिये वह क्या बोल रहे हैं। वही वह बोल रहे हैं जो आप कह रहे हैं।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : राजस्थान शिक्षक संघ करीब एक लम्बे अर्से से राजस्थान सरकार का ध्यान....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : किधर ?

श्री शिव किशोर सनाढ्य : इस सदन का। मैं इस सदन का ध्यान आकर्षण कर रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान के शिक्षक आये हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह बोलना चाहते हैं वही हम बोलना चाहते हैं।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान शिक्षक और राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके सन्दर्भ में मैं राज्य सरकार का और इस सदन का ध्यानाकर्षण करने के लिये निवेदन कर रहा हूं। राजस्थान शिक्षक संघ और राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक एक लम्बे अर्से से अपनी ...

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है यह उससे विपरीत बोल रहे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मांगों के सन्दर्भ में शिक्षा मन्त्री और मुख्य मन्त्रीजी को अपनी बात कहते आये हैं। आज हजारों की तादाद में कालेज और....

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आज विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से और उच्च शिक्षा मन्त्रीजी और शिक्षा मन्त्रीजी से यह निवेदन कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया। श्री यदुनाथ सिंह जी।....(व्यवधान)....यदुनाथ सिंहजी बोल रहे हैं उनको सुन लीजिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, सन्तुष्टी हो जायेगी। डेपुटेशन से मिल लें तो उन लोगों को एक राहत पहुंचेगी, ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया। श्री यदुनाथ सिंहजी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरा बोलना शेखावत साहब के आगे बीन बजाने के बराबर है। क्योंकि मैं लगातार जब से यह मुख्य मन्त्री बने हैं जब से और जो पानी का प्रबन्ध करने वाले मन्त्री हैं उनसे चर्चा करता रहा हूं। भरतपुर में पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं है। स्थिति यह बनी है आज कि सौ प्रतिशत कुएं बिल्कुल सूख चुके हैं। आप एक कुएं में पानी बता दें तो आप जो दण्ड दें मैं भुगतने को तैयार हूं। लोगों द्वारा ट्यूबवैल लगाये जाते हैं और वह दो दिन ही चलते है उसको वहां से उखाड़ते हैं और वहां से उखाड़कर दूसरी जगह लगाते हैं, दिन-रात वहां का किसान और आम आदमी पानी के लिए परेशान है। मिस्त्री के पास लुट रहे हैं, वह कहते हैं इसका पंखा खराब है, इसकी मोटर खराब है। ऐसी भयानक स्थिति हमारे जिले में बनी हुई है। आप आश्चर्य करेंगे, अध्यक्ष महोदय, कि वहां के मवेशी तो दूर आदमी के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। जो पीने का पानी उपलब्ध है वह जहरीला पानी है। उसमें जहरयुक्त लवण मौजूद हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं और वहां का आदमी असाध्य बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। आप ताज्जुब करेंगे छः हजार से 25-25 हजार तक टी. डी. एस. तक का पानी भरतपुर का आदमी पी रहा है। अभी पानी डाल दो तो चमड़ी जल जाती है लेकिन हमारी समस्या की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पिछले बजट में आपने घोषणा की थी, एप्रोप्रिएशन पर घोषणा की थी कि भरतपुर में पानी की व्यवस्था के लिए आप लोग स्कीम तैयार करिये मैं दो दो करोड़ रुपये दूंगा पर एक नया पैसा नहीं मिला। न गुडगांवा कैनाल का पानी आया। आपने सब डिवीजन वहां से हटा दिया। 10 करोड़ के काम बाकी हैं। डीग एस्केप के पानी का कांग्रेस के राज के समय में जो पीने के पानी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ इन्जीनियर के लेवल पर समझौता हुआ था और सरकार के लेवल पर सेक्रेटरीज लेवल पर होना था उसमें भी एक कदम नहीं बढ़े। उस समय हमने दबाव डालकर योजना बनायी थी चम्बल से भरतपुर जिले को पीने का पानी दिया जाय। इस राज्य में उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। पानी नहीं आ रहा है और तरह तरह की समस्यायें हमारे सामने मुंह बाये खड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष : हो गया।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय,

(श्री यदुनाथ सिंह)

अगर वहां की समस्या का निदान करना है तो ट्रेडीशनल सोर्सेज हैं उनमें पानी की व्यवस्था करनी होगी, वर्ना वहां का आदमी प्यासा मरेगा।

अध्यक्ष महोदय, 10 साल तक इधर एक साथ बैठकर आवाज में आवाज बुलंद करके बोलते थे लेकिन अब मेरे सामने समस्या का कोई निदान नजर नहीं आ रहा है। एक ही निदान नजर आ रहा है। महाराज, आप इधर बिराजो मैं पानी इनसे ले लूंगा। आप इधर बिराजे हुए ही उपयुक्त लगते थे उधर उपयुक्त नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक निवेदन है। आपने आज कहा, सूचना दे रहे हैं और यह मामला यहां पर इस तरह आया। हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बात कही है। आपने कहा, विचार के लिए भेजा जा रहा है। इतनी विकट समस्या है, मैं कह रहा हूं कल वक्तव्य दिलायें। मन्त्री महोदय को खूब पता है। कल इस पर विचार करा दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम।

सूचना

गंगानगर जिले में दो जवान बच्चों को आतंकवादियों द्वारा उठा लिया जाना

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : मुझे अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हाउस को सूचना देनी है कि गंगानगर जिले में दो जवान बच्चों को उग्रवादियों द्वारा उठा लिया गया है और जिस दिन हम हाउस के अन्दर माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण सुन रहे थे उसी दिन शाम को 6.30 बजे गोलूवाला कस्बे में एक प्रतिष्ठित और बहुत धनाढ्य व्यापारी चन्द्रभान जी हैं उनके दो बच्चों को भरे आम बाजार के बीच में 6.15 या 6.30 बजे के वक्त एक कार के अन्दर चार स्टेनगनधारी आये, जिसमें तीन सिख थे और एक मोना था, जिसने मुंह पर कुछ चीज लगा रखी थी और बाजार के बीच में से उठाया और कार में डाला और कार में डालकर चले गये। यह 24 तारीख का वाकिया है। गंगानगर जिला पूरी तरह सील्ड है और इस चुनाव की वजह से वहां बी.एस.एफ. और आर.ए.सी. बोर्डर पर लगी हुई है। जिस जगह से बच्चा उठा है उस जगह बाजार के बीच में ही पुलिस की चौकी भी है। वहां पर पुलिस मौजूद थी उसके बावजूद भी इस तरह से उनको उठा ले गये। क्योंकि मैंने वहां के जिलाधीश से बात की है और अधिकारियों से बात की है, आज सुबह ही बात की तो पता लगा कि उनके रिश्तेदार डबवाली में भी थे, वहां भी इस तरह की कोशिश पांच-दस दिन पहले हुई, वह कोशिश फैल हो गयी। यह जवांई है, उनको उठाने के लिए यह आये और वे उठाकर चले गये। अफसोस की बात यह है कि जिस गंगानगर जिले में आज से 15-20 दिन पहले....

श्री अध्यक्ष : सूचना पूरी हो गयी। अब तो आप कमेण्ट कर रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरी सुन लीजिए। 26 तारीख को जिसको हम बना रहे हैं और मेरी समझ में माननीय मुख्य

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मन्त्री जी की पार्टी तो एकता यात्रा में उधमपुर में थी उस वक्त तिरंगे झण्डे की जगह इसी इलाके के पास 6-7 उग्रवादियों ने खालिस्तान के झण्डे लगा दिये। सारा का सारा मामला इस तरह का है कि उनके अब भी गंगानगर जिले में पूरे सम्पर्क हैं और गंगानगर जिले में ही उनको शरण मिली हुई है फिर भी कोई वजह नहीं है कि तीन दिन होने के बाद भी बाजार....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया आपका। श्री सुरेन्द्र व्यास।....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक-एक करके दे रहा हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री भरोसीलाल जाटव (हिण्डौन) : अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। भरतपुर जिले का आग्रह किया है, उस पर सरकार से कुछ न कुछ कहलवाइये। पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं है(व्यवधान) मेरे खुद के गांव में सारे कुए सूख गये हैं। बार-बार मुख्य मंत्रीजी से रिक्वेस्ट की है, पीने के लिए पानी मांगा है। रोटी खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, पानी पीने के लिए मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप विराजिये।

श्री राम प्रसाद (वैर) : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर में पानी की बड़ी जटिल समस्या है और कुओं में 200-200 मीटर तक पानी है और कम से कम मेरे क्षेत्र में 125 कुए सूखे पड़े हैं। मुझे मालूम है सब कुए सूख गये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मंत्री महोदय से मिला था और अभी चीफ इन्जीनियर से मिलकर आ रहा हूं। मेरे क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। भरतपुर जिले में कम से कम पांच सौ कुए सूखे पड़े हैं। पानी खारा हो रहा है।

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में पानी की बहुत समस्या है....(व्यवधान)

श्री राम प्रसाद : मेरे क्षेत्र में दूसरे गांव से पानी लिया जा रहा है (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : आप उनसे कहिए, कुछ तो कहें।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ। (व्यवधान) आप बैठिये। मन्त्रीजी कुछ कह रहे हैं। आप विराजिये तब कुछ कहेंगे। आप बैठिये, पानी पिला रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों की चिन्ता है उससे सरकार पूर्ण रूप से परिचित है और भाई यदुनाथसिंह जी के साथ मैं गया हूं और क्या सुधार हो सकता है, उस पर चर्चा की है। अब भी इस गर्मी में कैसे निपटा जाय, अधिकारियों से योजना बनाकर चर्चा की है। मैं चाहूंगा कि हमारे इस जिले के जो माननीय सदस्य हैं वे खुद मेरे साथ सहयोग करें तो आपस में बैठक चर्चा कर सकते हैं। कहां से पानी लिया जावे। जहां से भी पानी लाना होगा वहां से पानी लाने की निश्चित व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे और कोई

Page No. 64

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हमारी ढिलाई है तो उसको भी ठीक करेंगे, उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन जो समस्या है वह तो है ही। समाधान क्या हो सकता है उस पर आप या तो आज ही बैठ जायं या कल बैठ जायं।

श्री अरुण सिंह : आज ही बैठेंगे। इस साल गर्मी में पूर्वी राजस्थान में टैंकरों से पानी सप्लाई करना पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसको राजनैतिक इश्यू नहीं बनायें। जो समस्या है, उसको मैं महसूस करता हूं। मैं आपको आमन्त्रित करता हूं आप मेरे साथ बैठिये। सरकार को सहयोग दीजिए और सरकार का सहयोग लीजिए तो समस्या का समाधान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम बेनीवाल।

एक माननीय सदस्य : हमें तो यमुना का पानी चाहिए....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : दो व्यवस्थाओं में से एक करो। भरतपुर जिले में चार नदी जाती हैं ...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है, और आप भी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हमारे हिस्से का पानी हमको नहीं मिल रहा है। पानी रोक कर भरतपुर जिले में समस्या खड़ी की है....(व्यवधान)

श्री हरीश भामनानी (अजमेर पश्चिम): अजमेर जिले के सभी न्यायालयों में ताले लगे पड़े हैं (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 119 के अन्तर्गत मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज सोसायटी के विषय में एक प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : कब ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : कल दिया है अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : ठीक है तो फिर ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप ने उस मोशन को पढ़ा होगा तो उस मोशन की गम्भीरता को आप समझेंगे। इस विषय पर नियम 50 के अन्तर्गत और नियम 131 के अन्तर्गत दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा और भी मोशन लाये हुए हैं लेकिन यह मेरा जो 119 के तहत मोशन है वह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। संयुक्त विपक्ष ने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक मेमोरेण्डम पेश किया है उसके अन्दर यह एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस मोशन को आप तत्काल यहां पर लिस्ट करें क्योंकि उस मोशन से यह स्पष्ट होगा कि मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज....

श्री अध्यक्ष : अब आप स्पष्ट मत करिये, मैं समझ गया आपका मोशन। प्रोफेसर केदार।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, नियमानुसार सारी बात देखूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आप लिस्ट करें। सिर्फ कहने के लिये खड़ा होकर वापस बैठने वाली बात नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : तो क्या आप मेरे से यहां व्यवस्था चाहेंगे। मैंने सुन लिया आपका आग्रह। आपने जो कहा मैंने सुन लिया। आपने कहा 131 में है, 50 में है। 119 में है। मैं देख लूंगा, रूल्स बने हुए हैं। रूल्स में पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, यह सब देख लूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात और है। रूल्स हाउस के बिजनेस को फैसीलिटेट करने के लिए बने हुए हैं....

श्री अध्यक्ष : आप इसको काहे को इन्टरप्रिटेट कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक प्रार्थना है। अध्यक्ष महोदय, आप उस मोशन को पढ़ेंगे तो उसकी गम्भीरता को समझेंगे, उसके महत्व को आप समझेंगे। इसलिये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसको आप 119 में ही लिस्ट करें अन्यथा महत्वहीन हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। बिराजिये आप। प्रोफेसर केदार।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : अध्यक्षजी, आज अभी सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने एक स्पेशल नोटिस दिया है कि आपकी मार्फत कि गोलूवाला एक सैन्ट्रल प्लेस है हमारे जिले में। चारों तरफ से रोड से वैल कनेक्टेड है। बहुत बिजी मंडी है। शाम को साढ़े छः, 7 बजे मारुति कार में पांच आदमी हथियार बन्द होकर कारखाने में घुसे और दो नौजवानों को लेकर चले गये। अब मैं यह नहीं कह सकता, पंजाब के इलेक्शन के बाद यह फाल आउट हो सकता था और भी केज्युलिटीज हो सकती है। सरकार इसमें विजिलेंट काफी है, इसमें कोई शक नहीं है मगर इसके लिये बहुत स्पेशल मेजर्स, स्पेशल एफर्ट्स हो ताकि यह सारा ट्रेस हो सके कि यह पर्सनल एनिमिटी है, या प्रोफेशनल रेवेन्युनिरी है या मिलीटेन्ट्स का एक्शन है। माननीय अध्यक्षजी, इसके बारे में राज्य सरकार आज स्टेटमेंट दे। हमारे इलाके में ही नहीं, आस-पास के इलाके में बहुत बड़ा भय, बहुत बड़ा असंतोष और बहुत ही निराशा फैल गई है कि पंजाब में इलेक्शन के बाद सबसे पहले गोलूवाला केज्युलिटी का शिकार हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस गम्भीर घटना की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है लेकिन इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से जो प्रयास किये जा रहे हैं उनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। किन-किन व्यक्तियों पर सन्देह किया गया है, किन-किन से पूछताछ हो रही है, मैं समझता हूं कि उस विवरण में जाना अभी उचित नहीं होगा। पंजाब के आतंकवादी श्री गंगानगर जिले को आतंकवाद के क्षेत्र में लेना चाहते हैं। कई वर्षों से उनका इस प्रकार का प्रयत्न रहा है लेकिन अभी तक वह कामयाब नहीं हुए हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

छुटपुट घटनाएं अवश्य होती हैं और श्री गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि इन घटनाओं के कारण श्री गंगानगर जिले के प्रशासन ने किस प्रकार से कार्यवाही की है और उनको कितनी सफलता मिली है। आज भी मैं उनको विश्वास से कह सकता हूं कि दो बच्चे उठे हैं उसके कारण जो भी पुलिस या प्रशासन द्वारा किया जा सकता है वह कर रहे हैं। नाकाबंदी भी की है लेकिन मेरी यह मान्यता है कि पुलिस इसमें जो एफर्ट्स कर रही है उसको एक्सपोज न किया जाये जिसके कारण उनको किसी प्रकार का रास्ता मिले, कोशिश पूरी होगी। इस आतंकवाद से निपटने के लिये जो भी राज्य सरकार कार्यक्रम बनाकर चल रही है उस कार्यक्रम पर चलेंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि पंजाब में जिस प्रकार से चुनाव हुए हैं, आज और कल से समाचार पत्रों में जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, जिन लोगों ने वोट डाले हैं गांवों में आतंकवादी जा रहे हैं, एक-एक से पूछ रहे हैं, जिन्होंने वोट डाले हैं उनकी हत्यायें कर रहे हैं। उसका फाल आउट गंगानगर में निश्चित रूप से होगा, मैं इसको मना नहीं करता। न केवल गंगानगर में ही होगा, बल्कि अन्य राज्यों में भी फाल आउट होगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम सबको इसके लिये सतर्क रहने की आवश्यकता है कि आतंकवादियों के मन्सूबे किसी प्रकार से पूरे न हों।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य डेयरी फैडरेशन को नेशनल डेयरी फैडरेशन में हस्तान्तरित किया गया है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे समय में जब विधान सभा का सत्र चल रहा है, राज्य सरकार को इस सदन को विश्वास में लेना चाहिये था। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कितना घाटा है और घाटे की पूर्ति के बाद फैडरेशन को....

श्री अध्यक्ष : इस सवाल को सत्र में आप विधिवत उठा सकते हैं। यह शून्यकाल का विषय नहीं है। बिराजिये आप माननीय सदस्य। डा. चन्द्रभान, बोलिये आप।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इस सदन को विश्वास में नहीं ले सकती थी सरकार....

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत उठाइये....

श्री ईश्वरलाल सैनी : जानकारी देने में क्या है आज दे दे, कल दे दे।.... (व्यवधान) पेपर में सत्र के समय में पढ़ा है....

श्री अध्यक्ष : सदन की प्रक्रिया है, आप जानकारी ले सकते हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी, मशीनरी की क्या स्थिति होगी....

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत उठाइये, आपको जानकारी मिल जायेगी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : कितने सालों के लिये दिया गया है, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी, यह तो कम से कम सरकार को बताना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि इस समय राजस्थान के तमाम सरकारी महाविद्यालयों के करीब 600 से ज्यादा अस्थाई शिक्षक विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और जब भी विधान सभा का सत्र आता है यह लोग अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हैं और इनकी मांग एक वाजिब मांग है, मैं मुख्य मन्त्री जी से, जो उच्च शिक्षा के भी प्रभारी मन्त्री हैं ...

एक माननीय सदस्य : वह नहीं हैं।

डा. चन्द्रभान : अभी भी हैं, आपकी जानकारी सही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दे दिया है।

डा. चन्द्रभान : वह केवल अखबारों में दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह लेक्चरर्स, दस-दस, बारह-बारह साल से टेम्परेरी चले आ रहे हैं। इनमें से कई लोग ओवर ऐज हो गये हैं। सरकार इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सरकार इस तरह की व्यवस्था या नीति बनाये कि इन लोगों को नियमित किया जा सके। बार-बार जब भी सत्र चलता है इन्हें नहीं आना पड़े। इससे छात्रों के अध्ययन पर भी विपरीत असर पड़ता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज इनकी हड़ताल है, कल मेडिकल कालेज टीचर्स की होगी, फिर इन्जीनियरिंग कालेज के टीचर्स की होगी और जब शिक्षक लोग जो उच्च शिक्षा से सम्बन्ध रखते हैं, सड़कों पर आयेंगे तो उससे शैक्षणिक वातावरण बिगड़ेगा। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में नीति बनायें और इनको नियमित करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम जी। एक मिनट रुकें। माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने शिक्षकों के सम्बन्ध में व्याप्त समस्याओं की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। यह समस्या आज की तो है नहीं, यह समस्या दो वर्ष में पैदा हुई हो, इस प्रकार का यह समस्या नहीं है।

डा. चन्द्रभान : नहीं, पहले की है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले की समस्या का समाधान आप नहीं करोगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर रहा हूं, आप सुनिये।

मैं यह नहीं कह रहा कि आज कोई अचानक यह समस्या पैदा हो गयी और इसका तुरन्त समाधान करना है। कल्ला साहब भी इस समस्या से मेरे से ज्यादा परिचित हैं। इस समस्या का समाधान करने में हमारी तरफ से कई बार चर्चा हुई है और मैं विश्वास करता हूं कि इस सदन का सत्र स्थगित होने से पहले-पहले इन टीचर्स और यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स के स्थायीकरण और इन सब मामलों का निपटारा हम निश्चित रूप से कर देंगे और इसकी जानकारी मैं सदन में भी दे दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अकेले स्थायीकरण की बात थोड़े ही है।

श्री रामनारायण वर्मा : ऑन ए पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सैकड़ों लोग टाडा में बन्दी हैं। बीमार हैं, टीबी के मरीज हैं। आज वे धरने पर बैठे हैं पहली दफा।

श्री अध्यक्ष : कौनसा है ?

श्री रामनारायण वर्मा : टाडा में बन्दी जो बीमार हैं, मरीज हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। ऐसे केसेज में सरकार को चाहिए कि मानवीय दृष्टिकोण पर लोगों को रिहा करने की कोशिश करें, उनके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करें और माननीय मुख्य मन्त्री जी उनसे बात करें।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। चलिये।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

गंगानगर जिले में डोडा पोस्त सेवन करने वालों की बढ़ती संख्या

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत एक मानवीय समस्या की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आबकारी मन्त्री महोदया यहां बैठी हैं।

गंगानगर जिले में आबकारी विभाग की छत्रछाया में डोडा पोस्त सेवन करने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राजस्थान सरकार ने लगभग 6-7 वर्ष पहले इसका सर्वे कराके सेवन करने वाले लोगों को लाइसेंस जारी किये और यह तय किया कि उनको जितना पोस्त दिया जायेगा उसकी अगले सालों में मात्रा कम करके धीरे-धरे आदत छुड़वायी जायेगी और जितने लाइसेंस बन गये उनकी संख्या भी कम की जायेगी। उस समय जिले में केवल साढ़े चार हजार लोग पोस्त का सेवन करने वाले थे, परन्तु अब वह संख्या बढ़कर 40 हजार हो गयी है। पंजाब और हरियाणा के बार्डर के जिलों से बहुत से लोग राजस्थान में आ गये और स्वयं गंगानगर जिले में भी गरीब खेतिहर मजदूरों से भारी काम लेने के लिए चाय में पोस्त डालकर बड़े बड़े जमींदारों द्वारा उनको आदी बनाया जाता है। स्थिति यह है कि कई बार पोस्त के ठेकों पर लूटपाट हुई है। मारपीट की घटनाएं आये दिन होती हैं। पंजाब से आये पोस्ती चोरी इत्यादि जुर्म भी करते हैं। केवल साढ़े चार हजार लोगों को पोस्त दिया जाता है पर ठेकेदार चोरी छिपे तस्करी करके सभी पोस्तियों को डोडा सप्लाई करते हैं और इसका भाव 80 रुपये की अपेक्षा 300 रुपये प्रति किलो होता है। जिले भर में यह लूट दिन-दहाड़े पुलिस की नाक के नीचे चलती है। इस मानवीय समस्या से हजारों नोजवान पीड़ित हैं, जिन की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार ने इसके सेवन को सीमित करते हुए कम करने का प्रोग्राम बनाया था, जो अब इस बात में दिलचस्पी न लेकर अपरोक्ष रूप से बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार अगर इनको छुड़वाने का इलाज नहीं कर सकती तो इन हजारों लोगों को ठेकेदारों की लूट से तो बचाये। पोस्त के लाइसेंस शुदा जब कुछ ही लोग हैं तो ठेकों पर पोस्त चूरी इतनी तादाद में कैसे पहुंचती है ? किस प्रकार वह सरेआम लोगों को पहुंचायी जाती है ? राज्य सरकार इसका नये सर्वे करवाकर पोस्त सेवन करने वाले लोगों को पुन: रजिस्टर करे और उनकी

(श्री हेतराम बेनीवाल)

असली संख्या का पता लगाये। जो लोग अब सेवन करने के आदी हैं और जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उन्हें डाक्टरों की सहायता से इससे छुटकारा दिलाने का प्रबंध करें। उनकी मानसिक अवस्था देख कर ठेकेदार उनको लूटते हैं, समाज उनसे घृणा करता है। ऐसे लोग गलत कार्यों की ओर मुड़ेंगे। चिकित्सक की राय पर ऐसे सभी लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था राज्य सरकार करे।

श्रीमती विद्या पाठक (आबकारी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 295 के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज उठाया है। अफीम और उसके सब्स्टीट्यूड डोडा पोस्त की हमारे बार्डर देशों से एक अनडिक्लेयर्ड वार जैसी शुरू हो गयी है। आपकी बतायी हुई समस्या उसी का हिस्सा है। यह सही है कि 1987 में कुछ लाइसेंस इश्यू किये गये थे मेडिकल सुपरविजन के अन्तर्गत, जो डोडा पोस्त के एडिक्ट थे उन लोगों को। तब संख्या निश्चित रूप से कम रही होगी क्योंकि बहुत से लोगों ने तब भी लाइसेंस बनवाये नहीं। परन्तु उसके बाद आदत और भी लोगों की बढ़ गयी हो, यह काफी सम्भव है।

जहां तक डीएडिक्शन सेण्टर्स का सवाल है, स्वयंसेवी संस्थाएं इस विषय में आगे आ रही हैं। सरकार की तरफ से इस तरह की कोई योजना नहीं हैं, हालांकि सुविधा दी जाती है अस्पतालों में या डाक्टर्स के माध्यम से। पर स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसे क्षेत्रों में आगे आएं, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जहां तक आपने कहा कि वहां के ठेकेदार कहीं अन्यत्र से प्रोक्योर करते हैं, तो इसकी रोकथाम की पुलिस और नारकोटिक्स विभाग द्वारा भी व्यवस्था की जाती है और एक्साइज डिपार्टमेण्ट को भी हिदायत दी जा रही है कि इस विषय में अधिक सावधान रहे।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीकिशन सोनगरा। (अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर सैनी।

जिला दौसा में शहर बांदीकुई को उप जिला घोषित करने के सम्बन्ध में

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : मान्यवर, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निम्नांकित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन में उठाना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने 6 मार्च, 1991 को तीन नये जिले बनाये, जिनमें जयपुर जिले के विस्तृत स्वरूप को देखते हुए दौसा को भी जिला घोषित किया गया। दौसा जिले में वर्तमान में चार तहसीलें हैं - दौसा, बांदीकुई, सिकराय और लालसोट। दौसा जिले में दौसा के बाद सबसे प्रमुख नगर बांदीकुई है, जो सदैव से भौगोलिक व जलवायु का उत्तम स्थल रहा है तथा जहां एम.जे.एम. न्यायालय से लेकर जिला स्तर तक की सभी अदालतें व सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक की अदालतें भी वर्षों से कार्यरत हैं। सुप्रसिद्ध कृषि उपज मण्डी, राजकीय महाविद्यालय, रैफरल अस्पताल, छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, सहायक अभियन्ता

(श्री रामकिशोर सैनी)

कार्यालयों के साथ ही हजारों श्रमिकों वाला रेल्वे लोको शेड, रेल्वे कालोनी, रेल्वे अस्पताल, रेल्वे हायर सैकण्डरी स्कूल एवं रेल्वे का जंक्शन स्टेशन इस नगर की विशिष्टता है, जहां से हर समय अजमेर, दिल्ली और आगरा के लिए रेलों का आवागमन रहता है। सभी प्रमुख गाड़ियों का यहां स्टोपेज है यह राजस्थान रोडवेज का भी प्रमुख केन्द्र है। अतः जनहित की दृष्टि से एक अनिवार्य एव उचित मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर बांदीकुई को उप जिला घोषित किया जाय ताकि राजस्थान सरकार की मशा के अनुसार जनता को सस्ता न्याय सुलभ हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री सोनगरा।

अजमेर में राजकीय गर्ल्स महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, आज अजमेर जिले के सारे वकीलों ने अजमेर कलक्ट्री पर धरना दे रखा है। सम्पूर्ण जिले में वकील आन्दोलित हैं। उनका यह कहना हैकि अजमेर अपने आप में एक राज्य था। राजस्थान में उसे मिले हुए 36 वर्ष हो गये, किन्तु उसकी बराबर उपेक्षा हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में अजमेर से धीरे-धीरे एक-एक कार्यालय स्थानान्तरित हुए। अजमेर जिला एवं सैशन न्यायालय तो जैसे केवल तहसील की कोर्ट ही बनाकर रख दिया गया है।

अजमेर में रेल्वे व सी.आर.पी.एफ. व नसीराबाद में भारतीय सेना का सर्वाधिक बड़ा केन्द्र है फिर भी उसके बाद केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा अभिकरण अजमेर में न स्थापित कर राज्य में अन्य स्थान पर स्थापित कर दिया गया है। यह अजमेर के साथ अन्याय हुआ है। कृपा कर अब अजमेर में सर्किट बैंच की स्थापना कर आघात पर मरहम लगाने की कृपा करें। राव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व मण्डल के रूप में अजमेर को जो कुछ मिला था वह यह था कि अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना हो। मगर सस्ते न्याय के कारण हमारी राजस्व मण्डल की सर्किट बैंच अन्य स्थानों पर जाने लग गई है। अब हमारी यह मांग है कि सस्ते न्याय के आधार पर राजस्थान में अजमेर मध्य में स्थित होने के कारण हाई कोर्ट की बैंच की अजमेर में स्थापना कर दी जाती है तो लोगों को जिस तरह से रेवेन्यू बोर्ड की सर्किट बैंच बनाई गई है उसी तरह से हाई कोर्ट की बैंच की भी अगर अजमेर में स्थापना हो जाती है तो लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा।

एन. डी. पी. एस. एक्ट के मुकदमों के लिए जो नया न्यायालय सरकार स्थापित करने जा रही है उसके लिए उत्तम स्थान राजस्थाय के मध्य में होने से अजमेर है। आर्थिक अपराधों के लिए ए.सी.डी. कोर्ट्स, मोटर वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति अभिकरण, श्रम अभिकरण आज अजमेर में अविलम्ब स्थापित करना आवश्यक है। अजमेर एक ऐसा शहर है राजस्थान में जहां सबसे पुरानी बार है और जिसके 650 के करीब वकील सदस्य हैं। यह सब सारी स्थितियां होने के बावजूद अजमेर की उपेक्षा हुई है उसकी वजह से यहां के वकीलों और जनता में आक्रोश है।

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

मैं आशा करता हूं कि विधि मन्त्रीजी इस बारे में कुछ सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इस बारे में हमको कुछ आश्वासन देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार।

साई नदी पर बरजोड़ पुलिया बनाने बाबत

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : नियम 295 के तहत मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली गिरासिया एरिया में साई नदी पर बरजोड़ पुलिया बनाये जाने के सन्दर्भ में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी मेरे बाली विधान सभा क्षेत्र में साई नदी पर बरजोड़ पुलिया बनाये जाने की मांग की थी। परन्तु पता नहीं किन कारणों से सरकार ने इस पर अभी तक गम्भीरता से विचार नहीं किया है जबकि अन्य जगहों पर इस प्रकार की पुलियाओं का निर्माण हो रहा है। परन्तु वास्तविकता में जहां बहुत जरूरी है, जहां जिन्दगी और मौत का सवाल है, एक बार बरसात होने के बाद सारा रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। गरीब गिरासिया

(12 42 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

भील, मीणा आदि कहीं भी आ-जा नहीं सकते, रास्ता बन्द हो जाता है, केस बन जाने पर पेशियों पर नहीं जा सकते जिसके कारण से जुर्माना और जेल की सजा भुगतनी पड़ती है, खाने-पीने के लाले पड़ जाते हैं तथा पहाड़ी एरिया में अन्य दुकानें नहीं होने के कारण दो समय का खाना भी उनको नसीब नहीं हो पाता, भीख मांगने की नौबत आ जाती है, पानी पीकर या अन्य चीज खाकर दिन निकालने पड़ते हैं।

मैंने पूर्व में भी मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुका हूं परन्तु इस संबंध में आज तक गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है। हमारी सरकार ने बार-बार घोषणाएं की हैं कि गिरासिया, भील, मीणा गरीब, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए हर तरह से प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको सुख-सुविधाएं मिलें, उनके कल्याण के लिए हर तरह से प्रयत्न किए जा रहे हैं फिर इस बरजोड़ पुलिया के निर्माण के लिए क्यों देर की जा रही है।

मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि इसी मार्च माह में या अकाल राहत कार्यों के तहत गिरासिया या बाली में बरजोड़ पुलिया बनाई जाय। इस पुलिया के निर्माण हेतु एस्टिमेट भी कभी का भेज दिया गया है, परन्तु पूर्व सरकार ने कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया। आजादी के 40 साल बाद भी इस जाति के विकास के लिए कोई कार्य नहीं हुआ। अतः इस पुलिया का निर्माण करवा कर गिरासिया जाति को तुरन्त राहत पहुंचाई जाय।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : पुलिया निर्माण हो जायेगी तो भीख नहीं मांगेंगे ?

श्री अमृतलाल परमार : साहब, अर्ज यह है कि इस नदी के आने पर सारे रास्ते बन्द हो जाते हैं, वह लोग कहीं आ-जा नहीं सकते, पेशियां चूक जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह जी ।

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा के पेपर गायब हो जाने के सम्बन्ध में

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की ओर अपने 295 के विशेष उल्लेख के द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी ।

एक बहुत महत्वपूर्ण मसला था, परन्तु माननीय शिक्षा मन्त्रीजी यहां पर नहीं हैं ।

मान्यवर, झुन्झुनू जिले में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं दिसम्बर, 1991 में दिनांक 10.12.1991 से प्रारम्भ होनी थीं । कक्षा नवीं के इस परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के दो बण्डल राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेतड़ी नगर में परीक्षा से पूर्व ही गायब हो गए जिसकी सूचना 10.12 1991 को ही राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनू को दे दी थी । परन्तु सूचना मिलने के उपरान्त भी जिला शिक्षा अधिकारी ने परीक्षाओं का कार्यक्रम यथावत रखा । परीक्षा के प्रश्न-पत्रों के आउट होने का फायदा पूरे जिले में असामाजिक एवं भ्रष्ट लोगों ने खूब उठाया तथा विद्यार्थियों से लाखों रुपये ऐंठे । 13 दिसम्बर को केन्द्रीय विद्यालय, खेतड़ी नगर के एक बाबू के घर से पुलिस ने यह परीक्षा पत्र बरामद किए । परन्तु उससे पूर्व ही प्रश्न-पत्र गायब करने वालों ने लाखों रुपयों के वारे-न्यारे कर लिए ।

प्रश्न-पत्रों के 10.12.1991 को गायब होने के उपरान्त भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.12.1991 तक परीक्षाओं का कार्यक्रम यथावत रखा गया व सब-डिविजनल अधिकारी, झुन्झुनू जो उस समय जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनू का कार्य कर रहे थे उनके आग्रह पर दिनांक 19.12.1991 को कक्षा नवीं की अर्द्ध-वार्षिक परीक्षा निरस्त करने की जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई ।

अर्द्ध वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों के दो बण्डल गायब होना व तीन दिन बाद वापस मिलने के पश्चात् भी इस महत्वपूर्ण एवं नाजुक मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा तुरन्त कार्यवाही न करना, विभागीय लापरवाही का नमूना तो है ही तथा जिला शिक्षा अधिकारी की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह भी लग गया है । प्रश्न-पत्रों के आउट होने से परीक्षा की गोपनीयता ही भंग नहीं हुई है अपितु अवांछित तत्वों को इन प्रश्न-पत्रों का दुरुपयोग करने का भरपूर अवसर मिला तथा विद्यार्थियों को लूटने का भी पूरा मौका मिला । इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से अपरोक्ष रूप से शिक्षा विभाग ने भी पूरा सहयोग दिया है ।

मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जिलाधीश, झुन्झुनू ने इसकी जांच करने के लिए शिक्षा आयुक्त को अपनी ओर से लिखा है कि वे इस सम्बन्ध में निष्पक्ष और विस्तृत जांच करायें जिससे दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके तथा इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, परीक्षा की गोपनीयता बनी रहे । शिक्षा मन्त्रीजी जरूर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री): माननीय सदस्या ने प्रश्न पत्र आउट हो जाने के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध में मैं आज ही जिलाधीश से चर्चा करूंगा और चर्चा करने के बाद में आवश्यकता हुई तो सम्भागीय आयुक्त से इसकी जांच कराने का आज ही निर्णय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल जी मीणा। (अनुपस्थित)। माननीय श्री अनंग कुमार जैन। (अनुपस्थित)। माननीय श्री चुन्नीलाल गरासिया।

राजस्थान की भाषाई अकादमियों की दयनीय स्थिति

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत इस समय 7 भाषाई अकादमियां हैं। इसी तरह से कला संस्कृति के अन्तर्गत दो अकादमियां कार्यरत हैं। इन अकादमियों की समस्याओं और वहां के कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा न होने के फलस्वरूप भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है और विभिन्न अकादमियों में कर्मचारी संघों के गठन के फलस्वरूप एक तीव्र असंतोष कर्मचारियों में उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण राज्य की साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में गतिरोध उत्पन्न होने का खतरा पैदा हो गया है। इस सन्दर्भ में तत्काल उपाय नहीं किए गए तो परिस्थितियां विषम हो जायेंगी और समाज तथा संस्कृति की अपूरणीय क्षति होगी जिसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है।

राज्य की अकादमियां अपने-अपने विधान के अनुरूप कार्य कर रही हैं और इनका वैधानिक स्टेटस नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार ने 30 वर्ष होने को आए आज तक गम्भीरता से विचार नहीं किया और न सोचा है। अकादमियों के प्रति उपेक्षा भाव के फलस्वरूप इनका कोई नियोजित विकास नहीं हो सका। आज इसका परिणाम है कि अनेक भाषाई अकादमियां छोटे-छोटे स्तर पर बन गई और सरकार ने उनके प्रति एक उपेक्षा भाव बना लिया है। अकादमियों को जो अनुदान दिया जाता है उसके सन्दर्भ में न कोई नीति बनाई गई है और न पर्याप्त अनुदान उन्हें मिलता है। आज भी ये अकादमियां किराए के भवनों में चल रही हैं।

राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी में अध्यक्ष और सचिव को लेकर गम्भीर गतिरोध पैदा हो गया है। इस वर्ष इस अकादमी के न तो कोई आयोजन हो सके हैं और न ही किसी संस्थाओं; पत्रिकाओं को या लेखकों को सहयोग दिया जा सकता है। पुरस्कार भी नहीं वितरित किए गए हैं। एक प्रकार से राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के कार्य-कलाप ठप्प हैं और राज्य सरकार निरीह भाव से इसे देख रही है। यह बेहद आश्चर्य की बात है कि इन अकादमियों के खाते का अंकेक्षण राज्य स्तर पर नहीं किया जाता। महालेखाकार या स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने इन अकादमियों का कोई आडिट अभी तक नहीं किया है यदि आडिट किया है तो स्थानीय अंकेक्षण विभाग की आडिट रिपोर्ट गत दो वर्षों की सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाए ताकि इनके व्यय का औचित्य ज्ञात हो सके।

Page No. 74

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

अकादमियों के कर्मचारियों के सेवा नियम अभी तक नहीं बन रहे हैं। यह एक विस्मयकारक तथ्य है कि सरकार ने अकादमियां तो बना दीं लेकिन उनके कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा नहीं की। कुछ अकादमियां राज्य सेवा नियमों को अपनाए हुए हैं तो कुछ अकादमियां मनमाने तौर पर अपने नियम या अध्यक्षों के नियम मान रहे हैं। इनके कर्मचारियों को पेंशन सुविधा देने का वायदा राज्य सरकार ने पांच भाषाई अध्यक्षों की बैठक दिनांक 30 अप्रैल, 1987 में किया था। तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीजी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को हुए आज लगभग पांच वर्ष होने जा रहे हैं लेकिन सरकार वित्त विभाग से इस मामले में परीक्षण नहीं करा पाई है और न कोई आदेश ही जारी कर पाई है। जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर परिषद्, नगर पालिकाएं, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, पाठ्य पुस्तक मण्डल, रोडवेज आदि में पेंशन की सुविधा लागू कर दी है। इस उपेक्षा से इन अकादमियों के कर्मचारी खिन्न हैं और आन्दोलन के मूड में हैं। इन अकादमियों में सचिवों की स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। कुछ अकादमियों में सचिव नियुक्त व प्रति-नियुक्त हैं। कुछ अकादमियों में वे मानद रूप से कार्यरत हैं। पदों की कोई एकरूपता नहीं है। उनके वेतनमान अत्यन्त अल्प हैं। राज्य स्तरीय इन अकादमियों के कार्यालय अध्यक्ष के वेतनमान 2500-4250 (सं.-17) है जबकि जिला शिक्षा अधिकारी का वेतनमान, उप निदेशक, गजेटियर सेवा, सहायक निदेशक परियोजना या उप निदेशक पुरातत्व संग्रहालय का वेतनमान (सं.-19) है। निदेशक, अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान का वेतनमान सं.-22 है तो उप निदेशक, शिक्षा विभाग, प्रधानाचार्य, सादूंल पब्लिक स्कूल, प्राचार्य संगीत संस्थान का वेतनमान सं.-20 है। अभी राज्य सरकार ने 1 फरवरी, 1992 को जो वेतनमान संशोधित किए हैं उनमें तकनीकी शिक्षा के सहायक निदेशक का वेतनमान संशोधित कर 19 कर दिया है। इसी तरह एस. टी. सी. स्कूल के प्राचार्य का वेतनमान सं.-20 और प्राचार्य कालेज प्रिन्सिपल का वेतनमान-22 किया गया है। ऐसी स्थिति में तकनीकी ज्ञान और राज्य भर में कार्यरत अकादमियों के सचिवों के वेतनमान पर पुनर्विचार न होना, सचिवों के असन्तोष का कारण बनता जा रहा है। परिणामस्वरूप अकादमियों में एक गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है।

अकादमियों के अध्यक्षों की प्रास्थिति और उनकी सुविधाओं को लेकर भी अध्यक्षों ने अपना संघ बना लिया है। जिसकी बैठकें 10.8.90 और 3.11.91 को सम्पन्न हो चुकी है। जिसमें उन्होंने अपनी सुविधाओं और स्टेट्स की मांग करते हुए राज्य सरकार को ज्ञापन दिए हैं। इस प्रकार राज्य की अकादमियों में एक तीव्र असन्तोष अन्दर ही अन्दर देखने में आ रहा है जो कभी भी विस्फोटक रूप ले लेगा। यह स्थिति राज्य की सांस्कृतिक और साहित्यिक वातावरण की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जा सकती है।

समय रहते राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर अकादमियों को उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। अकादमियों में जो पुस्तकों के भण्डार हो रहे हैं उन्हें

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

भी निकाले जाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। समय रहते सरकार से अकादमियों की भयावह स्थिति का हल करने का अनुरोध है और यही औचित्य का बिन्दु विचारार्थ प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह राज्य मन्त्री थे उस समय अगर सरकार के ध्यान में लाते तो निश्चित रूप से अब तक इसका फैसला हो जाता। आज उन्होंने कष्ट किया है लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरधारामजी चौधरी।

मकराना में मार्बल की खानों से निकलने वाले मलबे को डालने के लिए डम्पिंग एरिया बनाए जाने के सम्बन्ध में

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के ध्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाना चाह रहा हूं। मकराना की एक बहुत बड़ी समस्या मैं 295 के तहत अर्ज कर रहा हूं। मकराना संगमरमर का एक बहुत ही बड़ा कस्बा है। मकराना में निकलने वाले संगमरमर की खानों के मलबे एवं फैक्टरियों से निकलने वाले मलबे को डालने बाबत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मकराना एक संगमरमर मार्बल का सबसे बड़ा क्षेत्र है इसमें सैकड़ों मार्बल की खाने हैं उक्त खानें कई सालों से चल रही हैं। उक्त खानों को खनन कार्य का पट्टा जारी किया जाता है लेकिन खानों से निकलने वाला मलबा कहां डाला जाए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती, जिससे आज बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है। कोई डम्पिग क्षेत्र नहीं है।

इसी प्रकार मकराना में मार्बल चिराई की औद्योगिक इकाइयां हैं। उक्त मार्बल चिराई से एक तरह का पाउडर निकलता है उसको डालने बाबत भी कोई क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार खानों का मलबा व फैक्ट्रियों का मलबा सड़कों, रास्तों व जहां पर भी सार्वजनिक स्थान मिला वहीं पर मलबा डाल दिया जाता है जिससे जनता को बड़ी भारी परेशानी हो रही है। यदि सड़क का निर्माण करवाया जाता है तो उसको मलबा डालकर पाट दिया जाता है। मलबे से भूमि बर्बाद की जा रही है।

अत: निवेदन है कि मकराना मार्बल की खानों से निकलने वाला एवं फैक्ट्रियों से चिराई से निकलने वाला मलबा डालने के लिए किसी क्षेत्र का सर्वे किया जाकर अलग से डम्पिग एरिया बनाया जाए और इसकी सुरक्षा की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री कालूलाल गुर्जर (राज्य मन्त्री, खनिज) : उपाध्यक्ष महोदय, मकराना की संगमरमर की जो खानें हैं और उनसे निकलने वाले मलबे को डालने की समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। मैं इसके बारे में यह बताना चाहता हूं कि हमने जिला प्रशासन कलेक्टर साहब को एक पत्र लिखा है और उनके लिए अलग से एक मलबा डालने की जगह उनसे मांगी है। जैसे ही वह जगह उपलब्ध करा देंगे, हम

(श्री कालूलाल गुर्जर)

खान मालिकों को डाइरेक्शन देंगे कि वह सारा मलबा उसी जगह डालें जहां व्यवस्थित रूप से मलबा डाला जा सकता है।

राजस्थान विश्व-विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा आन्दोलनात्मक कदम उठाने हेतु

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत मुख्य मन्त्रीजी, शिक्षा मन्त्रीजी तथा उप शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान विश्व विद्यालय, महाविद्यालय शिक्षक संघ तथा राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा आन्दोलनात्मक कदम उठाने के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

रूक्टा एवं राजस्थान शिक्षक संघ शिक्षकों की मांगों को पारस्परिक वार्ता एवं सद्भाव के साथ सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं परन्तु राज्य के राजकीय एवं गैर राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्व विद्यालयों एवं विद्यालयों के शिक्षकों की मांगों पर राज्य सरकार ने अत्यन्त ही उपेक्षा तथा विलम्ब की नीति अपना रखी है।

गत वर्ष भी इन्हीं मांगों को लेकर शिक्षकों ने विधान सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए 20 मार्च, 1991 को प्रदर्शन किया था। उस दिन मुख्य मन्त्रीजी ने शिक्षकों को आश्वस्त किया था कि विधान सभा का सत्र समाप्त होते ही विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर सभी मांगों पर एकमुश्त निर्णय लेंगे। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं मुख्य मन्त्री जी ने क्रमश: 30 अगस्त एवं 11 अक्टूबर, 1991 को बैठकें लीं, अनेक बिन्दुओं पर निर्णय एवं सहमति हुई। शिक्षक प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया कि निकट भविष्य में ही इनकी क्रियान्विति होगी। खेद का विषय है कि अनेक परिपत्र, ज्ञापन देने एवं प्रतिनिधि मण्डलों की भेंट के बावजूद गत प्रदर्शन के पश्चात् लगभग एक वर्ष का समय व्यतीत होने के बाद भी किसी भी समस्या का समाधान तो दूर वरन् प्रशासनिक हठधर्मिता के कारण समस्याएं और बढ़ी हैं। इन परिस्थितियों में रूक्टा एवं राजस्थान शिक्षक संघ को विधान सभा के समक्ष पुन: प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ा है।

प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार हैं :–

(1.00 म. प.)

(1) महाविद्यालयों के पुस्तकालयों एवं व्यायाम प्रशिक्षकों को राज्य के वेतनमानों से पृथक कर 1.4.80 एवं 1.1.86 से यू. जी. सी. द्वारा अनुशंसित वेतनमान दिये जायें। जिनके लिए केन्द्र से अस्सी प्रतिशत पैसा राज्य सरकार ने 1980 में ही प्राप्त कर लिया था।

(2) गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में राजकीय शिक्षण संस्थाओं के समान मकान किराया भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, चिकित्सा पुनर्भरण, अवकाश नकदीकरण, पेंशन व ग्रेच्युटी एवं कोषागार से वेतन भुगतान की व्यवस्था लागू की जाय तथा शिक्षा विधेयक पर राष्ट्रपतिजी की सहमति अविलम्ब प्राप्त की जाय। यह खेद का विषय

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

है कि सम्पूर्ण प्रान्तों के अन्दर शिक्षा विधेयक, एजूकेशन एक्ट है लेकिन राजस्थान में इस एक्ट को बनाने में इतना विलम्ब हो रहा है।

(3) राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों में दस-दस वर्षों से अस्थाई रूप से कार्यरत व्याख्याताओं को अविलम्ब स्थाई करने के आदेश जारी किये जायें।

(4) चयन के पूर्व की गई स्थाई व अस्थाई सेवा का लाभ देते हुए 1990 एवं 1991 में महाविद्यालयों में वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमानों के लिये पात्र हुए शिक्षकों की संवीक्षा कर पदस्थापन आदेश जारी किये जायें।

(5) विश्वविद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा पारिश्रमिक की दरों को संशोधित करने के आदेश अविलम्ब जारी किये जायें।

(6) यू. जी. सी. वेतनमान योजना के शेष प्रावधानों (रीडर का पदनाम, सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष तथा अस्थाई शिक्षकों को एम. फिल/पी. एच. डी के लिये अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ) को लागू किया जाय।

(7) राजस्व अधिकारियों को दिये गये विद्यालय निरीक्षण के अधिकार का आदेश अविलम्ब वापस लिया जाय। जबकि विभाग में सुपरवाइजर स्टाफ की कमी नहीं है। एडीशनल डाइरेक्टर से लेकर डिप्टी इन्सपेक्टर तक सुपरविजन करने वाले लोग हैं उसके बाद भी रेवेन्यू के लोगों को यह अधिकार देकर शिक्षकों की गरिमा को कम किया गया है यह अधिकार उन्हें वापस लिये जाने आवश्यक है।

(8) रूक्टा एवं राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र की शेष मांगों पर अविलम्ब निर्णय किया जाय।

उपरोक्त समस्याओं पर अविलम्ब निर्णय की आवश्यकता है। रूक्टा एवं राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा सरकार को पत्रों एवं भेंट वार्ताओं द्वारा शिक्षकों में व्याप्त व्यापक असन्तोष की जानकारी निरन्तर दी जाती रही है। सरकार की उपेक्षा से त्रस्त होकर ही शिक्षकों को विधान सभा के समक्ष पुन: प्रदर्शन करने का निर्णय करना पड़ रहा है।

मैं इसी के साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने व्याख्याताओं, स्कूली शिक्षा व प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा का वेतनमान एक कर दिया था इससे प्रधानाध्यापक से ऊपर के सभी राजपत्रित अधिकारी असन्तुष्ट है। वे अनेक बार सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं परन्तु इस अन्याय को सरकार दूर नहीं कर पा रही है और परिणाम यह है कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं। केवल एक संगठन को प्रसन्न करने के लिए, एक राजनैतिक दल के, अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहूंगा कि जो पिछली सरकार थी उसने शिक्षा मन्त्री पर दबाव डालकर यह गलत काम शिक्षा विभाग से करवा लिया और इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं कि गलत हुआ है। देश में ऐसा कोई प्रान्त नहीं है जहां प्रधानाध्यापक का वेतन कुछ अलग नहीं हो क्यकि वह तो प्रशासनिक दृष्टि से काम करता है।

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

मैं राजस्थान सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस असंगति को दूर करके शिक्षक जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके अन्दर जो फ्रस्टेशन पैदा हो रहे हैं उसे दूर किया जाय। जो विसंगति है उसे निश्चित रूप से दूर किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शान्तिलाल।

राजसमंद हिन्दुस्तान जिंक दरीबा द्वारा खनन से उत्पन्न पानी का संकट

श्री शान्तिलाल (राजसमंद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत रेलमगरा जिला राजसमंद में हिन्दुस्तान जिंक दरीबा द्वारा खनन निकालने की प्रक्रिया एवं खाड़ी की अधिक गहराई से क्षेत्र में पानी का संकट पैदा होने के कारण तहसील में किसानों द्वारा राहत के लिए आन्दोलन होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में माननीय मुख्य मन्त्रीजी एवं सिचाई मंत्री जी द्वारा हस्तक्षेप कर समस्या का निराकरण कराने के लिए आग्रह करूंगा।

महोदय, रेलमगरा तहसील के राजपुरा दरीबा से हिन्दुस्तान जिंक द्वारा खनन का विस्तृत स्तर पर दोहन किया जाता है। वर्तमान में खानों की गहराई लगभग आधा किलोमीटर एवं लम्बाई-चौड़ाई मीलों में है। यहां तक कि खदानों के ऊपर गांव की बस्तियां हैं। खदानों के अत्यधिक गहराई के कारण क्षेत्र का सारा भू-जल रिसाव कर खदानों में आ जाता है। पानी खनन सम्पर्क में आने से उसका किसी भी प्रकार का उपयोग किया जाना सम्भव नहीं है। नतीजन भू-जल स्तर बहुत गहरा होने के साथ-साथ अधिकांश कुओं के गहरे होने के बावजूद सूख गये हैं।

यह सर्वविदित है कि पानी के अभाव में किसानों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। यहां तक कि इस क्षेत्र में पेयजल एवं पशुओं के घास का संकट उत्पन्न हो गया है। इस तरह के हालात उत्पन्न होने के लिए हिन्दुस्तान जिंक सीधा जिम्मेदार है। तहसील के गांवों में बेकारी एवं भुखमरी पैदा हो गयी है। लोग इस क्षेत्र से अन्य स्थानों पर पलायन करने के लिये मजबूर हो गये हैं।

यही नहीं हिन्दुस्तान जिंक अपना खनन कार्य क्षेत्र भी बढ़ा रहा है। हाल ही में सरसब्जता की दृष्टि से जाना-माना क्षेत्र बामलिया कलासिन्देसर में खनन कार्य आरम्भ होने वाला है। इससे इस क्षेत्र में आने वाले समय में पानी की भारी कमी हो जायेगी, कुओं का पानी सूख जायेगा तथा बेकारी एवं भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

उक्त स्थिति के कारण पूरी तहसील के किसान एवं मजदूर चिंतित हैं तथा आन्दोलनात्मक रूख अपनाने को आमदा है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि हिन्दुस्तान जिंक की खदानों के कारण उत्पन्न परेशानियों का निराकरण भी वही करें। वैसे भी इस तरह के बड़े प्रतिष्ठान क्षेत्र के विकास में भागीदार बनते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान जिंक की निष्क्रियता से क्षेत्र के किसान पिछले तीन महीने से आन्दोलनरत है। उनकी मुख्य मांगें हैं कि :–

(श्री शांतिलाल)

(1) हिन्दुस्ताम जिक पेयजल एवं सिचाई हेतु वैकल्पिक स्त्रोतों का निर्माण करावें। इसके लिए बनास नदी पर एनीकट बनाया जाकर क्षेत्र में भू-जल का सेजा उत्पन्न कराया जा सकता है। दुर्गम स्थानों पर नहरों का निर्माण कराना एवं लिफ्ट स्कीम से पानी पहुंचाना सम्मिलित है।

(2) हिन्दुस्तान जिंक को होने वाले लाभांश का एक निर्धारित हिस्सा क्षेत्र के विकास कार्यों में खर्च करें, जैसे स्कूल एवं अस्पतालों का निर्माण कराना, सड़कों का निर्माण कराना इत्यादि।

(3) योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाना इत्यादि।

हिन्दुस्तान जिंक के द्वारा किसानों एवं मजदूरों की जायज मांगों की अनदेखी करने के कारण 29.2.92 को क्षेत्र के लगभग 10,000 किसान, विरोध व्यक्त करने के लिये दरीबा माइन्स के मुख्य द्वार पर एकत्रित होंगे और हिन्दुस्तान जिंक को सम्भलने का एक और अवसर देंगे। फिर भी यदि सुदृढ़ कार्यवाही नहीं हुई तो किसान वर्ग उत्तेजित भी हो सकता है।

अतः माननीय मुख्य मंत्री जी से एवं माननीय सिचाई मंत्री जी से अनुरोध है कि वे तत्काल इस मसले में हस्तक्षेप करें तथा किसानों को राहत पहुंचाने की उचित कार्यवाही करने के लिये हिन्दुस्तान जिंक को मजबूर करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनंग कुमार।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे थे लेकिन मैं देख नहीं पाया। मैं निवेदन करूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से मेरे 295 का उत्तर दिलाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो भेज दिया जायेगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नजर नहीं आये वह तो बात समझ में आती है लेकिन मैं नजर नहीं आऊं यह बात समझ में नहीं आती।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उत्तर देने में क्या दिक्कत है। कुछ करें तो बता दें और नहीं करें तो ऐसे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस बारे में यहां पर ध्यान आकर्षित किया है वह मसला काफी पुराना है। करीब सन् 1986 से मामला चल रहा है। अदालत में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। कल भी इसके बारे में जिक्र आया था। एक माननीय सदस्य ने सवाल रखा था। आज भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को बताया है कि 17 फरवरी, 1992 को जो फैसला हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट से उसकी कॉपी हमने मंगवाई है और जो ज्यादातर मैंने सुना है, उसमें विशेष तौर से जो आग्रह है वह उनकी तनख्वाह, अलाउन्सेज के बारे में जो विसंगतियां हैं वह पूरी होनी चाहिए। इस बारे में हमने उससे फैसला मंगा लिया है और फैसला आने पर यह भी देखना पड़ेगा कि ग्रांट इन एड के जो रूल्स हैं, उस फैसले के आधार पर क्या-क्या उसमें परिवर्तन करने पड़ेंगे और इसके साथ-

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

साथ सरकार पर कितना भार पड़ेगा, इन सारी बातों को एक्जामिन करके और उसके ऊपर हम निर्णय ले पायेंगे और पूर्व में भी मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को बता दिया है कि सरकार जो भी कोई निर्णय लेने वाली है, इसी सत्र में निर्णय ले करके सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे।

आपने एक-दो बातें और कही हैं। व्याख्याताओं और हैड मास्टर्स के जो ग्रेड हैं, इनमें पूर्व के समय में इस प्रकार की विसंगति पैदा कर दी गई थी और मैंने माननीय सदस्य को गत सत्र में इस बात का आश्वासन दिया था कि हम इन विसगति को पूरा करेंगे और मैं अभी भी बता देना चाहता हूं कि उस विसंगति को पूरा करके हम इसी सत्र में उसकी जानकारी माननीय सदस्यों को और माननीय सदन को दे देंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : 6 महीने से क्या कर रहे थे ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : 6 महीने से आपकी जांच पड़ताल कर रहे थे। आखिरकार दो यूनियन्स का इतना बड़ा आर्थिक भार भारत सरकार के ऊपर आकर पड़े तो उसका बहुत सोच-विचार करके और सरकार को निर्णय लेना पड़ता है।

दूसरी बात आपने जो कही हैं कि राजस्व अधिकारी को जांच के लिए स्कूलों के अन्दर लगाया है। यह एक प्रकार की भ्रांति पैदा की है और उन शिक्षकों ने की है जो काम नहीं करना चाहते और बातें ज्यादा करना चाहते हैं। आज माननीय सदस्य का एक प्रश्न आया है जब मैं आपको बताऊंगा कि स्कूलों में रिजल्ट्स की क्या स्थिति रहती है। अध्यापक कितना पढ़ाने जाते है, कितना नहीं पढ़ाते, सारा सदन इस बात को जानता है लेकिन फिर भी वह केवल मात्र स्कूल को, स्कूल के विकास में, पढ़ाई के विकास में किस प्रकार से सहयोग हो सकता है इतना मात्र है। केवल मात्र उनके ऊपर कोई इंसपेक्शन करके रहेंगे, यह धारणा शिक्षक समाज के अन्दर आई है, वह धारणा निकाल देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय अनंग कुमार जी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मेरा निवेदन यह है कि........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सनाढ्य साहब, इससे ज्यादा रिप्लाई नहीं आ सकता। आपके प्रश्न का जवाब भी आएगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आज उनका प्रदर्शन है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वे मेरे से मिलने आने वाले हैं। मैं उनसे चर्चा करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : वे उनसे मिलेंगे तो चर्चा हो जाएगी।

एस. टी. सी. एवं बी. एड. प्रशिक्षित आशार्थियों की शीघ्र नियुक्ति

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में विभिन्न स्कूलों

(श्री अनंग कुमार जैन)

में हजारों की संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग एवं जिला परिषद द्वारा लम्बे समय से नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। कई आशार्थी ऐसे हैं जिन्हें एस टी. सी. व बी.एड. की ट्रेनिंग किये हुए करीब 4 व 5 वर्ष हो चुके हैं लेकिन वे बेरोजगार घूम रहे हैं। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति के लिए नई नीति की घोषणा की गई हैं। उस नीति के अन्तर्गत कई ऐसे आशार्थी हैं जो 33 वर्ष की आयु सीमा पार करने वाले हैं लेकिन जिला परिषदों द्वारा जो चयन की सूचियां प्रकाशित की जा रही हैं उनमें उनका नाम नहीं है। जो आशार्थी 33 वर्ष की आयु पार कर लेंगे, उन्हें जीवन पर्यन्त किसी भी विभाग में नौकरी नहीं मिलेगी तथा उनके लिए जीवनयापन करना भी मुश्किल हो जायेगा। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे आदेश भी प्रसारित किये गये थे कि जो आशार्थी आयु सीमा पार कर रहे हैं यह उसकी नजदीक आ गए हैं उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जावे तथा ऐसे आदेशों के आधार पर कई आशार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति भी दी गई है।

ऐसे आशार्थी जो आयु सीमा पार कर रहे हैं उनके द्वारा राज्य सरकार को ज्ञापन भी प्रस्तुत किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा उन ज्ञापनों पर विधि विभाग से राय भी मांगी गई लेकिन इस सब प्रक्रिया में लम्बा समय गुजर गया। राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्तियों के बारे में नई नीति बनाई गई है उसके मुताबिक राज्य सरकार के पूर्व आदेश की आयु सीमा पार करने वालों को नौकरी में प्राथमिकता दी जावे, प्रभावहीन एवं शून्य हो गये हैं। मैं राज्य सरकार का इस सदन के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूर्व में पारित किये गये आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई नीति दोनों की समीक्षा की जाकर ऐसे आदेश प्रसारित किये जावे जिससे कि जो आशार्थी आयु सीमा पार करने वाले हैं, उन्हें नौकरी में प्राथमिकता मिल सके।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य विधान सभा याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आज लिस्टेड नहीं है।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : साहब मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम तो काफी ऊपर था। यह तो नम्बर दो पर ही था। आप बोल चुके होंगे। इतनी देर कहां थे आप। आप एक बार बोल चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी इस पर राइट करके गये हैं।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : मैं बोलना चाहता हूं। नहीं, वह तो शून्यकाल का था।

श्री उपाध्यक्ष : आप एक बार बोल चुके हैं (व्यवधान)....जिस तरह से इसमें लगा हुआ है, उसमें आप एक बार बोल

(श्री उपाध्यक्ष)

चुके हैं। आप कल या परसों और कह दीजिये। आज नहीं आएगा। जिसको लगाना था, बोलना था वह तो नहीं बोले, दूसरा बोल गये।

श्री श्रीकिशन सोनगरा : वह तो पाइंट आफ इन्फारमेशन था।

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइंट आफ इन्फारमेशन पर भी बोल गये.

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

(क) जिला बून्दी तहसील नैनवा के ग्राम सीसोला से बालापुरा के मुख्य रास्ते पर आने वाले बनवाड़ खाल पर पुलिया निर्माण करवाये जाने विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

(ख) जिला बून्दी तहसील नैनवा के ग्राम महावीरपुरा को राजस्व ग्राम घोषित करवाये जाने विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

(ग) जिला बून्दी तहसील नैनवा के ग्राम दियाली में नवीन प्राथमिक पाठशाला स्वीकृत करवाये जाने विषयक 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्री रामकिशोर मीणा, प्रभारी मन्त्री नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री रामकिशोर मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित करने के कारणों पर भी प्रकाश डालेंगे।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 12) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के

(श्री उपाध्यक्ष)

अभिभाषण पर वाद-विवाद। माननीय श्री पूनमचन्द जी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उनके आने का तो स्वागत करो साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप जानते हैं कि हमने उनके आने का तो बहुत स्वागत किया है और दुःख की बात यह है कि हमें विरोध करना पड़ रहा है। उसका कारण सुन लीजिये क्यों करना पड़ रहा है।.... (व्यवधान) पहली बात तो यह है कि पंचायतों को भंग कर दिया .. (व्यवधान).... हमारा भारतीय समाज 5000 वर्ष पुराना समाज है। संसार का कोई समाज इतना प्राचीन नहीं है और जिस स्थिति में आज से 5000 वर्ष पूर्व था लगभग उसी स्थिति में वही कानून-कायदे, वही आचार-विचार, शादी-ब्याह के रीति-रिवाज, बोली, धर्मशास्त्र, आज भी वही चलते हैं। इस देश पर कई विदेशी आक्रमण हुए, शासन बदलते रहे, देश के अन्दर कई प्रदेशी शासन भी रहा लेकिन किसी ने भी जो ग्राम स्तर की इकाई थी पंचायत,, उसमें कभी दखल नहीं किया और यह जो इकाई थी वह एक प्रकार से हमारे समाज का रक्षा ढाल थी। आपकी इस सरकार ने पहली दफा यह कार्य किया है कि पंचायतों को भंग कर दिया। पंचायतों को भंग करने से आज परिणाम क्या हुए हैं? हमारे समाज के लोग इतने जागृत नहीं है। कोई भी दुःख या तकलीफ होती है तो अपने मुखिया के पास जाते हैं, मुखिया अपने से बड़े मुखिया के पास जाते थे, पहले जाति-पंचायतें थी, बिना चुनी हुई पंचायतें थीं। अब हमारी चुनी हुई पंचायतें हैं तो लोगों के सोचने-विचारने का और कार्य करने का एक तरीका था। आज अब अकाल की स्थिति है, कहीं पर पानी है, पेयजल सप्लाई किया जाय, कहां कौन से कार्य हाथ में लिये जाये, किसी का छोटा-मोटा मुकदमा हो गया तो उसकी किसके पास जाकर शिकायत करें, यह कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। उसका परिणाम यह है कि ग्रामीण जनता में बड़ा भारी असन्तोष व्याप्त हो रहा है।

आपने पंचायतों के पुनर्सीमन की बात कही लम्बा समय लगा और उसके बाद में जिलाधीशों ने यहां पर प्रस्ताव भेजे। वो प्रस्ताव भी 4 महीने से ठण्डे बस्ते में पड़े हुए हैं और इस अभिभाषण में कहा गया है कि उनका गजट नोटिफिकेशन होगा। गजट नोटिफिकेशन कब होगा, उन पर आपत्तियां आमन्त्रित की जायेंगी फिर साथ में यह भी कह दिया कि एक परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। गठन वाली बात हमारे तो कहीं ध्यान में आई नहीं। तो मेरा नम्र निवेदन है कि यह अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर दी है। गांव की स्कूलें बन्द पड़ी हैं कोई शिकायत करने वाला नहीं है। गांव के विकास कार्य, "अपना गांव–अपना काम' इनके प्रस्ताव आगे भेजने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आपने प्रशासक बनाया है ग्राम सेवक को और एक प्रशासक को 3–3, 4–4 ग्राम पंचायतें दे दीं। ठीक

84

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

है जहां पर सघन आबादी का क्षेत्र है वहां तो वह व्यक्ति शायद एकाध दफे सभी पंचायत मुख्यालयों पर गया हुआ हो लेकिन मेरे जैसा क्षेत्र जिसमें आधी से ज्यादा ऐसी पंचायतें हैं जिनकी सीमायें 20-20, 30-30 किलोमीटर में फैली हुई हैं और वो 3-4 पंचायतों में कब जायेंगे, उसके लिए जाना सम्भव नहीं है और फिर उसकी हमारे साथ क्या हमदर्दी है ? अगर सरकारी अधिकारी ही इस काम को कर लिये होते तो पुराने जमाने में राजा थे, बादशाह थे उन्होंने अपने आदमी नियुक्त कर दिए होते कि गांव वालों के सब फैसले, तकलीफें, शिकायतें ये सरकारी अधिकारी दूर कर देंगे। ऐसा कभी नहीं किया गया क्योंकि हमारा समाज उस बात के लिए आदी नहीं है और हमारा सरकारी तंत्र है वह जनसेवा की भावना से प्रवर्तित नहीं है। उनको तो हुकूमत चाहिए हाथ में। मामूली सा सर्टिफाई ही करवाना हो तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, उस बात से आप और हम अच्छी तरह से परिचित हैं। आज गांवों के स्कूल बन्द पड़े हैं, अकाल के कोई काम हुए नहीं हैं। अकाल के अन्दर कौनसे प्रस्ताव लिये जायेंगे, इसका कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता। पेयजल योजनाएं बन्द पड़ी हैं तो उसकी साधारण नागरिक क्या शिकायत करेंगे ? वह शिकायत करने वाला नहीं है और जो आपका पंचायतों का प्रशासक है उसकी क्या हैसियत है कि वह जाकर बड़े अफसरों से बात करे और पेयजल की कठिनाई को दूर करे ?

दूसरा, जो सवाल है जिसकी हमको शिकायत है वो हैं पेयजल की समस्या। आप जानते हैं जो मेरे पुराने साथी यहां बिराजमान हैं, पेयजल की समस्या की जो नीतियां हमने अपनायी हैं ये दोषपूर्ण है यह मैं 20 साल से कहता आया हूं और 1973 में जब मैं एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन था तो बहुत विस्तार से एक प्रतिवेदन दिया था उसमें कहा था कि सरकार ने यह जो नीति अपनाई है इसमें पानी कहां से आयेगा, यह नीति दोषपूर्ण है, पानी का स्रोत कैसे बनाया जाय, यह नीति दोषपूर्ण है और वे बातें आज सही आ रही हैं। आज जहां पर 30-40 फीट गहरे कुएं हैं उनके यहां पर ही शिकायतें हैं और रात-दिन शिकायत रहती हैं कि पेयजल की समस्या है। तो मेरे इलाके के बारे में आप विचार कीजिए कि हमारे यहां की समस्या किस तरह की है और क्या है ? गांवों की 90 प्रतिशत आबादी ढाणियों में बसती है। इसलिए ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा, इक्का दुक्का होगा जिसका 40-50 बीघा से कम क्षेत्रफल हो। एक-एक गांव की सीमा 25-25, 30-30 किलोमीटर लम्बी और हर व्यक्ति अपने खेत में रहता है। कुओं का जहां तक सवाल है मेरे यहां कुएं कितने गहरे हैं ? 300 से 500 फिट। कुआं अगर निर्मित करें तो 10 साल लगते हैं और 10 लाख रुपया उस पर खर्चा आता है। आपने मशीन लगाई या पेयजल योजना बना दी तो वहां पर आप बाल्टी से या अन्य किसी से पानी नहीं निकाल सकते। यदि ऊंट या बैलों से कुआं चालू करे तो 30 हजार और गांव वाले खर्च करें जब होगा। क्योंकि 500 फिट लम्बी तो लाव, उसके बाद में मजबूत बैलों की 2 जोड़ी या 2 ऊंट जो एक एक 10-10, 1[illegible]-15 हजार की लागत के होते हैं क्योंकि जब 2[illegible]0 फिट लाव बाहर आ जाती है तो झोल इतनी आ

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जाती है कि वह जमीन पर घिसने लग जाती है तो दूसरे ऊंट या बैल को उसके साथ लगाना पड़ता है। तो इन मुश्किल परिस्थितियों में हम पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। जूझ क्या रहे हैं मंत्रीजी भी जानते हैं किसी भी समय मेरे क्षेत्र की 50 प्रतिशत योजनाएं बन्द रहती हैं। 50 प्रतिशत लोग 10 से 15 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। वहां जायें और वहां भी पानी नहीं मिले। मैंने नाम लिख कर मन्त्री महोदय को दिए हैं यहां पर स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। एक माह पूर्व मैंने मन्त्री जी को 10 योजनाओं का लिख कर दिया कि एक महीने से ये योजनायें बन्द हैं। 3–3 दफे पम्पिंग सैट को बदला जाता है, खराब हो गया। खराब क्या होता है कि उसको ठीक करवाया ही नहीं जाता। 3–3 दफे ऑयल इंजिन को बदला जाता है। एक्स. ईएन. को ले गया एक गांव में जिसकी आबादी 60 घरों की थी और उस नलकूप से 4 गांवों को पानी देना था। उस गांव को पानी मिला और महीने का 3 हजार लीटर डीजल वो उठा रहे थे और वह महीने-महीने भर तक बन्द रह जाय। एक ऐसा केस जिसके अन्दर जनता प्यास से मरती रही और जे. ईएन. 21 दिन तक डीजल का परमिट लेकर घूमता रहा और नलकूप को चालू नहीं कराया। मन्त्री जी को मैंने शिकायत की अभी कुछ अर्से पहले एक नलकूप 20 दिन से बन्द था उसे चालू करवाया। क्योंकि उसकी शिकायत कर दी थी इसलिए 2 दिन से वापस खराब हो गया। आज दिन तक वह खराब पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की अपने यहां पर पेयजल की स्थिति है। दुःख की बात यह है कि इंजीनियर....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो भैंस के आगे भागवत बांच रहे है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बात सही है, उसके लिए मेरे मन में विचार है इसकी बात मैं बाद में कहूंगा। तो पेयजल की हमारे यहां यह स्थिति बन गई है कोनसी टेक्नोलोजी और कौनसा तरीका अपनाया जाय इस वक्त यह चर्चा का अवसर नहीं है लेकिन मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि मूलभूत रूप से आपको पेयजल के बारे में कोई निर्णय लेना होगा, नई नीतियां अपनानी होंगी। हमारे जो इंजीनियर है वे समाज की क्रीम हैं जिनके सबसे ज्यादा नम्बर आते हैं वे इन्जीनियरिंग में जाते हैं। दूसरे नम्बर वाले मेडिकल में जाते हैं, तीसरे नम्बर वाले आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में जाते हैं, शेष उसमें जाते हैं। लेकिन दुःख की बात है, यह बात नहीं है कि 5-10 पर्सेन्ट इन्जीनियर ईमानदार नहीं हैं। 5-10 पर्सेन्ट इन्जीनियर ईमानदार हैं लेकिन ज्यादातर की रुचि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल देने में नहीं है। उनकी रुचि नलकूप खरीदने में, नल लगाने में, ओवरहैड टैंक बनाने में और इस तरह के जो भवन बनाने के काम हैं उनमें है। मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां पर बिना किसी योजना के 3 लाख की टंकी बना दी और 20 साल से वह टंकी अभी तक यों ही खड़ी है तो उसमें लूट हो रही है और कहते हैं कि नहीं साहब, यह योजना 20 हजार की वर्ल्ड बैंक से आ गई, यह पैसा यों ही चला जायेगा, इसको तो हमको काम में लेना है। काम तो कुछ आता नहीं है और ये इस तरह की गड़बड़ियां होती रहती

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

हैं। इसमें जिक्र किया बहुत सा, कि अरावली को हरा-भरा करने के लिए इतने सौ करोड़ की योजना आई है, पेयजल के लिए इतनी आई है, कृषि के लिए इतनी आई है भूमि सुधार के लिए इतनी आई है, भू-संरक्षण और जल संरक्षण के लिए इतनी आई है। वह सब की सब जब तक हमारे यहां का गहन अध्ययन नहीं होगा, सब की सब नीतियां दोषपूर्ण बनेगी। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे इन्जीनियर और प्रशासक शहर के हैं, किताबी लोग हैं। इनको स्थानीय परिस्थितियों का अनुभव नहीं है। इसलिए जब कभी भू-संरक्षण की बात करते हैं तो अमेरिका में 1912 में यह समस्या आई थी वह पुस्तकें पढ़ लेते हैं और एक जल ग्रहण क्षेत्र के विकास की योजना है उनका कन्सेप्ट यहां अपनी छाती पर लाकर डाल देते हैं। वन विकास की योजनाओं के अन्दर जिन वृक्षों का कोई फल काम में नहीं आ सकता, गोंद काम में नहीं आ सकता, पत्तों को कोई खा नहीं सकता, उस तरह के वृक्ष लगाये जा रहे हैं और राजस्थान का सबसे श्रेष्ठ, हिन्दुस्तान का सबसे श्रेष्ठ पशुधन हमारा यह चारा और हमारे यह झनखरे वन है, इनके ऊपर आधारित है, उनके लगाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं तो यहां यह भी सुझाव दूंगा कि खास तौर से वेटेनरी में और एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग है इसमें पचास प्रतिशत सीटें ग्रामीण मूल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आरक्षित की जानी चाहिए ताकि इन समस्याओं को वह समझ सके। यहां की स्थितियों से परिचित नहीं है, फलाना रसायनिक खाद और फलाना उन्नत बीज, इनका कान्ट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने कौन सी नई चीज अपनी बहबूदी के अनुसार दी है? पांच साल पहले मैं कृषि अनुसंधान केन्द्र पर गया। यहां जो बहुत से मिश्रीलाल जी वगैरह बैठे हैं, कि हमारे वहां पर धरती में बीज बोओ और ऊपर बरसात हो गई तो रोढ़ हो जाता है या दब जाते हैं और उगते नहीं है। चार-चार दफा बोना पड़ता है मरूस्थल में, लोग बरबाद हो जाते हैं। यह समस्या मैंने उनके सामने रखी, मैंने कहा कि इसका कुछ उपचार है? उन्होंने कहा कि यह समस्या तो कभी हमारे सामने आई ही नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि अनुसंधान वालों को राजस्थान की यह जो मूल समस्या है वह उनकी समझी हुई नहीं है और इसका मुख्य कारण यह है कि केवल नम्बरों के आधार पर, किताबी ज्ञान के आधार पर बाहर से आते हैं। वही ट्रेनिंग लेकर के आ जाते हैं और यह योजनाएं बनती हैं। करोड़ों का भार हमारे ऊपर बढ़ता जाता है, कर्जा बढ़ता जाता है, योजनाएं असफल होती है और उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

पृष्ठ बीस के ऊपर गवर्नर साहब के अभिभाषण में एक बात कही है परिवार नियोजन के बारे में। आप जानते हैं मैंने तो 1977 में लोक सभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस की तरफ से, उस वक्त जोरों का प्रचार चल रहा था नसबन्दी के खिलाफ। मैंने जितनी मीटिंग की उन सब के अन्दर नसबन्दी को सही बताया और मैं राजस्थान में, उत्तर भारत में सबसे कम मतों से हारा था। यहां पर जो बात कही है – 'बढ़ती जनसंख्या सब के लिए चिन्ता का विषय है

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसका प्रदेश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पिछले चार दशकों से सरकार द्वारा जनसंख्या....''। यह बात कह कर एक सरसरी बात कह दी। आंख खोल कर अपन देख लें, कान देकर के हम सुन लें, न तो हमको पाकिस्तान से इतना खतरा है, न चीन से। सबसे ज्यादा खतरा है बढ़ती हुई आबादी से। चाहे आतंकवाद की समस्या हो, चाहे अलगाववाद की समस्या हो, चाहे नक्सलाइट की समस्या हो, चाहे लिट्टे की समस्या हो, चाहे बिहार के रक्तपात की समस्या हो, चाहे आंध्र प्रदेश के रक्तपात की समस्या हो, सबके मूल के अन्दर बढ़ी हुई आबादी है। इससे जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका परिणाम तो संसार दस-पन्द्रह साल बाद में भोगेगा ही लेकिन जो पीढ़ी आज जन्म ले रही है वह किस रीति से मरेगी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सही बात है कि उनकी बड़ी बुरी मौत होगी, बड़ी दर्दनाक मृत्यु उनकी होगी। इतनी विषम जो समस्या है, इतनी भयंकर समस्या है उसकी तरफ हम पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं।

मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि सब बातों को छोड़ कर परिवार नियोजन को अनिवार्य कर देना चाहिए कि दो बच्चे हो जायें उसके बाद में अनिवार्य तौर पर नसबन्दी की जायेगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप समझते हैं कि नसबन्दी के कारण हम हारते हैं या बोफोर्स के कारण हारते हैं या आप राम मन्दिर के कारण जीतते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पांच साल जब आप रहते हैं, आये तब बड़ा स्वागत था, अब आप उतार पर हैं, अब की जीतना आप खुद ही जानते हैं कि बहुत मुश्किल हो जायेगा। हम आशान्वित हैं, गवर्नर साहब का भी स्वागत कर रहे हैं कि हम अब जीतने की स्थिति में हैं। तो इस बात से डरो ही मत। जनता को जब हराना होता है तो बोफोर्स भी सामने ले आती है, नसबन्दी भी सामने ले आती है और जब जीताना होता है, सब कुछ अगर आरोप लगा दो तो भी उसको जिता देती है, यह मैं आपको बताता हूं। इसलिए इस कार्य को तत्परता से हाथ में लेना चाहिए और मैं तो यह निवेदन करूंगा कि दूसरे प्रदेशों को हमें राह बतानी चाहिए इस मायने में कि हम अनिवार्य तौर पर इस कार्य को कर रहे हैं।

एक मैं उदाहरण और देता हूं। आप कहते हैं कि सरकार को धन्यवाद दे दें, अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय को, मेरे क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं। पंचायत समिति फलौदी और पंचायत समिति बाप। चार महीने के अन्दर, जो वर्षा के होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर, पांच दफा में मिलाकर पचास-पचास मिलीमीटर बरसात हुई। पांच दफा में। कभी दो, कभी तीन मिली मीटर। जो काश्तकार हैं वह जानते हैं कि पच्चीस मिली मीटर के बगैर तो बुवाई हो ही नहीं सकती। मेरे यहां बुवाई बिल्कुल ही नहीं हुई। मेरा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक एकड़ भी सिंचित क्षेत्र नहीं है। मेरे दोनों तरफ इधर जैसलमेर जिला आया हुआ है, पश्चिम में, पूर्व में बीकानेर जिला आया हुआ है, उधर बाड़मेर जिला आया हुआ है। बीकानेर में अकाल है, जैसलमेर में अकाल है लेकिन उससे कम अकाल मेरे यहां नहीं है। लेकिन

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वहां तो अकाल घोषित कर दिया गया है जब कि वहां पर राजस्थान नहर का निर्माण हो रहा है, अनाप-शनाप मजदूरी चलती है, निर्माण के काम चलते हैं, नहर बनाने के काम चलते हैं, रेत के काम चलते हैं। मेरे यहां पर कोई उद्योग-धन्धा नहीं है। सिर्फ उद्योग-धन्धा है खेती और पशुपालन का और वर्षा के अभाव में यह दोनों पनप नहीं सकते। नमक का है वह नमक भी अगर पानी है, बरसात है और पानी आया रिण में, तो होता है। पानी नहीं आता है तो वह नमक वाला भी नहीं होता है....

श्री मिश्रीलाल चौधरी : जोधपुर नहर का उद्योग चल रहा है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तो इस तरह की परिस्थिति है। मन्त्री महोदयों से मैं निवेदन करूंगा कि अब आपको काम करते दो साल हो गये, हरेक मन्त्री को प्रथम मैं यह सीख दूंगा कि उनको राजस्थान के भूगोल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा क्षेत्र कहां है, कौन से वहां उद्योग-धन्धे हैं, कौन सी वहां खानें हैं, क्या चीज पैदा होती है, कितनी होती है, यह सब ज्ञान नहीं है तो हमारी वाली स्थिति होगी। जहां पर अनाप-शनाप बरसात हुई और पिछली बरसात नहीं होने से अकाल की स्थिति है लेकिन बहुत भारी सिंचित क्षेत्र है वह भी भूखे, वह भी अकाल से प्रभावित और हम भी अकाल से प्रभावित। तो जब सरकार के पास इतने साधन है, टेलीफोन आपके लगे हुए हैं, गाड़ियां आपके पास, हवाई जहाज आपके पास हैलीकॉप्टर आपके पास और आप यह भेद नहीं कर सकते कि अकाल तो सब जगह है इसलिए साथ काम खोले जायेंगे। एक तो सात दिन से भूखा है और एक सुबह खाना खाया और वापस भूख लग गई है तो यह फर्क है, मन्त्रियों को सीखना चाहिए, मन्त्रियों को करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब विभाग आया है नये मन्त्रीजी के पास, वह इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे वहां पर बरसात नहीं होने से आधा क्षेत्र ऐसा है जिसमें कड़वा पानी है, आधा है जहां मीठा पानी है, वहां तीन सौ से पांच सौ फीट गहराई से लिया जाता है। किसी तरह का सिंचित क्षेत्र नहीं है। यह जानकारियां जब तक नहीं हो तब तक शासन में आप न्याय नहीं कर सकते।

यों तो कहने को बहुत सी बातें हैं। भ्रष्टाचार के बारे में मुख्य मन्त्री जी जब कभी दस, पन्द्रह, बीस साल में अवसर मिल जाता है एक दफा जनता दे देती है तो एक बात बहुत जोरों से कहते हैं, शुरू में 1977 में फरमाया था कि हम नाक में से निकाल लेंगे भ्रष्टाचारियों का पैसा। अब की भी बहुत जोरों से घोषणा की लेकिन आप और हम सब मानते है कि यह प्रोग्राम बिल्कुल असफल रहा है....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कोशिश तो की।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कोई की और उस कोशिश का यह परिणाम हुआ कि शुरू शुरू में दो महीने तक काफी भयभीत थे सरकारी अधिकारी। इसलिये कहते थे कि अब ज्यादा पैसे में काम होगा क्योंकि खतरा ज्यादा है इसलिए रिश्वत महंगी हो गयी थी और अब वह बढ़ी हुई कीमत है वह महंगाई में कम हो नहीं सकती। इसलिए

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

भ्रष्टाचार की इतनी बढ़ाकर बात नहीं कहनी चाहिए थी। भ्रष्टाचार हमारे देश में एक बड़ी भारी समस्या है, बड़ी भारी बीमारी लग गई है। भ्रष्टाचार से संघर्ष निरन्तर हमको करना पड़ेगा और यह बात नहीं है कि हमारे पास ईमानदार राजनीतिज्ञ नहीं हैं या ईमानदार प्रशासनिक सेवा के लोग या इन्जीनियर नहीं हैं। आज हालत यह बन गई है कि ईमानदार व्यक्ति कहीं पर भी हो वह घर वालों से तिरस्कृत है। वह तो इतना पैसे खा गया, मकान बना लिया, ऐसी शादी कर दी और नीचे वाले नाराज हैं कि यह निकम्मा किसी को खाने नहीं देता, ऊपर वाले यह कहते हैं कि यह कुछ कमाकर नहीं देता। इसलिए वह आदमी भी कुछ अर्से के बाद में एबनार्मल हो जाता है। मेरी सलाह है कि ईमानदार तो होना ही चाहिए लेकिन जो ईमानदार हैं वह वाकई मे बधाई के पात्र हैं लेकिन उनको भी व्यवहारिक होना चाहिए। यह नहीं हो कि ईमानदार को छाती पर बैठा दो और कुछ करे ही नहीं। निकम्मेपन का नाम भी ईमानदारी नहीं है। जिसमें खाने की हिम्मत नहीं है वह भी ईमानदार नहीं है। तो वह व्यवहारिक हो। राज्य सरकार को खास तौर से यह चाहिए कि जो ईमानदार आदमी हैं उनको प्रोत्साहन दे। अच्छी-अच्छी जगहों पर होड़ लगी रहती है और जो भ्रष्ट लोग हैं वह उन जगहों पर पहुंच जाते हैं। कृपा करके इतना ही कर दो भ्रष्टाचार काफी कम हो जायेगा। भ्रष्टाचार करने से लोग डरने लगेंगे। बिल्कुल खत्म होना तो हमारी व्यवस्था ही ऐसी हो गयी, संसार में ही ऐसी हो गयी। लेकिन यदि आप ईमानदारों को प्रोत्साहन देंगे, उनको अच्छे स्थान पर रखेंगे और वह भी व्यवहारिक होकर काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम भ्रष्टाचार पर कुछ न कुछ मायने में रोक लगा सकेंगे।

मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं आपकी इजाजत से। जो पुराने माननीय सदस्य हैं वह जानते हैं, मुख्य मंत्रीजी अच्छी तरह से जानते है कि पूर्व में जो चर्चायें यहां पर "भैंस के सामने भागवत" वाली बात कह रहा हूं मैं। आज से 20-25 साल पहले जब सदन के अन्दर चर्चायें होती थीं तो एक-एक बात का और अगर समूह में एक सी बातें कई माननीय सदस्यों द्वारा कही जाती तो उसको बहुत ध्यान से अध्ययन करके सुनते थे। सरकारी अधिकारी बैठे रहते थे और मन्त्रीगण उसका उत्तर देते थे। क्षमा कीजिए मैंने आपके मन्त्रियों में यह कमी पायी है कि जो यहां पर बहस, वादविवाद या चर्चायें की जाती हैं उनका समुचित उत्तर नहीं दिया जाता और यहां तक कि मुख्य मन्त्री जी जैसे वरिष्ठ नेता हैं उनमें भी एक कुप्रवृत्ति आ गयी है "प्रभुता पाई का है मद नाहीं" वह यह कोशिश करते हैं कि किसी ने कोई बात कही है तो उसको नीचे कैसे दिखायें। यह बताने की कोशिश कर रहे हैं "अरे साहब आपने यह क्या बेवकूफी का सुझाव दिया।" मान्यवर हम सब एक सी बुद्धि के नहीं हैं और न बुद्धि के बलबूते पर यहां चुन कर आये हैं। हमें जनता का समर्थन है। हमारे में अकल कम हो सकती है लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं तो आप कितने भी अक्लवान हों तो हमें सन्तुष्ट करने की कोशिश कीजिए। हम जो सुझाव देते हैं उस पर गहराई से विचार कीजिए।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मैंने कुछ मूल समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है, मैं समझता हूं कि वह राजस्थान के हित में हैं आप उन समस्याओं पर विचार करके उत्तर देंगे। तीन-चार भाषणों में मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था लेकिन हर बार मुझे निराश होना पड़ा, इस बार निराश नहीं होना पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि 25 वक्ता हैं आज की इस बहस में भाग लेने वाले। समय सीमा आप थोड़ा ध्यान में रखें।

माननीय श्री टीकमचन्द कांत।

श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आभार प्रकट करने का मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात कहना चाहता हूं लेकिन अभिभाषण में उसी श्लोक से कहना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

"आ यद् वामीय यक्षसा
मित्रा वयं च सूरयः।
व्यच्छिष्ठे बहुपा ये
यतेमहि स्वराज्ये।।"

आओ हम सब समान और निष्पक्ष दृष्टि रखते हुए सौहार्द्र और विवेक के साथ बहुमत पर आधारित इस स्वराज्य को सुदृढ़ करने में जुट जायें। 24 तारीख को महामहिम यहां भाषण देने वाले थे और 23 तारीख को दलबल सहित कांग्रेस अपनी बगलों में अन्य विपक्षों को दबाकर उनके समक्ष खड़े हो गए और सीधे का सीधा जो यह श्लोक है ऋग्वेद का उसकी जाकर सीधे हत्या कर दी। जहां बहुमत का आदर करने की बात थी उस राज्य को सुदृढ़ करने की बात थी उसके बदले आप कह रहे हैं कि इसको भंग कर दो, इस सरकार को समाप्त कर दो। श्रीमन्, इस प्रकार का इस विपक्ष का चरित्र और यह तो यह और थोड़ी देर पहले माननीय विश्नोई जी ने फरमाया और कल श्री हीरालाल जी देवपुरा भी कह रहे थे कि राज्यपाल महोदय के आगमन के साथ हमें बहुत बड़ी खुशी हुई। अन्दर से माननीय सदस्य इस प्रकार की बात करते हैं। राज्यपाल महोदय का स्थान राजनीति से परे है। इस राज्य के अन्दर सर्वोच्च स्थान है लेकिन यह नहीं यह तो कहते हैं कि यह हमारे पुराने राजनीतिज्ञ हैं और पुराने राजनीतिक सम्बन्धों के आधार पर आशा और आकांक्षा लिये हुए कि राज्यपाल महोदय को हम किसी न किसी प्रकार से साथ लेकर इस सरकार को भंग करवा देंगे या कर देंगे। इस प्रकार का आयोजन इनके दिमाग में चलता रहा और होता रहा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक ही नहीं राज्यपाल महोदय के हाथ में जो काला डंडा है, स्वाभाविक है किसी के पास डंडा रहता है तो किसी के पास छड़ी रहती है; लेकिन राज्यपाल के डंडे को भी इन्होंने चर्चा का विषय बना दिया। हमारे राज्यपाल के हाथ में काला डंडा है। किसी ने कहा यह ब्लैक रॉड है। ब्लैक रॉड ब्रिटेन के अन्दर है। श्रीमन् वह परम्परागत एक चीज है। वहां जिस समय महारानी राष्ट्राध्यक्ष जब हाउस आफ रॉयल में जाती हैं क्योंकि वहां के राष्ट्राध्यक्ष को हाउस आफ

(श्री टीकमचन्द कांत)

कामन्स में जाने की इजाजत नहीं है तब हाउस ग्राफ रॉयल में जब राष्ट्राध्यक्ष वहां के ग्राते हैं तो हाउस ग्राफ कामन्स को सूचना देने के लिए हाथ में काला डंडा लिए हुए एक ब्लैक रॉड एक सिपाही जाता है, शाही सिपाही उस समय हाउस ग्राफ कामन्स के दरवाजे बन्द हो जाते हैं। परम्परा थी बन्द हो जाते हैं ग्रोर भिरी खोलकर उसके ग्रन्दर से ब्लैक रॉड की ग्रावाज पर निमंत्रण स्वीकार करते हैं कि ग्रापको हाउस ग्राफ रॉयल के ग्रन्दर ग्रामंत्रित किया गया है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष महारानी या महाराजा उसको सम्बोधित करेंगे। लेकिन यहां काले डंडे को भी उपाध्यक्ष महोदय इन्होंने ब्लैक रॉड बना दिया। यहां तो सदन के दरवाजे उनके लिए समय से कई मिनटों पहले खोले रखे गये थे लेकिन उन्होंने उनकी उसके साथ समानता की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस विपक्ष से कि वह कम से कम इन राज्यपाल महोदय को अपनी राजनीति ग्रौर ग्रपनी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति हेतु उपयोग नहीं करें क्योंकि राज्यपाल महोदय का जो पद है वह इन सारी चीजों से ऊपर है, उच्च है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रभी भ्रष्टाचार की बात ग्राई। बिल्कुल ठीक बात है 40 वर्षों की इस राजनीति के ग्रन्दर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के ग्रन्दर इसकी जड़ें इतनी गहरी हो गयी हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है ग्रौर उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, इस देश की वह पार्टी जिसने बरसों शासन किया बिल्कुल ठीक बात है लेकिन सामान्य जनता के ग्रन्दर ग्राज भी जाकर पूछ लें तो कम से कम यह ग्रावाज ग्रापको सुनने को मिलेगी कि कांग्रेस जैसा भ्रष्टाचार इस राज्य में नहीं है ग्रौर मैं ग्रापको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रजातंत्र के ग्रन्दर पॉलिटिकल मैन इज दी मास्टर, इस पॉलिटिकल मैन के ग्रन्दर ग्रगर ग्राप कहीं देखने जाय तो इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में, जनता दल (दिग्विजय) के शासन में इस पॉलिटिकल मास्टर में भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार की जड़ें ग्रापकी बनाई हुई हैं। यह स्वाभाविक है कि ग्रब तक नीचे तक के ग्रधिकारियों में से जहां तक भ्रष्टाचार निकालने की बात है वह नहीं निकाल पाये। यह सत्य बात है इस भाषण का प्रारम्भ इस वर्ष के ग्रन्दर हिन्दू-मुस्लिम एकता का वातावरण रहा। इस ग्रभिभाषण में यह एक वाक्य था, वाक्य है। इस पर कटाक्ष करते हुए माननीय देवपुराजी ने कहा कि एकता यात्रा, एकता यात्रा ने तो इस देश को कुछ प्रदान किया है। सौहार्द्र प्रदान किया। ग्राबू रोड में जिस समय श्री मुरली मनोहर जोशीजी की यात्रा प्रवेश कर रही थी उस समय में 2 हजार मुस्लिम बन्धु इस राजस्थान के कोने-कोने से ग्राकर इकट्ठे हुए ग्रौर इसका स्वागत किया। उदयपुर में उनका स्वागत हुग्रा ग्रौर ग्रन्य स्थानों पर उनका स्वागत हुग्रा। हमारे मंचों से मुसलमान बन्धु एकता यात्रा के लिए बोले। ग्रब उनके दिल में एक बात हो गयी कि भारतीय जनता पार्टी ग्रौर मुस्लिम एकता, इनके स्वागत में मुसलमान कैसे चला जाय, हमारा वोट बैंक इनकी तरफ जा रहा है तकलीफ इस बात की है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का सौहार्द्र, मुझे याद है माननीय मुख्य मंत्रीजी के वह वाक्य, उन्होंने कहा था इस समाज

(श्री टीकमचन्द कांत)

को बिल्कुल कटघरे में इन्होंने रख दिया है, अंधेरे में, बंदी खाने में रख दिया है। भय का ऐसा वातावरण बना दिया है कि उसके बाहर वह नहीं आ सकते लेकिन इनके निकट जाकर के जिस दिन हम उनको छाती से लगाना शुरू कर दें और प्रारम्भ कर दिया है, तो कांग्रेस का वोट बैंक टूट करके भारतीय जनता पार्टी में आ जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी पंजाब की खूब जोर-शोर से बातें कीं। पंजाब में जीत आये। आपको बधाई हो। लोकतंत्र के लिए हमने भी साथ दिया था। लोकतंत्र की बहाली इस देश के प्रत्येक राज्य में, एक-एक कोने में हो। अकालियों ने आपका साथ छोड़ दिया, उनको नहीं मना पाये। भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ खड़े होकर कहा कि हम चुनाव में भाग लेंगे। अब चुनावों में यह बात सही है कि कुल मतदाताओं का 10 प्रतिशत आपको मत मिला और आप कह रहे हैं कि हमको सबकुछ मिल गया। 21.7 प्रतिशत मतदान हुआ और उसमें से कुल मिलाकर इनको जो मतदान मिला वह 10 प्रतिशत है। 10 प्रतिशत में सरकार बनी फिर भी हम साथ हैं। सरकार बनें, सरकार कुछ भी करे लेकिन इस पंजाब की समस्या का हल ढूंढकर लायें। हम आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, उसने आपको बधाई दी है उसके लिए हमारा पैमाना इससे नहीं नापें। संख्या कम-ज्यादा हो सकती है लेकिन हमारा लोकतंत्र में विश्वास है और देश के कोने-कोने में लोकतंत्र बना रहे इसके लिए हम, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अभिभाषण की उस बात पर आता हूं। उपाध्यक्ष महोदय मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि जिस समय सत्ता संभाली उस समय केवल 795 करोड़ की वार्षिक योजना 1990-91 की प्रस्तावित थी। उस समय अगर प्रयास करके उस वार्षिक योजना को 956 करोड़ की नहीं बनाते तो आज हमारे इस वर्ष की योजना 14 सौ करोड़ की नहीं होती। उपाध्यक्ष महोदय, अगर 795 करोड़ की योजना ही उस समय ही रहती और प्रयास नहीं किये जाते तो आज आपको जो योजना मिलती वह सिर्फ 11 सौ करोड़ की होती। जो योजना हमने पिछले वर्ष की है वह योजना इस बार 11 सौ करोड़ की हो गयी। हमारा प्रथम प्रयास उसके मुकाबले प्रति वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 1166 की और इस बार 14 सौ करोड़ की योजना है और बिल्कुल सत्य बात है कि हमारा राज्य पिछड़ा हुआ क्यों है ? क्यों पीछे से चौथे, पांचवे नम्बर पर आता है ? इसका एक ही कारण है कि योजनाबद्ध विनियोजन प्रति व्यक्ति अन्य राज्यों से हमारे यहां कम है। यह इसका कारण है और इसको मिटाने के लिए जो प्रथम प्रयास किया गया उस वार्षिक योजना का 90 और 91 में बढ़ाने का उसके लिए हम यह कह सकते हैं कि हमारे प्रयास हैं कि हम प्रति व्यक्ति योजनाबद्ध उसका जो विनियोग है हम उसको बढ़ा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और कम से कम इस योजना के आकार को बनाने वालों को कि वहां योजना आयोग ने ज्यों की त्यों 20 प्रतिशत की वृद्धि सहित इस योजना को पूरा स्वीकार कर लिया। एक पैसे की भी

(श्री टीकमचन्द कांत)

कटौती नहीं हुई जबकि अन्य राज्यों की योजना में कटौती की गई। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात जरूर है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री टीकमचन्द कांत : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात जरूर है कि किसान, कृषि और कर्मी, तीन भाग इस राजस्थान के 80 प्रतिशत हैं। इस 80 प्रतिशत को ध्यान में रख करके सम्पूर्ण अभिभाषण को पढ़ा जाय.......

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष गायब है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये।

श्री टीकमचन्द कांत : किसान, कृषि, कर्मी, ग्राम और गरीब, इन सबका इसमें ध्यान रखा गया है। आज तक हमारे ऊपर जो लांछन लगाया जा रहा था किसान और गरीब की कौन देखता है आपकी योजना तो मात्र शहरी बनती है, आपकी योजना तो सारी उससे हट करके बनती है, 60 प्रतिशत का लक्ष्य वार्षिक योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने का हमने प्राप्त कर लिया है और अब भी यह अभिभाषण कहता है कि उसमें कम नहीं होगा ज्यादा ही होगा। किसानों के लिए नई योजना, किसान नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है उपाध्यक्ष महोदय और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। जल ग्रहण का विशाल अपना निदेशालय भी बन गया है ताकि राजस्थान में कम पानी को भी किस प्रकार से सुरक्षित ढंग से बूंद-बूंद करके किसानों के खेतों में पहुंचाया जाय। अभी माननीय विश्नोईजी कह रहे थे कि योजनाबद्ध तरीके से, यह योजना इसी प्रकार से तैयार होगी ? कम पानी की एक-एक बूंद को किसान के खेत में पहुंचाकर एक-एक बीज में एक-एक बूंद पहुचे और फसलें उगकर लहलहाये। इस प्रदेश का और इस राज्य का विकास हो इसके लिए यह प्रयत्न किये जा रहे हैं। योजना बना करके प्रयत्न किये जाये, उपाध्यक्ष महोदय, इस बार इतना होते हुए भी श्रेय किसी ने नहीं दिया कि तीन गुना बढ़ गया। यह श्रेय किसी ने नहीं दिया कि ढाई सौ करोड़ का केवल तिलहन की खरीद के लिए रखा गया है। उन ढाई सौ करोड़ के माध्यम से तिलहन खरीदा जायगा सरसों खरीदी जायेगी। किसान का भाव नीचे नहीं आयगा। विपक्ष ने उठकर यह नहीं कहा हमने ढाई सौ करोड़ रुपया इसके लिए रखा हुआ है। धन्यवाद दीजिए कि किसानों के लिए कार्य हो रहा है। इस कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, 300 करोड़ की कृषि के लिये विकास की योजना है। इसके बाद मंडी कोष बना कर छोटी-छोटी मंडियों के पास पैसा नहीं है उनके पास पहुंचाकर सड़क बनवाने का काम वगैरह एक आधार की योजना बनी तो है हमारी। उस योजना की प्रशंसा इस तरफ से क्यों नहीं की गयी ?

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात अनुसूचित जाति, जनजाति के लिये है। मैंने पिछली बार भी कहा था, अभी उन्होंने कल कहा था, साहब, आप नाम देने में बड़े माहिर हैं, नाम दे देते हैं योजना का। उन नामों पर तो लोग मर मिटते हैं, प्राण तक दे देते हैं। डा. अम्बेडकर को, बाल्मिकी को,

(श्री टीकमचन्द कान्त)

एकलव्य को कांग्रेस ने आज तक किसी रूप में किसी योजना के रूप में याद किया है ? नहीं किया है। जो श्रद्धा और आदर के पात्र रहे हमने उनके नाम पर योजना बना कर इस प्रदेश के अन्दर उनकी पूर्वजों की एक प्रकार से पूजा की है। उनके नाम पर योजना को प्रारम्भ करके उनको आगे बढ़ाने का, विकास करने का कार्य हमने प्रारम्भ किया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपको पसंद नहीं आया क्या ?

डा. चन्द्रभान : मण्डल कमीशन का तो नाम ही नहीं है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

(2.00 म. प.)

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय अनुसूचित जाति के 105 छात्रावास थे। हजारों लड़के जिसके अन्दर शिक्षा लेते थे। एक-एक छात्रावास में जाकर देखा जाए तो उसके अन्दर जो उनके बिस्तर थे, चद्दरे थीं, उनका जो खान-पान था उन्होंने सीमित कर दिया था 170 रुपये के अन्दर गुदड़ों के अन्दर लाल कैसे निकल पायेंगे, मुझे मालूम नहीं था। बिस्तर फटे पुराने हो गये थे मैले कुचले हो गये थे वह बदलने तक की बारी नहीं आयी। मैं धन्यवाद देता हूं समाज कल्याण विभाग को और उनके मन्त्री जी को और मैं धन्यवाद देता हूं मेरी सरकार को कि अनुसूचित जाति के बालकों, जो अगली पीढ़ी, अगली कमान सम्भालने वाले हैं, के लिये 170 रुपये बढ़ा कर ढाई सौ रुपये प्रतिमाह खर्चा किया। और एक ही झटके में सारे बिस्तर, उनकी उनकी खाट, उनकी वह आवश्यक चीजें जो टूट-फूट गयी हैं, बदलकर नया सामान देने की बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के अन्दर जनजाति, अनुसूचित जाति, इन सबका ध्यान रखा गया है। हां, एक बात जरूर है। सड़कें टूट गयी जो टूट गयी, न मालूम कब बारी आयेगी और वह बन पायेगी। लेकिन धन्यवाद देता हूं मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को, जो कि हमारी सरकार के अंग है, उन्होंने कम से कम एक चीज तो पकड़ी, जितना रुपया है उस रुपये से सड़क टूटी हुई है तो ठीक हो और वह भी समय पर ठीक हो। कार्य हाथ में उठाया है वह समय पर प्रारम्भ किया जाय तो उस तारीख तक पूरा कर लिया जाय। यह कोई कम बात नहीं है। सड़कों के विकास प्रदेश पीछे रह गया था। जो कुछ भी किया इसके लिये धन्यवाद देता हूं लेकिन एक बात और है। पांच वर्ष की योजना आगे की आप बना रहे हैं। अगले तीन वर्ष के बाद अगले पांच वर्ष किसके होंगे, मुझे मालूम नहीं लेकिन तीन वर्ष की योजना के अन्दर, इन तीन सालों के अन्दर 1991 की जनसंख्या को आधार लेकर सड़कों का निर्माण करवाइये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र तो बिल्कुल बार्डर पर आया हुआ है गुजरात की। उस क्षेत्र का गांव एक किलोमीटर जाकर गुजरात के पास मण्डी है वहां से अपना सामान लाता है, कोई दो किलोमीटर जाता है, उनका सारा व्यवहार गुजरात के साथ में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा मन्त्रीजी इसकी प्राथमिकता तय करें राज्य की बार्डर पर जो गांव आये हुए हैं उनकी सुविधा को देखते हुए। उनकी

(श्री टीकमचन्द कान्त)

सड़क हमारे तक आ गयी है। ऐसी तीन-चार जगह हैं जहां उन सड़कों को जोड़ दिया जाय रेवदर विधान सभा क्षेत्र की तो उस क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद भी देगी, याद भी करेगी और अगली बार हमको वोट भी ज्यादा देगी।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चिकित्सा के अन्दर एक की। लम्बी-चौड़ी बात तो ठीक है लेकिन शिशु मृत्यु दर, इस राज्य के अन्दर यह एक आकलन, एक पैमाना है कि हमारी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी सुधरी हैं। शिशु मृत्यु दर औसत पूरे देश के बराबर आया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह उनकी पार्टी का टाइम है, टाइम निश्चित है।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह एक पैमाना है कि हमारी स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं किस प्रकार की है। आप डाक्टर हैं, बता दीजियेगा बाद में, आप डाक्टर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पार्टी का टाइम है। पहला वक्ता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पार्टी का टाइम वेस्ट करने के लिये थोड़े ही है।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैला ढोने की प्रथा, हमारी सोच में कहीं कोई कमी नहीं है.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शांत रहिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपयोग तो करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल उपयोग कर रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कान्त : अनुसूचित जाति और पिछड़े से पिछड़ा वर्ग, यहां का हरिजन भाई मैला ढोता है, कलंक है इस समाज के ऊपर। आज मैं धन्यवाद देता हूं, उस सूखे शौचालय को फ्लश में बनाने की आपने इस बार एक महती योजना, एक वृहद् योजना, बड़ी योजना तैयार की है उसके लिये धन्यवाद देता हूं ताकि यह कलंक धीरे-धीरे इस समाज पर से मिटे।

उपाध्यक्ष महोदय, पानी के लिये सही बात है कि क्षेत्र में पानी कम है। पानी के लिये भरतपुर वाले भी बोलेंगे, जालौर भी बोलेगा, बाड़मेर, जैसलमेर सारे ही बोलेंगे लेकिन जितने भी साधन हैं उनकी भी एक योजना बनी। 5000 हैण्ड पम्प, इसके बाद के अन्दर दो साल की वह योजना 1000 ग्राम, 500 मजरे और ढाणी और 1000 हरिजन बस्तियां–उसकी मंशा इस अभिभाषण के अन्दर जाहिर की है, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर यह वचन दिया गया है कि राजस्व ग्राम कोई भी पानी की समस्या से अगर ग्रसित है तो दो साल के अन्दर उसकी पानी की समस्या को समाप्त कर दिया जायेगा। इस अभिभाषण के अन्दर पूरी तरह से बात कही गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कांत साहब, जल्दी पूरा कीजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, रिकार्ड तोड़ दिया हमने। आप तो वकील रह चुके हैं, रिकार्ड तोड़ दिया हमने इस बार। उपाध्यक्ष महोदय, न्यायालय कितने हैं ? 92 है, 28 मुन्सिफ कोर्ट, 11

Page No. 96

(श्री टीकमचन्द कान्त)

ए. डी. जे. कोर्ट, 18 को क्रमोन्नत किया, 7 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कोर्ट, 2 फेमिली कोर्ट, 2 लेबर कोर्ट, 12 ए. डी. जे. कैम्प कोर्ट, उपाध्यक्ष महोदय, 2 राइट्स के लिये कोर्ट। इस प्रकार 92 कोर्ट। रिकार्ड तोड़ दिया पूरे चालीस वर्षों का। हमारी जो सिद्धान्त वाली बात थी, न्याय सुलभ करवाने वाली बात थी, वास्तव में सही बात है। रेवदर के माटासन में रहने वाला व्यक्ति सिरोही अगर न्याय लेने आवे, सौ किलोमीटर की दूरी होती है, उपाध्यक्ष महोदय। रेवदर के अन्दर भी इन्होंने मुन्सिफ कोर्ट खोल दिया, है। लेकिन एक बात है, उपाध्यक्ष महोदय, रेवदर के अन्दर मुन्सिफ कोर्ट खोल दिया, रेवदर में ग्राम पंचायत है, तहसील हैड-क्वार्टर जरूर है लेकिन वहां मकान जैसे हमारे जजों को चाहिये वैसे नहीं हैं। सही बात है, वह मकान हमारे पास में थे। जिले से वहां पहुंचे लेकिन उन मकानों को रिजेक्ट कर दिया। हमारी जो मंशा, सरकार की जो मंशा, इच्छा रही है कि न्यायालय को ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में ले जा करके उनको न्याय देना, रेवदर की जनता के लिये भारी पड़ गया, उपाध्यक्ष महोदय। कोर्ट रेवदर की ओर उसका रहना सिरोही में। हमारे पास जिस प्रकार के मकान उपलब्ध थे, कलक्टर और विकास अधिकारी ने कहा है कि उन मकानों को ठीक करवा कर उनको दिया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि उनको बनाकर उस कोर्ट का कार्य उस रेवदर के अन्दर हो, वहां की गरीब जनता के लिये हो। इस कारण से उसका स्थान उस रेवदर में किया था। उपाध्यक्ष महोदय, तीस जिले और तीस काम के अन्तर्गत हमको सिंचाई में पैसा मिला पांच हजार एम. सी. एफ डी.। उसमें से 12 सौ एम. सी. एफ डी. पानी हम रोक सके हैं, बाकी 38 सौ एम. सी. एफ. डी. पानी बहकर गुजरात के नागीवाड़ा डेम में चला जा रहा है। हमारा पानी हम नहीं रोकते। सुकरी सेलवाड़ा की योजना अभी तक यूं की यूं पड़ी है। उसके ऊपर आज दिन तक कोई कार्य नहीं हुआ। भैसासिंह आदिवासी योजना के ऊपर आज तक कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। करोड़ी धनवाड़ी की योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया। बहता हुआ पानी देखकर ऐसा लगता है जैसे किसान के सीने से खून बह रहा है, उसका खून बहकर जा रहा हो। रेवदर के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस पानी को रोका जाये, सिंचाई योजना ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाई जाये, तभी जाकर इस क्षेत्र का विकास होगा और इस प्रदेश की उत्पादन में ज्यादा भागीदारी होगी। इतना ही कह कर पुनः राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देते हुए, उनके अभिभाषण के लिए आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए प्रस्तावक महोदय और उनके अनुमोदकों ने, अभी हमारे माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने दो बातों पर विशेष जोर दिया है। एक बात तो कही है कि हमारी जो योजना है, उसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है। 76 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और हमने कृषि और ग्रामीण विकास पर

(श्री नत्थीसिंह)

62 प्रतिशत खर्च किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह आपने अखबार में पढ़ा होगा कि कल राज्य सभा में भारत सरकार की तरफ से एक प्रश्न का जवाब दिया गया और उस प्रश्न के जवाब में यह स्वीकार किया गया कि रुपये की कीमत 44 पैसे रह गई है। तो आपके बकौल, 44 जो भारत सरकार मानती है, तब तो आपकी योजना की बढ़ोतरी कहां आई। आपके भारत सरकार के आंकड़े मानें, तब भी 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है और जैसी कि पीछे से आवाज आ रही है कि 11 पैसे रह गई है तो भी बढ़ोतरी कहां हुई, इसका अन्दाज तो आप लगाइये।

दूसरी बात आप कहते हो, खेती पर 62 प्रतिशत खर्च कर दिया। उसकी कहानी तो मैं आपने जो अभिभाषण दिया है, उससे ही पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आपके पृष्ठ चार में "कृषि विकास हेतु अब तक किये गये प्रयासों में विश्व बैंक की सहायता से तीन सौ करोड़ की कृषि विकास परियोजना लागू की जायेगी।" क्या-क्या होगा, अभी पूनमचन्द जी विश्नोई ने विस्तार से फलों और दूसरी चीजों के बारे में बता दिया है, इसलिए मैं उसको दोहराना नहीं चाह रहा हूं। खेती के विस्तार पर न जाते हुए आपने इसमें कहा है, राज्यपाल महोदय से कहलवाया है कि राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि की तरक्की में ही राजस्थान की तरक्की निहित है। आपने कहा है, आशा दिलाई है कि "कृषि के दीर्घकालीन विकास के लिए कृषि नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और इस सत्र में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।" यह तो आगे के लिए है, अभी क्या किया है, उसके लिए आपने दो बातें कही हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री) : आप तो सहकारिता के लिए बताओ।

श्री नत्थीसिंह : सब बताऊंगा चिन्ता मत करो। एक-एक बताऊंगा गिन-गिन कर समझे आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पार्टी भी बतायेंगे।

श्री नत्थीसिंह : उसे आपके लिए छोड़ दूंगा। आपने इसमें दो अचीवमेण्ट बताये हैं। हमने कहा है इस पिछले एक वर्ष में आपने कहा है जल ग्रहण विकास निदेशालय व तिलम संघ का गठन किया है। उससे तिल का उत्पादन भी बढ़ा है। इसका मैं थोड़ी देर में एक नमूना पेश करूंगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमको इस एक साल में क्या मिला है और मिला है, उसको भी आपने मंजूर किया है। पेज 4 पर आपने कहा है पिछले तीन वर्ष में अच्छी वर्षा हुई तो कृषि उत्पादन अच्छा रहा, अबके वर्षा कम हुई तो 118 लाख हैक्टेयर के बजाय 100 लाख हैक्टेयर में बुवाई हुई और 59 लाख 70 हजार हैक्टेयर के बजाय रबी में 55 लाख 40 हजार हैक्टेयर में बुवाई हुई और उत्पादन घट कर 42 लाख टन रह गया। मतलब साफ हुआ कि हम आज भी रामभरोसे हैं। हमारे राज्य के साधनों से, राज्य के जरिये से वह स्थिति पैदा नहीं हुई कि हम रामभरोसे से आगे थोड़ी देर भी बढ़ सकें। यह आज स्थिति है....(व्यवधान) रामभरोसे खेती है, यह कह रहा हूं। राम का नाम लेते हो।

(श्री नत्थीसिंह)

राम आपका निकल गया है और बात कर रहे हो.... (व्यवधान) राम क्या है, जानते हो नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : अब मैं यह कहना चाहता हूं कि खेती के लिए आप क्या दें।

डा. चन्द्रभान : राम-राम करने से काम नहीं चलेगा। कुछ करके दिखाओ।

श्री नत्थीसिंह : हमारे पहाड़ी क्षेत्र बहुत सीमित है और उनकी भी हालत क्या है। 24 तारीख को हमारे दो वरिष्ठ माननीय सदस्यों को धरना देना पड़ रहा था। जिस गंगानगर में हम कहते हैं कि नहरों की वजह से उत्पादन बढ़ेगा, वहां स्थिति यह हो रही है कि क्लोजर नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं हो रहा है। दूसरा हमारा इलाका, हमारे यहां भी यह कहते हैं कि हमारे यहां भी उत्पादन अच्छा होता रहा है। आज सुन रहे थे, भरतपुर के लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है और खेती का हाल भी खराब हो रहा है। गंगानगर के बाद उत्पादन के क्षेत्र में भरतपुर का दूसरा नम्बर है वहां पानी की कमी की वजह से एक लाख हैक्टेयर खेती की जमीन, मतलब सात लाख बीघा जमीन खार से पीड़ित है। पिछली बार भी मैंने जिप्सम ट्रीटमेण्ट के लिए कहा था, भारत सरकार ने उसका अनुदान बन्द कर दिया। मुख्यमन्त्री जी ने कहा था हम कुछ सोचेंगे। आज तक जिप्सम ट्रीटमेण्ट के लिए किसानों को कोई मदद देने का प्रावधान नहीं किया गया। यह आपकी संवेदनशीलता है। संवेदनशील सरकार की बात आपने बड़ी दोहराई है। हम बड़े संवेदनशील हैं। यह संवेदनशीलता है। यह स्थिति क्यों है, इसलिये कि जल के अन्तर्राज्यीय विवाद हैं। चाहे यमुना का हो, दूसरी नदियों का हो, गंगा का हो, वहां तो हम कारगर नहीं हो पाते हैं। हमारी नदियों का पानी, हमने कई बार इस बात को उठाया है कि चम्बल नदी के पानी से यू.पी. सौ करोड़ की योजना बना रहा है राजाखेड़ा से आगे। उसे रोकिये और हमारे इन इलाकों में, जहां पानी का प्रबन्ध नहीं है, उसमें लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा पानी पहुंचाइये। हमारे पानी को वह ले जायेंगे। पानी को रोकेंगे, दूसरे भी आप से बात करेंगे लेकिन इसके लिये कोई योजना इस एक वर्ष में नहीं बनी है और इस भाषण में इसका कतई जिक्र नहीं है। कनाड़ा की सहायता से कमाण्ड योजना की बात कही है लेकिन जिन इलाकों में जरूरत है, उसके लिये कतई नहीं किया।

हुआ क्या है, हमारे पेयजल मन्त्री जी आ रहे हैं, उनके सामने समस्या रखी। चम्बल का पानी आप दे नहीं सकते। भरतपुर में यह स्थिति क्यों आई, इसीलिये बाण गंगा, गम्भीर, रूपारेल, जो नदियां वहां आती थीं, वह जगह-जगह पर रोक दी गई। जो पानी मिलता था, वह पानी हमको नहीं मिलना है और इसीलिये जल स्रोत नीचे आये। हम अन्तर्राज्यीय विवादों में लड़ते हैं कि हमारा हिस्सा मिले, वह नहीं ले पा रहे हैं। हमें जो पानी हमारी नदियों, बरसाती नदियों से मिलता था, वह पानी भी आप हमको नहीं दिला पा रहे हैं जगह-जगह से रोक रहे हो, कैसे खेती की तरक्की होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अपनी स्टेट

(श्री नत्थीसिंह)

के अन्दर भी इस बात पर बैठ कर सोचिये कि जिस इलाके का विकास पानी की सप्लाई पर आधारित था, उस पर किसी तरह का कोई कुप्रभाव नहीं पड़े। उसकी योजना भी बनाई जानी चाहिए, जो आपने नहीं बनाई है। अभी आपने तिलम संघ की बात कही है। कृषि मंत्रीजी हैं, सहकारिता मंत्रीजी चले गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तिलम संघ बहुत अच्छा है। आपने तिलहन का उत्पादन भी बढ़ाया है। क्यों बढ़ा है ? तिलहन एक ऐसी पैदावार है जो बिना पानी के भी पैदा हो जाती है, इसलिये बढ़ता है। लेकिन तिलम संघ के जरिये.... (व्यवधान) हमारे यहां बिना बरसात के ही होता है.... (व्यवधान) यहां सबसे ज्यादा सरसों पैदा होती रही है। वहां बरसात के बल पर ही सरसों होती थी। आज भी हमारे पास देने को बहुत कम पानी है। तिलम संघ की बात कर रहा हूं। इसकी यहां पर बड़ी प्रशंसा की गई है। उसकी कारगुजारी पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिये।

तिलहन संघ की 13 सोसाइटियां भरतपुर जिले में बनी हैं। उसमें सैकड़ों किसान मेम्बर हैं। सुनिये, मंत्रीजी। समाज कल्याण के साथ-साथ कुछ किसान कल्याण की बात होने दीजिये। तिलहन संघ द्वारा 13 सोसाइटियां तिलहन की बनी, सैकड़ों किसान उसके सदस्य हैं। उन सब को संघ ने कहा कि हम उन्नत बीज देंगे। उनको दो तरह का उन्नत बीज दिया गया। बाजार भाव से एक रुपया सवा रुपया रेट ज्यादा ली गयी। आज स्थिति यह है, उपाध्यक्ष महोदय, उन सैकड़ों किसानों की पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गयी। सरसों का पेड़ खड़ा है, फली ऊपर हो रही है, कतई भराव नहीं आया और बगल में जो बाजार से बीज लाये उनमें सरसों आ रही है। यह स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार की क्या योजना है ? जिस तरह से हम इनकी प्रशंसा बहुत करते हैं लेकिन किसान को धोखा देकर ऐसे दूषित, दोषपूर्ण बीज देते हैं जिससे उनकी, सैकड़ों किसानों की फसल बरबाद हो गयी। उनको आज क्या मुआवजा देने जा रहे हैं ? और जिसके कारण से यह हुआ उनको क्या दण्डित करने जा रहे हैं ? आज किसान की सुरक्षा का इन्तजाम है आपके पास ? हमने यहां पिछली बार यह मामला उठाया था। मामला यह था कि पिछली बार ओले गिरे थे उससे फसलें नष्ट हुई थी। हमने कहा था हरियाणा में नियम है कि फसल प्राकृतिक आपदाओं से खत्म हो जाती है उनको तीन सो रुपया एकड़ के हिसाब से पहले दे देते हैं और फिर जब उसकी क्षति आंकते हैं तब देते हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि आप इस पर ज्यादा बहस मत करिये मैं सब ठीक कर दूंगा। कहा कि रूल में कोई संशोधन करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य भी होगा और दुःख भी होगा। मैं गया गांव में, गिरदावर और नायब तहसीलदार भी वहां आये थे। उन्होंने कहा कि हम इन गांव वालों को समझा रहे हैं। सरकार ने मुआवजा भेजा है, जो फसल नष्ट हो गयी थी ओले से उनके लिये मुआवजा भेजा है परन्तु ये ले नहीं रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे ? उन्होंने कहा कि हमारी पूरी फसल नष्ट हो गई और यह 50 रुपया मुआवजा दे रहे हैं, कोई 45 रुपया तो किसी को 30

(श्री नत्थी सिंह)

रुपया दे रहे हैं। इसको लेकर क्या करें। तो यह मुआवजा, यह क्षतिपूर्ति, यह संवेदनशीलता आपकी किसान के प्रति है। मैं समझता हूं उसमें तो आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिये संवेदनशीलता कहते वक्त। मैं पूछना चाहता हूं आपसे क्यों नहीं आप इस प्रदेश के किसान को आज सबसे बड़ी जरूरत है पानी की। जब पानी का इन्तजाम आप नहीं कर सकते, आप लगाइये जहां नहर नहीं है, जहां पानी ज्यादा है वहां बड़े विस्तार पर पम्प, नलकूपों की योजना बनाइये। लेकिन नहीं बनाते। कहीं जिक्र नहीं है। कहीं इसमें जिक्र हो तो बता दीजिये। कुछ भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, किसानों को सुरक्षा देने के लिये, प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिये क्या योजना बनाने जा रहे हैं? यह बात तो करिये आप। फसल बीमा की बात करेंगे तो आप दूर हट जायेंगे। किसान को सुरक्षा तो दीजिये कि किसान मेहनत करेगा और फसल बरबाद भी हो जायेगी तो हम रक्षा करेंगे। यह कुछ नहीं कर रहे हैं आप। इसलिये मैं कहना चाहता हूं आप कैसी खेती की तरक्की करना चाहते हैं।

अभी यहां भाव की बात हो रही थी। चले गये सहकारिता मन्त्री महोदय। भाव? जनता दल के शासन में ही किसान को फसल के वक्त पर पूरे भाव मिले, इसकी सुरक्षा की गई थी, आश्वस्त किया गया था। लेकिन आज भाव गिर रहे हैं, निरन्तर किसान की फसल आयेगी तब और गिरेंगे। दिल्ली में जैसी केन्द्रीय सरकार की नीति है उसके अनुसार किसान बेच देगा और जब सेठों के गोदाम भर जायेंगे तब वह मुनाफा कमायेंगे। यह स्थिति आज आप पैदा कर रहे हैं। हमारा कृषि प्रधान देश कैसे तरक्की करेगा? आज कोई किसान की सुरक्षा नहीं है। आपको ध्यान नहीं है, आपके पास उपचार नहीं है।

एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। वह यह है कि आपने कहा है कि हम किसान को बड़ी भारी बिजली की सुविधा देंगे। बिजली की ज्यादा बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सुमित्राजी मेरे बाद में बोलेंगी और वह इसकी एक्सपर्ट है, ज्यादा बात तो वही कहेंगी लेकिन मैं दो बात कहना चाहता हूं। अभी सवेरे बात हो रही थी। इधर से हमारे जो इधर बैठे हैं माननीय सदस्य टौंक के वह मन्त्रीजी से कह रहे थे, वह पूछ रहे थे स्पेसिफिक सवाल और वह मन्त्रीजी कह रहे थे कि जब साधन होंगे तब करेंगे। कोई साफ जवाब नहीं दे रहे थे। आज स्थिति यह है कि आपने 25 हजार कनेक्शन की घोषणा की और कहा कि तुरन्त पैसे जमा करवायें। तो 12 हजार तो पहले से बचे हैं और 13 हजार उसमें शामिल करके 25 हजार बता दिये। आज आपकी तकनीकी क्षमता क्या है? अभी कह रहे थे कि इतने हजार गांव इलैक्ट्रिफाई कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते होंगे, इलैक्ट्रिफाई का मतलब क्या है? बिजली तो मिलती नहीं है खेती को और घर को। यह हाल है और गांव को इलैक्ट्रिफाई कर देंगे परन्तु बिजली कहां से मिलेगी। इतनी तकनीकी क्षमता है नहीं। ट्रान्सफार्मर जल जाते हैं, कोई परवाह ही नहीं है। गांव की स्थिति यह है कि बच्चे पढ़ते हैं रात को 10 बजे तक तो बिजली उनको मिलती नहीं। काट देते हैं कनेक्शन, लाइन काट देते हैं। यह हाल है और फिर

(श्री नत्थीसिंह)

आप कहे कि हम क्षमता बढ़ायेंगे। आज आपका जो गैप है वह बढ़ कर 44 प्रतिशत हो जायेगा और आज 30 प्रतिशत है। तो उसे कैसे पूरा करेंगे। आपने कहा है कि हमारे पास योजना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे अभी बहुत कम ही समय हुआ है, मुझे ध्यान है। सूरतगढ़ में आपने क्या किया। आपने 4 इन्जीनियर लगाये हैं। बरसिंहपुर में कहते हैं कि लगायेंगे। क्या हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं किया। भारत सरकार ने जरूर आपको स्वीकृति दे दी, 2×120 मेगावाट की मन्जूरी जारी कर दी लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर पाये हैं। चित्तोड़ का तो बिड़ला को दे दिया और अभी तक आपके पास रिपोर्ट ही नहीं आयी। धौलपुर का तो राम ही मालिक है। क्यों मालिक है? हमारे मुख्य मन्त्रीजी प्रतिनिधि हैं। एक तरफ तो वहां पर ताजमहल और दूसरी ओर हमारे यहां चिड़िया आ गयी। एक कह रहे थे कि यहां तेल संयंत्र लगाया जायेगा। हमारे यहां के दो-दो मन्त्री बैठे हैं उधर। हम जब थे तब तेल संयंत्र भरतपुर को मन्जूर हुआ था, 40 करोड़ रुपये की योजना थी और हटते ही कह दिया उसको अलग ले जायेंगे। क्यों ले जायेंगे? कहा पर्यावरण। वहां पर इतनी तेल मिलें हैं, भरतपुर में उद्योग ही केवल वही है। वहां से संयंत्र किस लिये हट रहा है। पर्यावरण की बात है। कैसे विकास करेंगे मैं पूछना चाहता हूं। आज क्या हो रहा है? आज इन्जीनियर हड़ताल पर बैठे हैं, उनका झगड़ा चल रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं लेकिन उनको विक्टिमाइज जरूर कर रहे हैं। विक्टिमाइज क्या कर रहे हैं। उनका अध्यक्ष है उसको कह दिया तुम्हारा व्यास प्रोजेक्ट पर पंजाब ट्रान्सफर कर दिया। वह जाकर मिले मुख्य मन्त्री महोदय से। उन्होंने कहा कि मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन तो दिया है। मुझे पूछने लगे कि आपका क्या अनुभव है। मैंने कहा बृज भाषा में कहावत है "ददला कसम की हांसी ना सांसी पतो ही ना चाले"। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, हंसी का कुछ पता ही नहीं चलता। वह हाल हमारे मुख्य मन्त्रीजी का है। वह कुछ भी कह दे कुछ पता ही नहीं चलता, सच्च बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं राम जाने। इसलिये, अभी हैं नहीं श्रीमान हमारे। सहकारिता मन्त्रीजी। अभी बात कर रहे थे। मैंने कहा लोकतंत्र में कहां रह गया विश्वास। कहीं नहीं रहा।

पूर्व में मैंने कहा था सोसाइटियों को भंग मत करो और चुनाव कराओ। एक साल में चुनाव करवा देंगे। मैंने इस सदन में कहा था कि एक साल में आप नहीं करा पायेंगे, यह गलत है। दो साल कर दिये और आज आपने कहा कि छह महीने में करवा देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज फिर कहता हूं सदन जो हमारा सार्वभौम है, छह महीने आज से गिन लो। यह सरकार बहानेबाज है, छह महीने में भी पूरी सोसाइटियों के चुनाव नहीं करा पायेगी। हालत क्या है आप और हम जानते हैं। अपेक्स सोसाइटियों के 15 वर्ष से चुनाव नहीं हुये। कौन से कानून के तहत उनको रोक रखा है।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो सरकार में रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : हम भी रहे हैं, हमने बहुत जोर लगाया। क्यों नहीं करते ? इसलिये कि हम में आज निष्ठा की कमी आ गयी है। आज पंचायती राज का भी वही हाल है। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, इतनी रसद देंगे, सामग्री देंगे, यह करेंगे, काआपरेटिव को देंगे। मैंने कहा था। अक्टूबर से रबी का ऋण नहीं मिलेगा, खाद, बीज नहीं मिलेगा, गांवों में जो कन्ट्रोल की वस्तुएं जाती है वह नहीं जायेगी। इसका इन्तजाम करो। कह दिया हम 30 सितम्बर तक व्यवस्थापकों की हड़ताल समाप्त करवा देंगे। अब हुई है जाकर। सारा साल निकल गया, कुछ नहीं मिला उनको। यही पंचायती राज का हाल है। मुझे नहीं लगता कि मुख्य मंत्रीजी पर असर किस का पड़ गया। हमने पंचायतों को तोड़ने नहीं दिया बहुत जोर लगा रखा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ संग का असर पड़ ही जाता है। पंचायतों को तोड़ देंगे तो फिर आपकी निष्ठा क्या जायेगी। पंचायतों को रखते, पुनर्सीमन कराते, चुनाव करवाते। अब भी नहीं करा पायेंगे ऐसा लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, जनतंत्र में आस्था होनी चाहिये। गृह मंत्रीजी कृषि मंत्री थे। इन्होंने इसी सदन में कहा था कि कृषि उपज मंडी के चुनाव इतने समय में करवा देंगे लेकिन आज तक वोटर लिस्ट ही तैयार नहीं हुई, चुनाव की बात तो दूर रही। मैं कहना चाहता हूं कि आस्था नहीं रही। आस्था क्यों नहीं रही ? मुझे बड़ा दुःख हुआ, मैं कहना चाहता हूं सदन के सामने और इस मंत्रिमण्डल के सामने, जरा सोचे तो सही। आठवीं विधान सभा में जब कांग्रेस का शासन था तब मैंने एक सवाल यहां उठाया था और मैंने यह कहा था कि यह जिलाधीश, जिलाधीश क्या आप कहते हो। कहां से जिलाधीश आ गए। सामन्ती स्वभाव हमारा क्यों नहीं गया। मुख्य मंत्रीजी जो उस समय विपक्ष के नेता थे उन्होंने समर्थन किया और मुझे खुशी है उस वक्त की सरकार ने एक सर्कुलर निकाला और जिलाधीश कोई नहीं लिखेगा। जिला कलक्टर को जिला मजिस्ट्रेट लिखेंगे। सारी नेम प्लेट और कारों पर बदल गया लेकिन आज इस सरकार में कितना सामन्तवाद संस्कार उत्पन्न हो गया कि हमारे राज्यपाल महोदय जो सबसे बड़े है, उनसे क्या कहलवाया है पेज नं. 21 पर। मेरा तो सर शर्म से नत मस्तक हो गया "....विभिन्न राजनैतिक दल........जिलाधीशों से प्राप्त ...।" जिलाधीश शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब संस्कार आपने बिल्कुल अलोकतांत्रिक, सामन्ती संस्कार है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सड़कों की बात कही गयी। यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सड़कों की मरम्मत जरूर करायी है लेकिन कृषि उपज मण्डी की सड़कें खत्म हो रही है और मरम्मत नहीं हो रही है। कोई योजनाबद्ध समन्वय नहीं है दोनों विभाग कैसे मिलकर सड़कों को ठीक करें। आज मेरे साथी नहीं हैं, मेरे वरिष्ठ नेता हैं वह अक्सर सभाओं में कहते हैं क्या है इस राज्य में मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र में काम नहीं हो सकता है, मेरे में होता है। मैंने कहा क्यों ? तो कहा राजनैतिक हैसियत से शासन को प्रभावित किया जाता है। यह योजना है या राजनैतिक हैसियत से काम होते हैं। आप कोई योजनाबद्ध काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें।

(श्री नत्थीसिंह)

कानून व्यवस्था की बात मेरे बहुत से माननीय सदस्यों ने कही है....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री नत्थीसिंह : बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। केवल इतना ही कहूंगा कि कानून है ही नहीं। लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार है नहीं।....(व्यवधान)....आपने बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। क्या किया है आपने बेरोजगारों के लिए। आपने तो यह किया है कि जो लड़के हम लगा गये थे उनको आपने निकाल बाहर किया है। ट्रैंड इंजीनियर को हटा दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति है। न जान-माल सुरक्षित है न खेती की तरक्की हुई है न मंहगाई रुकी है। ऐसे शासन को कैसे धन्यवाद दिया जाय। मैं तो कहूंगा आप अपने आप सोचें और यह रास्ता छोड़कर थोड़े दिन वनवास में जाकर कुछ प्रायश्चित करें और राजस्थान को मुक्ति दें ताकि ऐसे भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान (नागौर) : माननीय उपाध्यक्षजी, पिछले दो दिनों के अन्दर जिन पर चर्चा हुई है उसमें दो विषयों में से एक है पंचायत। पंचायतों के पुनर्गठन का जो काम पिछले आठ-नौ महीने से चल रहा है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि पहले जो पंचायतें रहीं, उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने जो कार्य-कलाप किये वह सबके सामने हैं एक-एक पंचायत में जो गांव थे उनमें से एक-दो गांव का विकास ही हुआ बल्कि बाकी गांवों में विकास नहीं हुआ। बाकी का विकास नहीं हुआ। एक आदमी 20-25 साल तक सरपंच रहा उन्होंने केवल अपने यहां का विकास किया दूसरों का नहीं किया। इसके अलावा पांच हजार में से 2700 पंचायतें ऐसी हैं जिनके खिलाफ गबन तक के आरोप हैं। इस तरह की पंचायतों से कोई फायदा नहीं था। कम से कम गांव के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं था। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार ने जो योजना बनायी है छोटी-छोटी पंचायतों की उससे सरकार जनहित का काम कर सकती है इसलिए जल्द से जल्द पुनर्गठन करके पंचायतों के चुनाव करायें।

एक पुलिस के बारे में खास तौर से निवेदन करूंगा। पुलिस की व्यवस्था पिछले दो साल में इतनी अच्छी रही कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। राजस्थान में पिछले कांग्रेस शासन में थानों की सरेआम निलामी होती थी, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में। लेकिन पिछले दो साल में मेरी गारण्टी है कि एक भी थाना निलाम नहीं हुआ। किया हो तो कोई बता दे (व्यवधान) हो तो साबित कर दे वह मेरी गारण्टी है एक भी थाना नीलाम नहीं हुआ (व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : इससे ज्यादा भ्रष्ट शासन हिन्दुस्तान में नहीं है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : आप मेरी बात सुन लीजिए। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों का खास तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर पिछले 40 साल

Page No. 104

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

तक जो आपका शासन रहा उसमें मुसलमानों के साथ इतना अन्याय कि एक-एक मुसलमान को बिना कारण के दस-दस दिन और महीने तक थानों के अन्दर बन्द रखा गया। सलाल कल्लन का आपको पता है, उसकी मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई, आपने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : टाडा में कितने लोग बन्द हैं ? शर्म करो।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : आज गारण्टी के साथ कह सकता हूं कि जैसलमेर और बाड़मेर के अन्दर कोई मुसलमान अवैध रूप से बन्द नहीं हुआ। आप पुलिस के बारे में कह रहे हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। आपने जो किया वह खुद आपको पता है कि पुलिस ने क्या किया था। अब पुलिस ने कितना अच्छा काम किया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एम. एल. ए. को नहीं खरीदा आपने ?

श्री हेतराम बेनीवाल : खरीदे होंगे तो पहले खरीदे होंगे। अब हमको याद नहीं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : आपने क्या किया वह बता रहा हूं। आपने एक क्लास के अन्दर 10 बच्चे उर्दू के हों और 40 बच्चे हों तो एक अध्यापक लगाने की बात की, नियम जरूर बनाये लेकिन कार्यान्वित आज तक नहीं की हमेशा नियम बनाये, वहां पर भाषण देते रहे, मुसलमानों के बीच में जाकर कहते रहे लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं किया। आपको एक बात और बताना चाहता हूं 15–20 वर्षों के अन्दर उर्दू के जितने भी अध्यापक थे उनकी सीनीयरटी लिस्ट तक नहीं बनवायी। वह अब पिछले दो साल से मैं बनवा रहा हूं (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उनकी जगह ड्राइंग और संस्कृत के अध्यापक लगा दिये।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : थर्ड ग्रेड के टीचर्स के आज तक प्रमोशन नहीं हुए थे अब हो रहे हैं। पिछले साल उर्दू के अन्दर 15 अध्यापकों के प्रमोशन हुए आपके शासन-काल में कभी प्रमोशन नहीं हुआ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपकी बात तो शिक्षा मंत्रीजी को ही नहीं पची, वह ही उठकर चले गये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : बी. एड., वगैरह के अन्दर जो आज तक प्रवेश नहीं हुए वह अब हो रहे हैं। आपने तो मुसलमानों के बीच जाकर उनको आपस में लड़ाने का काम किया और हिन्दु को मुसलमान से लड़ाया, इसके अलावा आपने कोई राजनीति नहीं की। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो चालीस साल में करके दिखाते।

श्री रामनारायण वर्मा : पाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करके ही कहें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। यह कोई पाइंट आफ आॅर्डर नहीं है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : एक बात और कहना चाहता हूं वक्फ के जितने मामले हैं उनको आज तक आपने उलझाये रखा,

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

कोई बीस साल से पेण्डिंग है कोई कब से है। किसी कब्रिस्तान का फैसला नहीं किया। आप केवल मुसलमान को डराते रहे और वोट लेते रहे, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन की ओर सम्बोधित कीजिए। उनकी ओर नहीं, उनको एतराज है। डाइरेक्शन इधर कीजिए।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मेरी भावना ऐसी है। सच्ची बात कहनी पड़ती है। वह वहां जाकर कुछ कहते हैं, यहां आकर कुछ कहते हैं. करते कुछ नहीं हैं सिवाय बीजेपी और जनता दल (दिग्विजय) के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। मैं नागौर का उदाहरण देना चाहता हूं नागौर जितना उपेक्षित रहा है उतना कोई जिला उपेक्षित नहीं रहा। पिछले दो साल में मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पानी की 60 गांवों की व्यवस्था की गयी और यह भंवरलालजी ने की है। आज तक लोग पानी के लिए तरसते रहे हैं लेकिन पहली बार 60 गांवों के लिए पानी की व्यवस्था इस सरकार ने की है। चालीस-चालीस किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है। इसके अलावा 33 के. वी. की लाइन तब देखने को नहीं मिलती थी नागौर और मूंडवा क्षेत्र में यह बिजली की व्यवस्था साल भर के अन्दर हुई है। आज दिन तक नागौर जिले को अविकसित रखा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यह दोनों समस्या खत्म होगी। आज नागौर के 60 प्रतिशत हिस्से में ट्यूब वैल की वजह से हरियाणा और पंजाब का मुकाबला कर रहा है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय........

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सदस्य आप यहां बोल रहे हैं, चर्चा में हैं ठीक है, ऐसी बात न करें कि आपके मतदाता भी आपके पीछे पड़ जायं।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : मेरे मतदाता तो मेरे साथ हैं, उसकी चिन्ता करने की आपको जरूरत नहीं है। सारे राजस्थान के मुसलमान मेरे साथ हैं। वह चौमूं नहीं है। चौमूं के मुसलमान भी मेरे साथ है आपके साथ नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी स्थिति राजस्थान के एक छत्र मुसलमान नेता की मालूम पड़ रही है।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : आपको तकलीफ हो रही है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : जोधपुर के अन्दर जो उच्च न्यायालय है उसको धीरे-धीरे बदलकर जयपुर लाया जा रहा है। यह बड़े खेद का विषय है क्योंकि जोधपुर में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है तो महीने के अन्दर 22 दिन वहां पर मुख्य न्यायाधीश को बैठना चाहिए था। इसके अलावा जितनी नियुक्तियां होती थी वह जोधपुर में होती थी वह चेन्ज होकर नए. डी. सी., स्टेनो, आर एच. जे. एस. सबकी नियुक्ति जयपुर से हो रही है। यह बड़े खेद का विषय है और इससे जोधपुर क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है इस पर

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

सरकार को कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजपाल सिंहजी।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, उनकी तरफ से दो माननीय सदस्यों का नम्बर आ गया। हमारा नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : क्रम बिल्कुल सही है। अब आपकी बारी आयेगी। जनता दल (डी) से बोले थे। अब बी. जे. पी. से बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक क्रम से बोला जा रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : बी. जे. पी. से दो बोले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह भाजपा के नहीं हैं। बिल्कुल ठीक क्रम में चलाया जा रहा है। आपको कोई शंका हो तो सूची ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक पुकारा जा रहा है। नेक्स्ट आप हैं। माननीय श्री राजपाल सिंह जी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण केवल बजट सत्र का उद्घाटन भाषण नहीं है। गत दो सालों में राज्य की सरकार ने, राज्य के विकास के लिए और सामाजिक विकास के जो कार्य किये और आगामी वर्षों में सरकार ने जो कार्य करने की योजना रखी है खासतौर से इस वर्ष में इसका लेखा-जोखा स्पष्ट ढंग से इस अभिभाषण में पहली बार परिलक्षित हुआ है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पूर्व सत्ता में परिवर्तन हुआ था, वह सत्ता में परिवर्तन नहीं था, वह मूल्यों का परिवर्तन था वह सिस्टम का चैंज था और सिस्टम के इस चैंज से जन आकांक्षायें जागीं और जन आकांक्षाओं के साथ में राजस्थान की सरकार ने जनता को जिस तरह का स्वच्छ और संवेदनशील प्रशासन गत दो वर्षों में दिया है उस प्रशासन की सफलता के लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप गलत पड़ गये, आप में दम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप से हाथ मिलाया था उस समय रंग गये।

श्री राजपालसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी राजनैतिक पार्टी किसी लम्बे समय तक सरकार में रहती है या सत्ता के साथ रहती है तो जो प्रशासनिक निरंकुशता आती है और भ्रष्टाचार पनपता है वह जनहित के प्रति उपेक्षा के भाव की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन का जो प्रयास सरकार ने किया वह सराहनीय है और एक्जम्पलरी है और इसी प्रयास और सन्दर्भ में राजस्थान की सरकार ने स्टेट ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन का गठन किया और इस स्टेट ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन के गठन को सही सिद्ध करने के लिये उन लोगों पर हाथ डालने की कोशिश की और हाथ डाले जो लोग आज तक कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रश्रय दिये जाते रहे हैं। स्टेट ब्यूरो आफ

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इन्वेस्टीगेशन ने पहली बार रिकार्ड 216 केस रजिस्टर किये। 97 मामलों में चालान पेश किये और 16 के करीब राजपत्रित अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही करने का रोल प्ले किया। स्टेट ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन की मार्फत न केवल एक आई. ए. एस. अधिकारी का निलम्बन हुआ वरन् एक दूसरे आई. ए. एस. अधिकारी के ऊपर इन्वेस्टीगेशन चल रहा है। एक आबकारी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। जिन आफिसर्स पर भ्रष्टाचार के लांछन थे या जो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर रहे थे उन सब पर इस सरकार के आने के बाद रोक लगी है। इस बात के लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं और पूरा सदन इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक मत है। उस ओर कांग्रेस के माननीय सदस्य भी कुछ ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में सरकार को सहयोग देना चाहते हैं और पूरे सदन को सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने के इस मोहिम की सफलता के लिये बधाई देना चाहिये और सरकार के हाथ इस मामले में मजबूत करने चाहियें।...

श्री हरिसिंह (महुआ) : तैयारी करके नहीं आये।

श्री राजपालसिंह शेखावत : हां तैयारी करके मैं नहीं आया। मैंने सोचा आप बोलने के लिए तैयारी करके आयेंगे तब जवाब दे दूंगा।

जिस वक्त सरकार बनी, अपव्यय के कारण जिस तरह की आर्थिक स्थिति इस प्रदेश को मिली, हमारी सरकार को मिली, उस स्थिति के अन्दर बड़ी अजीब स्थिति थी। लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था थी। उस अर्थ व्यवस्था के अन्दर 605 करोड़ रुपये का घाटा....(व्यवधान) मैं माफी चाहूंगा मैं कांग्रेस राज की प्रति व्यक्ति विनियोग दर को देख कर डर गया था....

एक माननीय सदस्य : माननीय मन्त्री जी डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सहयोग कीजिये।

श्री राजपालसिंह शेखावत : एन. जी. पी. सी. रेशो 40 प्रतिशत का था। डाउन डेवलपमेंटल एक्सपेन्डीचर की ग्रोथ डेवलपमेंटल की ग्रोथ से ज्यादा थी। और फिसकल पालिसी हेम्ब्रेलेन्स के दौर से गुजर रही थी। एक कम्पलीट एनार्की का सा माहौल था। उस स्थिति के अन्दर सरकार ने पूरी सक्षमता के साथ में, पूरी दृढ़ता के साथ में और पूरी कमिटमेंट के साथ योजना को बढ़ाया यानि 76 प्रतिशत बढ़ाकर 605 करोड़ रुपये की वृद्धि की।

जहां तक माननीय सदस्य कह रहे थे कि रुपये की कीमत गिर गई। यह सच है कि बार-बार केन्द्रीय सरकार रुपये का डीवेल्यूवेशन करती रही और रुपये की कीमत इस हद तक गिर जायेगी कि हमको करेन्सी बदलनी पड़े लेकिन इस गिरते हुए रुपये के अनुमान के ऊपर भी देखा जाये तब जब हम सरकार में आये उस वक्त रुपये की कीमत 16 नये पैसे थी जो आज की तारीख में रुपये कीमत 11 नये पैसे है। अगर 16 पैसे से 11 पैसे की गिरावट की परसेन्टेज को देख लिया जाये और जब सरकार में आए उस वक्त की योजनागत उस वक्त के प्लान आउटले को और आज के प्लान

Page No. 108

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

आउट को लें तो 76 प्रतिशत की गिरावट हमारे दो सालों में आई है। प्रदेश के विकास के अन्दर हम सब की साझेदारी हो, हम सबका सहयोग हो और इस सहयोग के अन्दर कोई दिल्ली का मुख्य मन्त्री नहीं है जो मुख्य मन्त्री जनता में जाकर मुख्य मन्त्री बना है अगर वह मुख्य मन्त्री अपनी सक्षमता के बल पर दिल्ली के सामने घुटने न टेकते हुए अपनी चीजों को मनवाने की क्षमता रखता है तो राजस्थान के विकास में हिस्सेदारी रखने वाले वह लोग राजस्थान के विकास को प्रोत्साहित करने वाले हर लोग चाहे वह कांग्रेस के हों, जनता दल (दिग्विजय) के हों, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे विभाजित जनता पार्टी के हों, सबको इस बात को स्वीकार करना चाहिये, इस बात की सराहना करनी चाहिये।

कृषि के मामले में बताया गया कि तिलहन ऐसी चीज है जिसको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। सबसे बड़ा प्रश्न राजस्थान के लिये, हमारे प्रदेश के लिये यह है कि कृषि की उपज को स्थायित्व कैसे दिया जाये। ऐसी स्थिति कैसे बनाई जाये कि अच्छे वर्षों के अन्दर उपज बढ़ जाये और अकाल के वर्षों में उपज की घटाव दर बहुत कम हो इसके लिये सरकार ने काफी कार्य किये हैं। जहां तक तिलहन की वृद्धि का ताल्लुक है मैं समझता हूं गत सालों के बजट को देखें, गत सालों के माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों को पढ़ें तो यह पहली सरकार थी जिसने वाटर मैनेजमेंट के कन्सेप्ट को मूर्त रूप देने का प्रयास किया....

(2.50 म.प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

पानी का अनुकूलतम उपयोग और अधिकतम उपयोग हो, इस सन्दर्भ में स्प्रिंकलर्स की सबसिडी काफी सरकार ने दी है। ड्राई फार्मिंग को प्रोत्साहन देने वाली सरकार है अगर ड्राई फार्मिंग के तहत स्प्रिंकलर्स सिस्टम से पानी के अनुकूलतम् उपयोग से तिलहन के इलाके को बढ़ा करके उन सब फसलों को जिनमें पानी का उपयोग कम होता है उसकी जोत को बढ़ा करके अगर तिलहन के उत्पादन को तिगुना कर दिया जाता है तो मैं समझता हूं नत्थीसिंह जी को इसमें क्या तकलीफ है ? इस तरह की नीति जो 30 साल पहले बन जानी चाहिये थी उस कृषि की नीति को कार्यान्वित करने के लिये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (दिग्विजय) की सरकार ने करना शुरू किया है तो इसका विरोध करना राजस्थान के हितों के साथ में खिलवाड़ होगा।

इसी सन्दर्भ के अन्दर जल ग्रहण विकास अधिकरण का बनना, तिलहन संघ का बनना, और कृषि के समग्र विकास के लिये जो कृषि नीति की घोषणा करने वाली है सरकार, उस कृषि नीति की घोषणा के बाद में, कृषि का समग्र उपयोग और विकास कैसे हो सकता है उस पर एक चर्चा होगी, आपके सामने भी आयेगी और सरकार के कार्य-कलापों को बढ़ोतरी मिलेगी। तिलहन के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। सैन्ट्रल गवर्नमेंट की फर्टीलाइजर्स पर सबसिडी रिड्यूस करने के बावजूद, सैन्ट्रल गवर्नमेंट का किसानों के विरुद्ध कदम होने के बावजूद गरीब किसानों

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की फर्टीलाईजर पर सबसिडी रोकने के बावजूद, तिलहन के अन्दर जिस तरह की पैदावार बढ़ी है उस पैदावार से अगर तकलीफ किसी कांग्रेस के नेता को है तो वह तकलीफ यह हो सकती है कि कांग्रेस की दिल्ली में बैठी सरकार के किसान विरोधी होने के बावजूद राजस्थान की सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा कर कैसे दी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह श्रेय तो सम्पत सिंहजी को जाता है।

श्री राजपालसिंह शेखावत : सम्पत सिंह जी भी हमारे हैं, आपके बने नहीं हैं। हम तो चाहते थे कि गये चालीस साल में यह श्रेय आप ले गये होते।

एक माननीय सदस्य : अब तो किसान विरोधी है न, मान लिया आपने ?

श्री राजपाल सिंह शेखावत : इनको जनता ने बता दिया है, ये मानने को तैयार नहीं थे। बाजुओं की बात कर रहे थे भंवरलाल जी शर्मा से, ये बाजू तो इनके बहुत आजमाए हुए हैं, तो बाजुओं की कोई बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीख : उस ताकत को तो राजस्थान याद रखेगा जो बाजुओं की ताकत आजमायी है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अन्दर कांग्रेस का हाथ था।

श्री राजेन्द्र पारीक : कांग्रेस ने बाजू नहीं आजमाए, कांग्रेस ने गले से लगाया लोगों को और इन्होंने बाजू आजमाए वहां पर।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : बाजू तो आजमाए हुए हैं। बढ़ोतरी हो गयी हो तो ठीक है। काफी जवाब हैं राजेन्द्रजी, बनीपार्क में आमन्त्रित करता हूं इस बार बाजू आजमाने के लिए।

जहां तक अकाल का ताल्लुक है, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान, एक तरह से देखा जाय तो एरिड और सेमी एरिड जोन का जोग्राफिकल कम्पोजीशन है। इस इलाके में समस्या केवल ड्राट की नहीं है, फेमिन की नहीं है, यह समस्या परपीचुअल और पेरीनियल फेमिन और ड्राट की है। इस हद तक है कि कांग्रेस के राज में 1987-88 के अन्दर 627 करोड़ रुपये सिर्फ फेमिन रिलीफ के नाम पर खर्च हो गये और जो उस साल के प्लान आउट-ले से भी ज्यादा थे। एक इस तरह की स्थिति बनी कि जब पूरा का पूरा एनुअल प्लान आउट-ले फेमिन की रिलीफ में खत्म हो गया। ऐसी स्थिति में यह सोचना पड़ेगा कि फेमिन रिलीफ के लिए, ड्राट को रोकने के लिए, सूखे को रोकने के लिए, इसके स्थायी समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी तक राजस्थान सरकार को ड्राट और फेमिन के स्थायी समाधान के लिए पैसा नहीं दिया और वास्तविक सन्दर्भों में राजस्थान को कोई हैल्प नहीं की। प्राकृतिक आपदा कोष के नाम पर 96 करोड़ रुपये हर साल देने की बात है। 96 करोड़ रुपये लेकर राजस्थान के अकाल से, राजस्थान के ड्राट और फेमिन के इस परपीचुअल जोर से लड़ा जा सकता है इस बात की सम्भावना बहुत कम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सारा का सारा

Page No. 110

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हाउस इस बात को एग्री करे कि केन्द्रीय सरकार ड्राट और फेमिन के परमानेण्ट सोल्यूशन के लिए एक मुश्त सहायता दे, जिस सहायता के तहत इस चीज से लड़ाई लड़ी जा सके।

मैं इस बात की बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्य मन्त्री को कि सूरतगढ़ और बरसिंहपुर की जो योजनाएं कांग्रेस की अकर्मण्यता के कारण दिल्ली के दफ्तरों में बन्द थीं वे न केवल दफ्तरों से बाहर आयीं, वे न केवल स्वीकृत हुईं बल्कि उन योजनाओं का काम शुरू हो गया। मैं इस बात के लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोटा थर्मल पावर प्लाण्ट के लिए प्लाण्ट लोड फैक्टर को मोर इफैक्टिव बनाकर, मोर आप्टिमम बनाकर एडिशनल पावर का जनरेशन किया गया और आज 210 मैगावाट की नयी यूनिट का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन विद्युत के मामले में आठवीं योजना में डिमाण्ड और सप्लाई में गैप और बढ़ जाएगा। इसका असर एग्रीकल्चर सैक्टर पर भी पड़ेगा और इण्डस्ट्रियल सैक्टर पर भी पड़ेगा। जो ग्रोथ रेट हम एन्वीसेज कर रहे हैं, जो इकानामिक ग्रोथ रेट हम अटेन करना चाहते हैं, डामेस्टिक प्रोडक्ट जिस लेवल पर हम ले जाना चाहते हैं उस लेवल तक ले जाने के लिए आठवीं योजना में जो पर्सपैक्टिव जनरेशन गैप क्रीएट होगा वह राजस्थान के इण्टरेस्ट को एडवर्सली इफैक्ट करेगा। इसलिए मैं मुख्य मन्त्रीजी से गुजारिश करूंगा कि विद्युत के मामले में, एडिशनल इलैक्ट्रिक जनरेशन के मामले में प्रैगमैटिक व्यू लेकर दिल्ली की सरकार में नये प्रपोजल्स को परस्यू करें। साथ में जो प्राइवेटाइजेशन की शुरूआत हमने यहां की है, जिस तरह चित्तौड़ में 800 मैगावाट का हमने लाइसेंस दिया है, उस प्राइवेटाइजेशन को यहां पर प्रोत्साहित करके अच्छा काम किया है। नेहरूवाद के नाम पर डागमेटिक और डोरसल पालिसीज जो यहां चल रही हैं उन डागमेटिक और डोरसल पालिसीज पर राजस्थान के विकास के लिए जो प्रहार किये गये मुख्य मन्त्रीजी के द्वारा, इस तरह के इनीशियेटिव्ज की विद्युत के क्षेत्र में और भी जरूरत है।

नयी औद्योगिक नीति बनने के लिये पूरे राजस्थान में एक इण्डस्ट्रियल एनवायर्नमेण्ट बना, हैल्दी एनवायर्नमेण्ट बना। इस हैल्दी एनवायर्नमेण्ट को एनकैश करने के लिए उद्योग प्रोत्साहन ब्यूरो की जो स्थापना की है उससे राजस्थान के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। जयपुर में कम्प्यूटर साफ्टवेयर पार्ट बनाने की बात है मैं इस योजना के लिए मुख्य मन्त्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जयपुर में कम्प्यूटर साफ्टवेयर पार्ट बनाने की बात की है। लेकिन पूरे अभिभाषण में एक चीज मुझे तकलीफ दे गयी। हम एम्प्लायमेण्ट को जनरेट करने की बात करते हैं और कहते हैं कि रोजगार का जनरेशन गवर्नमेण्ट सैक्टर के अलावा नान गवर्नमेण्ट सैक्टर में होगा। लेकिन लेबर इन्टैंसिव टैकनिक्स को क्या इन्सैंटिव हम दे रहे हैं ? लेबर इन्सैंटिव टैकनिक्स में हम कितना एम्प्लायमेण्ट जनरेट करने का प्लान रखते हैं ? कैपिटल इन्टैंसिव टैकनिक्स और लेबर इन्टैंसिव टैकनिक्स में हम क्या विभेद इण्डस्ट्रीज में कर रहे हैं ? कॉटेज और स्मॉल इण्डस्ट्रीज को प्रोमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ? जिस वन-विण्डो सिस्टम

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की बात हम लगातार कर रहे थे वह वन-विण्डो सिस्टम अभी तक इफैक्टिव नहीं हो पाया है। लेबर इन्टैंसिव टैकनिक्स को डवलप किये बिना, यहां के पापुलेशन रिसोर्सेज को मोबिलाइज किये बिना, उसको यूटिलाइज किये बिना, उसको एक आप्टिमम लेवल तक लाये बिना हम एम्प्लायमेण्ट जनरेट कर सकें और सन् 2000 तक सब लोगों को एम्प्लायमेण्ट दे पाएं, मेरे ख्याल से इस व्यास कमेटी से एम्प्लायमेण्ट जनरेट नहीं होगा, व्यास कमेटी की रिकमण्डेशंस पन्ने पर आने से एम्प्लायमेण्ट जनरेट नहीं होगा। एम्प्लॉयमेण्ट जनरेट करने के लिए पेपर के अलावा प्रेक्टिकल लाइफ में कुछ सर्टेन सैक्टर्स में एम्प्लायमेण्ट को जनरेट करना पड़ेगा, चूंकि लेबर इन्टैंसिव टैकनिक्स के तहत इण्डस्ट्रीज में एम्प्लायमेण्ट जनरेट करने का मैटीरियल और कैपिटल आउटपुट रेशो बहुत कम होगा। राजस्थान में काटेज इण्टस्ट्री काफी रिच है, जहां काफी आर्टिजन्स रहते हैं। उस इलाके के अन्दर लेबर इन्टैंसिव टैकनिक्स को, एम्प्लायमेण्ट जनरेट करने के एवेन्यूज को एक्सप्लायट किया जा सकता है, उसको एक्सप्लायट किया जाना चाहिए। अभिभाषण में इस बात पर कोई ज्यादा जोर नहीं दिया गया है, इस बात को देखना पड़ेगा।

जहां तक वनों का ताल्लुक है, डी-फारेस्टेशन के कन्सेप्ट के पीछे पीछे हमारे यहां पर फारेस्टेशन का कन्सेप्ट आया। वनों का विनाश नहीं होता तो वनों के विकास की जरुरत हमें नहीं हुई होती। वनों को बचाना पड़ेगा तो दिल्ली में बैठी सरकार वनों को बचा नहीं सकती। वन बचेगा तो गांवों में बचेगा, ढाणी में बचेगा। वहां का किसान बचायेगा, वहां के प्रशासन की लोकल यूनिट बचायेगी। आपात काल के दरम्यान आपने कई अलोकतान्त्रिक कार्य किये। आप ने एक अलोकतान्त्रिक कार्य यह किया कि वनों को आपने कानकरेण्ट लिस्ट में ले लिया। वनों के मामले में अब दिल्ली की सरकार कानून बना सकती है, दिल्ली की सरकार का कानून स्टेट के कानून पर प्रिवेल करेगा। सरकार कोई विकास का काम करना चाहती है, किसी गांव को किसी गांव से जोड़ना चाहती है और बीच में वन पड़ता है तो एन.ओ.सी. के लिए दिल्ली भेजना पड़ेगा। दिल्ली में फाइल अटक जायेगी तो विकास के काम अवरुद्ध हो जायेंगे। यह मुद्दा वनों के विकास का मुद्दा नहीं होकर राज्य के विकास के ऊपर केन्द्र के हस्तक्षेप का मुद्दा बन गया है। यह राज्य की आटोनामी पर सेण्ट्रल गवर्नमेंट का अटैक है। इस चीज के ऊपर देखना पड़ेगा। वनों का वनीकरण अगर हम सचमुच चाहते हैं, डी-फारेस्टेशन से कम्पीट करना चाहते हैं, अगर हम फारेस्टेशन दुबारा लाना चाहते हैं तो उस फारेस्टेशन को जेनुइन टर्म्स में बनाने के लिए, फारेस्टेशन के कारण स्टेट की प्लानिंग एक्टिविटीज रुक न जाएं, डिलेड न हो जाएं इस चीज को देखने के लिए वनों को दुबारा राज्य की सूची में लाना पड़ेगा। वर्ना वनों के नाम पर राज्यों के विकास को जो गति मिलनी चाहिए वह गति नहीं मिल कर उसके काउण्टर प्रोडक्टिव इफैक्ट्स आयेंगे।

वनों में वृक्षारोपण का जहां तक ताल्लुक है, बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान का इस बार दूसरा नम्बर आया है,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

फारेस्टेशन के मामले में दूसरा नम्बर आया....

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

इस नम्बर के साथ इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र और अरावली के इलाके में जापान की हैल्प से फारेस्टेशन का जो प्रोग्राम चला और स्वीडन की हैल्प से डूंगरपुर में जो फारेस्टेशन का प्रोग्राम किया जा रहा है उससे एकवायर्नमेण्ट के इम्बैलेंस को इम्प्रूव करने में, इकोलोजिकल बैलेंस को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी।

युवाओं के बारे में बात बार बार काफी की जाती है। चुनावों के दरम्यान ज्यादा की जाती है। चुनावों के दरम्यान युवाओं की जरूरत बी. जे. पी. को भी पड़ती है, कांग्रेस को भी पड़ती है, दिग्विजय गुट को भी पड़ती है और कुछ निर्दलीयों को भी पड़ती है। (व्यवधान) आपके अन्दर काफी गुट हैं उनका क्या करूं? उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा। कोई सोनिया गुट है, कोई राजीव गुट है, कितने ही गुट हैं?

श्री हेतराम बेनीवाल : दो-एक गुट आप में भी हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : कम्युनिस्टों को हमारे बारे में ज्यादा वाकफियत होगी। लेकिन सुप्रीम रूस का क्या हुआ, उसकी वास्तविकता कहते हुए कोई तकलीफ नहीं होती है। आज आइडेंटिटि की क्राइसेज आ गई। आप अपने आप में कुछ सुधार कर लेते, अपने आपको देख लेते तो ऐसा नहीं होता। आपकी प्लानिंग के सूत्र बदल गए।

श्री हेतराम बेनीवाल : आप जैसे लोग थे जिसकी वजह से गड़बड़ी आ गई।

श्री मदनलाल सैनी : श्री हेतराम जी, हिन्दुस्तान में कम्युनिस्टों के 33 गुट हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : तब फिर टुकड़े 11 ही हुए, ज्यादा नहीं हुए। जहां तक युवाओं को प्रमोट करने की बात आती है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सदस्य यहां तो माननीय श्री हेतरामजी का अकेलों का गुट है। यहां की बात करो आप तो।

(3.00 म.प.)

श्री राजपाल सिंह शेखावत : मैं दो आदमियों के गुट से प्रभावित हूं। एक तो श्री हेतराम जी के से और दूसरा श्री रामकरणसिंह जी गुर्जर के से, और तीसरे किसी गुट से प्रभावित नहीं हूं, चाहे इस बात को लेकर श्री दिग्विजय सिंह गुट वाले लोग मुझ से नाराज हो जायं।

जहां तक युवाओं का सवाल है, पहली बार अभिभाषण में हवाला हुआ है युवाओं का स्पोर्टस के सन्दर्भ में। यह खुशी की बात है कि सवाई मानसिंह स्टेडियम के अन्दर 2 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्टस काम्पलैक्स बनाया जा रहा है, विद्याधर नगर में जमीन अलाट की गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर शिक्षण संस्थाएं खोल रहे हैं लेकिन मेरी समझ में एक चीज नहीं आई कि इण्डियन स्पोर्टस आथोरिटी की हैल्प से जयपुर के अन्दर जो स्पोर्टस होस्टल चल रहा था वह कौनसा रेशनल था सरकार का

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कि जिससे उस जयपुर के होस्टल को अलवर में शिफ्ट कर दिया गया ? मेरे ख्याल से अलवर का विकास इस तरह से नहीं हो सकता। अगर अलवर में होस्टल की जरुरत थी तो इण्डियन स्पोर्टस आथोरिटी इस बात के लिए हैल्प करने के लिए तैयार थी, सरकार को हैल्प लेनी चाहिए थी और अपने हिस्से का शेयर कान्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। लेकिन जयपुर से स्पोर्टस होस्टल को हटाकर अलवर में भेज देना इसकी विवेकशीलता पर मुझे सदेह है और मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। डिस्टरबेंस काफी हो गया मेरे बोलने के बीच में।

श्री सभापति : 20 मिनट हो गए। सूची बहुत लम्बी है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : सूची लम्बी है तो आप उनसे कहिए वह अपने वक्त में लें।

माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के पहले अभिभाषण में कृषि भूमि को रूपान्तरित करने की बात कही गई है। न केवल जयपुर में बल्कि राजस्थान के कई शहरों में कांग्रेस सरकार के द्वारा हाउसिंग प्राब्लम की एक्यूटनेस को न समझ पाने के कारण, और कुछ सोसाइटीज से मिलीभगत होने के कारण, जिस तरह जयपुर का गलत डवलपमेंट हुआ और जिस तरह से और शहरों का गलत डवलपमेंट हुआ उस गलत डवलपमेंट को रेगुलराइज करने के लिए हम लगातार बात कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल साहब ने पहले अभिभाषण में इस बात को इंगित किया था कि सरकार इस बारे में कुछ कर रही है लेकिन सरकार इस बारे में अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। मैं मानता हूं कि कई तकलीफें हैं, जमीनों का केटेगराइजेशन करना पड़ेगा। सवाई चक जमीनों पर लोगों के कब्जे हैं उनको हटाना पड़ेगा, लोगों ने गोचर की जमीन पर कब्जे कर लिए हैं उनको हटाना पड़ेगा लेकिन जो जमीन अलसर एक्ट में आती है, जो जमीन सीलिंग एक्ट में आती थी, जो जमीन खातेदारी की थी लेकिन सरकार की कानूनी पेचीदगियों में फंस गई थीं, जिस जमीन पर खातेदारी का कोई झंझट नहीं है, उस जमीन पर बसे हुए लोगों को रेगुलराइज करने का प्रश्न आज तक खड़ा हुआ है और जिसका समाधान करने के बारे में अभी तक हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस सेशन के अन्दर कम से कम अब तो, दो साल जाने के बाद तो, जमीनों का रेगुलराइजेशन करने के बारे में, उसका विकास शुल्क का विवेकीकरण करने के मामले में ऐसा कोई निर्णय लें कि जयपुर का जो विकास हमारी सरकार के आने के बाद हो रहा है उस विकास के अन्दर नया आयाम जुड़ सके, नई गति आ सके....(व्यवधान).... नई भी हमारी आ गई तो आप क्या करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : नई कौनसी आ रही है ?

श्री राजपाल सिंह शेखावत : अब की बार आप यहां तक पहुंच गए पर अगली बार यहां भी नहीं मिलेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सही कह रहे हैं, आप हम यहां नहीं मिलेंगे आपकी जगह पर मिलेंगे ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : आपको बड़ा शालीन आदमी समझता था । मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी उम्र में भी डे ड्रीमिंग करते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुझे कुछ भी समझें पर मैं आपको जरूर शालीन समझता हूं ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : नहीं, नहीं । मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप यहां पर डे ड्रीमिंग नहीं करते होंगे ।

मण्डी शुल्क जो कई पाइन्ट्स पर ली जाती थी उस मण्डी फीस को एक पाइन्ट पर लाने से मण्डी एक्टीविटीज में डवलपमेंट होगा । छोटी-छोटी मण्डियां सड़क निर्माण जैसे कार्यों में अपना योगदान नहीं दे पाती थीं, बडी मंडियों की आय से जिला मण्डी विकास कोष बनाकर छोटी-छोटी मंडियां भी सड़क निर्माण का कार्य करेंगी । माननीय सदस्य को अभी तकलीफ थी सड़कों की, और कह रहे थे कि पी. डब्ल्यू डी. ने पेच वर्क करना शुरू किया है और मंडियां इस बारे में फैल्योर रही हैं, मार्केटिंग बोर्ड इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहा है । मार्केटिंग बोर्ड की एपिसियेंसी को मल्टीप्लाइ करने के लिए, मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सड़कों के निर्माण में बढ़ोतरी देने के लिए, कृषि का उपज का किसान को सही मूल्य समय पर मिल पाये ऐसी स्थिति तय करने के अन्दर इसका जो योगदान रहेगा उसके डेफिनेटली किसानों को फायदा मिलेगा ।

आज तक कम्युनिस्ट कन्ट्रीज के अन्दर पर कैपिटा इन्कम जोड़ी जाती थी, उसके अन्दर किसको कितनी रोटी मिल गई, मास्को में किसको ब्रेड लेने के लिए कितनी देर रुकना पड़ा इससे तय किया जाता था कि उस आदमी का स्टेट्स क्या है, उसकी लाइफ को क्वालिटी का इंडेक्स क्या है । लेकिन आज पर कैपिटा इन्कम को मदद से क्वालिटी आफ लाइफ नहीं नापी जाती, आज क्वालिटी आफ लाइफ के इंडेक्स बदल गए हैं । क्वालिटी आफ लाइफ के इंडेक्स के अन्दर राजस्थान काफी पीछे था, रेट आफ मारटेलिटी जिस ढंग से राजस्थान के अन्दर, हमारी सरकार के आने के बाद, गिरी है, उस रेट आफ मारटेलिटी के गिरने के साथ में पर कैपिटा इन्कम में वृद्धि, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में वृद्धि, प्लान के आउट ले में वृद्धि, और प्लान में आउट ले के हिसाब के अन्दर उसका सोशल इम्प्लीकेशन, हैल्थ इम्प्लीकेशन के अन्दर वृद्धि, यह सारा राजस्थान के चौहमुखी विकास का द्योतक है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह कागजी वृद्धि है, जनता को महसूस नहीं होती है । जनता होती तो बता देती ।

श्री राजपालसिंह शेखावत : आप तो गंगानगर से आगे से आते हैं, मैं तो रहता हूं बनीपार्क में, साहब, दिक्कत आपको हो गई होगी ।

श्री हेतराम बेनीवाल : बाई इलेक्शन में महसूस हो गई, जनता ने बता दी ....
(व्यवधान)

श्री राजपालसिंह शेखावत : अभी लोक सभा के चुनावों के अन्दर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजपालसिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मुझे मेरी स्टूडेंट लाइफ में कम्युनिस्टों से लगाव था। श्री हेतरामजी साहब मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं। मैं सोचता हूं कि वह कुछ बोलेंगे तो मुझे लाभ मिलेगा, उस लाभ से मैं अपने आपको वंचित नहीं रख पा रहा हूं।

सभापति महोदय, जिस तरह का अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने दिया और दिशा इंगित कर रहे हैं, विकास की दिशा इंगित कर रहे हैं, जिस तरह की आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा इंगित कर रहे हैं, और राजनीति में राज्य का नया डिक्शन, राजनीति में एक नई शैली जो पिछले दो सालों में पनपी, जो नया राजनीतिक दर्शन उत्पन्न हुआ है, उस दर्शन की दिशा क्या होगी, उस दर्शन के विकास का स्वरूप क्या होगा, और जो 2 सालों में क्या कर रहे हैं इस बात का यह स्पष्ट रूप से डाकुमेंट महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारे सामने रखा है। मैं सोचता हूं कि इसमें कोई लम्बी चौड़ी बहस करने की बजाय सब एक मत से इसे पारित कर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायणजी वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, पिछले दो दिनों से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर इस सदन में चर्चा चल रही है, काफी कुछ इस सम्बन्ध में सभी पक्षों द्वारा कहा जा चुका है। हां, इतना जरूर है कि इस तरह का अभिभाषण पहले कभी नहीं हुआ। बिना किसी बात का डाकुमेंट, जिसमें कुछ तय नहीं किया गया, कोई प्रोग्रेस की बात नहीं दी, गरीबों के हितों की बात नहीं है, केवल लाइनें लिख दी गई कि यह करेंगे, भारत सरकार के माध्यम से यह करेंगे, इन योजनाओं को मंजूरी दिलायेंगे। आखिर में आपने इन दो सालों में क्या किया, आपको कहना चाहिए था।

माननीय श्री भैरोंसिंहजी बहुत जोश-खरोश से राजस्थान की जनता से यह कह-कर आये थे कि आप हमें वोट दो, हम आपको सब कुछ देंगे। पानी देंगे, बिजली देंगे, एम्प्लायमेंट देंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण देंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि कितने बांध बनाये गए, कितनी जमीन सिंचित की गई, कितना बिजली का उत्पादन किया गया। किसानों के नाम से आने वाले हमारे बिजली मंत्री जी हैं, वह शायद इस बात को भूल गए कि वह किसानों के क्षेत्र से आये हैं-किसानों को बिजली नहीं, कारखानों को बिजली नहीं, एक मेगावाट का उत्पादन आपने इन दो सालों में नहीं किया, कौनसी योजनाएं हैं जो आप 3 सालों में बना पायेंगे? पांच साल का राज है। राज्यपाल के आस-पास घूमिए, शासन ठीक नहीं है, राजस्थान की जनता त्राहि-त्राहि कर उठी है। उसके बावजूद भी आपके ऊपर रहम कर दे भारत सरकार, जैसा आप मानते हैं कि 3 साल आप रह भी गए, तो क्या करेंगे जब दो साल में कुछ नहीं किया तो?

माननीय सभापति महोदय, एक नारा सबसे पहले दिया था इस सदन में, हमने सबसे पहले दिन सुना था कि हम भ्रष्टाचार

(श्री रामनारायण वर्मा)

खतम कर देंगे। सारे साथी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खतम कर दिया। सारी बात साफ हो गई, बेरी आयोग को आपने पुनर्जीवित किया, उसका गठन किया। कितने अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया? सभापति महोदय, मैं आपके सामने एक बात कहना चाहूंगा भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान विधान सभा के माध्यम से। मेरे पास कोई डाक्यूमेंट आए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, उनके मंत्रीमण्डल के सदस्य साहिबान को व जनता दल (दिग्विजय) व बी. जे. पी. के माननीय सदस्य साहिबान में से किसी को कोई वो नहीं कहना चाहता। मैं तो जो मेरे पास कागजात विधान सभा के माध्यम से आए हैं उसके मामले में कहना चाहता हूं। कोई अफसर यह कहे कि मैं + + + और जनता दल (दिग्विजय) के जिला अध्यक्ष, जनता दल (दिग्विजय) के एम. एल. ए. कहें इस बात को, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है राजस्थान के लोगों के लिए।

सभापति महोदय, मेरा जहां तक ख्याल है इसके बारे में कोई एतराज नहीं होगा, यहां पर कोई इस बात को कहे, जनता दल (दिग्विजय) के अध्यक्ष यहां बैठे हैं, उनके एम. पी. ने लिखकर दिया कि नहीं दिया कि यह अफसर यह कहता है मैं पर्टिकूलर आदमी को राज्य के इस नेता को इस-इस को पैसा देता हूं? उनकी पार्टी ने लिखकर नहीं दिया हो, उनके एम. पी. ने लिखकर नहीं दिया हो, तो कोई बात हो, उनके विधायक ने लिखकर नहीं दिया हो, तो कोई बात हो। करोड़ों रुपये एक अफसर कमा ले, सभापति महोदय, इससे बड़ी शर्म की बात हम चुने हुए जन प्रतिनिधियों के लिए क्या हो सकती है? और हम कहते हैं हम यहां भ्रष्टाचार खतम करने के लिए आए हैं।

सभापति महोदय, एक बात कही थी कि हमने थाने नहीं बेचे, मैं कहता हूं कौनसा दारू का ठेका है जो पुलिस को पैसा नहीं देता है। कौनसा थाना ऐसा है जिसमें पुलिस को पैसा नहीं मिलता हो? हो सकता है कोई आई.पी.एस. अफसर ईमानदार हो, पैसे नहीं लेता हो....

श्रीमती तारा भण्डारी : आपका परिचय होगा सबसे।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं माननीय ताराजी से कहूंगा कि आप सिरोही की बात कर लें, मैं आपसे व्यक्तिगत बात नहीं अर्ज करना चाहता। आपके इलाके में लगे हुए अफसर हमें जानते हैं। हम उनसे बात करते हैं वह हमसे क्या कहते कि इस इलाके में क्या हो रहा है, लेकिन यह बात हमारे आपस में व्यक्तिगत वाद-विवाद की नहीं है। बात यह है कि राजस्थान का निर्माण और राजस्थान में भ्रष्टाचार का खात्मा हम सभी जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। माननीय भैरोंसिंह जी यदि कोई भ्रष्टाचार खतम करने का काम करते हैं, हम उसमें सहयोग नहीं दें तो यह हमारे ऊपर विपरीत बात डालती है। जनता हमसे जवाब मांग सकती है कि आप सहयोग क्यों नहीं करते हो। लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आए,

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामनारायण वर्मा)

मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूं इस अफसर के खिलाफ बैरी आयोग ने रिपोर्ट दर्ज करा दी, गिरफ्तार होने के लिए भागने लगे, एफ.आई.आर. की रिपोर्टें आने लगीं और यह होने लगा। और फिर अखबार में आता है एफ.आर. लगने की बात हो रही है। एक स्टेट ब्यूरो बनाया था, ए.सी.डी. था, उसका नाम बदल दिया, 'पिछड़े से पहले' का नाम 'अन्त्योदय' कर दिया। हम बुढ़ों को पेन्शन देते है। सभापति महोदय, आप तो राजनीति में वर्षों से हैं, कितने वर्षों से हम बुजुर्ग आदमियों को पेंशन दे रहे हैं? हमने देना शुरू किया। हमने तो जबसे राजनीति शुरू की, आज से नहीं 1962 से 1965 से, हम बुढ़ों की पेंशन की बात सुनते आ रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनिट। आपने जो एफ आई.आर. की बात करी, तो कौनसी एफ आई.आर. की बात कर रहे हो आप? माधोपुर की, या अलवर में हुआ, उसकी?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सरकार पर संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से किसी दस्तावेज का हवाला देते हुए आरोप लगाया। सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य उसकी मौन स्वीकृति देकर के चुप रहे। एक एफ.आई आर. का मामला आते ही माननीय गृह मन्त्रीजी ने उसमें जानकारी चाही। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने जिस दस्तावेज का हवाला दिया है उसका रिबटल या एतराज सत्ता पक्ष ने नही किया है। लेकिन जैसे ही वह बोले, यह हाउस का मैटर बन चुका है, हाउस की प्रोपर्टी बन चुकी है, इसलिए उस दस्तावेज को टेबिल पर रखवाया जाए। माननीय सदस्य ने जिस दस्तावेज का हवाला देते हुए संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाया है उसको टेबिल पर रखवाया जाए। सदन यह जानना चाहेगा कि वह कौन सा दस्तावेज है जिसमें इस सरकार पर संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से आरोप हैं। सदन जानना चाहेगा, राजस्थान की जनता जानना चाहेगी ताकि इस पर खुलासा चर्चा हो सके।

श्री सभापति : आसन इस बात के लिए माननीय सदस्य पर दबाव नहीं डाल सकता कि वह रखें। वह चाहें तो रख सकते हैं। (व्यवधान) सत्ता पक्ष की ओर से अगर कोई माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं बोले हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने यह आरोप जो लगाया है जिस दस्तावेज का हवाला दिया है, वह सदन की प्रोपर्टी बन चुकी है। इस दस्तावेज को टेबिल पर रखवाया जाए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ऐसा है, यह इनकी मर्जी पर निर्भर करता है कि रखें या न रखें, किसी को बाध्य नहीं कर सकते।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मर्जी पर निर्भर नहीं करता है। मर्जी पर निर्भर करता है तो फिर विधान सभा में हम कोई बात कहें (व्यवधान) आसन की व्यवस्था

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

होनी चाहिए कि वह रखवाते हैं या नहीं रखवाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपने अपनी बात कह दी।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं तो जब कहेंगे तब रख दूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, ऐसा है कि अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि इसको टेबिल पर रखना चाहिए। मैंने पांचवीं विधान सभा के सत्र में एक कागज रख दिया यहां पर, उसको चेयर ने अलाऊ नहीं किया कि मैं इसकी इजाजत नहीं देता। मैं तो रखना चाहता था पर चेयर ने इजाजत नहीं दी। इसलिए इसके लिए आप कम्पेल नहीं कर सकते।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सभापति महोदय, नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई रेफरेंस दिया है। न तो यह बताया कि स्पेसिफिक दस्तावेज क्या है। एक पासिंग वे के अन्दर कोई बात कही है और उसके आधार पर माननीय सदस्य यह कहें कि डाक्यूमेंट रखा जाए, कोई डाक्यूमेंट है ही नहीं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सभापति महोदय, माननीय उद्योग मन्त्रीजी जो बात कह रहे हैं आप इसको स्लाइटली या आंशिक रूप से या मौन स्वीकृति देना चाहते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : सवाल ही नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उद्योग मन्त्री जी, आप यह गलत कह रहे हैं। जब इन्होंने आरोप डाइरेक्ट संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से दस्तावेज के जरिए लगाया है ...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कोई नाम ही नहीं आया है, कोई बात ही नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नाम आया है। किसने कह दिया ? इसके माने आपने सुना नहीं ढंग से। यानि जो आरोप जिस दस्तावेज के जरिए यह सदन में उठा चुके हैं संयुक्त रूप से, व्यक्तिगत रूप से, उसको आप बाई पास करना चाहते हो। हो सकता है आपकी पार्टी में काफी मतभेद हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा लगता है मुझे आपकी जो मौन स्वीकृति है और इसको जो बाई पास करना चाहते हो, उद्योग मन्त्री जी, इससे लगता है कि आपकी पार्टी में आपस में कोई मतभेद है।

श्री सभापति : माननीय यादव साहब बिराजिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नहीं, इसमें कोई मतभेद का प्रश्न नहीं है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इससे जाहिर होता है। इन्होंने आरोप लगाया है। + + + यह आरोप लगाया है इन्होंने और इसको आप बाई पास करना चाहते हो। इसके माने आप सत्ता पक्ष के लोग इस तरह के आरोप लगाना चाहते हैं यह आपकी पार्टी में कोई न कोई बात जरूर है।

श्री सभापति : माननीय यादव साहब,

+ + + अभिव्यक्तियां माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सभापति)

बिराजिए। पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था हो जाए, मैंने जैसा आपसे निवेदन किया है ...(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : बड़े दुःख की बात है जो शब्द आज हाउस में आ रहे हैं..

श्री रामेश्वर दयाल यादव : किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आप सारी प्रोसीडिंग को, इनके कथन को, मेरे इस प्रस्ताव को, आप देख लें और उसके बाद, चाहे घण्टे भर बाद, में व्यवस्था दें, लेकिन व्यवस्था ऐसी दें कि पहले जो व्यवस्था है इसको कहीं ओवर रूल नहीं करें।

श्री हेतराम बेनीवाल : निश्चित तौर पर जो शब्द लिखे जा रहे हैं हाउस के अन्दर यह रिकार्ड में रहेंगे और इस तरह के शब्दों का निश्चित तौर से बड़ा गलत अर्थ निकलता है। करोड़ों रुपये की प्रोपर्टी + + + यह सारी चीजें जो हाउस में आई हैं, गलत तरीके से आई हैं। मैं समझता हूं जो मामला है वह सारा इस तरह का शक पैदा करता है, इसको स्पष्ट रूप से होना चाहिए जिस प्रकार वह आना चाहिए....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : या तो उन वाक्यों को डीलिट करवाइए या दस्तावेज को टेबिल पर रखवाइए।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, जहां तक मैंने सुना है, नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई स्पेसिफिक इस प्रकार की बात कही ही नहीं है। इसके अन्दर जैसा उल्लेख कर रहे हैं कि + + + करोड़ों रुपये आते हैं। आपने यह जरूर कहा है जनता के कुछ....(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : गृह मंत्री जी, आप प्रोसीडिंग को पढ़िये पहले। आपने सुना नहीं है।

श्री सभापति : यादव साहब, बैठिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : हमने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है आपने सुना नहीं है (व्यवधान) उसके बाद में आता है यह....

श्री दिग्विजय सिंह : मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप अगर इसको स्वीकार करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप मेरी सुनो। आप शुभचिन्तक हो मेरे, उसके लिए धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूं नैनवा से आने वाले माननीय सदस्य इस बात को खुद ही कह दें कि उन्होंने यह आरोप लगाये हैं क्या ?

श्री हेतराम बेनीवाल : फिर यह सारी चीजें डिलीट होनी चाहिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह जो कुछ आरोप लगाये वह प्रोसीडिंग में हैं, वह पढ़ लीजिए, रेफर करने की जरूरत क्या है। और आप स्वीकार कर रहे हैं।

श्री सभापति : इसके सम्बन्ध में मैंने ऐसा निवेदन आपसे किया। इसके बारे में

+ + + अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सभापति)

इलिग्स भी है कि माननीय सदस्य को उन दस्तावेजों को टेबल पर रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और दस्तावेज का उल्लेख ही नहीं किया। जैसा माननीय उद्योग मन्त्रीजी ने कहा कि उन्होंने किसी दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया। अगर उसमें कोई बात अवैधानिक होगी, असंसदीय होगी तो उसको डिलीट करवाने की बात माननीय अध्यक्ष महोदय कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये, वह दुबारा रिपीट कर दें तो ज्यादा अच्छा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बैठे रहा करो यहां पर। कौन रिपीट करेगा ?

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो मैंने शब्द बोले वह सदन के रिकार्ड में है। जो रेफरेन्स दिया है, मुझे राजस्थान विधान सभा के माध्यम से मिला है, वही डाक्यूमेंट है। वह सदन की मेज पर रखना या न रखना वह मेरा अपना स्वविवेक है। आसन जो आदेश देगा वह तो मुझे मानना ही है, उसकी तो मैं पालना करूंगा ही करूंगा। तो यह जो पोजीशन है इसको आप देख लें। जैसा आप आदेश देंगे वैसा मैं कर दूंगा।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में काफी बातें राजस्थान में हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं जानकारी करना चाहता हूं कि जिस डाक्यूमेंट के रेफरेन्स में आपने बात कही है उस डाक्यूमेण्ट की रेस्पान्सिबिलिटी आप लेते है क्या ? (व्यवधान) अभी जो आपने कहा कि कुछ एम.एल.एज ने डाक्यूमेण्ट दिया।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं, हाउस के माध्यम से जो एम एल एज ने शिकायत करी, दरख्वास्तें दी वह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शिकायतें की हैं तो उन शिकायतों को आप सही मानते हैं तभी बोल सकते हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप जांच करवा लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी कोई जल्दी नहीं है। मैं यहीं हूं। चाहे मुझे आप लिखें या कोई भी मेम्बर लिखे मैं हाउस में जब तक उसकी सत्यता के बारे में स्वयं कन्विन्स्ड नहीं होऊं तब तक मैं नहीं बोलता। यह व्यवस्था है, और आज की नहीं, परम्परागत यह व्यवस्था है। आपको मान लीजिए मैंने एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी के लिखने में मैंने किसी के ऊपर आरोप लगा दिये, तो आप मेरे आधार पर, कि भैरोंसिंह ने यह चिट्ठी लिखी है, हाउस में आरोप नहीं लगा सकते हैं जब तक आप स्वयं कन्विन्स्ड नहीं हों कि जिस आधार पर आप आरोप लगा रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : इन्होंने डाक्यूमेण्ट को रेफर अभी किया है पर डाक्यूमेण्ट के कंटेंट को सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तरीका ही

(श्री हेतराम बेनीवाल)

गलत है कि आप रेफरेन्स कर दो फिर नहीं दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, या तो माननीय सदस्य उसको स्पष्ट रूप से कहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, वरना उसको डिलीट कर दिया जाय।

श्री सभापति : आप उस डाक्यूमेण्ट का रेफरेन्स देने को तैयार हैं क्या ?

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने जो कुछ कहा है, माननीय सभापति महोदय, आपके सामने है। मैंने क्या कहा है सारा ऑन रिकार्ड है। मेरे को जो राजस्थान विधान सभा के माध्यम से कागजात मिले हैं, जो एम.एल.एज ने लिखे, जो मुख्य मन्त्रीजी को दिये हैं, उसका मैंने हवाला दिया है। मैं राज्य का मुख्य मन्त्री हूं या कोई आफिसर हूं ? वह तो खुद मुख्य मन्त्रीजी जानते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जांच करवायें।

श्री सभापति : आपस में बात नहीं करें।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं निवेदन कर रहा था कि भ्रष्टाचार के मामले में काफी कुछ बातें.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। आपने यदि आरोप लगाये हैं तब तो यह कहिये कि आरोप लगाये हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं लगाये हैं। माननीय सदस्य ने डाक्यूमेंट को रेफर किया है कि इस तरह की कम्पलेण्ट पेश होती रहती है। इस तरह की चर्चा चलती है, इन्होंने खुद ना तो आरोप लगाये और ना उसको स्पष्ट किया, परन्तु उन्होंने यह कहा है कि इसकी सत्यता सामने आनी चाहिए। यानि यह तो जिज्ञासु हैं। मैं समझता हूं इस मामले में हाउस भी चिन्ता शेयर करता है। और इस तरह की कम्पलेण्ट आती है तो हम भी यह जानना चाहेंगे कि कम्पलेण्ट सही है या गलत है। आपकी पार्टी के एम. एल. एज. कम्पलेण्ट करते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को यह जानने का अधिकार है कि आपकी पार्टी के एम. एल. एज. कम्पलेण्ट सही करते हैं या गलत करते हैं। भाभड़ा जी आपकी पार्टी के हैं, यही तो मामला है.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, जब तक यह प्रोसीडिंग देख ना लें तब तक यह पब्लिश नहीं हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप प्रोसीडिंग देख लीजिए। आपको समय मिलेगा, जिस समय जवाब दोगे तब जवाब दे दीजियेगा। आपको तो मौका मिलेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको इसका मौका मिलेगा। प्रोसीडिंग्स की नकल आप मंगवा लेना, आप प्रोसीडिंग पढ़ लेना, उन्होंने अगर कुछ कहा हो तो जवाब देना। और यह बात दूसरी है कि अगर इन्होंने नहीं भी कहा हो तो जो कम्पलेण्ट आपके पास आई है उनकी सत्यता उजागर करने की कृपा करना।

श्री सभापति : इसके सम्बन्ध में प्रासन की व्यवस्था है कि जब तक प्रोसीडिंग को

(श्री सभापति)

देख नहीं लिया जाय तब तक यह पब्लिश नहीं हो।

श्री रामनारायण वर्मा : यह कोई बात नहीं है.... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, आप रोक मत लगाइये। यह प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो प्रोसीडिंग पहले रिकार्ड की गयी है, जिसका हवाला दे रहे हैं कि इन्होंने आरोप लगाया या नहीं लगाया, वह तो माननीय सदस्य स्पष्ट कर चुके हैं। जो लोग यहां पर बैठे थे, माननीय मुख्य मन्त्री जी थे नहीं, स्पष्ट बात यह है कि आरोप इन्होंने तो लगाया नहीं, इनका कहना तो मात्र यह है कि इनकी पार्टी के एम.एल. एज. ने इस प्रकार की कम्पलेण्ट माननीय मुख्य मन्त्री जी के लिये की है, इसमें क्या तो पब्लिकेशन रोकेंगे आप ? माननीय सभापति महोदय, अगर कोई आरोप लगाया.... (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, उन्होंने यहां आरोप लगाया या नहीं लगाया यह तो अलग बात है लेकिन यह चर्चा जिस नाम से यहां पर की.... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : मुख्य मन्त्री जी यहां थे नहीं। और आप इतनी बड़ी फौज के समक्ष में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें अनपार्लियामेन्ट्री क्या है ? माननीय सदस्य रामेश्वर जी यादव रामनारायण जी को स्पष्ट कर रहे हैं.... (व्यवधान) चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कम्पलेण्ट कर रहे हैं....

श्री सभापति : आप इनको बोलने दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो चर्चा आ गयी है किसी के नाम से, वह कम से कम प्रकाशित न हो।

श्री रामनारायण वर्मा : यह समय किसका जाया होगा ?

श्री सभापति : आप बैठिये, मेरी बात सुनिये। मेरा यह निवेदन है कि जिस समय माननीय सदस्य भाषण कर रहे थे उन्होंने एक दो नामों की चर्चा की है, यह ठीक है। उन्होंने आरोप नहीं लगाये, दस्तावेजों का जिक्र किया। उन नामों की चर्चा की है इसलिए आरोपों की चर्चा यहां आयेगी। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यह कहें कि उन आरोपों पर सहमति जाहिर करते हैं या नहीं करते।

(3.08 म प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। कोई भी व्यक्तिगत आरोप जो इसमें है वह डीलिट कर दिये जायं।

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग ने....

श्री सुरेन्द्र व्यास : व्यक्तिगत आरोप जो सदस्य ने लगाये हो, इनकी पार्टी के लगाते हैं तो वह अलग बात है, साहब। रेफरेन्स तो उसका ही....

श्रीमती तारा भण्डारी : यह हमारी पार्टी के स्पोक्समेन हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई भी आदमी, हमारी पार्टी का सदस्य, आपकी पार्टी का सदस्य, कोई भी आरोप लगाये तो क्या मैं ऑथराइज्ड हूं उस आरोप के आधार पर यहां बोलने के लिये ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : बोल नहीं रहे हैं। रेफर कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आगे चलने दीजिए। साढ़े तीन बजे हैं, सारा टाइम आपने इनका ले लिया।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के मामले की बात हो रही है। मैंने अखबारों में पढ़ा कि अफसरों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज कराने की बात हो, कितने अफसरों को किया गया, कितनों को नौकरी से निकाला गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा। अभी कुछ अफसरों के खिलाफ एफ. आर. लगाने की साजिश की जा रही है। मैं नहीं कहता, माननीय मन्त्रीजी ने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी, उससे विमुख हो रहे हैं। आखिर ऐसा कौनसा दबाव है कि इतना मजबूत मुख्य मन्त्री राजस्थान में है और उसकी प्रगति कम हो पाये। यह बहुत हास्यास्पद बात हो जाती है....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारी बातें.... (व्यवधान)....मुख्य मुद्दा जो है वह यह है कि मैं मुख्य मन्त्रीजी की टीम के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं यह नहीं कहता कि मंत्रिमण्डल के कौन से सदस्य सही है या नहीं हैं। एक-दो मन्त्रियों के इस्तीफे के लिये गये। काफी दिनों तक चर्चा चली कि मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। क्या यह बी.जे.पी. की सरकार है ? यह मिलीजुली सरकार है। एक पार्टी काम करती है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सुनिये।

श्री रामनारायण वर्मा : जिस ढंग से राजस्थान चल रहा है, क्या वह राजस्थान की जनता के हित में है ? ये पक्ष कहेगा हित में है। हम कहेंगे अहित में है। जनता क्या सोचती है ? जनता के बीच में आप जाते हैं, जनता आपको क्या इमेज देती है, क्या आपको रेस्पोंस देती है ? ये सारी बातें आप देखें। हाउस में भी इस बारे में चर्चा हुई, खाद्यान्न के बारे में, चीनी के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सरकार चीनी का कोटा भारत सरकार आवंटित करे, उठा नहीं पाये, वेयरहाउसेज खाली पड़े हैं, दुःख के समय में हमें कुछ मिले नहीं, लोगों की क्रय व्यवस्था ठीक नहीं है। गेहूं का जो कोटा रिलीज किया जाता है वह दुकान में जाय, दुकानदार उसे पहले बेच दे, कमीशन कमा ले, जिला रसद अधिकारी के पास हम जायें कोई कार्यवाही नहीं करे, आपके माननीय सदस्य जाकर के रोकने की बात करें, मारपीट हो, मुकदमे दर्ज हों और फिर उनको बचाया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण हैं। ये सारी की सारी बातें आगे जाकर के रिफ्लेक्ट करती हैं। आज की तारीख में राजस्थान में क्या हो रहा है, इन सारी बातों को देखना पड़ता है।

अकाल से लोग जूझ रहे हैं। मेरे पड़ौसी गृहमन्त्री जी के एरिया उनियारा

(श्री रामनारायण वर्मा)

और नैनवा के हालात आप जाकर देखिये। अकाल के काम शुरू नहीं हुए, ऐसा कौनसा साल था कांग्रेस के राज में जब इतना भयंकर अकाल हो और अकाल के काम नवम्बर दिसम्बर तक चालू नहीं हुए हों? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब काम कब शुरू करेंगे। बहुत कहते थे जब आप विपक्ष में थे। स्थाई काम नहीं हो रहे हैं राजस्थान में, मिट्टी के काम हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 बंधे हमारे अधूरे पड़े हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, मेरे इलाके में 10 प्रतिशत जनता आज की तारीख में वहां नहीं है। रोजाना आदमी निकल रहे हैं। आप दिल्ली चले जाइये, आपको आदमी मजदूरी ढूंढता हुआ मिल जायेगा, आपको जयपुर में मिल जायेगा। आप कहें तो 100-200 आदमी शाम को आपको ढूंढकर ला दें कि हम वहां से मजदूरी के तलाश में आये हैं। वहां के आदिवासी लोग, वहां के एस.सी. के लोग, वहां के बैरवा लोग, आज की तारीख में उनके घर के किवाड़ बन्द हैं, टांटियां बन्द हैं। कुछ भी नहीं है। उनके पीछे जो बाल-बच्चे रह गये हैं उनको वे खर्चा नहीं दे रहे हैं। बहुत खराब हालात हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार कितना पैसा देती है, कितना पैसा आपके पास पड़ा है, आप जनता को हिसाब नहीं देते, पोलिटिकल बात करते हैं हर मैटर में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हास्पिटल के बारे में हम सरकार के मंत्रीजी की तरफ से, सबकी तरफ से, सुनते हैं कि अन्धों को आंख दे देंगे, लंगड़ों को पांव दे देंगे। क्या दिया आपने? मेरे नैनवा में दो पोस्ट हैं शिशु रोग विशेषज्ञ की, वे पोस्ट खाली पड़ी हैं। आज आप वहां पोस्टिंग नहीं दे सकते। हम दिसम्बर तक डाक्टर अपाइन्ट कर देंगे, आज की तारीख में टेबिलों पर डाक्टर्स पैसा लेते हैं। उन डाक्टर्स के ट्रान्सफर कैन्सिल करते हैं। मैं आपकी इंटीग्रेटी पर डाउट नहीं करता लेकिन जनता चर्चा करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप डिस्पैंसरी कहां खोल रहे हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (स्वास्थ्य मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डाक्टर्स के तबादले को निरस्त करने में पैसों की चर्चा कर रहे हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य को आज क्या हो गया है। कोई कांक्रीट प्रूफ नहीं है, कुछ स्पेसिफिक बात नहीं है। असत्य बातों का वाचन कर रहे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा: मैं तो इंटिग्रेटी की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने डाक्टर्स के ट्रांसफर्स क्यों कैंसिल किये? जिन डाक्टर्स की ज्यादा कमाई है, जिनकी रोजाना फीस आती है उनका कैंसिल क्यों किया, मैं यह अर्ज कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण है उसमें जितना कुछ अंकित है उसके बारे में आपसे निवेदन करूं। तस्करी के बारे में सबसे पहले आया है। 36 करोड़ रुपये की तस्करी पकड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी तस्करी आज की तारीख में राजस्थान की सीमा में हो रही है। प्रोसीक्यूसन करने के लिए आपके पास कानून नहीं है। पुलिस में जाते हैं, नारकोटिक्स के पास जावें, उसमें अमेंडमेंट आप

(श्री रामनारायण वर्मा)

नहीं कर पाये। इसके साथ भ्रष्टाचार के मामले में जिन अफसरों को पकड़ लिया जाता है उनको क्यों नहीं आप सस्पैण्ड करते हैं ? मेरे क्षेत्र नैनवा में पुलिस के डी.वाई. एस.पी. आपने अफसर को विजीलैंस में लगाया गया है। वे लोग भ्रष्टाचार करें। पुलिस का डी.वाई. एस.पी. शामिल हो, आर. एस. ई. बी. का ए. ईएन., जे. ईएन. शामिल हो, उनको फिर बचाया जावे। 50,000 और 70,000 रुपये एक कनेक्शन की रिश्वत लें, इतना भ्रष्टाचार आज से पहले नहीं था। आप भी सोच लीजिये। इतना भ्रष्टाचार पहले कभी था ? उनको सस्पैण्ड नहीं किया जाय....

श्री अध्यक्ष : अब 40 मिनट हो गये हैं आपको।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उसमें टाइम नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : वह 15 मिनट बाद दे दिये मैंने।

श्री रामनारायण वर्मा : फिर भी मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री रामनारायण वर्मा : ये राज्य में खर्चों में कमी की बात करते हैं। एक कमेटी बनाई थी माननीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में। एक ही डिपार्टमेंट है ईरिगेशन। हमने चर्चा सुनी कि वहां ए. ईएन. की पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैंने चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी को कि मेरे यहां ए. ईएन. नहीं है और दो साल हो गये। ये ए. ईएन. नहीं दे सके। उनको सजेस्ट किया कि आप खर्च कम करना चाहते हैं। आप 100 जे. ईएन. को इंजीनियर्स बना दीजिये। हम 100 जे. ईएन. की पोस्ट आपको सरेण्डर करते हैं। 6 महीने हो गये, डिसीजन नहीं ले सके, जो विभाग डिसीजन नहीं ले सकता, ओवरसियर्स के ट्रांसफर्स-पोस्टिंग आपके केन्द्रीय स्तर के मंत्री करने लगे, तो राजस्थान की दैनिक चर्या की बातों का क्या होगा ?

स्कूलें आपने खोली हैं। 40 स्कूल मेरे इलाके में बन्द की गई पंचायत शिक्षा के अन्दर। राजस्थान में 6000 पंचायत शिक्षा केन्द्र बन्द किये गये। आप 1000-1500 स्कूल खोल देंगे लेकिन कितने स्कूल आपने बन्द कर दिये ? दूर-दराज के लोग पढ़ने से मजबूर हैं, अपने बच्चों को शहर में नहीं रख सकते, उनके पास पैसा नहीं है। सरकार शिक्षा नहीं दे सकती। इन लोगों ने नारा तो यह दिया था कि हम खेतों को पानी देंगे, हर हाथ को काम देंगे। खेतों को पानी नहीं दिया गया, हर हाथ को काम नहीं दिया गया। भ्रष्टाचार के मामले में काफी बातें हो चुकी। आपने क्या किया ? बिजली का आपने उत्पादन नहीं किया, बंधा एक नहीं बांधा.... (व्यवधान) मुझे पता है, अटरू से आने वाले माननीय विधायक, मैं इनके क्षेत्र में गया, बिजली इन्जीनियर्स ने आपकी बात नहीं मानी, आप कहें वैसा नहीं करें, आपकी बिजली इन्जीनियर्स से क्या सांठ-गांठ थी। आप सरकार में बैठे हैं, भ्रष्टाचार ऐसे बढ़ता है। और यहां हाउस में आकर बात करें। खुद इन्जीनियर्स ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। मैंने

(श्री रामनारायण वर्मा)

पहले डाक्यूमेंट नहीं लिया, मेरे पास डाक्यूमेंट है। आपके बारे में मेरे पास लिखा हुआ है। इसलिए आप नहीं बोलें। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। इस तरह सदन में ऊंचे ऊंचे उठ करके अखबारों में आवाज लाने की बात न करें। आप डाक्यूमेंट में फर्क कीजिये, इस तरह की सरकार के खिलाफ....(व्यवधान)....क्या बात करते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हो गया। आप बहस में उलझ गये। बैठिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं एक निवेदन करूंगा, यह जो अभिभाषण है, इस अभिभाषण में....

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकांत शर्मा। (अनुपस्थित)

श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्री रामनारायण वर्मा : ....जिससे राजस्थान की उन्नति हो, राजस्थान की प्रगति हो, राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सुमित्रा जी, वो हैं।

श्री रमाकांत जी।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा यदि आप मुझे यहां से बोलने की आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष : हां, आप बोलिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, मैं उसके लिए महामहिम राज्यपाल को और मुख्य मंत्रीजी को तहे दिल से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक ऐसा डाक्यूमेंट प्रस्तुत किया है जिसके अन्दर आज तक की राज्य सरकार की जो परफॉर्मेंस है, राज्य सरकार का जो चिन्तन है, राज्य सरकार का जो परस्पेक्टिव प्लान, राज्य सरकार जनता के बारे में क्या सोचती है, राज्य सरकार उसके हित के बारे में कौन-कौन से मुद्दों पर विचार करना चाहती है यह सब है। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने कोई प्रश्न छोड़ा नहीं, कोई मुद्दा छोड़ा नहीं, इतनी गंभीरता से चिन्तन करके डाकूमेंट प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान एक प्रान्त है जहां पर सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जहां की कानून व व्यवस्था के बारे में हम गौरव कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। आज सारे देश में कोई ऐसा प्रान्त नहीं है जहां किसी न किसी प्रकार की घटनाएं न हो रही हों और जहां का वातावरण बहुत ज्यादा खराब न हो गया हो, जहां किसी न किसी प्रकार के वर्ग के झगड़े न चल रहे हों। लेकिन यह ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें वर्गों के अन्दर, धर्मों के बीच में एक प्रकार का बहुत अच्छा वातावरण बनाया हुआ है पूरे साल में। अब यदि कोई यह

(श्री रमाकान्त शर्मा)

कहे कि 2 जेबकट नहीं गिरफ्तार किए गए, उस हत्या का मामला नहीं सुलझाया, तो यह बड़ी विचित्र बात है। जब कानून और व्यवस्था की बात सारे राष्ट्र के संदर्भ में की जाती है तो एक ओवर आल स्थिति है वह सारी की सारी सामने रखी जाती है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सारा देश इस बात को कह रहा है कि राजस्थान एक इस प्रकार का प्रदेश है जहां कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी स्थिति, चाहे शिक्षा हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे सड़क हो, उन सबके अन्दर कहीं पर हम 14वें नम्बर पर हैं, कहीं हम तेरहवें नम्बर पर हैं कहीं हम बारहवें नम्बर पर हैं। हमारे योजना के अन्दर विनियोग, जो प्रतिवर्ष औसत से कम और कम होता चला गया, और हमारी योजना का जो आकार है वह 600-700 करोड़ के बीच में अटकता रहा है, कभी थोड़ा आगे बढ़ जाय कभी पीछे चला जाय। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय बहुत-बहुत आभार के पात्र हैं कि 2 साल के अन्दर 795 से 1400 करोड़ की योजना बना दी, कोई कट नहीं लगाया गया है, और हमारा जो विनियोग है वो देश के औसत के बराबर आ जाय। तो पहले हम पिछड़ रहे थे कभी 14 नम्बर पर होते थे कभी 15 पर होते थे तो कभी 16 पर पहुंच रहे थे, चाहे वो कृषि हो, चाहे उत्पादन हो। आज हमारा विनियोग औसत सारे राष्ट्र के बराबर पहुंच गया है और आज हम आशा कर सकते हैं कि एक दिन आयेगा सारे देश के अन्दर चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे उत्पादन की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, हम दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में आ सकेंगे।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि 10 वर्षों से राजस्थान का किसान, राजस्थान का व्यापारी इस मण्डी के शुल्क से बड़ा परेशान था। एक-एक आदमी पर 6-6 दफे, 7-7 दफे शुल्क लग जाया करता था।

(3.44 म. प.)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पदासीन)

गंगानगर से माल रवाना हुआ, जयपुर में लग गया, जयपुर से चला अलवर में लग गया। इससे चोरियां होती थीं और अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा होती थीं। उन सबके अन्दर जो एक पाइन्ट पर शुल्क लगा दिया गया है, उससे विभाग के अन्दर एक प्रकार का बहुत ही अच्छा वातावरण बन गया है और आज कोई भी व्यापारी मण्डी शुल्क देने में कोई हिचक नहीं करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक जगह शुल्क दे दिया और उसका सर्टिफिकेट दूसरी जगह दिखा दिया तो उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उससे भावों पर भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो सकेगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, सहकारिता मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि कितने सालों के बाद इन्होंने सहकारिता के चुनाव की बात सोची और करीब-करीब सम्पन्न करा दिया और उनका जो प्रोग्राम है वह सारे राजस्थान को विदित है। बहुत शीघ्र ही अपेक्स और स्टेट लेवल की जो सोसाइटीज हैं, जो जिला लेवल के बैंक हैं, उनके भी चुनाव होने जा रहे हैं, उन सबके

(श्री रमाकांत शर्मा)

बारे में विज्ञप्ति निकल चुकी है, लोगों को पता है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जवाहर रोजगार योजना के अन्दर जो उन्होंने करिश्मा कर दिखाया है, उसके बारे में भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कहीं ऐसा नहीं होता कि प्रावधान के आगे बात चली जाय, 131 करोड़ का प्रावधान है और 170 करोड़ रुपये का व्यय हो। मुझे तो 1977 की याद आती है जब अनाज के बदले काम की बात थी, जगह-जगह काम चल रहे थे। आज सारे राजस्थान के अन्दर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जगह-जगह काम चल रहे हैं और उन कामों के अन्दर शिकायत भी नगण्य है। इस प्रकार का वातावरण, और उसके साथ-साथ अपना गांव अपना काम के माध्यम से एक विकास की गंगा गांवों में पहुंची है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत-बहुत आभार के पात्र हैं।

मैं इंदिरा आवास योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। एक स्थिति थी जब इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गांव से बाहर कालोनी बना दी जाती थी। कभी छत नहीं पड़ती थी, किसी के दरवाजे नहीं होते थे और वो कालोनी काम में नहीं आ रही थी, हजारों प्रकार की शिकायतें थीं। ऐसी बीसों कालोनीज, जो किसी काम में नहीं आई हैं, उनमें मूलभूत परिवर्तन किया गया है, उसके सारे ढांचे में परिवर्तन किया गया है, उसके चिन्तन में परिवर्तन किया गया है। और उसका नतीजा स्पष्ट है कि 41 हजार मकान बन गए। यह कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है। इस उपलब्धि के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी बहुत-बहुत आभार व धन्यवाद के पात्र हैं।

अब मैं खनिज विभाग के बारे में कुछ जिक्र करना चाहूंगा। आज हमें अनुसंधान से यह पता चल गया है कि हमारे पास में 1 करोड़ टन बहुत बढ़िया लाइम स्टोन है। इससे यह पता लगता है कि हम आगे आने वाले समय में कितने धनवान हो जायेंगे। स्टील ग्रेड का लाइम स्टोन का जो उत्पादन है वह दुगुना हो जायेगा। एक फास्फेट के बारे में, जहां 10 साल से चिन्तन कर रहे थे हम, अब उसमें संयंत्र लगाने की बात एक तरीके से फील्ड में आ गई है। इसके लिए भी बहुत-बहुत आभार के पात्र हैं।

माननीय सभापति जी, मैं इसके साथ 2-4 सुझाव देना चाहूंगा। मैंने इस डाकूमेंट के अन्दर पढ़ा है कि विश्व बैंक से कृषि विकास परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये लेने जा रहे हैं और इसके बारे में मामला फाइनल स्टेज पर है। सभापतिजी, यह बहुत ही डेलीकेट विषय है। सारा का सारा देश एक लाख साठ हजार करोड़ रुपये के विदेशी कर्जे से ग्रसित है। हम विदेशों से कर्जा जब ही लेंगे जब हमें और कोई उम्मीद नहीं हो, जब हमें कोई एडवांस टेक्नोलोजी मिल रही हो, जब हमारा उत्पादन तत्काल इस प्रकार का होने जा रहा हो कि जिसकी पैदाइश से हम तत्काल पैसा वापस दे सकें। परन्तु यदि हमने ऐसे कामों के अन्दर खर्च कर दिया जिससे हमारा उत्पादन तत्काल नहीं बढ़ रहा है; तो राज्य व देश की जनता को करों से यह पैसा वापस देना पड़ेगा। आज हम एक बहुत बड़े डेब्ट ट्रेक में फंसे हुए हैं और वह

(श्री रमाकांत शर्मा)

बढ़ती चली जायेगी और सारा देश इस परिस्थिति से बड़ा परेशान हो जायेगा। हमें विदेशों से इस प्रकार कर्ज लेने में बड़ी समझदारी करनी चाहिए और यदि प्रत्येक राज्य विदेशों से इन कामों के लिए कर्जा लेने लगेंगे तो देश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जायेगी।

इसी प्रकार से वन विभाग के काम के लिए, पेड़ लगाने के लिए, 176 करोड़ रुपये हम जापान से लेने जा रहे हैं। सभापति महोदय, अव्वल तो यह वन वाली ऐसी बात है कि जितनी-जितनी दवा की उतना-उतना मर्ज बढ़ता चला गया। जैसे-जैसे वन विभाग बढ़ता चला गया उस-उस प्रकार से वनों का सत्यानाश होता चला गया है। गांवों के जंगलों के अन्दर गूजर, विश्नोई, जाट, अहीर जो जंगलों से प्यार करते थे, जो उनके साथ पैदा हुए हैं, शताब्दियां उनके साथ उन लोगों की निकल गई हैं, आज उनके मन में जंगलों के लिए एक वैमनस्यता पैदा हुई है। जहां कहीं जंगलों की बात आती है वहां पर एक इस प्रकार का भय का वातावरण कर दिया जाता है कि जंगल में यह नहीं निकल सकता, वो नहीं निकल सकता। और यदि हम इस काम के लिए विदेशों से कर्ज लेने लग जायेंगे तो आज के अखबार में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। सभापतिजी, इसमें विश्व बैंक की जो शर्तें हैं, मेरे ख्याल से जिस वक्त में अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज ही पैसा दिया करते थे, वो भी ऐसी शर्तें नहीं लगाया करते थे। उस प्रकार की घृणित और अपमानजनक शर्तें हैं। उन्होंने यह कह दिया और इस प्रकार के नोटिस भी निकाल दिए कि अलवर, और अलवर के पास में गुड़गांवा, दोनों के अन्दर कोई उद्योग नहीं लगा सकेगा, कोई खान नहीं खुद सकेगी, वहां कोई पशुपालन नहीं हो सकेगा। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। मैं इसके बारे में एक अलग से काल अटेंशन मोशन दे रहा हूं, तब मैं निवेदन करूंगा। परन्तु यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार विदेशी कर्जे ले करके किसी बड़ी परेशानी में न फंस जाय।

सभापति जी, पशु नस्ल के बारे में पिछले डाकुमेंट में भी था, इस डाकुमेंट में भी है। गोपाल योजना के द्वारा बहुत जल्दी ही नस्ल सुधार करने जा रहे हैं। गोविंद और गोपाल योजना से कुछ नहीं होने वाला है। यह केवलमात्र नारे रह जायेंगे। जहां पशुपालन केन्द्र हैं, गांव गांव में, ढाणी-ढाणी में हमें औषधालय खोलने चाहिये और उन औषधालयों के अन्दर आर्टिफिसियल इनसेमिनेशन की व्यवस्था हो जो वहां पर तत्काल मिल जाय। इसके अन्दर जो नाइट्रोजन और जो इनसेमिनेशन और उसकी तकनीक है वह सब ढाणी-ढाणी, गांव-गांव में पहुंचायेंगे तो नस्ल सुधार हो जायेगा। परन्तु केवलमात्र हम यह कहें कि गांव का आदमी आगे आ करके अपना नाम कमाने के लिए वहां पर बछड़े पैदा करवाने के लिए लगायेगा तो यह केवलमात्र कागजी योजना होगी।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। सम्पूर्ण साक्षरता का प्रोग्राम है। बहुत अच्छी बात है कि डूंगरपुर, भरतपुर और सीकर के अन्दर यह करने जा रहे हैं। परन्तु यदि सारे राजस्थान के बारे में साक्षरता के बारे में चिन्तन है तो हम सारे राजस्थान में

(श्री रमाकांत शर्मा)

समुचित तरीके से एक-एक जिले में एक-एक पंचायत समिति को ले करके सब जगह पर पूरी तरह से यूनिफार्म तरीके से इस काम को करें, तो उसका जो प्रचार होगा, प्रभाव होगा वह सारे राजस्थान में होगा। इसके साथ-साथ मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो साक्षरता की योजना है, इस योजना में हम लोक जुम्बिश के तहत कम से कम छह सौ करोड़ रुपये खर्च करेंगे और उधर की तरफ छह से लेकर चौदह वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल नहीं होंगे। तो आगे की पीढ़ी को तो हम निरक्षर बनाते चले जायेंगे और हम चिन्ता कर रहे हैं उनकी, जिनके कब्र के अन्दर पांव जाने वाले हैं, साठ वर्ष के आदमी की। आपके पास पैसा मनमाना है, खूब लगाइये, जरूर साक्षर कीजिए, प्रोग्राम बनाइये, एक बड़े उत्साह के साथ काम कीजिए, परन्तु यदि हमारे सारे के सारे स्त्रोत सीमित हैं तो हमको सारे का सारा पैसा पहले चौदह वर्ष के बच्चे पर लगायें, जिसका हमने संविधान के अन्दर वायदा किया था कि संविधान के लागू होने के दस वर्ष के अन्दर-अन्दर ऐसी व्यवस्था पैदा कर देंगे कि सारे राज्य के अन्दर चौदह वर्ष तक के लड़के या लड़की को स्कूल उसके नजदीक में प्राप्त होगा। आज प्राइमरी स्कूल के लिए भी चार वर्ष का बच्चा तीन किलोमीटर दूर जाता है, आज मिडिल स्कूल के लिए आठ वर्ष का, नौ वर्ष का बच्चा सात किलोमीटर दूर जाता है, तब हम कौन सी साक्षरता की योजना की बात कर रहे हैं? इसलिए जो पैसा है इस पैसे को पहले, जब तक हम इस चीज को सेचुरेट न कर दें, जब तक संविधान में कही हुई बात है उसका सारे का सारा वायदा पूरा न कर दें कि हम चौदह वर्ष के बच्चों को पूरी की पूरी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति कर दें, तब हम साक्षरता की बात न करें तो अच्छा होगा।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जनजाति क्षेत्र के बारे में भी हमारे राज्य का जो मन्त्री मण्डल है वह बहुत ही चिन्तित है और वहां का विकास करना चाहते हैं। मेरा इस जनजाति क्षेत्र से बहुत निजी तरीके का अनुभव रहा है। मैंने उस क्षेत्र के अन्दर एक सो पचास किलोमीटर की पगडण्डियों पर पद-यात्रा करी है और मेरा नम्र निवेदन है कि जब तक वहां के लोगों से स्वयं जाकर आप नहीं पूछेंगे कि उनकी क्या आवश्यकता है, हम यदि उनकी आवश्यकताओं को एक ओर छोड़ करके दिल्ली या जयपुर में बनाई गई बड़ी-बड़ी स्कीम्स एन्फोर्स करेंगे, तो जिस प्रकार की प्रगति हम करना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, उनकी कल्चर को बचाये रखना चाहते हैं, वह नहीं बचा पायेंगे।

अन्तिम बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, पर्यटन के लिए। माननीय सभापतिजी तो बहुत प्रसन्न होंगे। बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर एक ट्राइंगल बनाया जा रहा है। वास्तव में एक बहुत ही रिच जगह है। तीनों के तीनों का एक अच्छा ट्राइंगल बनाना ही चाहिए और इस बारे में अभी तक पहल नहीं की गई थी, यह पहल कर रहे हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, उनका मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। परन्तु साथ ही

(श्री रमाकान्त शर्मा)

साथ सरिस्का, भरतपुर और बैराठ भी एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके अन्दर भी हजारों साल की निधि पड़ी हुई है, जिसके अन्दर बाहर के लोगों के आकर देखने के लिए बहुत अच्छी चीजें मिल सकती हैं और इस इलाके का पर्यटन के हिसाब से हम बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। इस हिस्से को साथ की साथ जोड़ दिया जाय तो बहुत अच्छा हो।

माननीय सभापतिजी, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक बहुत ही चिन्तनीय विषय है। इसमें राज्य सरकार बहुत अच्छी तरह विचार करके बजट में कोई नई चीज लाये तो मैं समझता हूं कि सारा राजस्थान उनका आभारी होगा।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो डाक्यूमेंट है और जिस प्रकार से राज्य सरकार ने, जिस प्रकार से माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने प्रत्येक पहलू पर विचार किया है, यह केवल साधारण धन्यवाद नहीं, हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव है वह पारित किया जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जहां सरकारी कार्यों की पिछले वर्ष की उपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है वहीं आगामी वर्ष के लिए सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का और सरकार द्वारा किये जाने वाले विकास कार्यों के लिए एक दिशा-निर्देश भी होता है जिसमें राज्य की जनता को अपने भविष्य की एक झलक दिखाई देती है। लेकिन इस बार का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण न तो गत वर्षों की उपलब्धियों का कहीं आकलन है और न भविष्य के लिए कोई भी किसी तरह की झलक या उम्मीद है। मुझे सबसे अधिक अफसोस इस बात का है कि आज के वर्तमान मुख्य मन्त्री भैरोंसिंह जी 1990 में जब मुख्य मन्त्री बने थे तो उन्होंने कई बातें, कई विश्वास, कई दिलासे राज्य की जनता को दिए थे। लेकिन उन उम्मीदों पर पानी फिर गया। सबसे पहले 1990 में जो भाषण राज्यपाल महोदय ने यहां पर दिया था उसमें कहा था कि कांग्रेस दलगत राजनीति में रही है, हम पार्टी राजनीति से ऊंचा उठ कर, दलगत राजनीति से ऊंचा उठकर इस प्रदेश के विकास का काम करेंगे। लेकिन दलगत राजनीति में यह सरकार भी उलझ गई। जैसा कि बोलने वाले कई माननीय सदस्य कह रहे थे, खास तौर से नागौर से आने वाले, कि मेरे इलाके में साठ गांवों में पीने के पानी का इन्तजाम हो गया। मैं पूछना चाहती हूं इधर विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों से, कि उनके कितने गांवों में पीने के पानी का इन्तजाम हुआ। यह तो दलगत राजनीति का एक उदाहरण है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए प्रशंसा की है एवं कानून और व्यवस्था की स्थिति को भी सन्तोषजनक बताया है। यदि यही सन्तोषजनक स्थिति है, बैंक डकैती हो, दिन दहाड़े हत्या हो, पैट्रोल पम्प लूटे जायं और

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

नकबजनी हो, छोटे वाहनों की चोरी हो, वाहनों की सैकड़ों की तादात में एक साल में चोरी हुई हो और कोई वाहन बरामद नहीं हुआ हो, अगर इसे ही सन्तोषजनक कहेंगे तो फिर असन्तोषजनक क्या होगी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, प्रदेश के आर्थिक विकास के बारे में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने 1990 में कहलवाया था राज्यपाल महोदय से, कि हम एक श्वेत-पत्र राज्य के आर्थिक विकास के बारे में जारी करेंगे, पृष्ठ छह के ऊपर....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप भी शामिल थे उस समय।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं शामिल थी इसलिए तो कह रही हूं, याद दिला रही हूं कि श्वेत-पत्र जारी करने की बात थी। कहा था कि योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन किया जायेगा, प्रदेश के आर्थिक विकास के बारे में सरकार एक श्वेत-पत्र आपके विचारार्थ प्रस्तुत करेगी। दो साल बीतने के बाद भी....

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस समय आपने करवाया ही नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देखिये, मेहरबानी करिये। आप यों मुझे बेकार बात....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप केबिनेट में थी उस समय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : आप बीच में क्यों डिस्टर्ब करते हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : टोंक से आने वाले माननीय सदस्य, मैं दिला रही हूं कि श्वेत-पत्र जारी करने की बात थी।

डा. चन्द्रभान : आपकी तो आदत पड़ गई है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम होते तो श्वेत-पत्र जारी भी करवा देते। लेकिन मैं बता रही हूं कि दो साल बीतने के बाद भी श्वेत-पत्र मैंने तो न देखा और न सुना। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर....

डा. चन्द्रभान : श्वेत-पत्र काले हो गये इधर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उनके मुख से जो कुछ कहलवाते हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है उसे पूरा करने की। यह केवल एक पुस्तिका नहीं है कि जिसमें आपने कोई लफ्फाजी कर दी और उस लफ्फाजी को आप पूरा नहीं करवायें। मैंने शुरू में ही कहा कि यह आपके विगत वर्षों की उपलब्धियों का लेखा-जोखा होता है। सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि आर्थिक विकास की बात तो, श्वेत-पत्र की बात तो रह गई, कृषि नीति के बारे में भी राज्यपाल महोदय ने कहा था। पिछले वर्ष के बजट भाषण के अन्दर राज्यपाल महोदय ने कृषि विकास के लिए 470 करोड़ रुपये की एक समग्र कृषि विकास योजना विश्व बैंक को भेजी थी। "प्रदेश के कृषि विकास को और अधिक गति देने के लिए सरकार

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ने 470 करोड़ रुपये की समग्र कृषि विकास योजना विश्व बैंक को भेजी है।"(व्यवधान) प्लीज, आप थोड़ा कम बोलेंगे ? मैं डिस्टर्ब हो रही हूं। "इस योजना के बारे में दो बार विश्व बैंक के अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। मुझे आशा है कि इस योजना की स्वीकृति अगले वर्ष में हो सकेगी।" यह 1991 का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है।

स्कूलों को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय बनायेंगे। 7 नवोदय विद्यालय खोलेंगे। बहुत कुछ किया है लेकिन सब करने बाद बाद भी पिछली साल वाली घोषणायें जो की थीं वो सारे विद्यालय खुल गये ? 470 से 300 करोड़ हो गया। अभी मन्जूरी नहीं आई है। जब तक मजूरी होगी तब तक डी वेल्यू होकर 100 करोड़ रुपये के काम आप करा सकेंगे। यह है आपकी इसकी हालत।

मैं माननीय सभापति महोदय, इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले साल राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि प्रदेश के अन्दर इस बार अच्छी बारिश हुई है। उस अच्छी बारिश होने की वजह से डार्क जोन हटेगा और डार्क जोन हटने के साथ ही साथ हम 5 वर्षों के अन्दर लगभग 2 लाख सिंचाई के कुए खुदवाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है। इस योजना की अनुमानित लागत लगभग 400 करोड़ रुपये होगी। क्या हुआ इस योजना का ? क्या एक भी कुआ खुदा प्रदेश के अन्दर ? मतलब मेरे कहने का यह है कि केवल लफ्फाजी है जो कहलवा लेते हैं लेकिन फिर चिन्ता नहीं है। इस बात की कि हमने राज्यपाल महोदय के मुख से जो कुछ कहलवाया है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है।

(4 00 म.प.)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि चिकित्सा के क्षेत्र के अन्दर यह बात तो सही है कि राजस्थान के अन्दर डेढ़ आदमी राज्य कर रहे हैं। एक तो यह सम्पूर्ण मुख्य मन्त्री और आधे-अधूरे करते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य मन्त्री। वह भी जिस काम को लेते हैं पूरी मुस्तैदी और हिम्मत के साथ करते हैं लेकिन आपको यह जानकर बड़ा अफसोस होगा कि....(व्यवधान)....तालियां मत बजाइये, आगे तो सुनिये कारनामे। तो आपको यह जानकर बड़ा अफसोस होगा कि इस हिन्दुस्तान जैसे देश में और खास तौर से राजस्थान जैसे प्रदेश के अन्दर जहां पर बुढ़ापे में सबसे ज्यादा मोतियाबिंद के केसेज होते हैं। इस अन्धता निवारण के लिए यूनीसेफ ने 6 करोड़ रुपये मंजूर किये थे। एक रुपया का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। 30 सेन्टर्स खोले जाने थे। न कोई सेन्टर खुला और न वहां पर किसी की नियुक्ति हुई और वह 6 करोड़ रुपये यों का यों लेप्स हो गया। मुझे बड़ा अफसोस है कि एक तरफ तो भारत सरकार को पैसों के लिए आप 600 करोड़ की लोकजुम्बिश योजना का बराबर ढोल पीट रहे हैं और माननीय सभापति महोदय, आप इस बारे में चाहे कुछ भी कहें कुछ हमारी योजनायें भी केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली योजनायें हैं। जैसे प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

औपचारिक शिक्षा, यह लोकजुम्बिश शिक्षा जिसमें 600 करोड़ रुपया है, आंगनबाड़ी और बालबाड़ी–इन सबके अन्दर जितना काम होना चाहिए दस प्रतिशत भी हुआ नहीं है और सारा का सारा पैसा जाने कहां डकारा जाता है। इस बात को सब दिल में तो समझते हैं लेकिन प्रोग्रेसिव कहलाने की होड़ में कोई बोलता नहीं है। हम चाहते हैं पिछले वर्ष राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि साक्षरता के अन्दर अगली शताब्दी की अर्द्धशताब्दी तक हम राजस्थान को सम्पूर्ण तौर से साक्षर नहीं बना पायेंगे क्योंकि आज भी केवल 38 प्रतिशत लोगों को ही हम साक्षर बना सके हैं और साक्षरता में औसत से तो हम नीचे हैं ही बल्कि जम्मू और कश्मीर के बाद सबसे नीचे हमारा ही प्रदेश है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो योजनायें हैं एक तरफ तो ढोल पीट रहे हैं आप जवाहर रोजगार योजना की उपलब्धि बता रहे हैं और 131 करोड़ के बजाय हमने 170 करोड़ कर दिया, बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की सफलता का आपने ढोल पीटा है और पानी तो दे नहीं सके हैं....

श्रीमती तारा भण्डारी : यह तो आंकड़े हैं फिर ढोल कैसे पीट रहे हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ढोल ही पीट रहे हैं। यदि आंकड़े सही होते तो आपकी पावर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत घटता। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप पावर्टी लाइन से नीचे रहने वालों का प्रतिशत घटा सके ? वह नहीं घटा सके तो ढोल ही पीट रहे हैं। यह असत्य आंकड़े ही तो दे रहे हैं नहीं तो और क्या कर रहे हैं। यदि आपका प्रतिशत घटा है तो आप मुझे बताइये कि हमने पावर्टी लाइन से नीचे रहने वालों का प्रतिशत घटा दिया है। माननीय सभापति महोदय....

श्रीमती तारा भण्डारी : केन्द्र सरकार की बढ़ाई हुई महगाई से प्रभावित हुए हैं।

श्री सभापति : आप कृपया व्यवधान न करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके दल की स्पोक्समैन हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : दल की तो हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं निवेदन कर रही थी कि पेयजल की व्यवस्था तो कर नहीं सके। 6 करोड़ रुपया आपने अन्धता निवारण के लिए जो दिया था उसका तो आप उपयोग कर नहीं सके। आज गांवों के अन्दर डिस्पेन्सरीज और चिकित्सालयों की हालत यह है कि 30 दिन में एक दिन डाक्टर जाता है। 29 दिन के दस्तख्त कर देते हैं और आ जाते हैं। मैं गिना सकती हूं आपको मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर 5 6 ग्रामीण क्षेत्रों में जहां डिस्पेन्सरीज और चिकित्सालय में एक डाक्टर भी वहां नहीं रहता और किसी का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाते ही नहीं हैं। एक का ट्रांसफर कराओ दूसरा आयेगा वह भी ऐसा ही। तो मैं एक बात कहती हूं कि या तो बाध्य करें उन्हें वहां रहने के लिए और यदि बाध्य नहीं कर सकते आपकी कमजोरी है तो कृपया बन्द करें। तो कम से कम लोगों को

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

यह परेशानी तो नहीं होगी। आप कहते हैं कि हमने चिकित्सा की सारी सुविधायें गांवों में दे रखी हैं और लोगों को वहां चिकित्सा के लिए कुछ नहीं मिलता है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि आज अस्पतालों की क्या हालत है। मैं जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल की बात नहीं कर रही हूं लेकिन मैं जयपुर के ही जनाना अस्पताल की बात कह रही हूं क्योंकि आप लोगों का जनाना अस्पताल में जाने का काम नहीं पड़ता है और जाते भी हैं तो बाहर से बैठकर सुपरिनटेन्डेन्ट से मिलकर चले आते होंगे क्योंकि पुरुषों को तो वहां जाने की इजाजत नहीं है लेकिन मैं जानती हूं इस बात को कि कितनी गन्दगी के ढेर वहां पर हैं। भयकर दुर्गन्ध है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : कब गयी थीं आप ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कब गयी थी ? मैं तो कभी भी जा सकती हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप कृपया व्यवधान न डालें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य को बीमारी लग गई है। आप पहले तो इनका इलाज करवाओ।

श्री चन्दनमल बैद : इनको जनाना अस्पताल में ले जाओ। जनाना से काम नहीं चलेगा मानसिक चिकित्सालय में ले जाओ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। क्या मेरे बहु-बेटियां नहीं हैं ? उनके लिए मैं नहीं जाऊंगी। क्या इलाज के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए या उन लोगों को देखने और उनका इलाज करवाने के लिए वहां नहीं जाऊंगी ? बड़ा तरस आ रहा है क्योंकि आप सवेदनहीन हो। मैं संवेदनशील हूं। और सवेदनशील होने के नाते मैं मेरे इलाके के लोगों को बराबर वहां जाकर देखती हूं, पूछती हूं और उनका इलाज करवाती हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कभी देखा ही नहीं वहां आपको।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, इनको यह कहें कि यह अपने स्थान पर जाकर बोलें।

श्री सभापति : मैं इनको कह चुका हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बैठे-बैठे कमेन्ट्स कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि पेयजल के बारे में सारे क्षेत्रों के अन्दर यह प्रगति का चक्र, यह प्रगति का रथ उल्टा चल रहा है। कैसे चल रहा है। पिछली बार के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहा गया था कि एक हजार की जनसंख्या के गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। मैं आपको पढ़कर सुनाऊं ? पिछली साल के अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने 'जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ही लगभग 5 करोड़ रुपयों का व्यय सड़कों के निर्माण पर किया जायेगा। राज्य सरकार

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

ने एक हजार जनसंख्या की आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है और इसके लिए विभिन्न स्रोतों से साधन उपलब्ध कराने की चेष्टा की जायेगी और साधनों की उपलब्धि के अनुसार इसकी क्रियान्विति की जायेगी"। पिछले साल तो दिलासा दिलाया एक हजार का और इस बार कह दिया 15सौ। अगले साल दो हजार कर दोगे आप, तो मैं निवेदन कर रही थी कि कहीं तो आगे बढ़िये।

इसी तरीके से पेयजल की व्यवस्था के बारे में पिछली बार कहा था कि एक हजार गांवों के अन्दर हम पेयजल की व्यवस्था करेंगे और जितने गांव जितनी मझले और ढाणियां नये राजस्व गांव बनेंगे उन सबके अन्दर पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा लेकिन इस बार वह घटाकर के और आपने एक हजार, एक हजार पांच सौ, मतलब कल ढाई हजार कर दिया। पिछली बार आपने कहा था कि एक हजार गांव ही शेष रह गये हैं इसलिए हमें एक हजार गांव में ही पीने के पानी का बन्दोबस्त करना है। और इस बार कह दिया कि ढाई हजार तो हम बन्दोबस्त करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता इस भाषण को जो तैयार करता है, एक ही आदमी तैयार करता है, तीन साल के इन अभिभाषणों के अन्दर आखरी जो आह्वान है वह ऋग्वेद के एक श्लोक से करते हैं। कभी 18वां, कभी 19वां और कभी 20वां श्लोक और सब श्लोकों के अन्दर यही मतलब होता है। इस बार तो कह दिया बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और पहले कह दिया था सर्वजन हिताय–सर्वजन सुखाय। अरे भाई मैरोंसिहजी, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय से सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की बात करते-करते आप तो बहुजन हिताय में आ गये। यह प्रोग्रेस की है आपने निश्चित रूप से लेकिन उल्टी दिशा में की है। मैं निवेदन कर रही थी कि कम से कम भाषण तो पढ़ लिया करो कि पिछले वर्ष हमने क्या-क्या कहा था।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से जिस गोपाल योजना का पशु चिकित्सा के क्षेत्र में ढोल पीट रहे हैं पिछले तीन साल से यह 1990 का अभिभाषण है इसमें भी गोपाल योजना की बात कही गयी है। पिछले साल के अभिभाषण में तो आंकड़े दिये हैं कि एक लाख 80 हजार से इस बार हम उन्नत पशुओं के लिए आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन का लक्ष्य 3 लाख 80 हजार कर देंगे और इस बार कह दिया कि एक लाख 80 हजार से 6 लाख कर देंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि इसे कोई क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं समझता? आखिर सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने इस प्रारूप को तैयार किया है। खुद गवर्नर तो इसे तैयार करते नहीं हैं। उन्होंने तो केवल पैरा दिया है। इस धरती को नमन कर लिया, शौर्य वाली धरती है, वीरांगना वाली धरती है और वीर प्रसूता धरती है, मैं नमन करता हूं। यह तो मैं उनका मान सकती हूं बाकी सब आपके तैयार किये हुए हैं। आप देखते नहीं हो भाषण तो आप दे रहे हो ...

श्री रामसिंह बिश्नोई : आपने देखा कि उन्होंने कोई असत्य बात नहीं पढ़ी। देख लो आप।

Page No. 137

137

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि गोपाल योजना पिछली बार 90 के इस अभिभाषण के अन्दर उसका जिक्र किया गया था और अभी तक वह योजना चल रही है लेकिन उन्नत पशु बनाने के अन्दर और पशुओं की उन्नत नस्ल पैदा करने में हम अभी तक सफलता से असफलता की ओर जा रहे हैं। यह मैं उन्नत पशुपालक होने के नाते कह सकती हूं। यह बात मैं इसलिए कह रही हूं कि खुद यहां पर यदि पशु पालक मन्त्री होते तो वह भी स्वीकार करते कि जयपुर में जो शुरू-शुरू में जिस गति से इस प्रोग्राम को चलाया गया था वह धीमा पड़ गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाने के लिए और मितव्यता का नमूना मैं पेश करना चाहती हूं। यह बात सही है कि सरकार जिसे चाहे उसे मुख्य सचिव बनाये। पहले भी ऐसा हुआ है। लोगों को सरपास किया गया है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया गया है। इस बार जिन्हें मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है कि उनकी इन्टेग्रिटी और उसके बारे में उनकी कोम्पिटेन्स, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकते वे सचमुच इसके लायक थे लेकिन इससे पूर्व में जब कभी किसी को मुख्य सचिव बनाया गया तो किसी को भी मुख्य सचिव की ग्रेड नहीं दी गयी। इस बार इस सरकार ने 5 आदमियों को मुख्य सचिव की ग्रेड दी है। महज इसलिए कि वे 8वें नम्बर थे और 8वें नम्बर से 6 आदमियों को सरपास करके उनको उस जगह पर बैठाया गया। मैं पूछना चाहती हूं कि यह कहां की नीति है और कहां कि फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने का तरीका है ?....

श्री किशनाराम नाई : अकलमन्दी की बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अकलमन्दी तो है ही लेकिन मितव्यता का नमूना भी है न...

श्री चन्दनमल बैद : यह मन्द अक्ल है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह राजस्थान की मितव्यता के नाम पर, फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने के नाम पर, इसे चाहे आप फेवरेटिज्म कहें या इसे राजस्थान की जनता के गाढ़े पसीने की कमाई के साथ एक तरह का धोखा है।

एक माननीय सदस्य : हमारे मन्त्री वेतन में से काटकर के उनको दे रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके मंत्रीगण जो इस तरह से वेतन में से काटकर के देते हैं वह तो जिस दिन काटने की बात की उसी दिन 125 रुपये कर लिये थे। हम सब जानते हैं। हमें सब मालूम है उसी दिन आपने अपना डी ए. बढ़ा लिया 100 के 125 रुपये कर लिया और 10 प्रतिशत वेतन की कटौती की बात कर दी। मैं इस बारे में नहीं कह रही हूं मैं यह कह रही हूं कि आज भी मितव्यता करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि महंगाई सब तरफ से बढ़ेगी। आप गरीब की पेट पर पट्टी बांधने की बात करते हो तो आपको भी अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। आपके टेलीफोनों

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में, आपकी कारों में, आपके दौरों में, आप की और चीजों में जिस तरह से अनाप-शनाप खर्च होता है उनमें आपको कटौती करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं कि 1990 में जब हम सरकार में भागीदार थे उस समय भी बात हुई थी कि इस वर्ष तो नहीं लेकिन अगले वर्ष बुढ़ापे में पेन्शन आम आदमी को 65 या 70 साल के बाद में उसके सम्मान के स्वरूप, उसने जो जिंदगी भर काम किया उस समान पेन्शन दी जाएगी लेकिन क्या हुआ ? उस समान पेन्शन....

श्री हेतराम बेनीवाल : आप नहीं रहे इसलिए नहीं दी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम तो नहीं रहे लेकिन आखिर आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। राजस्थान की जनता को आपने भी कहा था कि हम बुढ़ापे की पेन्शन देंगे इसलिए मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जो बात आपने की थी उसका आपको ध्यान रखना चाहिए।

अब मैं माननीय सभापति महोदय, बिजली के प्रश्न पर आती हूं। ऊर्जा, ऊर्जा किसी भी देश और प्रदेश के आर्थिक विकास की रीड और आधारभूत ढांचे में उसकी गिनती आती है। माननीय सभापति महोदय, 2 साल बीत गये दो साल में हम एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा सके केवल लोअर सेक्टर बढ़ा लिया। इसके साथ-साथ हमें नहीं बताया कि कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया.... (व्यवधान) अब आप कहोगे तो मुझे अपनी तारीफ भी करनी पड़ेगी नहीं तो मैं नहीं करती अपनी तारीफ.... (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, 1990 में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि आज प्रदेश में बिजली की भारी कमी है इससे प्रदेश के किसानों और उद्यमियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत उत्पादन बढ़ाये बिना प्रदेश में गहराते विद्युत संकट को दूर नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित धौलपुर, सूरतगढ़ व मांडलगढ़ ताप विद्युत परियोजनाएं भारत सरकार में अटकी पड़ी हैं। कारगर ढंग से पैरवी नहीं किये जाने के कारण पिछली सरकारें इन्हें मंजूर नहीं करा सकी थीं। ऐसा ही हाल पलाना लिग्नाइट योजना का है....(व्यवधान) सुनिये आप। यह तो आपने 1990 में कहलवाया। यदि यही हालत रही तो 8वीं योजना के अन्त तक बिजली की मांग व सप्लाई में अन्तर बढ़कर 35 प्रतिशत हो जाएगा और फिर कहां किसानों को बिजली कनेक्शन देने में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कनेक्शन देने की वर्तमान व्यवस्था में सुधार किया जायगा। इसी प्रकार बिजली की चोरी व बिजली के अपव्यय की कारगर रोकथाम और अन्य व्यवस्थाओं में भी सुधार किया जायगा, यह 90 में कहा। 16 मार्च, 1990 को यह अभिभाषण हुआ था 14 मार्च को मैं मंत्री बनी थी। और 1991 का जो अभिभाषण है, मैंने वर्तमान विधान सभा के प्रथम सत्र में कहा था, प्रभावी ढंग से पैरवी नहीं होने के कारण सूरतगढ़,

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बरसिंहसर आदि की परियोजनाएं भारत सरकार में कई वर्षों से अटकी पड़ी थीं। माननीय सदस्यों को मुझे यह बताते हुए खुशी है कि राज्य सरकार के विशेष प्रयासों के कारण केन्द्रीय सरकार ने 756 करोड़ रुपये की बरसिंहसर लिग्नाइट परियोजना की स्वीकृति दे दी है। इसी परियोजना का निर्माण नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा किया जायगा। सूरतगढ़ ताप परियोजना की स्वीकृति भी केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है। इस परियोजना पर लगभग 1084 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया था ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो ऊर्जा मंत्री थी और मैंने ही किया था आप यह ही मान लीजिये, मैंने ही किया था।

श्री सभापति : कृपया आपस में बात न करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले सत्र में भी कहा था कि मैं आभारी हूं उनका कि उनके प्रयासों से हम यह मंजूर करवा पाये। यह खुद मुख्य मंत्रीजी ने कहा था।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रही हूं....

डा. चन्द्रभान : दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट थी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट थी।

श्री सभापति : आपस में माननीय सदस्य बात नहीं करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब पिछली बार यह सब हो गया था तो इस बार फिर यह कहने की क्या आवश्यकता थी मुख्य मंत्री जी को। मुख्य मंत्री जी ने फिर इस बार कह दिया कि हमने अप्रेल 1991 में विनियोग स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि योजनाएं दोनों मंजूर हैं, कार्य शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन कर देना चाहती हूं और माननीय सदस्यों को इस बात के लिये अलर्ट भी कर देना चाहती हू कि केवल योजनाओं की मंजूरी मिल जाने से और स्वीकृति मिल जाने से ऊर्जा उत्पादन नहीं हो जाता है।

एक माननीय सदस्य : काम शुरू हो गया ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिये तो सही। आप समझते नहीं हैं किसी चीज को, सुनने की चेष्टा नहीं करते।

श्रीमती तारा भण्डारी : उत्पादन कितना बढ़ा, यह भी बता दीजिये ना।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बता रही हूं ना। बता तो रही हूं आपको, क्या उत्पादन बढ़ा है। पिछले वर्ष 112 करोड़ रुपये की बिजली हम बाहर से खरीद कर लाये, इस बार के बारे में कोई संकेत नहीं है कि हम कोई बिजली खरीद कर लायेंगे या हम कोई और कुछ करेंगे। आपको मालूम होना चाहिये, माननीय सदस्यगणों, एक ताप घर योजना को प्रारम्भ करके उसे समाप्त करने

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

में और ऊर्जा का उत्पादन करने में कम से कम पांच वर्ष लगते हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : प्रारम्भ करने से समाप्त करने तक।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रारम्भ करके खतम करने में, बिल्कुल। प्रारम्भ करने से काम प्रारम्भ से मेरा मतलब है। बेबी, समझ कर कोशिश कर, समझती तो है नहीं।

श्रीमती तारा भण्डारी : माननीय सदस्या, खतम करने की बात तो अच्छी नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो करके बिजली का उत्पादन होने में पांच वर्ष का समय मिनिमम, कम से कम लगता है। और आप सुनिये, आप यह सब करने जा रहे हैं, किसके भरोसे ? एक तो दे दिया निवेली लिग्नाइट को बरसिंहसर। सूरतगढ़ के लिये ताक रहे हैं कि कोई प्राइवेट पार्टी आये। प्राइवेट पार्टी तो वही हाल करेगी जो आपके चित्तौड़ का हुआ है। चित्तौड़गढ़ को 88 के अन्दर लैटर आफ इण्टेण्ट दिया गया था, 88 में लाइसेंस दिया गया था। 88 में लाइसेंस देने के बाद चार वर्ष में प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना कर नहीं दी है। क्या चिन्ता है उनको ? क्यों करेंगे ? मैं कहती हूं, आपके पास टेक्नीकल नो हाउ की कमी नहीं है, टेक्नोक्रेट्स की कमी नहीं है। हमारे पास अच्छे से अच्छे इन्जीनियर्स हैं। आप उनकी टेक्नीकल नो हाउ से उन्हीं को यह ताप घर बनाने के लिये क्यों नहीं कहते हो ? ताकि आपको पता भी लग सके, आपका अंकुश है उनके ऊपर। आप कह सकते हो चार साल में पूरा करके दो। चार साल बाद उत्पादन हमें शुरू करना है। क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आपका बिजली की सप्लाई और उत्पादन का गैप बढ़कर चालीस पर्सेण्ट हो जायगा। यह तो 35 पर्सेन्ट आंका गया है लेकिन मैं जानती हूं यह 40 पर्सेन्ट हो जायगा। और तब क्या करोगे आप ? इसलिये यह जो आपने एक देख लिया लेकिन फिर भी आपकी उम्मीद है कि हम निजी हाथों में दें तो क्या सारा ही आप सब कुछ निजी हाथों में देकर यह चाहते हो कि आठ-आठ वर्ष तक पड़े रहे और इस प्रदेश का जो किसान है, इस प्रदेश का जो उद्योगपति है वह आपकी तरफ देखता रहे और उसे आप बिजली नहीं दे सको। इसलिये मैं चाहती हूं कि आप कम से कम इस सूरतगढ़ को तो अपने स्वयं के डिपार्टमेंट से, विद्युत मण्डल से बनवाइये ताकि आपको पता भी लगे काम कितनी जल्दी होता है, आपका कुछ अंकुश तो उसके ऊपर है। लोगों के प्रमोशनल एवेन्यूज बढ़ जायेंगे। आज लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है वहां पर, सब बैठे हैं। आज बीस बीस साल से जूनियर इन्जीनियर, ए. ईएन. उसी पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं बस समाप्त कर रही हूं। बस अपनी अन्तिम बात कह कर मैं समाप्त कर रही हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहती हूं

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कि आप एक मेगावाट भी बिजली का उत्पादन तो कर नहीं सके। कितने गांवों के ऊर्जीकरण की बात आपने कही नहीं, कितने कनेक्शन आप इस बार देंगे इस बारे में भी आप मौन रहे। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूं, आज एक बड़ी विडम्बना है। विडम्बना यह है कि जिस आदमी का मीटर खराब है, गांव में एग्रीकल्चर कनेक्शन में उपभोक्ताओं के मोस्टली मीटर खराब रहते हैं, तो उनके ऊपर पहले तो आप लगाते हो मिनिमम चार्ज और मिनिमम चार्ज के बाद में आप लगाते हो एवरेज चार्ज। जिन दिनों के अन्दर मीटर खराब है उन दिनों में फिर बाद में लगाते हो मीटर किराया। भाई, जो चीज खराब है उसका किराया लेने का आपको हक क्या है? पहली बात तो यह है कि मीटर की आप सारी कीमत पहले ही वसूल कर लेते हो उससे। लेकिन मान लीजिये फिर भी आपने यह मीटर किराया लिया तो जिन दिनों में उसका मीटर खराब है और जिन दिनों में आप मिनिमम चार्ज ले रहे हो मीटर खराब बता रहे हो उसके बाद भी उसका मीटर रेंट लेते हो। यह कहां का न्याय है? यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आती। मैं निवेदन कर रही थी, माननीय सभापति महोदय, कि गांवों के ऊर्जीकरण के बारे में कुछ आपने कहा नहीं, कोई आपकी योजना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं।

वन विकास के बारे में मुझे यह कहना है कि कुल मिलाकर वृक्षारोपण, वन विकास सारा का सारा स्वीडन और जापान की सहायता से करोगे। आप क्या करोगे जी? मैं कहती हूं, जितने विधायक हैं, जितने आपके थोड़े दिनों बाद प्रधान बनेंगे, जितने आपके सरपंच बनेंगे, जितने अध्यापक हैं, जितने आपके ग्राम सेवक हैं और जितने गांवों में रहने वाले अन्य आपके छोटे-छोटे कर्मचारी और अधिकारी हैं, सबके जिम्मे लगाइये, पांच पेड़ लगायेगा और पांच पेड़ लगाकर सर्वाइव करके 12 महीने बाद बतायेगा। क्यों नहीं आप कर देते। सारे के सारे ताकते हो भारत सरकार दे दे; स्वीडन सरकार दे दे, जर्मनी दे दे और जापान दे दे और आपका अपना कुछ भी नहीं है। इससे कैसे काम चलेगा? आपकी तो बिल्कुल भिखमंगों वाली प्रवृत्ति हो गयी है, किस तरह से काम चलेगा?

मैं अन्तिम अपनी बात कहती हूं, माननीय सभापति महोदय, एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारा वृक्षारोपण में दूसरा स्थान है। वनों का प्रतिशत घटता जा रहा है। राजस्थान में इनका दूसरा स्थान है। यह तो मानते हैं कि हमने केवल पौधशाला में पौध पैदा कर दी, रोप करके तैयार कर दी और तैयार कर दी उतनी ही लग गयी। इन्हें यह तो पता ही नहीं है कि उसके बाद लगाता कौन है? यह तो ले जाकर अपना जिम्मा पूरा कर लेते हैं कि ले जा तू बीस, तू 30 ले जा। अगला डालता है कहीं ले जाकर, बकरी को खिलाता है, गाय को खिलाता है इनको कुछ पता ही नहीं है इस बात का। न जो प्लांटेशन होता है न उसको नैक्स्ट ईयर के अन्दर देखा जाता है कि हम ने प्लांटेशन कहां कितना किया था और उस प्लांटेशन को सर्वाइव कितना किया, यह भी नहीं देखा जाता है।

(4.30 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

तो माननीय महोदय, मैं अपनी अन्तिम बात यह कहते हुए कि जो पंचायती राज संस्थाएं थीं वह लोकतांत्रिक संस्थाएं थीं उनको खतम करके वहां पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त करके क्या सरकार अपने सरकारी विभाग की तरह उन्हें चलाना चाहती है ? यदि यही आपकी मंशा है तब तो आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। इसलिये, माननीय उपाध्यक्षजी, इन्हीं अपने शब्दों के साथ यह निवेदन करते हुए कि इस तरीके से आप एक साल से दूसरे साल का भाषण देखते नहीं क्या कह गये, क्या नहीं कह गये। उन बातों की पालना करवाते नहीं, कुछ करते नहीं, भविष्य के लिये राजस्थान की जनता को इसमें कोई उम्मीद, कोई आशा अपनी प्रगति की दिखाई नहीं देती है इसलिये मैं असमर्थ हूं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना किसी भी तरह का समर्थन देने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने इस वीर प्रसूता भूमि को नमन करके पूरे प्रदेश की जनता के पास वन्दे मातरम् का नारा पहुंचा दिया है। इसी सन्दर्भ में अभिभाषण पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि राजस्थान प्रदेश में तस्करी पर पाबन्दी लगी है, साम्प्रदायिक दंगों में कमी हुई है, उग्रवादियों की गतिविधियां कम हुई हैं और पुलिस द्वारा 36 करोड़ से भी अधिक की तस्करी पकड़ी गई है। मेरे बारां जिले में भी वहां के पुलिस अधिकारियों ने चरेड़िया गांव में 2 करोड़ से भी अधिक की तस्करी पकड़ कर कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मन्त्री महोदय ने कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रेरित, प्रोत्साहित करने के लिए भागीरथ योजना को लागू किया है। एक अभिनव योजना राजस्थान सरकार, यानि मुख्य मन्त्रीजी ने लागू की है। उसमें एक विशेष प्रवृत्ति को चुन कर, सारा का सारा पैसा उसमें लगा कर, एक जिले में वह प्रवृत्ति हमें दिखाई दे, इस निमित्त तीस जिलों में तीस कामों को लागू करके टुकड़ों में पैसा न देकर, टुकड़ों में जो पैसा लगाया जाता था वह दिखाई नहीं देता था, उसकी प्रोग्रेस ठीक प्रकार से नहीं दिखती थी, एक योजना, एक प्रवृत्ति में पैसा लगाने पर अब उसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। अपना गांव अपना काम योजना को लागू करने से इसमें गांव वालों की भागीदारी बढ़ी है। गांव वाले उस काम को अपने घर का काम समझकर उसमें भागीदारी निभाने लगे हैं। इसी प्रकार बिजली के क्षेत्र में भी कोटा थर्मल पावर प्लाण्ट में 210 मेगावाट की एक इकाई का काम प्रारम्भ हो गया है। यह पांचवीं इकाई होगी। वहां का लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी प्रकार से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग ने भी ढाणियों, मजरों और जल के अभाव से ग्रस्त जो गांव थे, उनमें हैण्ड पम्प, कुए एवं जलप्रदाय योजना लागू करके हमारे प्रदेश के हजारों लोगों को पानी मुहैय्या करवाया है, यह भी अपने आप में एक कीर्तिमान है। कल विपक्ष के वरिष्ठ माननीय सदस्य बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने श्रीराम

(श्री मदन दिलावर)

मूर्ति और न्याय की बात करके क्या किया है, अभी तक उसकी क्या प्रोग्रेस है और यह नारा देकर उसने लोगों को गुमराह किया है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम भगवान प्रत्येक आदमी के हृदय में बैठे हुए हैं, कण-कण में समाये हुए हैं और इस धरती का प्रत्येक आदमी श्रीराम भगवान से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक वायदा किया था कि हम भगवान राम का मन्दिर बनाने में बीच में जितने भी अवरोध आयेंगे, हम उनको दूर करेंगे और उसी श्रृंखला में भगवान राम का अयोध्या में मन्दिर बनाने में जितने भी बीच में अवरोध आ रहे हैं, हम उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व हिन्दू परिषद् शीघ्र ही वहां मन्दिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर देगी। अयोध्या में भगवान राम का मन्दिर बनाना नितान्त आवश्यक है क्योंकि भगवान राम प्रत्येक व्यक्ति की श्रद्धा के केन्द्र हैं। यहां के वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं परन्तु उनको यहां.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहिये।

श्री मदन दिलावर : हमारे सामने बैठे हुए लोगों ने इसका विरोध करना चाहा तो मैं कहना चाहता हूं कि भगवान राम का मन्दिर यहां हिन्दुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या बाबर की मस्जिद बनेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : जो एक लुटेरा था, आक्रमणकारी था और उसने हमारे ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किये थे। इन सारे अवरोधों को हटा कर भगवान राम का मन्दिर बनाना नितान्त आवश्यक है और शीघ्र ही अयोध्या के पवित्र स्थल में, भगवान राम के जन्म स्थान पर मन्दिर का निर्माण किया जायेगा। एकता यात्रा के बारे में भी मेरे विपक्षी बन्धुओं ने कई प्रकार की चर्चाएं की थीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह भाषण में नहीं लिखवाया। फिर यह संशोधन पेश कर रहे हैं क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : एकता यात्रा का संदेश था वन्दे मातरम्, जय श्री राम, अखण्ड भारत हमारा बने। काश्मीर हमारे भारत का अविभाज्य अंग है। एकता यात्रा का विरोध करके हमारे सामने बैठे हुए विपक्षियों ने यह बात बता दी है कि हम काश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते। एकता यात्रा का विरोध करने का यही मतलब होता है। वन्दे मातरम् का विरोध यह लोग कर रहे थे कि एकता निकालने से साम्प्रदायिकता भड़केगी, दंगे होंगे और एक खूनी इतिहास पीछे छोड़ कर यह एकता यात्रा जायेगी....

श्री हेतराम बेनीवाल : काश्मीर की उल्ली तरफ रह गये अगर श्रीनगर पहुंच जाते तो दंगे हो जाते।

श्री मदन दिलावर : परन्तु जब एकता यात्रा में एकता बनी, पूरे देश के सभी धर्म-निरपेक्ष व्यक्ति इसमें जुड़े और इसको बहुत लोकप्रियता मिली तो इससे विरोधियों पर सीधा एक तमाचा पड़ा है। उन्होंने एक सबक लिया और फिर बाद में यह लोग समर्थन करने लग गये कि एकता यात्रा

(श्री मदन दिलावर)

बहुत अच्छी थी और देश के टूटे हुए मन इस एकता यात्रा से जुड़े है। कल एक वरिष्ठ माननीय सदस्य बोल रहे थे और वह इस प्रकार की भाषा बोल रहे थे, जैसे उग्रवादियों को प्रोत्साहित कर रहे हों।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मिले हुए हैं।

श्री मदन दिलावर : कह रहे थे कि एकता यात्रा से सारे के सारे उग्रवादी एक हो गये हैं इसलिए एकता यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी। हाडौती में एक कहावत है कि कौओं के श्रापों से ढोर नहीं मरा करते। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की चर्चा कर रहे थे उसी को मैंने एक कहावत करके सदन को बताने का प्रयास किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष माननीय मुरली मनोहरजी जोशी ने एक संदेश दिया था कि किसी भी कीमत पर 26 जनवरी को लाल चौक में ठीक समय पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झण्डा फहरेगा। चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। रास्ते अवरूद्ध हो गये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य आप कहां तक पहुंचे थे।

श्री हेतराम बेनीवाल : मंत्रिमंडल के कौन-कौन सदस्य गये थे।

श्री हरिसिंह : क्या हवाई जहाज लेकर गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिसिंहजी।

श्री मदन दिलावर : पहाड़ टूटकर बर्फ आ गया। केन्द्रीय सरकार ने सारे प्रयत्न किये कि माननीय मुरली मनोहरजी जोशी लाल चौक न जायें, वहां झण्डा नहीं फहराया जाये परन्तु एक दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति थी, उस इच्छा शक्ति के सहारे माननीय मुरली मनोहर जो जोशी 26 जनवरी को लाल चौक गये, तिरंगा झण्डा फहराया और भारत की मर्यादा, गरिमा और देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। आपको जानकारी होगी कि एकता यात्रा से केन्द्रीय सरकार में दबाव बढ़ा है और उसको इजरायल से दोस्ती बढ़ानी पड़ी ...

श्री हेतराम बेनीवाल : उससे इजरायल बन गया।

श्री मदन दिलावर : पाकिस्तान जो कह रहा था हम सीमा पर आयेंगे, काश्मीर में घुसेंगे और ऐसे उग्रवादियों का समर्थन करेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप थोड़ा पाठ तो पढ़ा करो, जिससे आपको अपटुडेट जानकारी रहे।

श्री मदन दिलावर : गोलियां चलाई। वह इसलिए नहीं कि हम भारत में नहीं जाना चाहते, काश्मीर में नहीं जाना चाहते। परन्तु हमारे डर के मारे यदि चले गये तो एक भी जिन्दा नहीं बच पायेंगे। देश का युवा, यहां का नौजवान उठकर खड़ा हो गया है, आतंकवादियों का सिर कुचलने के लिए खड़ा हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, डा. मुरली मनोहर जोशी ने देश को एक ही सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, यह बहुत सराहनीय है। इसी प्रकार से मैं सड़कों के बारे में कहना चाह रहा था, हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने राजस्थान में सड़कों का जाल बिछा दिया

(श्री मदन दिलावर)

है, ऐसा कांग्रेस के पिछले 40 वर्षों के शासन में नहीं हुआ था। कांग्रेस शासन ने सड़कों की मरम्मत नहीं कराई थी। बल्कि सड़कों की मरम्मत के नाम पर खुद की मरम्मत करके जेबों में पैसा भरा था। माननीय ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने सड़कों की ऐसी मरम्मत कराई है कि खड्डा दिखाई ही नहीं देता है। हो सकता है राशि के अभाव में कुछ सड़कें ऐसी गई हों, जिनकी वह मरम्मत नहीं करा पाये हों लेकिन उनकी पूरी इच्छा शक्ति थी कि सड़कों पर एक भी खड्डा न रहे और इसी बात को लेकर उन्होंने एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाया और सड़कों की ठीक प्रकार से मरम्मत करायी। यदि कांग्रेस शासन का एक वर्ष और भारतीय जनता पार्टी के शासन का एक वर्ष लेकर तुलना की जाये तो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हमारी पार्टी ने की है। जहां कृषि उपज मंडी जहां होती थी, उसी क्षेत्र में उसकी आमदनी का पैसा लगता था और उसी क्षेत्र का विकास हो जाता था। परन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी सूझबूझ से एक मण्डी कोष की स्थापना करके बराबर-बराबर पैसा सभी विभागों में बांटने की जो योजना बनाई है और जिस क्षेत्र से उसमें आमदनी होती है, यानि जहां से मण्डियों में अनाज आता है, उन सभी को सड़कों से जोड़ने के लिए एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाया है, यह भी सराहनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं 1500 प्राइमरी स्कूलें खोली हैं, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स खोली हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोटे बालक 4-4, 5-5 वर्ष के 3-3 किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ा करते थे, पढ़ाई का कोई साधन नहीं थे। ऐसी ढाणियों में जाकर के स्कूल खोले हैं ताकि छोटा बालक पढ़ाई हेतु दूर न जावे और उन्हें पढ़ने की सुविधा मुहैया हो जाय। इस प्रकार की बात ध्यान में रख कर और नयी स्कूलें खोली गयी है।....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसी प्रकार से सस्ता न्याय देने के लिये बहुत सारी अदालतों की स्थापना का है। उसी गांव में, उसी तहसील क्षेत्र में उसको न्याय मिलेगा, अदालत वहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा उसका पांच रुपया खर्च होगा और वह पहुंच जायेगा अदालत में और अपना न्याय लेकर के वापस अपने घर लौट जायेगा। इस प्रकार की सुविधा इस सरकार ने दी है।

इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन बातें मैं कहने जा रहा था। हमारे प्रान्त से एस.टी.सी. करने वाले बन्धु और बी.एड. करने वाले बन्धु बहुत दुःखी हैं। उसका कारण यह है कि अन्य प्रान्तों से लोग बी. एड. और एस. टी. सी. करके यहां आ जाते हैं। उनके पास फर्जी डाक्युमेण्ट्स, फर्जी अंक तालिकाएं होती हैं और हमारे यहां के जो लोग होते हैं उनके अंक फर्जी अंक तालिका से कम होते हैं और जिस कारण प्रतिशत कम होता है। वहां का मूल निवासी वहीं पढ़ता है और यहां क्यो करता है कि मैं यहां पढ़ा हूं, यहां का ही मूल निवासी हूं। तो उसमें क्या रास्ता निकालना चाहिये। यह विचार करना पड़ेगा, यह जांच का विषय है कि एक छात्र कैसे दो जगह का मूल निवासी हो सकता है।

(श्री मदन दिलावर)

यदि उसने दो जगह पर मूल निवासी क्यों किया है तो निश्चित रूप से उसने 420 तथा धोखा-धड़ी की है। ऐसे दस्तावेजों की जांच करवायी जानी चाहिये और राजस्थान से बाहर से जो छात्र बी.एड. और एस.टी.सी. करके आते हैं उनके दस्तावेजों की पूरी जांच करने के बाद ही उनको साक्षात्कार में शामिल किया जाय अन्यथा जो राजस्थान में ईमानदारी से बी.एड. और एस.टी.सी. पास करते हैं और प्री-बी.एड भी करते हैं ऐसे लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर ध्यान देना पड़ेगा और हमको सोचना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से आक्रमण कर रही है। बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां जो हमारे यहां आती हैं उनका प्रोडेक्शन हमारे यहां की कम्पनियों के प्रोडेक्शन सस्ता होता है। हमारे यहां का मजदूर बेकार होता जा रहा है, हमारे यहां के उद्योग बन्द होते जा रहे हैं और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां हमारे यहां की करेन्सी को बाहर ले जा रहा है। इससे हमारे देश का युवक बेरोजगार और हमारे यहां की करेन्सी बाहर जा रही है और युवक बेरोजगार होता जा रहा है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं....

श्री हेतराम बेनीवाल : यह तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं सदन से, जनता से निवेदन कर रहा हूं कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाये ताकि हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहे, हमारे लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी मिटे। इतनी बात कह कर मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा है उसका समर्थन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्र पारीक।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घण्टे तक बढ़ाने के लिये प्रस्ताव आया है। क्या सदन का समय एक घण्टे के लिये और बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

मैं सदन की सहमति से सदन का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाता हूं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेत्तर वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के मुख्य पृष्ठ को पलट कर सर्व प्रथम जो खुशी हुई, जो आभास हुआ वह उनकी इस पंक्ति से हुआ

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कि इस देश की वीरता और बलिदान की परम्परा वाली वीर प्रसूता धरती को मैं नमन करता हूं। उनके यह उद्‌गार हम सब विधान सभा में बैठने वाले माननीय सदस्यगणों के लिये एक गौरव का विषय है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक मात्र इस बात के अलावा माननीय राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन उन्हें पुनर्विचार के लिये वापस भिजवा दें क्योंकि इस अभिभाषण में केवल मात्र शब्दजाल है। जिन विभिन्न प्रकार की योजनाओं का सहारा लेकर के इस अभिभाषण के द्वारा जो कुछ दिखाया गया है, जो कुछ दर्शाया गया है उससे जहां तक मैं समझता हूं यदि हमारे मन में यह वहम पाल लें कि राजस्थान का विकास केवल इन शब्दों से हो जायेगा। भागीरथ योजना, गोपाल योजना, गणेश योजना, वह योजना, यह योजना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि केवल शब्दों से यदि इस राजस्थान का विकास सम्भव हैं तो मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह और सैंकड़ों ऐसे कुछ शब्द लाकर इस अभिभाषण में रख देते जिससे न कुछ करना पड़ता और न कुछ धरना पड़ता और इस राजस्थान का विकास स्वतः ही हो जाता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी स्टेट के विकास के लिये सबसे जरूरी जो अहम बात है वह इन्सान की इच्छा शक्ति है, उसके काम करने का इरादा और उसके काम करने की प्रवृत्ति और इरादा और अभिभाषण जो होता है वह किसी भी सरकार का उसकी नीति का, उसके कार्यक्रमों का एक आयना होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह आयना एक ऐसा आयना है जिसमें इस सरकार का अपना रूप हकीकत में कुछ और है और इनको दिखायी कुछ और देता है। यह पता नहीं उन्होंने कैसा आयना अपने लिये बना रखा है और उनकी वास्तविकता है वह उससे कहीं परे है। जो सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द का दावा भरती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अक्टूबर, 90 की रथ यात्रा से लेकर आज इस एकता यात्रा तक इस भाजपा की, इस राजस्थान की सरकार ने जिस तरह से साम्प्रदायिक सोहार्द छिन्न-भिन्न किया है, जिस तरह से राजस्थान की शान्तिप्रिय धरती को अपने इन नापाक इरादों से कलुषित किया है जिसको मैं समझता हूं राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसी सरकार नहीं आयी थी और न ही ऐसी सरकार के आने की उम्मीद है।....

श्री हेतराम बेनीवाल : नापाक इरादे कौन से हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक : इस धरती पर जो कुछ पनप रहा है, ये सारे नापाक इरादें ही हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रथ यात्रा की बात की कुछ घटनाएं घटी है उसमें....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रथ यात्रा से सद्‌भाव बढ़ा है जो आप लोगों ने दुर्भावना फैलायी थी राम-राम करके उसका पाप कटा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस वक्त की जो घटनाएं घटी उसमें मैं नाम लेने की आपसे इजाजत

(श्री राजेन्द्र पारीक)

चाहता हूं। माननीय सम्पत सिंहजी और माननीय जगमालसिंहजी, कुछ लोगों ने ले देकर के इस सरकार को बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन उसका परिणाम, उसका परिणाम यह निकला कि जिस दिन उन्होंने एकता यात्रा का विरोध किया, उस एकता यात्रा का विरोध करने से उन लोगों को इस राज्य सरकार ने मंत्री पद से निष्कासित किया गया। इससे ज्यादा यह सरकार और क्या साम्प्रदायिक हो सकती है। जिन माननीय मंत्री महोदय ने एकता यात्रा का विरोध किया और यह जग जाहिर बात है, सारे अखबारों में इस बात का एलान किया गया है कि हम एकता यात्रा का विरोध करते है। उस विरोध के फलस्वरूप इस भाजपा की सरकार ने उनको राज्य मंत्रिमण्डल से निष्कासित किया। निष्कासित ही इनको करना था तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार में बैठे उन भ्रष्ट मंत्रियों को निष्कासित करना चाहिये था जिनके चलते यह राज्य सरकार आज स्वयं बदनाम हो रही है, जिनके चलते राज्य सरकार का सारा का सारा विकास का काम रुका जा रहा है। लेकिन उसके लिये चाहिये इच्छा शक्ति। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन मंत्रियों को एकता यात्रा के नाम पर हटाने का जो नाटक किया है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, यह कहना चाहूंगा कि उनके बारे में इस राजस्थान के सारे अखबारों में दुनिया भर के कारनामे छपे पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक सौहार्द का दम भरने वाली भाजपा की इस सरकार जिसका चरित्र किस तरह से राजस्थान में उजागर हुआ इससे बड़ी कोई मिसाल देने की मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनको हटाया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : साम्प्रदायिक सौहार्द की बात छोड़ दीजिये क्योंकि आपका चरित्र साम्प्रदायिक सौहार्द का है ही नहीं। आपका जो कुछ चरित्र उज्जवल हुआ है उसका....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके यहां तो मुख्य मंत्री हटा दिये गये। एक ही सत्र में तीन बार मुख्य मंत्री बदले गये थे। क्या बात करते हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। इन्हें अपना कथन पूरा करने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक सौहार्द की जहां भावनायें होती हैं वह दिल से होती है दिल से महसूस किया जा सकता है।....

श्री उपाध्यक्ष : उन्हें अपना कथन पूरा करने दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : साम्प्रदायिक सौहार्द की सद्भावना की बात दिल से होती है दिल से महसूस की जाती है। इसका आपने एक नमूना देखा होगा। मेरे से पूर्व वक्ता माननीय दिलावर साहब फरमा रहे थे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : दिल तो है पर राम निकल गया। आपके लिए राम है नहीं है।

श्री जुबेर खां : क्या भाजपा ही ने राम को पैदा किया है। राम तो तब से हैं जब से कोई भाजपा का नाम भी नहीं जानता था। राम की सारी ठेकेदारी आपने ले रखी है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जुबेर खां जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जुबेर खां जी आप बिराजें यह कोई बहस का विषय नहीं है। उनको भाषण देने दें।

श्री जुबेर खां : यह तो डूबोने वाले है।

श्री मदन लाल सैनी : राम थे पर वह राम तो गये थे उसको हमने जगाया है। वह पहले भी थे।

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्यपाल महोदय का अभिभाषण या राम के नाम पर चर्चा हो रही है।

श्री जुबेर खां : यह बी.जे.पी. वाले लोग है यह+++उनकी हमको शिक्षा नहीं चाहिए इस हाऊस में।

श्री मदन लाल सैनी : कांग्रेस के लोग तो हिन्दु धर्म की बात करते हैं लेकिन कांग्रेस तो+++भी नहीं हिचकिचायी। जिसकी सिसकियां देश आज भी भुगत रहा है। देश का विभाजन आपके पाप का परिणाम है और सत्ता (व्यवधान)....

श्री जुबेर खां : ... जब-जब कांग्रेस के खिलाफ के प्रधानमंत्री रहे तब-तब देश पर खतरे आये और देश में साम्प्रदायिक दंगे हुए....(व्यवधान)

श्री मदन लाल सैनी : ....सत्ता के लालच में आपने जो किया उसका परिणाम देश आज तक भुगत रहा है। आपने+++ में झांक कर देखो कि आपकी स्थिति क्या है और उसके बाद आरोप लगाओ। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। धारा 370 संविधान में लाकर देश की जनता के साथ धोखा किया है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी बैठें।

श्री हरिसिंह (महुवा):....आपकी आर. एस. एस. अंग्रेजों का पक्ष ले रही थी और देश की आजादी का विरोध कर रही थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहे।

श्री मदन लाल सैनी : आपने जल्दी सत्ता हथियाने के लिए देश का विभाजन मंजूर किया है....(व्यवधान)

श्री जुबेर खां : आपने देश को लूटने के लिए एकता यात्रा को लेकर देश में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा....(व्यवधान)

श्री मदन लाल सैनी : धारा 370 आपने देश के टुकड़े करने के लिए रखी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी धारा 370 और एकता यात्रा तो टांय-टांय फिस्स

+++शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(एक माननीय सदस्य)

हो गयी अब फालतु क्यों चिल्लाते हो ? कोई मतलब नही ।....(व्यवधान)

श्री मदन लाल सैनी : आपने सत्ता जल्दी प्राप्त करने के लिए देश का विभाजन किया । गांधीजी कहते थे मेरी लाश पर देश का विभाजन होगा वह विभाजन उनके जिन्दा रहते आप लोगों ने स्वीकार किया ....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : +++ (व्यवधान)

श्री जुबेर खां : +++

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री मदन लाल सैनी : धारा 370 को आपने स्वीकार किया ।+++आपके लिए कोई जगह नहीं बची है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन लाल सैनी । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पाइंट आफ आफ ऑर्डर ।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब क्या पाइंट आफ ऑर्डर है ।.... (व्यवधान) डा. साहब उनका पाइंट आफ ऑर्डर है । What is point of order ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान की विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में माननीय सदस्यों को आपकी अनुमति से जो बोल रहा है तो कुछ पालनीय नियम बने हुए हैं उनको बीच में व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए उनको बीच में आपकी इजाजत के बगैर नहीं बोलना चाहिए....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक । इट इज नॉट ए पाइंट आफ ऑर्डर ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्यों ? नियमों में है ।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान नहीं करना चाहिए । मैं एग्री कर रहा हूं । व्यवधान नहीं करना चाहिए । क्या मैं उनको अनुमति दे रहा हूं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय झुन्झुनू से आने वाले माननीय सदस्य जो व्यवधान पैदा कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए । क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह +++क्या गांधीजी की बात कर रहे हैं....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैंने पाइंट आफ ऑर्डर के लिए आपसे निवेदन किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर हर एक माननीय सदस्य निवेदन करेगा यों तो ।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, धारा 370 का जहां तक सवाल है....

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई सवाल नहीं है।

डा. चन्द्रभान : यह केन्द्र का मसला है। यह बहुत सेन्सेटिव मसला है। यहां पर जिस तरह से प्रश्न और जवाब हो रहे हैं, आपकी अनुमति से हो रहे हैं, बहस करनी है तो अलग से इजाजत दीजिए। अन्यथा धारा 370 के ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहिए...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पाइंट आफ आॅर्डर नहीं है। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह एक्शन का रि-एक्शन है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि +++ । आज गांधीजी जिन्दाबाद की बात करती है (व्यवधान) +++(व्यवधान)

श्री जुबेर खां :+++(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह +++

श्री मदन लाल सैनी : गांधी जी के नाम से रोटियां सेकने वाले लोग गोडसे की बात करते हैं आपने तो भिण्डरवाले को तैयार किया है, देश की शांति को समाप्त करने के लिए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन लाल सैनी।

एक माननीय सदस्य : हमने जो कुछ किया उसका परिणाम देख लिया आपने, पंजाब में (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य शांत रहें....(व्यवधान)....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आॅर्डर में लाइये पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आॅर्डर, माननीय सदस्य उत्तेजना में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप अपने स्थान से बोलें। यह नियम है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब। ....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरा आब्जेक्शन है।

श्री उपाध्यक्ष : देखना चाहिए उनका पाइंट आफ आॅर्डर भी है या नहीं।

एक माननीय सदस्य : सरकार का क्या पाइंट आफ आॅर्डर होता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो नियमों की पालना के लिए कह रहा हूं। गवर्नमेण्ट का सवाल नहीं है। एज ए मेम्बर आई केन रेज इट। आपने मुझे अनुमति दी है मेरा पाइंट आफ आॅर्डर छोटा सा है। अभी उत्तेजना में माननीय सदस्य ने कहा +++ मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। यह अंकित भी नहीं होना चाहिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह असंसदीय शब्द नहीं है।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : +++ वाला पाठ निकाल दिया जाय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्यों को विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जो गवर्नर एड्रेस पर स्पीच होती है वह पोलीटिकल थोट को प्रपोगेट करती है। हर एक पोलीटिकल पार्टी के आदमी खड़े होते हैं और अपने पोलीटिकल थोट को स्पष्ट करते हैं तो इस पर आप अनावश्यक उत्तेजना प्रकट कर रहे हैं। भाजपा की एक नीति है जिससे हमारा बेसिक डिसएग्रीमेण्ट है उसको यहां अभी जो एकता यात्रा के नाम पर प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके की गयी है उस पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आप तसल्ली रखिए। आप उत्तेजना पैदा कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई उत्तेजना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है बिराजें। श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, वार्ता इस बात पर थी कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में साम्प्रदायिक सौहार्द्र की चर्चा की गयी उसी चर्चा के साथ मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं साम्प्रदायिक सौहार्द्र की बात भाजपा सरकार करे यह बात गले उतरती नहीं है। कांग्रेस सरकार करे वह बात तो गले उतरती है। जिसका नतीजा आपने पंजाब के चुनावों में देखा, जिसका नतीजा आपने बम्बई के चुनावों में देखा, जिसका नतीजा आपने राजस्थान के चुनावों में स्वयं ने देखा खुद की सरकार होते हुए यहां पर उन्होंने सीटें लूज कीं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा था जिसके चलते माननीय सदस्य उत्तेजित हों। रही बात +++ कहने की तो मैं फिर उनको +++ कहता हूं। यह कोई असंसदीय नहीं है। जिस +++ को यह पूजते हैं और जिस +++ को यह नमन करते हैं मैं गांधीजी की सन्तान हूं और +++ बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं यह नहीं कहता तो मेरे फर्ज से कोताही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : +++ शब्द को एक्सपंज कर दें। माननीय पारीक साहब, आप पांच मिनट से गोडसे गोडसे बोल रहे हैं....

(5.00 सायं)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का हक है। हिन्दू और मुसलमान की एकता करने के लिये एकता यात्रा निकाल कर आपको यकीन है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें। श्री किशना राम जी, कृपया बैठें।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, यह पारीक साहब बार-बार +++ आपको कोई +++ कह दे तो क्या होगा....

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उग्रवादियों से देश के टुकड़े टुकड़े करवा रहे हैं। देश द्रोहियों का साथ देने वाले यह लोग हैं....

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर साहब ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक हलका सा निवेदन यह करना चाहूंगा राम जी किस के साथ है और किसके साथ नहीं हैं इसका उदाहरण एकता यात्रा में जम्मू में मिला । रामजी नहीं चाहते थे कि इनकी एकता यात्रा वहां सम्पन्न हो जिससे देश टूटे । रामजी ने वहां लैण्ड फ्लाइट की और इनका मार्ग अवरुद्ध किया । इनके मार्ग को रोका कि आप इससे आगे नहीं जा सकते । रामजी नहीं चाहते थे कि इनकी यात्रा सम्पन्न हो और यह देश खण्ड-खण्ड हो और यह देश टूटे ।.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी जी, आप डिस्टर्ब कर रहे है ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब बात कानून और व्यवस्था की है कानून और व्यवस्था का नमूना तो आप ने राजस्थान में देख ही लिया होगा पंकज सिंघवी की हत्या, टाडा में बन्द लोग, यह इनकी कानून व्यवस्था है । और तो और सदन में बैठने वाली माननीय सदस्या, अब घर चली गई हैं, उनके घर से जीप चोरी हो गई । मेरे सीकर में नगर परिषद में जीप चोरी हो गई, रोडवेज की जीप चोरी हो गई, हास्पिटल की जीप चोरी हो गई । पूछो इस सरकार में बैठे हुए मंत्रियों से क्या आज तक वह चोरियां बरामद हुई हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीकर के कल्याण अस्पताल से चार लाख रुपये चोरी हो गये । रोडवेज की ट्रेजरी से ढाई लाख रुपये की चोरी हो गई । यह कानून व्यवस्था है ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : माननीय शिवचरण जी के राज में उनका पैट्रोल पम्प लुट गया ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में इससे बड़ा काला दिन और कोई हो ही नहीं सकता जिसमें विधान सभा कर्फ्यू में लगी । सारे माननीय सदस्यों का सर शर्म से नीचे झुक जाता है कि उनको कर्फ्यू में सदन में आकर बैठना पड़ा । किस बात की परिणिती थी, किस बात का परिणाम था ....(व्यवधान) इस बात की दलील है.... माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार पूर्ण रूप से साम्प्रदायिक है । इनका पूर्ण जिम्मा लोगों की हत्यायें करने में है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात करना बड़ा आसान है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदन जी दिलावर बैठिये ।

श्री मदनलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर आरोप लगा रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिये । माननीय सदस्यों पर फर्जी लोन लेने का आरोप लगा रहे हैं ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई प्रोसीजर नहीं है । आर्डर प्लीज ।

श्री राजेन्द्र पारीक : हाउस में कैसे बोला जाये, इनको बोलने का ज्ञान नहीं है ।....

श्री मदनलाल सैनी : जो आरोप लगाये जा रहे हैं इन आरोपों की जांच होनी चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनी जी, माननीय दिलावर जी, इसका प्रोसीजर है उठाने का। किशनाराम जी बिराजें आप।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यह ट्रेजरी बेन्चेज के लोग बिहेव कर रहे हैं जब चाहे खड़े हो जाते हैं... इस तरीके से तो हाउस नहीं चल सकता....

श्री उपाध्यक्ष : मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बिना कारण के किसी को कोई रोक टोक नहीं करें, यह परम्परा है माननीय किशना राम जी, आप बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय किशना राम जी आंखें दिखा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप आंखों से क्यों डर रहे हैं।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेन्चेज के ही लोग अगर सदन के चलने में बाधा पहुंचायेंगे और रुकावट पहुंचायेंगे या तो यह आपके काबू में नहीं हैं और या आप जानबूझ कर इनसे ऐसा करवा रहे हैं मैं ऐसा तो कहूंगा नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

डा. हरिसिंह : या फिर इनमें डिसिप्लिन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये, पारीक साहब ओवर कीजिए।

एक माननीय सदस्य : हम तो काबू में भी हैं, अनुशासन में भी हैं लेकिन आप अपनी पार्टी के सदस्यों को ...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : 20 मिनट हो गये हैं आपको, दो मिनट में आप अपनी बात पूरी कर दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : कैसे हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी देर से तो मुझे टोकाटाकी चल रही है, व्यवधान चल रहा है, बोलता कैसे मैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में अन्वेषण ब्यूरो स्थापित करने मात्र से ही यदि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो पाता तो यह इनको बहुत पहले ही कर देना चाहिये था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये आपको निश्चित रूप से अपना मानस बनाना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा। आज इस सदन में बैठा हुआ कौन ऐसा आदमी हो सकता है जो शपथ पूर्वक यह कहता है कि उसके जिले में सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार नहीं पनपता। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार नहीं होता। फिर यहां पर आकर इस तरह की बात करना कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो गया है यह कोई नारू और मलेरिया का कोई रोग है जिसका आपने उन्मूलन कर दिया। भ्रष्टाचार तो आज इस कदर पनप गया है कि यह तो शिष्टाचार की श्रेणी में आ गया

(श्री राजेन्द्र पारीक)

है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम वास्तव में यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के कहीं रोक लगे तो हमें निश्चित रूप से ही कुछ ऐसे नियम कानून कायदे बनाने होंगे जिससे भ्रष्टाचार पर कहीं रोक लगे। इसके लिये सरकार को सब से पहले.... (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : सरकार प्रयास तो कर रही है, चार को तो हटा दिया है और भी हटने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी स्टेट का विकास जो है उसको नापने के लिये सड़कें, अस्पताल, शिक्षा, विद्युत, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको देखकर हम यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना क्या विकास हुआ है। आप शिक्षा की बात करेंगे। आप भी इस सदन में बैठते हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार के समय में जो शिक्षण संस्थायें भले ही वह प्राइमरी स्कूल ही थीं उनको खोला, इन्होंने बन्द कर दिया। आज यह प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं। लेकिन मजा तो तब आता है जब पिता पढ़ा हुआ और उसका पांच साल का पुत्र अनपढ़। इससे बड़ी विसंगति और क्या हो सकती है। पहले आप पुत्र को तो शिक्षा दे दीजिये। पिता के पांव तो कब्र में लटक गये उसको तो शिक्षित कर रहे हैं, उसको पता नहीं कहां ले जाना चाह रहे हैं लेकिन उस गरीब बेटे के लिये इनके पास कोई शिक्षा का कोई साधन नहीं है। उसके लिये इनकी कोई मन्शा ही नहीं है, कोई इनके पास प्रोग्राम ही नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी आप गांव में जाकर स्वयं यह पायेंगे कि स्कूलों में अध्यापक के स्थान पर एक चपरासी बैठता है जो उस स्कूल को चलाता है। आज भी आपको जो है महिला शिक्षा के लिये शिक्षा मन्त्री जी के पास सीकर से दुनिया भर के डेपूटेशन आये हैं, दुनिया भर की इनके पास शिकायतें आई हैं। उस शिक्षण संस्थान में आज कम से कम 30 महिलायें ऐसी हैं जिनको वेतन नहीं मिला....

श्री उपाध्यक्ष : ओवर कीजिये अब। विराजिये अब आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अस्पतालों की जब बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हर एक को दस मिनट दिये हैं, पौने पांच बजे आपने शुरू किया है अब पांच बजकर दस मिनट हो गये हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, अस्पतालों की जब हम बात करते हैं जहां आपकी मर्जी हो, वहां आप जाकर देखिये। मेरे स्वयं के सीकर में माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर चाहूंगा कि सीकर के कल्याण अस्पताल में पांच लाख रुपये की दवाओं की खरीद का जो बजट था उसमें मात्र अभी 3 लाख रुपये खर्च हुए हैं और मार्च सामने है। यदि वास्तव में शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में इनकी चिन्तायें होतीं, इसमें दोष किसका है किसका नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन आज भी सीकर के कल्याण अस्पताल में सीनियर डायनिकिस्ट नहीं है, सीनियर फिजीशियन नहीं है वहां पर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

सीनियर पैडियाट्रिक नहीं है वहां पर पी. एम. ओ. की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। सीकर का हास्पिटल, जहां नागौर, झुन्झुनू और चूरू, चार-चार जिलों के लोग जहां दवा-दारू और अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, ऐसे बड़े हास्पिटल में यदि इस तरह से अभाव होगा। और अभाव क्यों? माननीय मन्त्री महोदय ने उनका स्थानान्तरण कर दिया। वे लोग या तो छुट्टी पर चले गये या कोर्ट से स्टे लेकर अपने घर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से इस सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह विकास के कार्य करे, वह लोगों का कल्याण करे। इसमें किसी का कोई अहसान नहीं है। सरकार अपने दायित्व को वहन कर रही है या नहीं कर रही है, इसका लेखा-जोखा तो जनता देखती है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : जनता ने यह बात देख ली है कि विकास के जो कार्यक्रम चलने चाहिए, जो कल्याणकारी योजनाएं चलनी चाहिए वास्तव में वे नहीं चल पा रही हैं। इसका दोष जनता को देने की बजाय हमे स्वयं अपने गिरेबान में झांकना होगा, हमें अपने अन्तर को टटोलना होगा कि हमने कितना क्या विकास किया है।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अधिकतर समय तो उन्होंने डिस्टर्बेन्स में बर्बाद कर दिया। अब आप भी यदि यही चाहते हैं तो फिर संरक्षण किससे चाहूंगा मैं।

श्री उपाध्यक्ष : न, न, सदन आपको बहुत समय दे चुका।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप से कम से कम इसकी उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप मुझे संरक्षण देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरा कीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में प्रवासी उद्योगपतियों का जिक्र किया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके ही लोग रह जाएंगे। सब अपनी-अपनी बात कहना चाहते हैं। समय सीमित है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं थोड़ा ही समय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट में पूरी कर लीजिए अपनी बात को।

श्री राजेन्द्र पारीक : पांच मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट नहीं दूंगा, एक मिनट। पार्टी का मामला नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : मेरी तो कोई सुन नहीं रहा बात।

श्री उपाध्यक्ष : सब सुन रहे हैं, आप कहते जाइये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण में प्रवासी उद्योगपतियों का जिक्र किया गया है। मैं इस सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि कितने उद्योगपतियों को आपने आमन्त्रित किया राजस्थान में कि वे आएं यहां पर और उद्योग लगाएं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (उद्योग मन्त्री): आपकी सूचना के लिए कहना चाहता हूं कि 80 से भी ज्यादा प्रवासी आ चुके हैं और लोग आ रहे हैं लगातार।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो आए हैं उनकी हालत यह है कि आर.एफ.सी., रीको और बैंकों के चक्कर लगाते-लगाते उन लोगों की जूतियां घिस गयीं लेकिन उद्योग लगाने के मामले में वे आज भी वहीं के वहीं हैं। इसी राजस्थान स्टेट के पास का स्टेट गुजरात है। आप देखिए, वहां पर उद्योग किस तरह पनप रहे हैं और राजस्थान आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। माननीय मन्त्रीजी, आपको इस बात को दिल से स्वीकारना होगा। राजस्थान में जिस प्रशासनिक सरलीकरण की आप बात करते हैं उस प्रशासनिक सरलीकरण की बजाय जिस तरह की विसंगतियां हमारे दफ्तरों में पैदा हो गयी हैं, चाहे रीको में जाइये चाहे आर एफ सी. में जाइये या चाहे बैंक्स में जाइये कि जब बाहर का उद्योगपति यहां पर आता है तो इन सारी तकलीफों को देखकर वह मन में यह मानस बना लेता है और राजस्थान में उद्योग लगाने के बजाय, जहां पर न कच्चा माल है न कोई बिक्री की सुविधा, वह गुजरात चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है। राजस्थान का बेटा होने के बावजूद भी राजस्थान की धरती को अपनी सेवाएं देने में वह असमर्थ है। उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार आप हैं। आपको तय करना होगा, वन विण्डो पर सारी की सारी सुविधाएं देनी होंगी। राजस्थान इतना बड़ा कृषि प्रधान स्टेट है, कितनी कृषि योजनाएं आपने इस अभिभाषण में व्यक्त कीं? कितने खनिज उद्योग पनपाने की आपने बात की? आपके पास योजनाएं हैं नहीं। आपके पास केवल शब्दों का आडम्बर और जाल है, जिसको आपने काफी सूझबूझ से फैलाया है। लेकिन शब्दों के इस आडम्बर और जाल से आम जनता कल्याण और विकास की बात अपने गले नहीं उतर सकती।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जनता को चाहिए पानी, जनता को चाहिए सड़क।

जब पानी की बात आयी है तो हमारे मन्त्री महोदय यहां विराजमान हैं। आज भी मेरे क्षेत्र की हालत यह है कि श्यामगढ़ में जाता हूं तो मुझे वहां यह सुनने को मिलता है कि इस गांव में कोई बेटी व्यवहार नहीं करता क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है। और तकलीफ इस बात की होती है कि सरकार ने जब हैण्डपम्प इश्यु कर दिए तो, आज वह हैण्डपम्प ठूंठ की तरह वहां खड़ा हुआ है। इनके पास 10 फीट पाइप नहीं है कि उस हैण्डपम्प को चालू कर दें। माननीय मन्त्री महोदय, मैं यह कोई आपको उलाहना देने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह हकीकत है। यदि इस हकीकत में आपको कोई सच्चाई नजर नहीं आती है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। आप जाइये मेरे सीकर क्षेत्र के धनपुरा गांव में। वहां पर जोरगिया की ढाणी में आप पूछिये एक्स.ई.एन. साहब को कि कितना अरसा हो गया हैण्ड पम्प लगे, लेकिन आज भी उस हैण्डपम्प से पानी मिलना तो दूर वे कह रहे हैं कि हमारे पास 10 फीट पाइप नहीं है। आखिर यह सब क्या है? आप

(श्री राजेन्द्र पारीक)

नोट करिये इस बात को। मैं कोई झूंठ बात नहीं कह रहा हूं, आपको किसी मुगालते में नहीं रख रहा हूं, गुमराह नहीं कर रहा हूं। यह हकीकत बयान कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्या एक-एक फीट पाइप के लिए डिपार्टमेंट तरसता है? आपने जितनी योजनाएं बनायीं वे सारी तो ठीक हैं, लेकिन भूखे को तो आप अन्न का दाना दोगे तब ही जाकर उसके पेट की भूख शान्त होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेमराज जी मीणा।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनिट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : 25-30 मिनिट हो गये, बिराजिये आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : दो मिनिट में कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो बैस्ट स्पोर्ट्स मैन हैं सरकारी नौकरियों में उनके लिए क्या-क्या सुविधाएं दे रही है सरकार, इस बारे में कुछ व्यक्त करते तो बात का आनन्द आता।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि भूमियों पर अतिक्रमण के बारे में अब कुछ नया लाने की बात शायद ये सोच रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि नगर परिषद् जे.डी.ए. के बने हुए कानूनों का जिस तरह से उल्लंघन आज हुआ है वह मैं समझता हूं इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमने ये कानून बना दिये कि कोई भी अतिक्रमण करेगा उस पर दण्ड प्रक्रिया के तहत केस दर्ज होंगे। लेकिन आप पूछिये कितने लोगों के ऐसे केसेज दर्ज हुए। अतिक्रमण आज इस कदर हो रहे हैं और मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि जिस तरह सरकारी अधिकारियों का बीजेपीकरण हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ। यह भ्रष्टाचार नहीं बल्कि उनका बीजेपीकरण कर दिया आपने, जिसके कारण यह सारा पनप रहा है। अन्त में मैं केवल एक लाइन कहना चाहूंगा :–

सब कुछ है इस सरकार में रोजी-रोटी नहीं तो क्या।
वादा लपेट दो जो लंगोटी नहीं तो क्या।।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण से असहमत हूं।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष ने कई प्रकार की चर्चायें, कई प्रकार से अपनी बातें इस सदन के अन्दर कहीं हैं। अगर हम माननीय मुख्य मन्त्रीजी के पूर्व कार्यकाल की याद करें, उस ढाई साल में राजस्थान में जितने काम हुए गांवों के अन्दर आज उसकी तस्वीर खड़ी है। उसी तरह से पिछले दो साल का कार्यकाल भी जो हमारी सरकार और माननीय मुख्य मन्त्रीजी का रहा है, इस कार्यकाल में गांवों में जो काम हुए, गांवों में उन कामों की तस्वीर है। गांवों में इतने काम हुए हैं कि गांवों में माननीय

(श्री हेमराज मीणा)

मुख्य मन्त्रीजी और पार्टी की भयंकर प्रशंसा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय. राजस्थान की वार्षिक योजना, जो माननीय मुख्य मंत्री जी और वित्त मन्त्रीजी ने पिछली बार बनायी थी, पिछले समय 795 करोड़ की थी। उसको बढ़ाकर 956 करोड़ किया, फिर उसको बढ़ाकर 1166 करोड़ किया और अब आने वाले वर्ष में हमारी वार्षिक योजना 1400 करोड़ रुपये की होगी। वार्षिक योजना 76 प्रतिशत वृद्धि की रहेगी, यह राजस्थान के इतिहास में लिखा जाएगा। 76 प्रतिशत वार्षिक योजना बढ़ाना मामूली बात नहीं है। यह बहुत परिश्रम, मेहनत और केन्द्र सरकार के पास खास प्रयास के कारण यह वार्षिक योजना बढ़ी है। इस वार्षिक योजना के बढ़ने से सारे राजस्थान का विकास होगा, विकास की गंगा राजस्थान में बहेगी।

जहां तक राजस्थान का सवाल है राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। 80 प्रतिशत खेती करने वाले लोग यहां पर रहते हैं। खेती के बारे में सरकार ने जो विचार किया है वह किसान की आर्थिक प्रगति का निशान है। यद्यपि किसान के उत्थान के लिए कई योजनाएं बनायी गयी हैं। जलग्रहण विकास निदेशालय की स्थापना की गयी, जिससे बारानी भूमि जहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। वहां के किसान को बहुत लाभ होगा और किसान की आर्थिक दशा सुधरेगी। आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो राजस्थान प्रदेश का विकास होगा। इतना ही नहीं, राजस्थान में किसान के उत्थान के लिए तिलम संघ का गठन किया गया, जिसके कारण तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई और राजस्थान में 4-5 जिलों में तिलहन के कारखाने लगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जिला मंडी विकास कोष की स्थापना की गयी। पूर्व में जो मण्डी शुल्क आता था वह केवल एक मण्डी में जो उस एरिया में पड़ती है, जमा होता था। परन्तु अब जिला मण्डी विकास कोष के कारण उस जिले में जितनी भी छोटी-छोटी मण्डियां हैं, जितनी भी पंचायत समितियां हैं उन सबको इसका लाभ मिलेगा और गांव-गांव में छोटे-छोटे स्थानों पर भी सड़कों का जाल बिछेगा। इतना ही नहीं, कृषि विपणन बोर्ड ने जो फैसला किया है कि डामर और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे और गांव के लोगों को सहभागी बनाया जायेगा। इससे बड़ा लाभ गांवों को होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता का जहां तक सवाल है, सहकारिता के क्षेत्र में लोकतान्त्रिक परम्पराओं को जीवित रखने के लिए सबसे प्राथमिक सहकारी समितियों के चुनाव कराये गए और सहकारी समितियों का कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव करवाए गए। कांग्रेस उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी लगातार कार्यकाल बढ़ाती रहती थी, चुनाव का नाम नहीं लेती थी। इसके साथी नियमों के अन्दर यह संशोधन भी किया गया है कि विधायक, प्रधान जैसे बड़े जन-प्रतिनिधि हैं वह केवल एक ही संस्था के भागीदार हो सकते हैं, सैन्ट्रल-कोआपरेटिव बैंक का चेयरमेन विधायक नहीं हो सकता है। इस तरह से कांग्रेस के लोगों ने और पुराने विपक्ष के माननीय सदस्य जो हैं उन्होंने यहां पर बैठकर अपनी बपौती

(श्री हेमराज मीणा)

बैंकों और अन्य संस्थानों के अन्दर बना रखी थी उनको इस सरकार और मुख्य मंत्री जी ने खत्म किया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनन्दन और स्वागत करता हूं।

इतना ही नहीं, जहां तक पंचायत राज का सवाल है—गांवों के अन्दर पंचायत राज की व्यवस्था की दुर्गति बनी हुई थी। पिछले 40-42 साल से जब से पंचायत राज चला है तब से पंचायतों का पुर्नसीमांकन नहीं हुआ था, परन्तु जैसे पंचायतों का कार्यकाल पूरा हुआ, हमने पंचायतों को भंग किया बल्कि उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद में भंग किया है, आज पुर्नसीमांकन की तैयारी सारे राजस्थान के अन्दर चल रही है। छोटी-छोटी पंचायतें बनाई गई हैं। छोटी-छोटी पंचायतें बनेंगी तो छोटी-छोटी विकास की यूनिट्स होंगी, गांवों को ज्यादा पैसा मिलेगा और गांवों का विकास होगा।

मैं समझता हूं, हमारी सरकार की सोच गांव, गरीब और झोंपड़ी में रहने वालों का उत्थान करने का है और जिस बात के लिए हम संकल्पबद्ध हैं उसको निश्चित रूप से पूरा करके रहेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, गांवों के विकास की बात को ध्यान में रखकर "30 जिले 30 काम की योजना" बनाई है। एक जिले के अन्दर ऐसी योजना हाथ में ली जाय जिससे जिले की समस्या प्रभावित हो ताकि उस जिले की समस्या दूर हो सके। इस सम्बन्ध में मैं मेरे जिले का उदाहरण देना चाहूंगा। बारां जिले के अन्दर हमने लिफ्ट सिंचाई परियोजना हाथ में ली। हमारे बारां डिस्ट्रिक्ट के अन्दर 18 सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जून माह तक यह योजना तैयार हो जायेगी और आने वाले समय में काश्तकारों को उस योजना से पानी मिल सकेगा जिससे उनकी माली हालत सुधरेगी और हमारे कृषि का प्रोडक्शन बढ़ेगा।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर मैसिव कार्यक्रम चलता था जिसके तहत भारत सरकार से हमें सहायता प्राप्त होती थी लेकिन भारत सरकार ने वह सहायता बन्द कर दी। उक्त योजना के तहत छोटे और लघु जोत वाले किसानों को डीजल पम्प सैट्स उपलब्ध करवाया जाता था ताकि वह नदी के किनारे डीजल पम्प सैट्स लगाकर अपने कुओं में पानी लिफ्ट कर सकें। उक्त योजना को अब राज्य सरकार ने अपने बजट से चालू रखा है, क्योंकि मैसिव योजना छोटी और लघु जोत वाले किसानों से जुड़ी हुई है। इसके कारण राज्य सरकार ने इसे अपनाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पशु नस्ल सुधारने के लिए "गोपाल योजना" लागू की है। आज कई माननीय सदस्य इस योजना की आलोचना कर रहे थे लेकिन यह योजना एक ऐसी योजना है जो राजस्थान के लिए वरदान सिद्ध होगी और पशुओं की नस्ल सुधार करेगी। जिससे हमारे राजस्थान में पशुधन बढ़ेगा और अच्छे पशु होंगे तो उसका लाभ सारे राजस्थान वासियों को होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के बारे में भी राज्य सरकार ने बहुत ठोस फैसले किये हैं। तेंदू पत्ता संग्रहण का

(श्री हेमराज मीणा)

काम पहले ठेकेदार लोग किया करते थे लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि तेंदू पत्ता इकट्ठा करने का काम अब आदिवासियों को सहकारी समितियां ही करेंगी। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि पूर्व में ठेकेदार लोग उनका शोषण किया करते थे वह शोषण इससे बन्द हो जायेगा और आदिवासियों की जो सोसाइटी है, जो सहकारी समिति है उसके अन्दर ही उनको लाभांश प्राप्त होगा। इस तरह के लाभांश के द्वारा ही उनके विकास की योजनाएं बढ़ेंगी, उनकी आर्थिक स्थिति की दिशा में सुधार आवेगा और साथ ही नई विकास की योजनाएं भी वह सहकारी समिति के माध्यम से बना सकते हैं। साथ ही तेंदू पत्ता मजदूरों को पहले मजदूरी के रूप में 12 रुपये मिलते थे उसको बढ़ाकर सरकार ने 20 रुपये कर दिए हैं जिससे भी आदिवासियों को लाभ हुआ है।

जहां तक अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, अम्बेडकर शोध प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है जिससे भी इस वर्ग के विद्यार्थियों को उसका लाभ प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति/जन जाति के विद्यार्थियों के लिए "एकलव्य योजना" लागू की है जिसके कारण से अनुसूचित जाति/जन जाति के जो छात्र पढ़ने में अक्षम हैं उनको भी इससे लाभ मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य सरकार का सवाल है हमारी राज्य सरकार गांव और गरीब के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। मैं एक बात की चर्चा और करना चाहूंगा जिसका कि जिक्र अभी हुआ था, एकता यात्रा के सम्बन्ध में। मैं कोई उत्तेजित भाषा में नहीं बोलूंगा, परन्तु एक साधारण बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में एकता यात्रा किसलिए हमने आयोजित की थी, यह तो आपको अखबारों और पत्र-पत्रिकाओं से पता लग गया होगा....

श्री यदुनाथसिंह : कोई एकता यात्रा नहीं हुई।

श्री हेमराज मीणा : सारे हिन्दुस्तान के अन्दर शान्ति और सोहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने के लिए यह आयोजित की गई थी।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : एकता यात्रा थी ही नहीं, बी.जे.पी. की यात्रा थी।

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एकता यात्रा से भारत सरकार सजग हुई है। जिस भारत सरकार के सिर पर कभी जूं तक नहीं रेंगती थी वही भारत सरकार आज पाकिस्तान से और आतंकवादियों के मुकाबले में खड़ी हो गई है. आज चुनौती देती है कि हम किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। यह उस एकता यात्रा का परिचायक है। आज भारत सरकार में बैठे हुए बड़े-बड़े दिग्गज लोगों की नींद उससे खुली है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अब कब रहे हैं ?

श्री हेमराज मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो राज्य सरकार की बात कही गई है

(श्री हेमराज मीणा)

उसका मैं पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मनीरामजी।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है उसके पक्ष में धन्यवाद ज्ञापित करने में असमर्थ हूं, क्योंकि....

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री) : पहले धन्यवाद दे रहे थे ?

श्री नत्थीसिंह : सुन तो लो पहले।

श्री मनीराम सियाग : असमर्थ कहा है। क्योंकि जो यह अभिभाषण सरकार की मंशा का दर्पण है। इसको पढ़ने से यह लगता है कि यह सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में रुझान पैदा करने के लिए कृषि का विशेषांक है। लेकिन इसमें न तो कोई डेयरी विकास की चर्चा है, न कुक्कट पालन की चर्चा है, न कोई नये उद्योगों के प्रति चर्चा है, न मधु मक्खी पालन की, न विशेष किस्म के खरगोश पालन के व्यवसाय की कोई चर्चा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मुझे एक बात की तो खुशी है कि सरकार बार-बार अल्प बचत को, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए प्रचार कर रही है लेकिन शिक्षा में बिल्कुल ही जीरो है। जैसा कि मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने इस समस्या से अवगत करवाया कि आज प्रदेश में 24 प्रतिशत शिक्षित लोग निवास करते हैं जबकि महिलाओं में शिक्षा का मात्र 15 प्रतिशत है। ऐसी सूरत में जबकि शिक्षा मानव जीवन का मूल आधार है और शिक्षा से ही हम समाज में और मानव जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और शिक्षा के अनुभव से ही हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। यह जो अहम बात है उसकी तरफ सरकार पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रही है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि जो वन विकास की घोषणा की गई है कि 1 लाख हैक्टेयर भूमि पर 9 करोड़ पौधे लगा दिए गए। पौधे लगा दिए गए या नर्सरी में तैयार कर दिए गए। पौधों का रोपण हुआ या नहीं हुआ और आज के दिन कितने पौधे जीवित हैं इसकी मानीटरिंग के बारे में सरकार ने अपने इस मंशा पत्र में कोई जिक्र नहीं किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ-साथ विशेष तौर से मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित जितनी भी कमियां आज दिखाई दे रही हैं उनका विवरण सुनने के बाद में आपको पता चल जायेगा कि जो सरकार की दलीय नीति है वह स्पष्ट रूप से झलकेगी। क्योंकि आज तक जितने भी प्राथमिक स्कूल खोले हैं उसमें मुझे तो कोई अता-पता ही नहीं है कि क्या मुझे भी कोई एक स्कूल दिया गया है या नहीं।

दूसरा मेरा निवेदन है पिछले फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मन्त्री महोदय द्वारा एक टेलीविजन

(श्री मनीराम सियाग)

भेंटवार्ता में जो बात कही गई थी कि आज कहीं भी सड़कों पर कोई भी अगर एक भी खड्डा नजर आता है तो वह मेरे दिल पर घाव की तरह से है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : डामर रोड, बी.टी. रोड।

श्री मनीराम सियाग : डामर रोड की कह रहा हूं साहब। मेरे क्षेत्र में अगर आप दौरा करें तो आपका कलेजा छलनी हो जाएगा। पूरी की पूरी सड़कें ही टूटी पड़ी हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसमें मैंने यह भी कहा था कि अगर कोई पत्र देगा तो तुरन्त जिसने काम नहीं किया है उसके विरूद्ध कार्यवाही होगी काम पूरा हो जाएगा। आपने पत्र नहीं भिजवाया है तो जो भाषण दे रहे हैं उसके आधार पर मैं इसको देख लूंगा। (व्यवधान)

श्री मनीराम सियाग : मन्त्री महोदय पत्र की आवश्यकता जब होती जब एक-आध खड्डा होता। पूरे के पूरे क्षेत्र में ही सड़कें टूटी पड़ी हैं। डूंगरगढ़ के माननीय सदस्य को यह पता होगा, इनकी बसें चल रही हैं वहां यह खींप बिछा-बिछा कर बसें पार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : मैं समझता था आप तो बहुत भले आदमी हो, सही बोलते होंगे लेकिन....(व्यवधान)

श्री मनीराम सियाग : उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस सरकार को किस बात का धन्यवाद दें क्योंकि न ही तो इन्होंने कोई फसल बीमा योजना लागू की है, न ही वृद्धावस्था पेंशन पर कोई ध्यान दिया है। न ही ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करवाया, न ही कृषि मजदूरों के लिए कोई विशेष योजना बनाई, न ही सूखा सम्भावित क्षेत्र में कोई जल स्रोत पानी निकाल करके क्षेत्र सिंचित करने के लिए कोई व्यवस्था की। मात्र एक प्रारूप तैयार करके यहां सदन में पेश कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत विभाग की जब मन्त्री महोदया जी बीकानेर में घोषणा करके आई थीं, दुर्दशा जब विद्युत विभाग की देखी तो उन अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि एक महीने के अन्दर यहां जो लूज वायर्स या लाइनें गिरी पड़ी हैं या टूटी पड़ी हैं या जो लाइनें चोरी चली गई हैं वह एक महीने में दुरुस्त हो जाएगीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महीना तो क्या डेढ़ साल होने को जा रहा है वह ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। पता नहीं अब विश्नोई साहब इस पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं। यह महीने में एक बार जरूर जाकर आते हैं वहां।

दूसरा, मैं अकाल के प्रति विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की पिछले पंचम सेशन में जो अकाल पर चर्चा हुई थी उसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो भी अभावग्रस्त क्षेत्र हैं उसमें पशुधन के लिए चारा और सस्ती दर पर चाटा उपलब्ध करायेंगे, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करायेंगे। लेकिन यह तो परसों सरकार ने अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किए हैं इसमें मात्र 586 गांव बीकानेर जिले के लिए हैं और अभी तक हम वाकिफ भी नहीं हैं कि कौन-

(श्री मनीराम सियाग)

कौन से गांव उसमें प्रभावग्रस्त की लिस्ट में आए हैं और कौन से छूटे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसमें भी कोई गड़बड़ हुई हो। उपाध्यक्ष महोदय, चाटे के बारे में मैं कह रहा था जो आपने सब्सिडी जारी करवाई एक रुपया प्रति किलो उससे चाटे की किस्म ही घट गई है। जो 2.70 की रेट थी उसमें एक रुपया सब्सिडी मिलने से वही चाटा आज 1.70 पैसे में बाजार में मिल सकता है तो एक रुपया ऊपर का ऊपर फैडरेशन वाले अधिकारी अपनी पाकेट में डाल रहे हैं। जो जनता को वास्तव में पशुपालकों को लाभ मिलना चाहिए वह बिल्कुल नहीं मिल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डेयरी विकास के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत क्यूं समझ रहा हूं कि बीकानेर डेयरी पूरे भारत वर्ष को 25–30 परसेंट दूध उपलब्ध करवा रही है और राजस्थान में तो पहले नम्बर पर है ही तो इसलिए वहां जो भी कमियां महसूस हो रही हैं वह पशुपालन के विकास के बजाए उसके विनाश की ओर ही अग्रसर है। मैं अभी जो कृत्रिम गर्भाधान की बात आई इसमें मात्र फोर-मल्टी है। कहीं भी "गोपाल योजना" के तहत वह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

एक इमरजेंसी के नाम से डेयरी में और घोटाला हो रहा है। उसमें पशुपालक अपनी समिति पर सूचना देता है प्राथमिकता के आधार पर कि मेरा पशु सख्त बीमार है और आप आश्चर्य करेंगे जब पशु मर जाता है और पशु मालिक उसकी क्षति को भूल जाता है तब डाक्टर वहां पहुंचता है कि मैं आपके पशु के उपचार के लिए यहां आया हूं। तो बहुत ही खेद का विषय है ऐसी बातों पर सरकार ध्यान नहीं देगी और पोस्टकार्ड का इन्तजार करती रहेगी तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमारा तो दिल ही टूट गया है। किसको पोस्टकार्ड दें और किस बात के लिए दें। कोई सुने तब दें ना (व्यवधान)

इस अभिभाषण में किसानों को पास-बुक देने की चर्चा जो पूर्व में पास बुकें जारी की गई थी उसमें संशोधन की चर्चा की गई है। एक बार तो किसानों को लूट लिया पास बुक बांट करके और उस डाक्यूमेंट को ही अगर आप सही नहीं मान रहे हैं तो ऐसा कौनसा डाक्यूमेंट जारी करने जा रहे हैं जो आगे प्रभावी होगा। इसी सम्बन्ध में जो आप पुराने जागीरदारों की भूमियों के ऊपर जो उप-काश्तकार हैं उनकी भूमियों के लिए जो संशोधन करने जा रहे हैं एक्ट में इसका भी क्या प्रावधान होगा, कोई गलत दुरुपयोग तो नहीं हो इसके प्रति भी मेरी शंका है। इसलिए किस बात पर मैं इस अभिभाषण पर सरकार को धन्यवाद दूं।

मैं एक दो सुझाव भी देना चाहता हूं सरकार के अगर ध्यान में रहे, वन विभाग में काफी पौधे लगाए जाते हैं उनकी उपयोगिता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक मैं विशेष तौर से जहां के वन मन्त्री जी हैं उस क्षेत्र के लोग भी जानते हैं। साजी एक कार्मशियल क्राप है, बिगड़ी हुई भूमि में भी काश्तकार उस साजी के बीज का छिड़काव करके फसल पैदा करते हैं तो क्यूं न यह वन विभाग भी इस पौधे

(श्री मनीराम सियाग)

को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, साजी पापड़ में डाली जाती है....

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : वह लाणा होता है।

श्री मनीराम सियाग : लाणा तो ऊंटों के खाने के काम आता है। साजी अलग किस्म का पौधा है। वह शुष्क खेती की फसल में आती है और बहुत कम बरसात से ही अगर एक बार वह पौधा लग जाए तो बार-बार फसल काटते रहो। यहां गंगानगर के सदस्य बिराजमान हैं उनको पता है तीन-तीन, चार-चार हजार रुपये प्रति बीघा की आमदनी है और उसको कोई पशु भी नहीं खाता। अगर छोटा पौधा पेड़ से टूटकर खतम हो जाए तो अलग बात है लेकिन खड़ा होने के बाद पशु नहीं खाता उसको और वह एक कार्मशियल क्राप है और वह मुफ्त में आपकी सरकार की आमदनी का साधन है।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये।

श्री मनीराम सियाग : दूसरा इस करप्शन पर मुझे बहुत अचम्भा है। थोड़ा कांग्रेस महानुभावों को कटु लगेगा उस समय तो यह पता चलता था कि फलां आदमी पैसे ले रहा है फलां आदमी दिलवा रहा है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जेबें साफ हो रही हैं। कौन ले रहा है, किसको दिला रहा है यह पता नहीं चल रहा है। तो ऐसी सूरत में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देने में बिल्कुल ही असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जी गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हूं और हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि जिन्होंने राजस्थान की बहबूदी के लिए ग्रामीण विकास और किसानों के हितों के लिए अच्छे कानून बनाये हैं और इस दो साल के पीरियड में ग्रामीण विकास में पूरा जो सबसे बड़ा योगदान रहा, गांवों के विकास के लिए दो साल में जिस प्रकार से, जिस गति से काम हुये हैं यह एक बहुत ही सुनहरा और अच्छा कदम है। यही कारण है कि जो इस पक्ष में बैठे हुये माननीय सदस्य है उनको इस बात से बड़ी असहमति थी, गांव की सुध लेने की कभी उनके दिमाग में ही नहीं आती थी, कभी गांव के हित की उन्होंने योजना ही नहीं बनायी थी, कभी गांव के हित के लिये कोई कानून नहीं बनाये थे इसलिये आज वे असहमति प्रकट करते हैं, उन्होंने आज जो इस अभिभाषण का समर्थन नहीं किया है इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इसमें किसानों का और गांव के हितों का पूरा विवरण है। इसलिये उसकी असहमति कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव में 80 प्रतिशत जनता रहती है। 40-45 सालों के शासन में आज भी गांव की क्या हालत हो रही है, आज भी गांव में पीने के पानी की सुविधा पूर्ण रूप से नहीं है, सड़कों, चिकित्सा आदि कई सुविधाओं से आज भी वंचित है। किसने रोका था इनको, क्या 40 साल के शासन में कभी इन्होंने गांव के विकास की सुध ली ? आज कह रहे हैं साहब सड़कों पर खड्डे हैं, कभी आपने भी सोचा था क्या कि सड़कों

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

का हम सुधार करें। मैं माननीय पी.डब्ल्यू. डी. मन्त्री का हार्दिक दिल से स्वागत करूंगा कि उन्होंने हिम्मत करके इस कार्य को हाथ में लिया कि हम राजस्थान की उन सभी जो खण्डहर सड़कें हैं, उनको ठीक करेंगे। आपके इस राजनैतिक प्रभाव के कारण से ऐसी सड़कें बनायी गयी थी। आज आप चाहते हो कि एक साल में ही सारी सड़कों के खड्डे पूरे ऊचे हो जाये.... (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : नीम के थाने की क्या स्थिति है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : सारे राजस्थान की सड़कों का अगर सुधार हुआ है, गांवों के अन्दर सड़कें जो बनायी गयी है वह इस दो साल के शासन में बनायी गयी है। आज सड़कों पर जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, सड़कों की टूट-फूट को जो ठीक किया जा रहा है, आप लोगों को बुरा लग रहा है कि यह सरकार ऐसा कितना बढ़िया गांव के विकास का काम कर रही है। किस मुंह से आप कह रहे हो कि लोकतन्त्र की हत्या हो रही है। आपको बोलने का हक ही नहीं है। क्या आप भूल गये कि आपने 13 साल तक ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये थे, ग्राम पंचायतों का गला घोंट दिया था। उनका सारा जो विकास था वह ठप्प हो गया था। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : सरपंचों को हटाया नहीं था। आपने तो सरपंचों को हटाकर....

श्री फूलचन्द गुर्जर : बिल्कुल सही हटाये गये हैं। जब जनता की यह मांग आई कि जिला प्रमुख और प्रधान लोगों को लूट कर खा रहे हैं....

श्री प्रेमसिंह दहिया : अब तो सरकार के नुमाइन्दे खा रहे हैं।

श्री फूलचन्द गुर्जर : और यह पंचायतों के चुनाव कराने का एक साहसिक कदम बढ़ाया है। यह साहसी कदम ही है। पंचायतों का परिसीमन आज कितने सालों से 10-10, 15-15 हजार जनसंख्या की आबादी की जो पंचायतें बनी हुई थी उनका विकास नहीं हो रहा था। पंचायतों का इस तरह से आप लोगों ने राजनीतिकरण करके उनका गठन किया था, जिससे उनमें बड़ी विसंगतियां थी। बड़ी परेशानियां होती थी। गांव के लोगों की मांग थी कि हमारी पंचायतों का सरलीकरण किया जाय, हमारी पंचायतों को इस तरह बनाया जाय जिससे हर गांव का हित हो। हर गांव के विकास का उसमें सहयोग हो यही कदम इस सरकार ने उठाया है। और निश्चित रूप से पंचायतों का परिसीमन पूरा होगा। जनता की भावनाओं के हिसाब से होगा और बहुत जल्दी पंचायतों के चुनाव होंगे इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों ने कभी पंचायतों के हितों की बात ही नहीं की थी। उस ढाई साल के शासन में ही माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार थी जिसने विकास के काम किये, पंचायतों को पूरे अधिकार दिये गये पंचायतों से बहुत सारे काम करवाये। अब आने वाले समय में जो पंचायतों को जो काम दिए जायेंगे, जो उनको अधिकार दिये गये हैं उनसे निश्चित रूप से गांव का विकास होगा और गांव के विकास की सब से बड़ी शुरूआत होगी।

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

मैं शिक्षा के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। आप लोगों ने शिक्षा का जो बंटाधार किया था, ग्रामीण विकास के प्रति तो आप लोगों का जो रूझान था उससे गांव का बिल्कुल बंटाधार हो गया था।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आपने दो सालों में राजस्थान की ग्रामीण जनता को धोखा दिया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन को सम्बोधित करके कह रहे हैं या माननीय सदस्य को।

श्री उपाध्यक्ष : आसन को कह रहे हैं।

श्री फूलचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतने उद्वेलित क्यों रहे हो हैं। मैं ग्रामीण शिक्षा के बारे में आपके मार्फत निवेदन कर रहा हूं कि ग्रामीण विकास के लिए इन्होंने किस प्रकार का कानून बनाया था। इन्होंने शिक्षा का राजनीतिकरण कर दिया। उच्च प्राथमिक शालाओं को जिला परिषदों के नीचे देकर के गांव की शिक्षा को चौपट कर दिया था। पंचायत राज को केवल प्राइमरी स्कूलें, आज गांव की यह हालत हो रही है कि आज वहां न भवन थे न अध्यापकों की पर्याप्त व्यवस्था थी। अध्यापक राजनैतिक प्रभाव के कारण से प्राथमिक शालाओं मे समय पर नहीं जाते थे। और इन्होंने एक और कदम बढ़ाया उच्च प्राथमिक शालाओं को भी इन्होंने जिला परिषदों के नीचे देकर के शिक्षा का और भी बंटाधार कर दिया। मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का हार्दिक दिल से स्वागत करूंगा, जनता ने उनका हार्दिक दिल से स्वागत किया कि जिला परिषदों से हटा कर शिक्षा विभाग में दी गयी जिससे पंचायतों में उच्च शिक्षा हो। यह भी एक सराहनीय कदम था।.... (व्यवधान) यह आप लोगों की मांग थी। आप लोगों ने भी विरोध किया था जब कांग्रेस शासन में आपकी सरकार थी कि जिला परिषदों से स्कूलों का बंटाधार हो गया है, स्कूलों का विकास रूक जायेगा। अध्यापक कोई काम नहीं करेंगे। आज उसी मांग को सरकार ने पूरा किया है इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहिये। आप अच्छे कामों के लिए भी कोई बात नहीं बोलते हो। आज गांव के विकास की इन दो साल में बात आई है तो आप उसका विरोध कर रहे हो।

इसी तरह से मैं खनिज विभाग के बारे में भी निवेदन करूं। आप लोगों ने जिस तरह से बड़े-बड़े खान मालिकों को पट्टे दिये जिससे बड़े खान मालिक ही पनपे। छोटे-छोटे लोगों ने जिन्होंने फार्म भर रखा था, बड़े लोगों के प्रभाव में आ करके उनके फार्मों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज इस सरकार को धन्यवाद दें जिन्होंने पहली बार 70 हजार प्रार्थना पत्र जो तिजोरियों में जो पेंडिग पड़े हुये थे उनका निस्तारण किया और उनको लाटरी सिस्टम से उनको लीज दी गयी। यह एक साहसिक कदम था भ्रष्टाचार को खतम करना। और इसी तरह से बून्दी के अन्दर बहुत समय से आपने रोक लगा रखी थी, किसके लिए कि जो लोग बड़े लोग थे जिसके प्रभाव से बहुत बड़ा फायदा हो रहा था उनके कारण से आपने वहां रोक लगा रखी थी। इस सरकार को धन्यवाद दें। आप लोग भी दिल से दें कि उस रोक को हटा

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

करके जो छोटे आय वाले हैं उनको भी इसमें मौका दिया गया और बहुत जल्दी नियमों का सरलीकरण करके इसको किया जा रहा है। इसी तरह से खनिज विभाग की आय को बढ़ाने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है।

आपने देखा होगा कि भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों में खानों में रायल्टी की बड़ी चोरियां होती थी इससे आय बहुत कम होती थी लेकिन इस सरकार ने पहली बार आय को बढ़ाने के लिए रायल्टी के ठेके दिये गये और ऑक्शन किया जिससे करोड़ों रुपयों की रायल्टी में आय बढ़ी यह भी कोई कम काम नहीं था यह भी एक साहसिक कदम था। इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसान और चिकित्सा की बात करता हूं। गांव में आप रोड की बात कर रहे थे कभी गांव के स्वास्थ्य, गांव के हितों के बारे में इस कांग्रेस सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया था पहले हमारे शिक्षा मन्त्री हैं जिन्होंने पहली बार ....(व्यवधान) जो काम किया चाहे उसमें गुर्जर हो, चाहे मीणा हो, चाहे हरिजन हो जो भी योग्य थे उनको खान दी गयी इसमें कहीं ज्यादती नहीं। अगर किसी गुर्जर को खान देने का हक है तो उसको भी खान दी गयी।....(व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : यह सरकार जातिवाद पर आधारित नहीं है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा के बारे में एक बात कहूं। यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम था इस सरकार का। कभी गांवों में आपने देखा होगा गांवों में डाक्टर जाते नहीं थे अगर किसी भी गांव में डाक्टर की पोस्टिंग हो गयी तो वह अगेंस्ट पोस्ट या कैसे भी डेपूटेशन करवा करके तनख्वाह गांव से ले लेता था और काम शहरों में करता था इसलिए बहुत सारे जो हमारे गांव के भाई थे वह बेमौत मौत के मुंह में जाया करते थे। लेकिन पहली बार राजनैतिक भेदभाव से दूर हट करके यह साहसिक कदम उठाया गया माननीय शिक्षा मन्त्री ने अपनी हिम्मत के साथ यह परिचय दिया। जितनी भी अगेंस्ट आफ पोस्ट थे उन पोस्टों को खतम करके गांव के अन्दर सबको पाबन्द किया कि वह गांव के चिकित्सालय में सबसे पहले जायेंगे। यह कम साहसिक कदम नहीं था। आज गांवों वालों के स्वास्थ्य के प्रति जो चिकित्सा है वह गांव में उनको सुलभ हो रही है। यह कम साहसिक कदम नहीं था। और तो और इससे भी बड़ा कदम उन्होंने उठाया। पहली बार गांवों के अस्पतालों के बारे में सबसे ज्यादा सुध ली गई। आप लोगों को ये सारी बातें तब बुरी लगती है जब आप गांवों के बारे में कभी सोचते नहीं थे.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, आपके नीमकाथाना के अस्पतालों की क्या स्थिति है, यह बताइये। वहां डाक्टर्स बैठते नहीं हैं - (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या कहना चाह रहे

(श्री उपाध्यक्ष)

हैं आप। क्या पाइन्ट आफ आर्डर है। प्लीज सिट डाउन....(व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये। क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी से जाकर मिले। भुसावर जिला भरतपुर में अस्पतालों का निरीक्षण कराया। आज तक वहां पर डाक्टर्स नहीं हैं अस्पतालों में, मैंने 3-3 बार मन्त्रीजी को लैटर दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लढ्ढाजी, स्वास्थ्य का ध्यान रखिये। ज्यादा बोलने से गड़बड़ हो सकती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लढ्ढाजी, आप पहाड़ियाजी नहीं सुन रहे हैं। यह किसको सुना रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : डाक्टर्स नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां की हालत बहुत खराब है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन (व्यवधान) कृपया बिराजिये।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : मैं इस्तीफा दे दूंगा इस बात से और मैं आपको कहता हूं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। मैं यह बात कहना चाहता हूं वहां की जनता....(व्यवधान) वरना हालात आज भी खराब हैं। कम से कम 100 आदमी यहां स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर गये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। बिराजिये। माननीय फूलचन्दजी। अपना कथन पूरा कीजिये।

श्री निर्भयलाल : माननीय फूलचन्दजी ने कहा है अस्पतालों की विशेषता की है। माननीय चिकित्सा मन्त्रीजी की प्रशंसा कर रहे हैं ? मेरे यहां तीन अस्पताल हैं और तीनों में एक भी डाक्टर नहीं है और चिकित्सा मंत्रीजी की प्रशंसा कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया : माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, सरदार शहर के अस्पतालों की क्या हालत है, माननीय मन्त्रीजी को जरा बताइये। आपको क्या मालूम, क्या-क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान पैदा नहीं करें (व्यवधान)

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं अपनी बात ग्रामीण विकास के बारे में कह रहा था.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है आपके बोलने का, बिराजिये आप.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पानी के बारे में और बता दीजिये। सीकर में पानी की कैसी व्यवस्था है ?

श्री फूलचन्द गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात ग्रामीण विकास के बारे में कह रहा था तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। आज जनता इनकी उन सारी बातों को समझ चुकी है, आज जनता का इसके प्रति बिल्कुल विश्वास नहीं है, जनता में बहुत खुशी है कि सरकार ने जो कार्य किये हैं, वे ग्रामीण हित में किये हैं. (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके कल्ला साहब कहां गये ? आपकी क्लास नहीं ले रहे हैं वो।

श्री फूलचन्द गुर्जर : मैं अपनी बात पेयजल से शुरू कर रहा हूं कि आज यह बोलते है कि गांवों में पानी की समस्या है। 40 साल के शासन में क्या उन्होंने कभी गांव या ढाणियों की सुध ली और गांवों के कुओं में जो कचरा भरा हुआ था, वो भी आज तक साफ नहीं किया गया। मैं माननीय पीएचईडी मन्त्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि सारे कचरे को बाहर करवाकर सारे कुओं से पानी निकाला है। उन्होंने साहसिक कदम उठाकर गांवों और ढाणियों की पेयजल सुविधा को टोप प्रायोरिटी पर सबसे पहले लिया है। पहली बार यह घोषणा हुई है, आप लोगों की राय जानी गई है कि आपके यहां ढाणियां है उनमें भी पेयजल की सुविधा करवाई जाय और उनमें हैण्ड-पम्प या दूसरे साधनों से यह काम करवाकर पहली बार यह साहसिक-कदम उठाया है जिससे गांवों के अन्दर पेयजल की सुविधा उत्पन्न हो जिससे गांवों का....

श्री इन्द्रसिंह पुनिया : माननीय फूलचन्दजी, गंगानगर में ऐसा दूषित पानी पी रहे हैं कि वहां के लोग बीमार हो रहे हैं, मरने को तैयार हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि पानी बहुत अच्छा मिल रहा है।

श्री फूलचन्द गुर्जर : ये भ्रष्टाचार की बात करते थे। इनसे पूछा जाय कि पानी जैसी चीज के बारे में एक कहावत है कि प्याऊ में कभी बेइमानी नहीं करनी चाहिए। पाइप घोटाला कांड से ये सारे भरे हुए हैं। उन्होंने पानी को भी नहीं बख्शा फिर ये कहते हैं कि हम गांवों का विकास करेंगे। इन सारी चीजों को दूर करके माननीय पीएचईडी मन्त्री हैं जिन्होंने रात दिन काम करके और गांवों के विकास के लिए सबसे ज्यादा पानी का विकास किया है....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नहर मंत्री जी के लिए भी कुछ बोल दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बोल देना।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अन्त में मैं आबकारी विभाग के बारे में अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा (व्यवधान) आप दारू के बारे में कह रहे थे कि आबकारी विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर इससे पूछा जाय कि आज दारू के जितने ठेकेदार हैं, अगर उनसे उनकी हालत पूछी जाय तो उन्होंने माफिया गिरोह करके लोगों के साथ इस तरह की कार्यवाही करके अपना एक अलग राज्य कायम किया था। ये पहली मन्त्री हैं जिन्होंने उन सारी चीजों पर लगाम लगा करके इस तरह की कार्यवाही की है कि आज कोई ठेकेदार ये नहीं कह सकते, उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि हमारी मन्त्री महोदया को किसी भी प्रकार से प्रभाव में ले। यह कोई कम कदम नहीं

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

है। आज ये कह रहे थे अवैध दुकानों के बारे में। वही लोग कहते हैं कि इस तरह से ज्यादा जिनके गैर कानूनी रूप से दारू के बहुत बड़े धन्धे चलते हैं, उनके ऊपर भी रोक लगाई है। गांवों में जहां-जहां दारू के धन्धे थे, उन सब पर रोक करने के लिए उन्होंने साहसिक कदम उठाया है। यह कम नहीं है और जिससे हमारे गांवों का विकास रुकता है।

अन्त में मैं वन विभाग के बारे में और कहूंगा। मेरा सीकर जिला अरावली योजना से जुड़ा हुआ है....(व्यवधान)....अरावली की सबसे बड़ी योजना आ रही है और वनों के विस्तार के रूप में माननीय मन्त्री महोदय अक्सर वनों में जा करके उन्होंने सारी योजना को देखा है और जहां-जहां भी उन्होंने योजनाओं की जरूरत समझी, बिना राजनैतिक भेदभाव के वनों का कार्य शुरू करवाया है जिससे भी हमारे वनों के विकास में इसका सबसे बड़ा लाभ होगा। ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अरावली योजना के बारे में पुन: वन मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसे अति-शीघ्र शुरू करवा करके राजस्थान की बहबूदी के लिए, गांवों की हरियाली के लिए और पर्यावरण को सुधारने के लिए इन वनों के काम को टोप प्रायोरिटी पर शुरू करवाये जिससे गांवों का चहुंमुखी विकास हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का हार्दिक रूप से स्वागत करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.00 बजे दिनांक 27 फरवरी, 1992 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

Page No. 172

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 29 का विवरण

पंचायत समिति, टोंक में प्रस्तावित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का पूर्ण ब्यौरा :—

क्र.सं.	योजना का नाम	श्रेणी	वर्ष	ग्राम	कुए	ऋण राशि (लाखों में)
1.	पंचायत समिति टोंक	एस.यू.	1988-89	28	178	59.90
2.	पंचायत समिति टोंक	ओ.बी. (आर)	1990-91	61	320	125.68
3.	पंचायत समिति टोंक	ओ.बी.	1990-91	57	200	119.14

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

तहसील चूरू की गन्देली साहावा पेयजल योजना

33. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

चूरू तहसील के कितने गांवों को गन्देली साहावा पेयजल योजना से कितने समय से लाभान्वित किया जा रहा है व कितने गांव ऐसे हैं जिन्हें अब तक गन्देली साहावा पेयजल योजना का पानी नहीं मिल रहा है ? कितने गांव ऐसे हैं जिन्हें अभी योजना से पाइप द्वारा नहीं जोड़ा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

संदर्भित योजना से चूरू तहसील के 6 ग्रामों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा 3 ग्रामों को पानी नहीं मिल रहा है । इन्हें पाइप से जोड़ दिया गया है परन्तु लाइन टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है । वांछित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

1. लाभान्वित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	लाभान्वित करने का माह/वर्ष
1.	जोहड़ी पट्टा सात्यू	11	9/89
2.	जोहड़ी पट्टा लोहसना	12	9/89
3.	जोहड़ी पट्टा चारणान	13	9/89
4.	कोटवाद टिब्बा	8	10/89
5.	कोटवाद ताल	9	3/91
6.	कोटवाद नाथवतान	7	9/91

2. गन्देली साहवा योजना से चूरू तहसील के अलाभान्वित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1.	धमेरी	10
2.	भेरूसर	30
3.	मथोडी	32

नोट :– उपरोक्त तीनों ग्रामों को पाइप लाइन से जोड़ा जा चुका है एवं लाइन की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

मकराना व परबतसर क्षेत्र की सड़कों व नालों की मरम्मत

34. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मकराना व परबतसर नगरपालिका ने नगरपालिका क्षेत्र की सड़कों व नालों आदि का मरम्मत कार्य के लिए विभाग को वर्ष 1990–91 व 1991-92 के लिए राशि दी गई थी ?

(2) उक्त राशि से विभाग ने क्या-क्या कार्य करवाये ? क्या कार्य मस्टरोल पर करवाये गये ? यदि हां, तो दोनों नगरपालिका क्षेत्रों के कार्यों पर 31 मार्च, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 तक कितने मजदूर लगे ? मस्टरोल संख्या व मजदूरों के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य मस्टरोल पर नहीं करवाये जाकर ठेके पर करवाये एवं कार्य फर्जी मस्टरोल भर कर, मस्टरोल पर बताया गया है ? यदि हां, तो सरकार फर्जी कार्य के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल वर्ष 1991-92 में राज्य सरकार द्वारा नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत मकराना व परबतसर नगरपालिका क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत हेतु क्रमश: रु. 2.50 लाख एवं 1.00 लाख की राशि स्वीकृत की थी।

(2) उक्त राशि के अन्तर्गत विभाग द्वारा नगरपालिका क्षेत्र मकराना व परबतसर में करवाये गये कार्यों की सूची संलग्न परिशिष्ट क्रमश: "अ" व "ब" में दर्शाई गई है। उपरोक्त सभी कार्य मस्टर रोल पर करवाये गये हैं तथा 31 मार्च, 1990 से फरवरी 1992 तक मकराना नगरपालिका क्षेत्र में 8 मस्टर रोल पर कुल 80

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

श्रमिक तथा परबतसर नगरपालिका क्षेत्र में 12 मस्टर रोल पर कुल 112 श्रमिक लगाये गये। मस्टर रोल संख्या मय मजदूरों के नाम नगरपालिका वार परिशिष्ट क (I) (II) तथा ख (I) (II) में संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति अटरू क्षेत्र में एनीकट्स निर्माण

35. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

अटरू पंचायत समिति क्षेत्र में अब तक कहां-कहां, कब-कब किसकी देखरेख में कितनी-कितनी लागत के कितने एनीकट बनाये गये हैं एवं वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है ?

उत्तर

अटरू पंचायत समिति क्षेत्र के अब तक 5 एनीकट स्वीकृत किये गये जिसमें 2 एनीकट वर्ष 82–83 में एवं 2 एनीकट वर्ष 83–84 में तथा 1 एनीकट वर्ष 84–85 में स्वीकृत हुआ, 4 एनीकटों का कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा एक एनीकट का कार्य पंचायत समिति के माध्यम से निर्माण कराया गया। स्वीकृति एवं व्यय तथा कार्य की स्थिति विवरण परिशिष्ट "म" पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

एनीकट निर्माण कार्यों का विवरण
पंचायत समिति-अटरू जिला-बारां

क्र.सं.	एनीकट का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	कार्य पर व्यय राशि	संस्था का नाम जिसके द्वारा कार्य करवाया गया	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	एनीकट काली खाड खुरी	82-83	49,120/-	37,175/-	श्री कन्हैयालाल (मृतक) पूर्व सरपंच पंचायत खुरी	अपूर्ण
2.	एनीकट कंकाली बाग कुन्जेड़	82-83 84-85	35,825/- 35,000/-	52,412/-	श्री महेन्द्र कुमार जैन पूर्व सरपंच पंचायत कुंजेड़	पूर्ण
3.	एनीकट नीमोदा	83-84	1,95,200/-	48,430/-	श्री खेमराज सिंह, पूर्व सरपंच पंचायत बरलां	अपूर्ण
4.	एनीकट पटना	83-84	1,80,000/-	51,450/-	श्री प्रभुलाल मीणा पूर्व सरपंच पटना	अपूर्ण
5.	एनीकट मुसई गुजरान	84-85	1,30,400/-	1,49,182/-	(विभागीय) पंचायत समिति अटरू	पूर्ण

किशनगढ़, शाहबाद (बारां) में लगाये गये ट्रांसफार्मर्स

36. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) किशनगढ़, शाहबाद व जिला बारां में वर्ष 1989 से 1990-91 में विद्युत विभाग ने कितने ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये ?

(2) इनमें से किस-किस गांव के ट्रांसफार्मर जल गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से ट्रांसफार्मर अनियमित तरीकों से वितरित किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1989-90 से 1991-92 (माह जनवरी, 1992 तक) में विद्युत विभाग ने किशनगंज एवं शाहबाद (जिला बारां) में क्रमशः 162 एवं 61 विभिन्न क्षमता के ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये।

(2) उक्त अवधि में जले हुए ट्रांसफार्मर्स की ग्राम वार सूची "अ" सलग्न है।

(3) जी नहीं। ट्रांसफार्मरों का वितरण आवश्यकतानुसार जलने की तिथि को ध्यान में रखकर किया जाता है।

जले हुए ट्रांसफार्मरों की सूची वर्ष 89-90 उपखण्ड—किशनगंज

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कैपेसिटी	ट्रांसफार्मरों की संख्या
1.	रणवासी	25 केवीए	1
2.	खेड़ला	,,	1
3.	भंवरगढ़ सब स्टेशन सं. 3	,,	1
4.	छतरपुरा	,,	1
5.	किशनाईपुरा	,,	2
6.	किशनगज	,,	3
7.	नयागांव	,,	1
8.	बालापुरा	,,	1
9.	भंवरगढ़ सब स्टेशन सं. 4	,,	1
10.	चंडालिया	,,	1
11.	करणपुरा	,,	1
12.	महरावता	,,	1

1	2	3	4
13.	गोपालपुरा	25 केवीए	1
14.	भंवरगढ़ सब स्टेशन सं. 5	,,	1
15.	छाहट्टी	,,	1
16.	नागर	,,	1
17.	बृजनगर	,,	2
18.	अमलावदा	,,	1
19.	शोभागपुरा	,,	1
20.	जैसवा	,,	1
21.	ओकोदिया	,,	1
22.	चन्दाखुद	,,	1
23.	सिमल्या	,,	2
24.	जैतपुरा मण्डी	,,	1
25.	दण्ड छतरपुरा	,,	1
			30
1.	रामनगर (गोयदा)	63 केवीए	1
2.	मदनपुरा	,,	1
3.	गोवरचा	,,	1
4.	जैसबा	,,	1
5.	भंवरगढ़ (आसमीनडील)	,,	2
6.	गणेशपुरा	,,	1
7.	मिसाई	,,	1
8.	दुर्जनपुरा	,,	1
9.	तलावड़ा	,,	1
10.	नाहरगढ़	,,	1
			11

1	2	3	4
1.	किशनगंज	100 केवीए	2
2.	माहरगढ़	,,	1
3.	काकडदा	,,	1
			4

जले हुए ट्रांसफार्मरों की सूची वर्ष 90-91 उपखण्ड—किशनगढ़

1.	ब्रह्मपुरा	25 केवीए	1
2.	पदमपुरा	,,	1
3.	फलदी	,,	1
4.	गणेशपुरा	,,	1
5.	तलावड़ा	,,	1
6.	उम्मेदपुरा	,,	1
7.	कापड़ीखेड़ा	,,	1
8.	बांभ्रामली	,,	1
9.	बालापुरा	,,	1
10.	मदनपुरा	,,	1
11.	बकमपुरा	,,	1
12.	जैतपुरा रुण्डी	,,	2
13.	जगदीशपुरा	,,	1
14.	भंवरगढ़	,,	1
15.	लखड़ाई	,,	1
16.	राधापुरा	,,	2
17.	इकलेरा	,,	1
18.	गोपालपुरा	,,	1
19.	गणेशपुरा	,,	1
			21

1	2	3	4
1.	भंवरगढ़	16 केवीए	1
2.	बांसथूनी	63 केवीए	1
3.	मदनपुरा	,,	1
4.	जगदीशपुरा	,,	1
5.	भंवरगढ़	,,	1
6.	गोपालपुरा	,,	1
7.	गणेशपुरा	,,	1
8.	केलवाड़ा	,,	1
			8

सूची–"अ"

जले हुए ट्रांसफार्मरों की सूची वर्ष 1991–92 उपखण्ड—किशनगंज

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कैपेसिटी	ट्रांसफार्मरों की संख्या	बदल दिया गया
1	2	3	4	5
1.	कापड़खेड़ा	25 केवीए	2	बदल दिया गया
2.	गणेशपुरा	63 ,,	1	,,
3.	राधापुरा	63 ,,	1	,,
4.	रणवासी	25 ,,	1	,,
5.	बन्दा कलां	63 ,,	1	,,
6.	सिगरी	25 ,,	1	,,
7.	अमलावा	25 ,,	1	,,
8.	चंडालिया	25 ,,	1	,,
9.	पीजना	25 ,,	2	,,

(179)

1	2	3	4	5
10.	बूजनगर	25 ,,	1	बदल दिया गया
11.	मोहन बमोरी	63 ,,	1	,,
12.	भकरावदा	25 ,,	1	,,
13.	खेडला	63 ,,	1	,,
14.	नाहरगढ़	100 ,,	1	,,
15.	टकरियाढाणी	25 ,,	1	,,
16.	बालापुरा	63 ,,	1	,,
17.	भमरोली	25 ,,	1	,,
18.	लक्ष्मीपुरा	25 ,,	1	,,
19.	सोडाना	25 ,,	1	,,
20.	शाहीपुरा	25 ,,	1	,,
21.	लखड़ाई	25 ,,	1	,,
22.	दुर्जनपुरा	25 ,,	1	,,
23.	डीगदी	25 ,,	1	,,
24.	सुवास	25 ,,	1	,,
25.	सुहावन	25 ,,	1	,,
			27	

उपखण्ड शाहबाद

1.	देवरी	25 एवं 63 केवीए	2	,,
2.	मफारी	63 केवीए	1	,,
3.	खटका	63 ,,	1	,,
4.	चंडालिया	25 व 63 ,,	2	,,
5.	शाहबाद	100 ,,	1	,,
6.	मुगावड़ी	25 ,,	1	,,
7.	कलोनिया	25 ,,	1	,,
8.	गोपरा	25 ,,	1	,,

1	2	3	4	5
9.	राजपुर	25 ,,	1	बदल दिया गया
10.	केलवाड़ा	25 ,,	1	,,
			12	

वर्ष 1989–90 में शाहबाद उपखण्ड में कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं जला है

जले हुए ट्रांसफार्मरों की सूची वर्ष 1990–91 उपखण्ड—शाहबाद

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कैपेसिटी	ट्रांसफार्मरों की संख्या
1.	मुंगावली	63 केवीए	1
2.	मझारी	25 ,,	1
3.	गोयरा–प्रथम	25 ,,	1
4.	33 केवीए/11 केवी पावर शाहबाद	1 एमवीए	1
5.	चंडालिया	63 केवीए	1
6.	देवरी	25 ,,	1

नगर परिषद् सवाईमाधोपुर द्वारा शरणार्थियों को भू-खण्डों का आवंटन

37. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर परिषद् सवाईमाधोपुर ने वर्ष 1983-84 में "प्रशासन शहरों की ओर" में कुछ शरणार्थियों को भूखण्ड आवंटित किये थे ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आवंटित भू-खण्डों का सभी व्यक्तियों को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर परिषद् द्वारा वर्ष

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

83–84 में "प्रशासन शहरों की ओर" अभियान में 16 भूखण्डों का आवंटन किया गया था। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। 5 व्यक्तियों को भूमि आवंटन कर कब्जे दे दिये गये हैं। 7 व्यक्तियों का आवंटन गलत होने के कारण निरस्त कर दिया गया है। शेष 4 व्यक्तियों द्वारा निर्धारित राशि समय पर जमा नहीं कराने के कारण कब्जा नहीं दिया गया है।

नगर परिषद्, सवाई माधोपुर द्वारा वर्ष 83–84 में प्रशासन शहरों की ओर भूखण्ड आवंटन किये गए व्यक्तियों की सूची

1. श्री नन्द राय पुत्र चन्द राय
2. श्री बेखट मल पुत्र श्री गोविन्द राय
3. श्री मदन लाल पुत्र श्री चन्द राय
4. श्री लूणा राय पुत्र श्री गोविन्द राय
5. श्री लाजपत राय पुत्र चन्द राय
6. श्री जेठा नन्द पुत्र सतराम दास
7. श्री हरीश कुमार पुत्र श्री सतराम दास
8. श्री लाडू राम पुत्र श्री बालकृष्ण
9. श्री लेखराज पुत्र चन्द राय
10. श्री पमन लाल पुत्र श्री माणक चन्द
11. श्री केशव लाल पुत्र श्री माणक चन्द
12. श्री अभय लाल पुत्र श्री शिव लाल
13. श्री जेठमल पुत्र श्री खुशालदास
14. श्री शिव लाल पुत्र श्री राजू मल
15. श्री पुरुषोत्तम पुत्र श्री शिव लाल
16. श्री महादेव पुत्र श्री माणक चन्द

ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी, विधायक नगर, जयपुर

38. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुई विधायक नगर स्थित ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी से नियमित रूप से जरूरी दवाइयां आदि नहीं मिल रही है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिस्पेन्सरी में जरूरी आवश्यक उपकरणों का भी अभाव है ?

(3) क्या यह सही है कि इस डिस्पेन्सरी में प्रारम्भ होने के बाद से ही मेल डाक्टर की नियुक्ति होती रही है, फिमेल डाक्टर की नियुक्ति का सदा अभाव रहा है किन्तु गत दिनों से केवल मात्र एक फिमेल डाक्टर ही लगा रखी है, मेल डाक्टर नहीं होने से मरीजों को भारी असुविधा हो रही है ?

(4) क्या सरकार तुरन्त यहां मेल डाक्टर को भी नियुक्त करने के आदेश जारी करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त डिस्पेन्सरी में गत वर्षों से टेलीफोन सुविधा की मांग की जा रही है ? क्या अब सरकार डिस्पेन्सरी में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त डिस्पेन्सरी में किसी भी विशेष उपकरण का अभाव नहीं है।

(3) जी नहीं। राजकीय डिस्पेन्सरी विधायक नगर डिस्पेन्सरी में व. चिकित्सा अधिकारी का एक ही पद स्वीकृत है इसी लिये एक ही चिकित्सक (महिला/पुरुष) का पदस्थापन किया जा सकता है।

(4) इसका उत्तर भाग संख्या 3 पर दिया गया है।

(5) प्रत्येक डिस्पेन्सरी में टेलीफोन उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण इस डिस्पेन्सरी में भी टेलीफोन उपलब्ध कराना फिलहाल सम्भव नहीं है।

गिरफ्तारी के दौरान मृतकों के आश्रितों को मुआवजा

39. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनवरी, 1991 से आज तक राज्य में विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से अभिरक्षा के दौरान मारे गये या मृत पाये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है ? गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के नाम, मरने वाले व्यक्तियों के नाम सहित, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या गिरफ्तारी के दौरान मारे गये या उस दौरान मारे गये व्यक्तियों के परिवार को मुआवजा/अनुग्रह राशि सरकार द्वारा दी गई ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को एवं कितनी-कितनी ? शेष व्यक्तियों को राहत राशि नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ? नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर　　कर सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(1) ऐसे व्यक्तियों की संख्या 15 है ।　(2) जी नहीं ।
वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" पर अंकित

परिशिष्ट–"अ"

क्र.सं.	नाम जिला व थाना		गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम	मृतक का नाम
1	2		3	4
1.	जयपुर शहर	सोडाला	श्री अनिल गोठवाल पुलिस निरीक्षक	सरदारा पारदी
2.	सीकर	दातारामगढ़	श्री सोहन सिंह, उप निरी.	हनुमान मीणा
3.	चूरू	दुधवाखारा	श्री राजेन्द्र सिंह, उप निरी.	नरसा राम
4.	अलवर	भीवाड़ी	श्री जगदीश प्रसाद हैड कानि.	महेन्द्र
5.	धौलपुर	बाड़ी	श्री गणपत स्वरूप उप निरी.	हुकम सिंह
6.	बारां	नाहरगढ़	श्री ओम प्रकाश, उप निरी.	भंवर लाल
7.	अजमेर	गंज	श्री रामप्रसाद स. उप. निरी.	समसुद्दीन
8.	उदयपुर	गोवर्धन विला	श्री रतनसिंह स. उप. निरी.	इन्द्र लाल
9.	भरतपुर	कोतवाली	श्री मुरारी लाल स. उप. निरी.	विजेन्द्र सिंह
10.	पाली	सोजत	श्री प्रेम सिंह आरक्षी	घीसू लाल
11.	जोधपुर	उदयमंदिर	श्री प्रताप सिंह निरी.	देवाराम
12.	चूरू	डूंगरगढ़	श्री ताजमोहम्मद उप निरी.	नवरतन मल

1		2	3	4
13.	धौलपुर	मनिया	श्री रामसनेही लाल उप निरी.	बच्चू
14.	कोटा ग्रामीण	सुकेत	श्री सीताराम चौधरी उप. निरी.	बदरी
15.	अजमेर	GRP जयपुर	श्री नारायण दास उप निरी.	विष्णु प्रसाद सिंह

बाली में सहायक अभियन्ता के कार्यालय की स्थापना

40. **श्री अमृतलाल परमार** (झालरापाटन) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बाली के पंचायत समिति मुख्यालय बाली पर मानदण्ड अनुरूप सहायक अभियन्ता विद्युत मण्डल (ग्रामीण) का मुख्यालय है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में सहायक अभियन्ता फालना मुख्यालय पर रहने से गांवों की जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि मानदण्ड के अनुरूप ही विद्युत मण्डल ने कई बार फालना अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत मण्डल को निर्देश दिये थे कि वे सहायक अभियन्ता का बाली में पदस्थापन करें ? यदि हां, तो निर्देशों की पालना अब तक क्यों नहीं हो सकी है ?

(4) इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) बाली विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बाली का सहायक अभियन्ता (आर.ई.सी.) का मुख्यालय फालना में पद स्थापित है।

(2) प्रशासनिक व तकनीकि कारणों से उक्त सहायक अभियन्ता बाली का मुख्यालय फालना में ही पद स्थापित किया गया है।

(3) जी नहीं। मण्डल द्वारा ऐसे कोई निर्देश अधिशाषी अभियन्ता फालना को नहीं दिये गये थे।

(4) इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सहायक अभियन्ता फालना जिसके पास बाली कस्बा भी है उसको हर मंगलवार व शुक्रवार को पंचायत समिति बाली पर कैम्प लगाकर उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु माह अक्टूबर, 1991 से निर्देश प्रसारित किये जा चुके हैं।

(185)

तहसील जायल, जिला जालौर के ग्रामों को पीने के पानी की व्यवस्था

41. श्री मोहनलाल (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील जायल के ग्राम रोटू, कांगसिया, टालनियाऊ आदि से पानी 10-12 किलोमीटर दूर से पाइप लाइन के जरिये दिया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत 6 माह से उक्त ग्रामों में एक-एक लीटर भी पानी नहीं दिया गया है ? यदि नहीं तो कितना पानी औसतन प्रतिदिन दिया गया ?

(3) क्या उक्त गांवों में पानी की नियमित सप्लाई हेतु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा दौरा किया गया ? यदि हां, तो उन्होंने पानी की समस्या के हल हेतु क्या रिपोर्ट दी ?

(4) क्या राज्य सरकार आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए नियमित पानी देने के लिये समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम रोटू एवं टालनियाउ में क्षेत्रीय योजना से जल उपलब्ध न होने के कारण स्थानीय कुओं से तथा ग्राम कांगसिया में लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित स्त्रोत से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) गत 6 माह की अवधि में ग्राम रोटू में 90000 एवं ग्राम टालनियाउ में 3000 लीटर औसतन जल प्रतिदिन उपलब्ध कराया गया। ग्राम कांगसिया को 28000 लीटर मात्रा पिछले 2 माह से उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) जी हां। निरीक्षण के पश्चात आपूर्ति में और सुधार के प्रयास किये गये हैं।

(4) नियमित आपूर्ति के प्रयत्न किये रहे हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरवाड़ा का नया भवन

42. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरवाड़ा का नया भवन रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो इसे रिक्त करने के आदेश किसने, कब और क्यों दिये ?

(2) क्या यह भी सही है कि भविष्य में विभाग उस भवन का उपयोग नहीं करना चाहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे सहायक अभियन्ता सिंचाई एवं सहायक अभियन्ता जल प्रदाय विभाग को देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, भवन के ग्राम से काफी दूर एक पहाड़ी पर निर्माण होने से ग्रामवासियों की असुविधा के कारण दिनांक 23 अक्टूबर, 1990 को पुराने भवन में स्थानान्तरण के आदेश सरकार के निर्देशों पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जनहित में दिए।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) विभाग द्वारा वर्तमान में उक्त भवन के उपयोग का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सिचाई विभाग अथवा जल प्रदाय विभाग को दिये जाने का भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

लेक्चरर्स कालोनी किशनगढ़ की भूमि

43. **श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल प्रशासन किशनगढ़ ने लेक्चरर्स कालोनी के लिये नगर परिषद द्वारा विक्रय की हुई एवं रजिस्ट्रीशुदा भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिलाधीश अजमेर व उप जिलाधीश किशनगढ़ ने अपनी-अपनी जांच रिपोर्ट में इसे अतिक्रमण माना है ? यदि हां, तो उपरोक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस अतिक्रमण की समय-समय पर लिखित शिकायतें मुख्य मन्त्री, डी. जी. व आई. जी. ट्रेनिंग को की गई ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि किशनगढ़ स्थित सार्वजनिक तालाब के ग्राउण्ड पर भी कुछ दिनों पूर्व पुलिस ट्रेनिंग स्कूल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अतिक्रमण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भूमि खसरा नं. 676 (पुराना) व 1140 (नया) रकबा 32 बीघा 12 बिस्वा सन् 1950 से ही पुलिस ट्रेनिग स्कूल प्रशासन किशनगढ़ के भौतिक कब्जे में चली आ रही है। इस भूमि पर प्रशिक्षण का कार्य भी निरन्तर सन् 1950 से चलता आ रहा है। पुलिस विभाग का भूमि पर लम्बे समय से कब्जा होने से उसे इस भूमि पर वैध अधिकार प्राप्त हो गये है। एडवर्स कब्जाधारी को विधि पूर्ण स्वामित्व के अधिकार प्रदान करती है।

(2) प्रशासक एवं उपखंड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर ने अपनी जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर अजमेर को प्रस्तुत की थी। जिला कलक्टर ने अपने पत्र दिनांक 5.5.90 द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ को उक्त जांच रिपोर्ट की पुष्टि करने की सूचना दी थी। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) यह सही है कि इस भूमि के संबंध में समय-समय पर अनेक शिकायतें पुलिस मुख्यालय को मिलती रही है। परन्तु इस पर पुलिस विभाग का लम्बे समय से कब्जा है अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

(4) जी नहीं, अपितु यह तालाब ग्राउण्ड की भूमि संस्था के यज्ञ भवन से लगा हुआ भूखण्ड है जो संस्था के कब्जे की भूमि को दर्शाने वाले खसरा नं. 1157 में

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

1. अजमेर शहर में 7878 पंजीकृत आवेदक हैं।

2. ब्यावर शहर में 1839 पंजीकृत आवेदक हैं।

3. किशनगढ़ में 1003 पंजीकृत आवेदन हैं।

वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(2) अजमेर, किशनगढ़ एवं ब्यावर शहर के आवेदक जिन्हें आवास उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा शेष आवेदकों का विवरण सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) इन नगरों में शेष आवेदकों को भूमि उपलब्ध होने तथा हुडको से ऋण स्वीकृत होने पर आवास उपलब्ध करा दिये जावेंगे :-

राजस्थान आ

(क) अजमेर खण्ड के अधीन अजमेर, ब्यावर किशनगढ़
एवं वर्गानुसार स्थिति निम्न प्रकार से है :—

क्र.सं.	शहर का नाम एवं आय वर्ग	1971 से 1978 तक	पंजीकरण 1979	1980	1981	1982
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर					
	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	683	254	14	874	194
	अल्प आय वर्ग	726	328	18	818	272
	मध्यम आय वर्ग "अ"	192	254	15	848	198
	मध्यम आय वर्ग "ब"	252	193	—	236	046
	उच्च आय वर्ग	—	038	—	246	055
		1853	1067	56	3516	985
2.	ब्यावर					
	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	48	19	—	97	—
	अल्प आय वर्ग	38	20	—	199	—
	मध्यम आय वर्ग "अ"	12	19	—	141	—
	मध्यम आय वर्ग "ब"	—	10	—	134	—
	उच्च आय वर्ग	—	—	—	044	—
		98	68	—	615	—
3.	किशनगढ़					
	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	40	22	—	—	—
	अल्प आय वर्ग	10	01	—	32	—
	मध्यम आय वर्ग "अ"	—	04	—	47	—

(189)

-परिशिष्ट

10	11	12	13	14	15	16	17
08	—	—	—	—	69	01	144
01	—	—	—	—	40	—	048
28	143	64	—	—	511	5	1003

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन बोर्ड
अजमेर

मेर

परिशिष्ट - "ब"

, 1991 तक कुल आवंटित आवेदकों की संख्या एवं

शेष आवेदकों की वर्गवार स्थिति

1981 7	1982 8	1984 9	1985 10	1989 11	कल्पतरु 1990 12	योग 13
577	151	—	—	24	19	825
818	272	—	—	118	108	1607
755	198	02	—	006	51	1171
730	266	01	—	010	42	1132
199	55	—	—	003	022	279
3079	942	03	—	161	232	5014

1	2	3	3(ए)	4
2.	ब्यावर			
	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	506	286	220

नोट :—इन पंजीकृत 5014 आवेदकों में से 50 आवेदकों

राजस्थ—

क्र.सं.	शहर एवं आय वर्ग	कुल पंजीकृत आवेदक	कुल आवेदकों को आवंटित	शेष आवेदक
	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	506	286	220
	अल्प आय वर्ग	652	262	390
	मध्यम आय वर्ग "अ"	332	274	058
	मध्यम आय वर्ग "ब"	273	149	124
	उच्च आय वर्ग	073	056	017
		1836	1027	809
3.	किशनगढ़			
	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	305	257	048
	अल्प आय वर्ग	315	017	244
	मध्यम आय वर्ग "अ"	191	064	127
	मध्यम आय वर्ग "ब"	143	033	110
	उच्च आय वर्ग	049	008	041
		1003	433	570

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ के ग्रामों को सड़क से जोड़ना

46. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत 1500 से अधिक की आबादी वाले गांव तथा इस वर्ष एक कि.मी. दूर की पंचायत केन्द्र को सड़क से जोड़ने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बूंदी जिले की अतिरिक्त तहसील इन्द्रगढ़ का गांव मोहनपुरा उक्त दोनों मापदण्डों के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो इसे सड़क से नहीं जोड़ने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार मोहनपुरा गांव को शीघ्र सड़क से जोड़ने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मोहनपुरा गांव की आबादी 1434 होने के फलस्वरूप न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मापदण्डों के अन्तर्गत नहीं आता है। परन्तु पंचायत मुख्यालय है जिसकी दूरी एक कि.मी. से कम है।

(3) मोहनपुरा गांव को डामर की सड़क से जोड़ दिया गया है।

जीवनधारा योजनान्तर्गत जिला चूरू में कूप निर्माण

47. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू द्वारा जिले में जीवनधारा योजना के तहत बजट सत्र 1991-92 में कितने कूप निर्माण करने की स्वीकृति सरकार द्वारा जारी की गई ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) स्वीकृत कूपों में से पंचायत समितिवार कितने पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्वीकृत कूपों का कोई भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में कितने कृषकों का कितना भुगतान बकाया है ? अब कब तक सरकार भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू द्वारा जिले में जीवनधारा योजना के तहत बजट सत्र 1991-92 में कोई कूप निर्माण करने की स्वीकृति जारी नहीं की गई।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

ग्राम आकोला (कपासन) में 33 के.वी. विद्युत स्टेशन का निर्माण

48. श्री मोहनलाल चित्तौड़िया (कपासन) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कपासन जिला चित्तौड़गढ़

(श्री मोहनलाल चित्तौड़िया)

में 132 के.वी. का ग्रिड सब स्टेशन बनाने का कार्य स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब की गई ? सरकार अब कब तक इसको लगाने का विचार रखती है ?

(2) कपासन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आकोला के लिए स्वीकृत 33 के.वी. लाइन का स्टेशन कब तक प्रारम्भ करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। इसकी स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 1987 में सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का प्रस्ताव है।

(2) कपासन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आकोला के लिये 33 के.वी. सब स्टेशन का निर्माण वर्ष 1991-92 के 33 के.वी. वार्षिक कार्यक्रम में प्रस्तावित है जिसके लिये सम्बन्धित 33 के.वी. लाइन (भोपाल सागर आकोला) का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

नगर परिषद् उदयपुर के अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

49. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर नगर परिषद् कार्यालय में कितने राजस्व अधिकारी कार्यरत हैं और इनके क्या-क्या कार्य हैं ? इनके कार्य के सम्बन्ध में क्या कोई समीक्षा की जाती है ? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर परिषद् के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा शहर में नियमित रूप से निरीक्षण न करने इत्यादि को लेकर जनता की ओर से कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उदयपुर नगर परिषद् कार्यालय में पदस्थापित स्वास्थ्य निरीक्षक श्री देवेन्द्र सैनी के विरुद्ध जनता एवं संगठनों की ओर से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? क्या मुख्य मंत्री सचिवालय से इनकी विस्तृत जांच करने हेतु विभाग को लिखा गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध दर्ज शिकायतों की जांच जयपुर के एक अधिकारी द्वारा की गई तथा उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्यवाही करने की मंशा रखती है ?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर परिषद् में 3 राजस्व अधिकारी कार्यरत हैं। राजस्व अधिकारी नगर परिषद् के आय स्रोतों जिनमें चुंगी, दुकान, भूमि, किराया, अनुज्ञा पत्र व अन्य आय सम्मिलित है, का नियंत्रण व पर्यवेक्षण करते हैं। उनके कार्यों के सम्बन्ध में आयुक्त एवं प्रशासक द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(2) जी नहीं।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(3) जी हां। श्री देवेन्द्र सैनी, स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच स्थानीय निकाय विभाग के सहायक निदेशक द्वारा की गई तथा जांच के आधार पर ही श्री सैनी को निलम्बित किया जाकर आरोप पत्र दिया जा चुका है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच जारी है।

(4) इसका उत्तर बिन्दु संख्या 3 में दिया जा चुका है।

रैफरल अस्पताल निम्बाहेड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पद

50. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) रैफरल चिकित्सालय निम्बाहेड़ा में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने व कौन-कौन से पद लम्बे समय से रिक्त हैं ?

(2) निम्बाहेड़ा रैफरल अस्पताल में आवश्यकता अनुसार स्टाफ व आवश्यक सुविधाएं सरकार कब तक उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) रैफरल चिकित्सालय, निम्बाहेड़ा में 4 पद कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, शिशु औषध) एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व एक चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। इनमें से कनिष्ठ विशेषज्ञ, मेडीसिन व कनिष्ठ विशेषज्ञ, शिशु औषध के पद दिनांक 22.12.91 से पदस्थापित कनिष्ठ विशेषज्ञों की अनुपस्थिति के कारण रिक्त हैं। चिकित्साधिकारी का एक पद सितम्बर 1991 से रिक्त चल रहा है। डा. सुजानमल जैन, क वि (स्त्री रोग) का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 25.1.92 के द्वारा यू. एन. एफ. पी. ए. सर्वेलेन्स टीम, उदयपुर के नव सृजित पर होते जाने के कारण रिक्त हैं।

(2) अनुपस्थित चल रहे कनिष्ठ विशेषज्ञ, (स्त्री रोग) मेडीसिन व कनिष्ठ विशेषज्ञ, शिशु औषध, के पदों के साथ-साथ रिक्त चल रहे चिकित्सा अधिकारी के पद को भरने की कार्यवाही की जा रही है। नर्सिंग स्टाफ आदि के सभी पद भरे हुए हैं। अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

जिला बाड़मेर व जैसलमेर में खडीनों का निर्माण

51. श्री अमीन खां (शिव) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में पिछले दो सालों में सरकार द्वारा कुल कितने खडीन बनाये गए हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में पिछले दो सालों में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये कितने खडीन बनाये गए ? तहसीलवार सूची मय लागत के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में निर्मित किये गये खडीनों की

(विशिष्ठ योजना संगठन मन्त्री)

संख्या क्रमशः 108 व 156 है। निर्मित किये गये खडीनों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "म" पर उपलब्ध है।

(2) गत दो वर्षों में जिला बाड़मेर व जैसलमेर में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए निर्मित किये गये खडीनों की संख्या क्रमशः 8 व 34 है। निर्मित किये गये खडीनों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम भ्राउ (जोधपुर) में 33 के.वी. विद्युत लाइन का निर्माण

52. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि फलोदी तहसील जिला जोधपुर में फलोदी से भ्राउ ग्राम तक 33 के.वी. लाइन के निर्माण की स्वीकृति कई वर्षों पूर्व हुई थी ?

(2) क्या उपरोक्त लाइन का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस लाइन के निर्माण न होने से फलोदी तहसील की कई क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं प्रभावित हो रही हैं ?

(4) सरकार इस लाइन को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस लाइन का निर्माण कार्य वर्ष 1991–92 की कार्य योजना उप प्रसारण कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है जिसका कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

(3) जी हां, वर्तमान में फलोदी तहसील की चालू क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं विद्युत आपूर्ति 11 के.वी. फीडर फलोदी की लाइन की दूरी लम्बी होने की वजह से वोल्टेज सही नहीं मिलने से प्रभावित हो रही है।

(4) इसके निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है तथा इसके वर्ष 1992-93 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 की सूची

जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	रैफरल अस्पताल
1– अलवर	तिजारा	1– भिवाड़ी
2– चित्तौड़गढ़	गंगरार	2– गंगरार
	छोटी सादड़ी	3– छोटी सादड़ी
3– जयपुर	सांगानेर	4– सांगानेर
4– झालावाड़	डग	5– डग
5– कोटा	सांगोद	6– सांगोद
	अन्ता	7– अन्ता
	छीपाबड़ौद	8– छीपाबड़ौद
	सुल्तानपुर	9– सुल्तानपुर
	किशनगंज	10– किशनगंज
6– नागौर	कुचामनसिटी	11– कुचामनसिटी
7– सवाईमाधोपुर	महुआ	12– महुआ
	बामनवास	13– बामनवास
8– टौंक	निवाई	14– निवाई
9– उदयपुर	गोगुन्दा	15– गोगुन्दा

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 66 की सूची

सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड सोजतसिटी में अस्थाई कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम मय पिता का नाम	प्रति नियुक्ति तिथि	वर्तमान नियुक्ति स्थान (अनुभाग)
1.	श्री संतोषसिंह/पूनमसिंह	5.4.84	खण्डीय स्टोर सोजत
2.	,, नाथूदास/तुलसीदास	1.7 84	चण्डावल
3.	,, नारायण/अमरा	14.7.84	सोजत द्वितीय
4.	,, भंवर/चिमना	14.7.84	,,
5.	,, खालिद हुसैन/आबिद हुसैन	16.8.84	खण्डीय स्टोर सोजत
6.	,, शैतान/झूमर	1.2.85	चण्डावल
7.	,, ढगला/शंकर	3.2.85	खण्डीय स्टोर सोजत
8.	,, बुधाराम/मेगाराम	31.3.85	सोजत प्रथम
9.	,, जाला/हजारी	1.4.85	सोजत द्वितीय
10.	,, भंवर/आदू	1.4.85	,,
11.	,, दीपा/सोना	1.4.85	चण्डावल
12.	,, अशोक कुमार/विष्णुदत्त	12.6.85	खण्डीय स्टोर सोजत
13.	,, जगदीश प्रसाद/रामपाल	2.8.85	,,
14.	,, रतनलाल/रूपाराम	14.9.85	,,
15.	,, ओमप्रकाश/हरीराम	25.9.85	सोजत प्रथम
16.	,, सरोज कुमार/लवकुश कुमार	1.11.85	,,

नोट :– उक्त कर्मचारी नियुक्ति दिनांक से वर्तमान में दर्शाये गये अनुभाग/स्थान पर निरन्तर कार्यरत है।

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 का विवरण

क्र.सं	स्थापित हैण्डपम्प के स्थान	स्थापित करने का वर्ष	स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या
1.	कुम्हार मोहल्ला	81-82	1
2.	मीणा बस्ती	81-82	1
3.	शिवालय पर	81-82	1
4.	मन्दिर पर	81-82	1
5.	राजपूत वाला	81-82	1
6.	हरिजन बस्ती	86-87	1
7.	पंचायत भवन	85-86	1
			7

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 70 की सूची

LIST OF CASES OF CHANGE IN LAND USE IN THE MASTER PLAN JODHPUR APPROUED BY GOVERNMENT

1. Village Bagan Kh No. 787 Green Belt to Residential Govt. letter No. P. 5(24)UDH/84 dated 7.2.85.
2. Viilage Suthla Kh. No. 96 Green Belt to Residential Govt. letter No. P. 5(25)UDH/84 dated 19.3.85.
3. Village Basni Tamboliyon Kh. No. 7 Green Belt to Residential Govt. letter No. P. 5(24)UDH/85 dated 15.5.86.
4. Village Basni Tamboliyon Kh. No. 2, 4, 9 Green Belt to Residential Govt. letter No. F. 1(12)UDH/72 dated 21.11.90
5. Village Gewan Kh. No. 867 Green Belt to Residential Govt. letter No. F. 1(12)UDH/72 dated 21.11.90.
6. Village Chokha Kh. No. 13, 44, 45 and 605 Green Belt to Residential Govt. letter No. F. 5(12)UDH/85 dated 25.4.91.
7. Village Suthla Kh. No. 92 92/2, 92/3 and 94 Educational Institution & Green Belt to Residential vide G. t., Order No. E. 5 (22)UDH/84, dated 16.1.85.
8. Village Suthla Kh. No. 95, 98 and 99 Green Belt & Govy., Reserved to Residential vide Govt. Order No. F. 1(12)UDH/72 dated 21.11.90
9. Village Gewan Kh. No. 234, 976 and 885 Road and Green Belt to Residential vide Govt., order No. F. 1(12)UDH/72 dated 21.11.90.

Sd/–
24.2 92

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची

जिला कोटा, बूंदी व बारां के विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अधीन खण्डवार स्वीकृत हैण्डपम्पों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या	हैण्डपम्पों की संख्या		
			स्वीकृत	स्थापित	शेष
1	2	3	4	5	6
(I) जिला ग्रामीण खण्ड, कोटा					
1.	हरीपुरा	62	3	2	1
2.	रामगंज	64	2	1	1
3.	ककरावदा	66	8	6	2
4.	सानोता	67	2	–	2
5.	ढीपरा चम्बल	69	5	–	5
6.	बरनाहावी	74	3	2	1
7.	ठाकरदा	84	3	2	1
8.	छापोल	94	1	–	1
9.	गोपालपुरा	99	2	1	1
10.	जटनाड़ा	101	2	1	1
11.	सुमेरपुरा	105	3	2	1
12.	शेरपुर	108	3	2	1
13.	रघुनाथपुरा	114	1	–	1
14.	गैता	116	1	–	1
15.	बमूलिया खुर्द	117	1	–	1
16.	गनेशखेड़ा	124	2	1	1
17.	बन्जारी	126	2	1	1

1	2	3	4	5	6
18.	फरेरा	133	1	–	1
19.	भोपालगंज	138	3	2	1
20.	जोरावरपुरा	139	6	5	1
21.	केशोपुरा	141	5	4	1
22.	फतेहपुर	143	3	1	2
23.	इटावा	144	2	–	2
24.	मोनेरा	146	2	–	2
25.	मुर्गेना	154	1	–	1
26.	रनोदिया	155	1	–	1
27.	खेडली बेरीकाण	171	3	2	1
28.	डूगरवी	174	2	–	2
29.	फूंसोद	175	1	–	1
30.	पीपन्दाखुर्द	179	1	–	1
31.	कंजनिया	180	3	1	2
32.	रोण	183	4	3	1
33.	सोनवाड़ा	186	5	3	2
34.	खेडली विशनपुरा	189	2	1	1
35.	दौलतपुरा	201	3	2	1
36.	दुधली	202	3	2	1
37.	श्रीपुरा	207	4	2	2
38.	मीथोड	213	1	–	1
39.	दुर्जनपुरा	215	5	4	1
40.	बमूविथा	216	2	1	1
41.	ढिढोरा	217	2	1	1

(20)

1	2	3	4	5	6
42.	बाडोली	223	4	3	1
43.	हरीपुरा	224	3	2	1
44.	लक्ष्मीपुरा	नया राजस्व ग्राम	2	1	1
45.	विजयपुरा	219	3	2	1
(II)	खण्ड बूंदी				
46.	मोहनपुरा	15	1	–	1
(III)	खण्ड बारां				
47.	गुदरावली	17	1	–	1
		योग	123	63	60

परिशिष्ट– 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 85 का विवरण

जिला बांसवाड़ा में सन् 1985 से जनवरी, 1992 तक चोरियों के अपराध पंजीबद्ध हुए की तालिका निम्न प्रकार है :–

वर्ष	नकबजनी	चोरी	योग
1985	157	187	344
1986	120	177	305
1987	125	150	283
1988	190	193	303
1989	177	164	361
1990	196	231	427
1991	200	259	459
जनवरी, 1992	15	14	29
योग	1186	1403	2591

कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में सन् 1985 से जनवरी, 1992 तक कितनी चोरी, डकैती हुई का विवरण निम्नलिखित है :–

वर्ष	नकबजनी	चोरी	डकैती
1985	7	15	2
1986	10	15	1
1987	17	20	–
1988	35	21	1
1989	20	13	1
1990	13	10	4
1991	19	19	2
जनवरी, 1992	2	—	1

205

परिशिष्ट-26 फरवरी, 1992 परिशिष्ट

(377

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 87 की सूचना

पाली जिले के पुलिस थाना व चौकियों में कार्यरत अधिकारियों व सिपाहियों की पदानुसार सूची—

क्र.सं.	नाम थाना व चौकी	निरी.	उ. नि.	स. उ. नि.	मु. आ.	आरक्षक
1	2	3	4	5	6	7
1.	थाना कोतवाली, पाली	1	2	4	4	22
	1. चौकी शहर पाली	–	–	1	–	8
	2. चौकी मील पाली	–	–	1	–	7
	3. चौकी रेल्वे स्टेशन, पाली	–	–	1	–	7
2.	थाना सदर, पाली	–	1	1	1	12
	4. चौकी खैरवा	–	–	–	–	3
3.	थाना केरला	–	1	1	1	15
	5. चौकी रोहट	–	–	–	1	4
4.	थाना गुड़ाएन्दला	–	1	1	1	14
	6. चौकी डेण्डा	–	–	–	1	3
5.	थाना बाली	–	1	2	2	16
	7. चौकी फालना	–	–	–	1	5
	8. चौकी सेवाड़ी	–	–	–	1	4
	9. चौकी बीजापुर	–	–	–	1	4
6.	थाना सादड़ी	–	1	–	1	11
	10. चौकी लटाडा	–	–	–	1	4
7.	थाना देसूरी	–	1	–	1	11
	11. चौकी घाणेराव	–	–	–	1	4
8.	थाना राणी	–	1	–	1	12
	12. चौकी सोमेश्वर	–	–	–	1	4
	13. चौकी नाडोल	–	–	–	1	4

1	2	3	4	5	6	7
9.	थाना सिवाड़ा	–	1	–	1	11
	14. चौकी मगरतलाब	–	–	–	1	5
	15. चौकी कोट	–	–	–	1	4
10.	थाना सुमेरपुर	–	1	1	1	15
	16. चौकी जवाई बांध	–	–	–	1	4
	17. चौकी पालड़ी	–	–	–	1	4
11.	थाना तख्तगढ़	–	1	1	1	15
	18. चौकी चाणोद	–	–	–	1	4
12.	थाना सांडेराव	–	1	1	1	11
	19. चौकी सांडेराव	–	–	–	1	4
13.	थाना नाणा	–	1	–	1	12
	20. चौकी बेरा	–	–	–	1	3
	21. चौकी तनी	–	–	–	1	5
14.	थाना शिवपुर	–	1	–	1	12
15.	थाना रायपुर	–	1	1	1	15
16.	थाना सोजत	–	1	2	2	15
	22. चौकी सोजत	–	–	–	1	4
	23. चौकी सोजत शहर	–	–	–	1	3
	24. चौकी चंडावल	–	–	–	1	4
17.	थाना सिरियारी	–	1	1	1	1
	25. चौकी जोजावर	–	–	–	1	3
	26. चौकी सारण	–	–	–	1	4
18.	थाना मारवाड़ जं.	–	1	1	1	14
	27. चौकी आऊवा	–	–	–	1	4
	28. चौकी बान्ता	–	–	–	1	3
19.	थाना बगड़ी	–	1	–	1	11

1	2	3	4	5	6	7
	29. चौकी कंटालिया	–	–	–	1	4
	30. चौकी बड़ागुडा	–	–	–	1	4
20.	थाना जैतारण	–	1	2	2	17
	31. चौकी निम्बाज	–	–	–	1	4
21.	थाना कालू	–	1	1	–	15
	32. चौकी रास	–	–	–	1	4
	33. चौकी कुकड़ी	–	–	–	1	4
22.	थाना सैंदड़ा	–	1	1	1	14
	34. चौकी बावरा	–	–	–	1	4

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 91 का विवरण

परिशिष्ट-"क"

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत पंचायत समिति नादौती एवं टोडाभीम की विचाराधीन शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	शिकायत का विषय	शिकायतकर्ता का विवरण
1	2	3
1.	जीवन-धारा योजनान्तर्गत अनियमित स्वीकृति जारी करने की शिकायत	श्री मिश्रीलाल मीणा, निवासी तिमावा, पं. समिति नादौती, सवाई माधोपुर
2.	सरपंच, ग्राम पंचायत महस्वा, पंचायत समिति टोडाभीम के कर्मचारियों द्वारा जीवन-धारा योजनान्तर्गत पांच लाख के घोटाले के सम्बन्ध में शिकायत	श्री नारायणलाल मीणा, निवासी महस्वा, तहसील टोडाभीम सवाई माधोपुर
3.	ग्राम पंचायत महस्वा, पंचायत समिति टोडाभीम में निवर्तमान सरपंच हंसराज मीणा द्वारा भारी घोटाले करने के सम्बन्ध में शिकायत	श्री नारायणलाल मीणा, निवासी महस्था, तहसील टोडाभीम, सवाई माधोपुर
4.	जीवन-धारा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत महस्वा, पंचायत समिति टोडाभीम के सरपंच द्वारा फर्जी भुगतान उठाने बाबत शिकायत	अनेक प्रार्थीगण ग्राम महस्वा, तहसील टोडाभीम, सवाई माधोपुर
5.	ग्राम महस्वा में जीवन-धारा एवं पचायत के अन्य कार्यों में भारी गबन व भ्रष्टाचार किये जाने बाबत	श्री नारायणलाल मीणा, भूतपूर्व सरपंच ग्राम महस्वा श्री रामकरण मीणा, निवासी महस्वा, तहसील टोडाभीम, सवाई माधोपुर

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची

बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा परियोजना के बन्द किये गये केन्द्रों की सूची—

1. गामडी-II
2. सूरतगढ़ी
3. लालपुरा (हरिजन बस्ती)
4. खडदेव
5. नाथपुरा (वाया डूंगरी)
6. घोड़ा
7. बीबीग्रों का पारड़ा
8. मोतीरा
9. वीरपुर
10. निचला बनाला
11. भगोदापाडा
12. शिवपुरा
13. बनाला
14. नवाटापरा
15. लाम्बा वरड़ा

बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ परियोजना के बन्द किये गये केन्द्रों की सूची—

1. काननवाड़ी
2. खाकूरिया
3. रामगढ़
4. उदयगढ़ वसूनी
5. पाण्डवारनाथ
6. दर्रा
7. कुलीपाड़ा
8. जरराई
9. चरकली
10. टिम्बेड़ा बड़ा
11. कोटडा
12. पोटलिया
13. वागडीचापला
14. हरिजन बस्ती
15. मुस्लिम बस्ती (मोहम्मडन पाड़)

बांसवाड़ा जिले की परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष 1991-92 का व्यय

क्रमांक	नाम परियोजना	स्थापना सम्बन्धी व्यय	पोषाहार सप्लाई पर व्यय	कुल योग
1.	बाल विकास परियोजना गढ़ी	13.46	2.35	15.81
2.	,, बागीदोरा	9.76	2.09	11.85
3.	,, तलवाड़ा	8.18	1.66	6.84
4.	,, कुशलगढ़	6.58	1 22	7.80
5.	,, आनन्दपुरी	5.53	1.23	6.76
6.	,, सज्जनगढ़	7.29	1.64	8.93
7.	,, घाटोल	7.35	1.24	8.59
8.	,, पीपलखूंट (8-98)	8.98	1.67	10.65

208

अतार

कार्यालय सहायक अभियन्ता

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	ग्राम	खाता संख्या
1	2	3	4
1.	ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.	करवर	24के/456
2.	रघवीर सिंह	नैनवा	15एन/866
3.	कजोडपुरी	नैनवा	15एन/69
4.	शहजात मोहम्मद	नैनवा	15एन/1227
5.	महमूद	नैनवा	15एन/363
6.	यशवन्त कुमार	करवर	24के/386
7.	न्यू नागर इन्जी. वर्क्स	नैनवा	15एन/103
8.	सद्दीक मोहम्मद	करवर	24के/933
9.	नूर मोहम्मद	देई	16डीई/542
10.	कल्लू खां	नैनवा	15एन/554
11.	प्रहलाद कुमार	जेजावर	9/1/64
12.	जमील अहमद	नैनवा	15एन/993
13.	बृज मोहन	करवर	24के/703
14.	उछवलाल	देई	16डीई/439
15.	सम्पत कुमार	देई	16डीई/456
16.	महावीर प्रसाद	देई	16डीई/629
17.	जगन्नाथ तेली	देई	16डीई/337
18.	श्रीमती रतनदेवी	नैनवा	15एन/1142

सूची 'अ'

■डल, नैनवा जिला बून्दी

चैक करने की तारीख 7	चैक करने वाले का नाम 8	रकम जमा कराने की तारीख 9	मीटर परिवर्तन आदेश निकालने की तारीख 10
–	–	6.1.90	6.1.90
–	–	15.3.90	15.3.90
24.4.90	नन्दा हेल्पर द्वि.	26.4.90	26.4.90
"	"	30 6.90	30.6.90
3.7.90	नाथू हेल्पर द्वि.	3.7.90	3.7.90
–	मनोजकुमार क.अ.	23.7.90	23.7.90
15.11.90	नन्दा हेल्पर द्वि.	16.11.90	16.11.90
–	–	17.11.90	17.11.90
22.2.91	नन्दा हेल्पर द्वि.	23.2.91	23.2.91
26.2.91	मोहन हेल्पर द्वि.	26.2.91	26.2.91
4.3.91	–	4.3.91	4.3.91
–	–	13.3.91	13.3.91
16.3.91	नन्दा हेल्पर द्वि.	16.3.91	16.3.91
–	–	10.12.90	21.3.91
13.4.91	मोहन हेल्पर द्वि.	13.4.91	24.4.91
13.4.91	नन्दा हेल्पर द्वि.	25.4.91	25.4.91
13.5.91	नन्दा हेल्पर द्वि.	13.5.91	13.5.91
–	–	16.5.91	16.5.91
28.5.91	जिलानी अहमद हेल्पर द्वि.	28.5.91	28.5.91
1.6.91	–	1.6.91	1.6.91
–	–	6.6.91	6.6.91
–	–	14.6.91	14.6.91
22.7.91	नन्दा हेल्पर द्वि.	22.7.91	22.7.91
25.7.90	पी.के. श्रीवास्तव क.अ.	25.7.90	25.7.90

1	2	3	4
25.	मुकेश आइल मील	देई	16डीई/733
26.	सोहन लाल	देई	16डीई/836
27.	ओम प्रकाश	देई	16डीई/538
28.	रामस्वरूप	देई	16डीई/249
29.	रामेश्वर	नैनवा	15एन/556
30.	ओम प्रकाश	देई	16डीई/538
31.	रामधन	रजलावत	19/6/4
32.	नन्द सिंह	पीपरवाल	46/6/1
33.	विनोद आइल मील	देई	16डीई/773
34.	मनीष कुमार	मान्ढपुर	83/6/1
35.	राजेन्द्र सिंह	खजूरी	25/6/3
36.	लेखराज	डेलपुर	76/6/1ए
37.	पदमपुर	देई	16डीई/734
38.	सोहन लाल	देई	16डीई/836
39.	लक्ष्मण	ताकल	73/6/2
40.	मेघराज	बासी	80/6/1
41.	प्रमोद आइल मील	देई	15डीई/717

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 99 की सूची

पिछले तीन वर्षों के दौरान पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़/गोविन्दगढ़ में विद्युतीकरण हेतु फेस प्रोग्राम में स्वीकृत/विद्युतिकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम (फेस प्रोग्राम में सम्मिलित)	कोड संख्या	विद्युतिकृत अथवा नहीं	कृषि कनेक्शन दिये गये अथवा नहीं
1	2	3	4	5
वर्ष 1988-89				
1-	खेड़ा महमूद	5/10/4	विद्युतिकृत	जारी किये गये
2-	हरसोली	3	,,	,,
3-	मुंडपुरीकला	2	,,	,,
4-	नसवारी	1	,,	,,
5-	ईटका	22	,,	,,
6-	मारकपुर	23	,,	,,
7-	दीवली	232	,,	,,
8-	मालपुर	5/7/149	,,	,,
9-	सदेमपुर	5/10/10	,,	नहीं जारी किये गये
10-	बडवाडा	31	,,	,,
11-	मोलिया	68	,,	जारी किये गये
12-	फतेहपुरा तफंसलावली	236	,,	,,
13-	टोडा नगर	229	,,	,,
14-	सालिमपुर	242	,,	नहीं जारी किये गये
15-	भारेडा	37	,,	जारी किये गये
16-	खरसनकी	136	,,	,,
वर्ष 1989-90				
1-	जोधपुरा	5/10/238	विद्युतिकृत	जारी किये गये
2-	इनिया	70	,,	नहीं

Page No. 214

1	2	3	4	5
3–	शेषपुर	240	विद्युतिकृत	नहीं
4–	मुँडजोडी	228	,,	,,
5–	जोना खेडा भई	231	,,	,,
6–	खरसनकी	136	,,	जारी किये गये
7–	दौलतपुरा	134	,,	नहीं
8–	अहमदाबास	134	,,	,,
9–	तिलकपुर	245	,,	,,
10–	मस्तपुर	28	,,	,,
11–	गोपालपुरा	141	,,	,,
12–	बसेडी	281	,,	,,
13–	उदर	282	,,	जारी किये गये
14–	पाहरी	25	,,	,,
वर्ष 1990-91				
1–	भयाड़ी	5/10/50	विद्युतिकृत	नहीं
2–	खोरपुरी	52	,,	,,
3–	निजाम मगरा/निजामनगर	49	,,	,,
4–	गोविन्दपुरा	5/7/150	,,	,,
5–	बरवाड़ा	152	,,	जारी किये गये
6–	सरमोर	151	,,	नहीं
7–	सेमला खुर्द	5/10/36	नहीं	नहीं
8–	हुसनपुर	142	,,	,,
9–	खरसनकी	46	विद्युतिकृत	जारी किये गये

215

211

परिशिष्ट-14

अतारांकित प्रश्न संख्या 100 की सूची

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1991-92 में
विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	पं. स.
1-	नवाघरा	23/2/152	गढ़ी
2-	थाली तलाई	153	,,
3-	कुणा	167	,,
4-	कुवाडिया	166	,,
5-	ढालर	23/4/191	बागीदोरा
6-	हुडमत	194	,,
7-	खरसाना	172	,,
8-	खेड़ालीम	167	,,
9-	चरकनी	182	,,
10-	फुलपुरी	179	,,
11-	भलेर डामर	143	भूखिया
12-	केलकुआ	25	,,
13-	छायना	20	,,
14-	परवाली	138	,,
15-	पाटिया कोटर	141	,,
16-	चेलकारी	156	बागीदोरा
17-	राम का मुन्ना	180	,,

विधान सभा क्षेत्र बागीदोरा जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1991-92 में
विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	पं. स.
1-	नवाघरा	23/2/152	गढ़ी
2-	थाली तलाई	153	,,
3-	कुवाड़िया	166	,,
4-	हड़मत	23/4/194	बागीदोरा
5-	फुलपुरी	179	,,
6-	भलेर डामर	143	,,
7-	राम का मुन्ना	180	,,

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 102 की सूची

बाड़मेर जिले में वर्ष 1990–91 में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की उपखण्डवार सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
	उपखण्ड शिव	
1–	काना का गांव	16/1/34
	उपखण्ड बाड़मेर	
1–	झाड़वा	18/2/19
2–	धानोरा	20
3–	तिरसीगड़ा	21
4–	तिरसीगड़ी	22
5–	सोनडी	12
6–	मीठीसर	109
7–	कानोरा	10
	उपखण्ड बायतु	
1–	चक सन्तरा	16/2/196
2–	खोखर	165
3–	खारडा भरतसिंह	166
4–	नीम्बा की ढाणी	162
5–	धानपुरा	163
	उपखण्ड धोरीमना	
1–	सिहार	16/4/79
2–	भांटिया	38

1	2	3
3-	लखवारा	37
4-	कोठाला	16/2/341
5-	चकलाना	17/4/107
6-	बामनोर भंवरसा	58
7-	गोरा	114
8-	भालीखाल	16/2/318
9-	झाँपालिया	16/4/75
10-	सऐ सोमराड	74
11-	बीसासर	78
12-	घेम्बा	80
13-	पूण्डी का निवान	91
14-	फकिरों का निवान	92
15-	सुहागी	16/4/128
16-	भालगांव	130
17-	बिगरनिया	61
18-	नवातला राठोरा	60
19-	तिरसरा	133
20-	बवारला	134

उपखण्ड गुढामालानी

1-	पाबूबेरा	16/2/342
2-	भीमथल	321
3-	डबोई	353
4-	पूराका	351

उपखण्ड सिन्दरी

1-	भोजासर	16/2/206
2-	मानपुरा खारडा	171
3-	डागवा	256

(215)

1	2	3
4–	नकोडा	242
5–	बामणी	244
6–	खारिया खुर्द	293
7–	सडेचा	16/2/268
8–	कगाऊ	278
9–	मालपुरा	270
10–	खाडिया खुर्द	293

उपखण्ड बालोतरा

1–	चान्देसरा	16/3/2
2–	बहनावा चारणान	79
3–	सांभरा	20
4–	गोलसोडा	11
5–	बागुन्डी	5
6–	मेघावास	117
7–	परालिया घामद	130
8–	खारडी	77
9–	रोडवा खुर्द	123
10–	जास्ती	129
11–	रोडवा कलां	122
12–	मोहनपुरा	89
13–	भीमरलाई	3

बाड़मेर जिले में वर्ष 1991–92 में विद्युतीकरण हेतु
प्रस्तावित ग्रामों की उपखण्डवार सूची

उपखण्ड शिव

1–	जुडिया	16/1/27
2–	भिणकली	28

1	2	3
3–	तिरवनियार	29
4–	पोसमा	30
5–	फोगेरा	25
	उपखण्ड बाड़मेर	
1–	खारची	16/2/36
2–	सुवाडा	97
2–	भाचवर	98
4–	बगतो की बेरी	100
5–	जायडू	32
6–	इन्द्रोही	34
7–	कनोडा	10
	उपखण्ड बायतु	
1–	निम्बा की ढाणी	16/2/162
2–	दानपुरा	163
3–	मानपुरा खारडा	171
4–	लेगो की ढाणी	151
	उपखण्ड धोरीमना	
1–	जानपालीया	16/4/75
2–	सोमराड	74
3–	बीसासर	78
4–	ढेम्बा	80
5–	पोधी का निवाण	91
6–	सीलगण	16/2/322
7–	बिसारणियां	16/4/61
8.	नवातला राठोरा	60

1	2	3
	उपखण्ड सिन्दरी	
1-	सडेचा	16/2/268
2-	कगाऊ	278
3-	मालपुरा	270
4-	एडमानजी	265
5-	एड अमरसिंह	263
	उपखण्ड बालोतरा	
1-	पटाऊ खुर्द	16/3/97
2-	खारंडी	77
3-	रोडवा खुर्द	123
4-	जास्ती	129
5-	परालीया थामट	130
	उपखण्ड गुढामालानी	
1-	रोली	16/2/366
2-	मंगला की बेरी	315

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची

पं. स. क्षेत्र मकराना के अनु. जाति की बस्तियों के विद्युतिकरण की सूची—

1. मकराना वार्ड 2
2. ,, ,, 6
3. ,, ,, 7
4. बान्डीया कुआ
5. ,, कलां
6. हरिजन बस्ती वार्ड 14
7. बड़ली
8. कुवीपल्ला
9. बावरियां की ढाणी
10. गुवंत्ती रोड़ हरिजन बस्ती
11. बोरावर
12. मकराना
13. बाडाबासकलवा
14. छोटा बास कालवा
15. बरावर हरिजन बस्ती
16. गुणवती हरिजन बस्ती
17. काला डूंगरी
18. मकराना बलाय मोहल्ला
19. मकराना वार्ड 10
20. बल्लाय बस्ती
21. जाखली
22. बुडसू
23. बलाई बस्ती रैगर
24. बावरी का बास
25. चावन्डीया
26. नगवारा खुर्द
27. देवला
28. जीवडीया
29. कांचोलिया
30. धानावास हरिजन बस्ती
31. जींगलीया हरिजन बस्ती
32. ,, ,, ,,
33. ईटावा लाखा
34. ,, ,,
35. मकराना वार्ड 10
36. ,, ,,
37. निम्बड़ी
38. ढोढवाणी
39. ढाणी मन्डोली
40. देवरी
41. भवराई
42. नून्दा
43. रामणीया
44. रानीगांव
45. मोरड़
46. बल्ला ढाना
47. मनानी
48. सीनियां
49. हुडिया
50. पालेड़ी राजा

51. खडीया
52. छापरा
53. दाबड़िया
54. नावेद
55. मोडी भीखा

परिशिष्ट–"ब"

स्वीकृतशुदा अनुसूचित जाति की बस्तियों की सूची जिनको विद्युतिकृत करना है :-

क्र.सं.	हरिजन बस्तियों का नाम
1.	मुडा खेरी
2.	मकरानीगावं
3.	उबिरीया चारला
4.	ईन्डोखा
5.	गोरवा
6.	मांगलवा
7.	बीनजारी

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 104 की प्रति व सूची

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

(वाणिज्यिक कार्य विधि विभाग)

क्र. राराविमं/डीसीओ/पत्रा. 4(68)/91/टेरीफ/प्रें. 11159 जयपुर

दिनांक 26 अप्रेल, 1991

आदेश

विषय:-कृषि कनेक्शन देने सम्बन्धी वर्ष 1991-92 की नीति मार्गदर्शिका

इस आदेश से पूर्व इस विषय पर प्रसारित सभी आदेश/सूचनाऐं को निष्प्रभावित कर, मण्डल की 405वीं बैठक को 26 अप्रेल, 1991 को सम्पन्न हुई, में लिये गये निर्णयों के अनुसार कृषि श्रेणी में वर्ष 1991-92 में नये कनेक्शन दिये जाने के लिये निम्नांकित मार्गदर्शिका स्वीकार की जाती है :—

1. नये मांग पत्र मद संख्या 7 के क्रम में मण्डल के अग्रिम आदेश तक प्रसारित नहीं किये जायें।

2. ऐसे आवेदकों को जिन्होंने 31 मार्च, 1991 तक जारी मांग पत्रों की राशि जमा कर दी है या निर्धारित अवधि में जमा करा देंगे को कनेक्शन दिया जायेगा।

3. ऐसे विद्युतिकृत गांव जिनमें विद्युत कनेक्शन नहीं है, में लम्बित प्रार्थना पत्रों में से दो कनेक्शन दिये जायेंगे।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये इस वर्ष के समग्र लक्ष्य 25,000 कुओं का 20 प्रतिशत लक्ष्य रहेगा। जिलावार लक्ष्यों का निर्धारण मुख्य अभियन्ता (ग्रा वि.) रा.रा.वि.मं., जयपुर करेंगे।

5. डी. आर. डी. ए. द्वारा मान्य सामुदायिक और सहकारिता के आधार पर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए लंबित आवेदनों को कनेक्शन दिये जायेंगे।

6. जलधारा योजना में समस्त लंबित आवेदनों पर कनेक्शन देने हेतु विचार किया जायेगा बशर्ते यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1991-92 में भी जारी रहे।

7. शेष लक्ष्यों (मद संख्या–2 से 6 उपरोक्त में वर्णित को छोड़कर) का मुख्य अभियन्ता (ग्रा वि.) विभिन्न जिलों में लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या के अनुपात में निर्धारण करेंगे। ये कनेक्शन ऐसे सभी आवेदकों को जो समस्त औपचारिकताऐं पूरी कर देंगे--को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिये जायेंगे भले ही आवेदन पत्र किसी भी वर्ष में पंजीकृत हुये हो।

8. पूर्व लम्बित आवेदकों से 1/2 वर्ष के लिये रुपये 1000/– व रुपये 2000/– अग्रिम राशि स्वीकार कर दोहरी प्राथमिकता योजना को 15 जनवरी, 1991 के पश्चात समाप्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में मण्डल के आदेश संख्या रा.रा.वि मं./स/प्र. एवं वि/प्रें. 789 दिनांक 12.11.1990 के द्वारा सूचित किया जा चुका है और पुन: रा.रा.वि.मं./मुग्र/वा/सी-1/पत्रा-4(73) एल./प्रें. 13151 दिनांक 22.2.1990 के द्वारा इसे दोहराया गया है।

9. अविद्युतिकृत गांवों में तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत कनेक्शन दिये जाने की योजना समाप्त की जाती है।

10. राज्य सरकार के निर्देश (डाईरेक्टिव) संख्या पत्रा. 21/190 ऊर्जा/88 दिनांक 10 अक्टूबर, 1990 11 के.वी./एल.टी. लाईन हेतु सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को रुपये 4000/– का अनुदान एक पोल प्रति हार्सपावर सम्बद्ध भार की दर से देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रति कनेक्शन 10 पोल तक होगी।

11. कृषि उपभोक्ता को मीटर या फ्लेट रेट से आपूर्ति का विकल्प देना होगा।

12. कुएँ के शुष्क हो जाने अथवा प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप कुए के नष्ट हो जाने पर कृषि उपभोक्ता का सम्बन्ध विच्छेद होने की स्थिति में कनेक्शन विच्छेद की अवधि का न्यूनतम शुल्क विद्यमान मार्गदर्शिका जो मण्डल के आदेश संख्या राराविमं/डीसीओ/सी-1/पत्रा.नागौर-81/74/प्रें.6531 दिनांक 10.11.1989 के द्वारा प्रसारित की गई है, नहीं लिया जायेगा।

13. सामान्य श्रेणी के आवेदकों से रुपये 1000/– जो आवेदन पत्र के साथ अग्रिम लिये जाते थे को 1 जून, 1991 से घटाकर 250/– रुपये कर दिया है। यह राशि मांग पत्रों की राशि में समायोजित कर दी जायेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के मामले में अग्रिम जमा राशि नहीं ली जावेगी। सभी आवेदनकर्ताओं से आवेदन पत्र शुल्क प्रति आवेदन 25 रुपये यथावत रूप से लिया जाता रहेगा।

14. प्रसारण एवं वितरण हानि को स्थिर/प्रतिबंधित रखने की दृष्टि से कृषि श्रेणी के समस्त नये कनेक्शन अब यह सुनिश्चित करने के बाद ही किये जायें कि उप-प्रसारण और वितरण तंत्र भावी उपभोक्ता की मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त क्षमता रखता है।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

आज्ञा से

ह०

(आर. एस. धारीवाल)

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सूची "ब"

राजस्थान राज्य में एक अप्रेल, 1991 से 31 जनवरी, 1992 की समयावधि में विद्युतीकृत कृषि कुओं का जिलावार ब्योरा

क्र.सं.	जिला का नाम	विद्युतीकृत कृषि कुओं की संख्या
1.	अजमेर	157
2.	अलवर	1333
3.	भीलवाड़ा	540
4.	चित्तौड़गढ़	839
5.	बीकानेर	46
6.	चूरू	101
7.	भरतपुर	292
8.	धौलपुर	26
9.	श्रीगंगानगर	147
10.	जयपुर	1589
11.	दौसा	538
12.	झुन्झुनू	519
13.	जोधपुर	311
14.	बाड़मेर	54
15.	जैसलमेर	5
16.	जालौर	546
17.	बून्दी	311
18.	झालावाड़	457
19.	कोटा	318
20.	बांरा	234
21.	नागौर	817

227

223

1	2	3
22.	पाली	333
23.	सिरोही	238
24.	सीकर	1260
25.	सवाई माधोपुर	581
26.	टोंक	93
27.	बांसवाड़ा	24
28.	डूंगरपुर	74
29.	उदयपुर	503
30.	राजसमन्द	190
	योग :	12786